लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 10 शुक्रवार 26 नवम्बर, 1971/5 अग्रहायण 1893 (शक)
No. 10 Friday, 26 November, 1971/Agrahayana 5, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र० संख्या S.Q.No.	विषय Subject	
271.	आयकर आयुक्तों का सम्मेलन	Conference of Income-Tax Commissioners ... —1
272.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी	Decline in Profit of the Nationlised Banks ... —4
273.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता और अनुमानित उत्पादन	Requirements and Estimated Production of Fertilizers during Fourth Plan ... —5
275.	सरकार द्वारा अधिकार में ली गई कोकिंग कोयला खानों पर आयकर की बकाया राशि	Arrea of taxes outstanding against Coking Coal Mines taken over by Goverement ... —8
276.	दक्षिण बम्बई में करेन्सी नोटों को बरामदगी	Recovery of Currency Notes in South Bombay ... —10
277.	ईराक में कच्चे तेल का आयात	Import of Crude Oil from Iraq ... —11
282.	हिंद महासागर में भारतीय नौ सेना को सुदृढ़ बनाना	Steps to strengthen Indian Navy in the Indian Ocean ... —13
284.	टकरू आयोग में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Oil and Natural Gas Commission Affairs in Takru Commission ... —15

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

274.	निजी विमान कम्पनियों द्वारा अधिक मार्गों पर विमान सेवा चलाया जाना	Private Air Companies oprating on more Routes ... —16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या S.Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Page
278.	जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा ऋणों का भुगतान	Repayment of Loans by Jammu and Kashmir and West Bengal Government ...	—17
279.	सिल्वर रिफाइनरी, कलकत्ता का बन्द किया जाना	Closing of Silver Refinery, Calcutta...	—17
280.	अमृतसर और काबुल के मध्य इन्डियन एयर लाइन्स की सेवा	Indian Airlines Service between Amritsar and Kabul ...	—19
281.	औषधियों के मूल्य कम करने के लिए कार्यवाही	Steps to bring down Prices of Pharmaceuticals ...	—19
283.	विदेशों में स्थित औद्योगिक उद्यमों में विनियोजित पूंजी	Capital invested in Industrial Ventures in Foreign Countries ...	—19
285.	कोलगेट-पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लि० का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Colgate-Palmolive (India) Private Limited	—20
286.	भारत द्वारा रुस्तम अशोधित तेल का जापान को विक्रय	Sale of Rustom Crude to Japan by India ...	—20
287.	आय-कर अपीलों और कर निर्धारण मामलों का निपटान	Disposal of Income-tax Appeals and Assessment cases ...	—21
288.	जीवन बीमा निगम के कारोबार में वृद्धि	Increase in the Business of Life Insurance Corporation ...	—23
289.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विज्ञापन	Advertisement by Public Sector Uadertakings ...	—23
290.	चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत छोटी बचतों के बारे में लक्ष्य	Target of Small Savings under 4th Plan ...	—24
291.	जम्मू में अन्वेषण-कूपों की खुदाई	Drilling of Exploratory Well in Jammu ...	—25
292.	भारतीय रिजर्व बैंक, मद्रास में 'नियमानुसार कार्य करो' हड़ताल	Work to Rule Strike in the Reserve Bank of India, Madras ...	—25
293.	दुर्गापुर संयंत्र द्वारा नाइट्रोजन का उत्पादन	Production of Nitrogen by Durgapur Project ...	—26
294.	तट के समीप और गहरे समुद्र में तेल हेतु खुदाई के लिए सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम की स्थापना	Setting up of a Public Sector Undertaking for off-shore and deep-shore Drilling ...	—26
295.	स्नेहक तेल का मूल्य	Price of Lubricating Oils ...	—26
296.	समुद्री तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to West Bengal and Orissa for Cyclone Victims...	—27

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
297. एयर इण्डिया के बोइंग—707 विमान का हांगकाँग में आपात स्थिति में उतरना	Emergency Landing of Air India Boeing 707 Aircraft at Hong-kong ...	—27
298. युद्ध होने की स्थिति में ईरान द्वारा तेल की सप्लाई बन्द किया जाना।	Stopping of Oil Supply by Iran in case of War ...	—28
299. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की ओर बकाया राशि	Payments overdue from Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited and Fertiliser and Chemicals Travancore Limited ...	—28
300. पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण	Air Space Violations by Pakistan ...	—29

अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.		
1730. अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees on Deputation to other Offices ...	—29
1731. अकाल के वर्षों में बिहार में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन	Funds for Construction of Projects in Bihar undertaken in the famine years ...	—29
1733. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल और पैट्रौल की बिक्री के लिए सहकारी क्षेत्र में एजेन्सियों की स्थापना	Setting up Agencies in Co-operative Sector for sale of Kerosene oil and Petrol in States and Union Territories ...	—30
1735. आसाम सरकार द्वारा अशोधित तेल की रायल्टी को बढ़ाना	Raising of Royalty of Crude oil by Assam Government ...	—30
1736. प्राइवेट चालकों द्वारा हवाई टैक्सी का परिचालन	Operation of Air-taxis by Private Operators ...	—31
1737. जिला पलामऊ छोटा नागपुर में पर्यटकों के आकर्मण हेतु की गई कार्यवाही	Steps taken to attract taurists to district Palamau in Chhota Nagpur ...	—31
1738. राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन	Selection of S. C. and S. T. Candidates in Nationalised Banks ...	—32
1739. गुजरात में कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Smugglers in the Border Area of Kutch in Gujarat ...	—32

अता. प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1740. राष्ट्रीयत बैंकों के भूतपूर्व मालिकों को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to Former Owners of Nationalised Banks ...	—22
1741. बैंकों में पड़ी राशि पर ब्याज पर कर	Tax on Interest on Deposits held by Banks ...	—33
1742. बैंक मुआवजा राशि पर कर लगाये जाने सम्बन्धी परिपत्र	Circular on Taxability of Bank Compensation Money ...	—34
1743. विदेशों से निजी समान लाने संबंधी नियम	Rules governing bringing of personal effects from abroad ...	—34
1744. उत्तर प्रदेश में आय-कर अधिकारियों के लिए आवास तथा कार्यालय स्थान की व्यवस्था	Housing and Office Accommodation for Income-tax Officers in U. P....	—35
1745. चाय पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की समान दर	Uniform rate of Central Excise Duty on Tea ...	—36
1746. गैर-योजना व्यय में कटौती	Cut-in Non-Plan Expenditure	—37
1747. पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप मारे गये भारतीय नागरिक और सैनिक कर्मचारी	Indian Citizens and Army Personnel killed as a result of firing by Pak Troops ...	—37
1748. विदेशी सैनिक एटैचियों द्वारा बंगला देश सीमा का दौरा	Visiting of Bangla Desh Border by a Party of Foreign Military Attaches ...	—38
1749. सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	I. A. S. Officers on deputation to Public Undertakings ...	—38
1750. बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की समस्या का राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव	Impact of Problem of Refugees from Bangla Desh on National Development ...	—39
1751. महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Backward Areas of Maharashtra ...	—39
1752. केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के विदेशी दौरों पर व्यय	Expenditure on Foreign Tours of Ministers and other Officers of Government of India ...	—39
1753. भारत में शरणार्थी समस्या का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक और अन्य देशों की बैठक	World Bank Meeting with some Countries to assess impact of Refugee Problem in India ...	—40
1754. इंडियन एयरलाइन्स में प्रबन्धक-श्रमिक सम्बन्ध सुधारने के लिए किए गए उपाय	Measures taken to Improve Management Labour relations in Indian Air Lines ...	—40

अता. प्र. संख्या U.S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1755. तीसरे वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट का पेश किया जाना	Submission of Report by the Third Pay Commission	—41
1756. विश्व बैंक की सहायता से परिवार नियोजन परियोजनाएं	Family Planning Projects with the Assistance of World Bank	—41
1757. कृषि पुनर्वित निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए सहायता	Aid by Agricultural Refinance Corpration for Backward Areas ...	—42
1758. सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता	financial Assistance for Drought Affected Areas ...	—43
1759. मेजर बहुगुणा की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into Death of Major Bahuguna	—44
1760. सोयाबीन, तेल और कपास की सप्लाई के लिए पी० एल० 480 करार	P. L. 480 agreement for supply of Soya bean oil and Cotton ...	—45
1761. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को दिये गये ऋण	Loans given to Co-operative Societies by Nationalised Banks ...	—45
1762. कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा दी गई सहायता	Aid given by Agricultural Refinance Corporation ...	—46
1763. पोचमपाद सिंचाई योजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण	I. D. A. Loan for Pochampad Irrigation Schames ...	—47
1764. उर्वरक परियोजना की स्थापना	Establishment of Fertiliser Projects ...	—47
1765. बरौनी तेल शोधक कारखाने के कोकिंग एकक का बन्द किया जाना	Closure of Coking Unit of Barauni Oil Refinery	—48
1766. भारत में विदेशी पूंजी का निवेश	Foreign Capital Investment in India ...	—49
1767. राजधानी में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अधिक मूल्य लिया जाना	Overcharging for Petrol and Kerosene Oil in the Capital ...	—50
1768. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां	Appointments in public Sector Undertakings ...	—50
1769. कपड़े धोने के साबुन के कुटीर उद्योग की शोचनीय अवस्था	Cottage Industry Sector of Washing Soap Industry being Severely Hit ...	—51
1771. उद्योगों को ऋण	Loans to Industries	—51
1772. कांच उद्योग को सोडा एश की सीमित और अनियमित सप्लाई	Short and Irreguler Supply of Soda Ash to Glass Industry ...	—52
1773. आसाम के बाजार में मिट्टी के तेल की भारी कमी	Acute Shortage of Kerosene Oil in Assam ...	—53

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1774.	हाल ही में अमीर बने किसानों पर कर लगाना / Imposition of Taxes on Newly Rich Farmers ...	—53
1777.	515 आर्मी बस वर्क शाप बंगलौर के कर्मचारियों की शिकायतें / Grievances of Employees of 515 Army Base Workshop, Banglore ...	—53
1778.	कम्पनियों के बन्द होने से बेरोजगारी / Unemployment due to Closure of Companies ...	—54
1779.	जवानों को सिगरेटों की सप्लाई / Supply of Cigarettes for Jawans	—54
1781.	आयकर की बकाया राशि / Arrears of Income Tax	—54
1782.	भारत पर विदेशी ऋण की राशि / India's Foreign Debt	—55
1783.	जूनागढ़, गुजरात में पर्यटकों के लिए आवास की कमी / Shortage of Accommodation for Tourists at Junagarh, Gujarat ...	—55
1784.	इन्डियन एयरलाइन्स के जोरहाट कार्यालय द्वारा ब्राडवे होटल को ठेका दिया जाना / Contract between Jorhat Office of Indian Airlines with Broadway Hotel ...	—55
1785.	सुरनिसार/जम्मू में तेल के लिए खुदाई का असफल रहना / Unsuccessful Oil Drilling in Surinsar/Jammu ...	—56
1786.	ग्राहकों द्वारा इण्डेन गैस की सप्लाई के लिए जमानत-राशि का जमा किया जाना / Security Deposit by Customers for Sapply of Indane Gas ...	—56
1787.	सोवियत वायु सेना के वायु सेनाध्यक्ष की यात्रा / Soviet Air Force Chief's Visit	—57
1788.	इन्डियन एयर लाइन्स द्वारा हवाई उड़ानों में विलम्ब / Delayed flights by Indian Airlines ...	—57
1789.	राज्यों के सचिवों द्वारा विकास बैंक खोले जाने का सुझाव / Suggestion given by Secretaries of States regarding opening of Development Banks ...	—58
1790.	बाढ़ से प्रभावित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऋण / Loans to Central Government Employees affected by floods ...	—58
1791.	एयर इण्डिया की सहायक कम्पनी के रूप में एयर चार्टर कारपोरेशन की स्थापना / Setting up of a Corporation for air charter as a subsidiary of Air India ...	—58
1792.	अमरीकी विदेश सहायता को बन्द करने का प्रभाव / Impact of stoppage of U.S, Foreign Aid ...	—59
1793.	सरकारी नियमों के विरुद्ध बकाया ऋण और अग्रिम राशि / Loans and advances outstanding against Government Corporations ...	—59
1794.	वित्त मंत्रालय में दूर न की गई लेखा-परीक्षा आपत्तियां / Outstanding Audit Objections in the Ministry of finance	—60

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No,	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1795. औषध निर्माण में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Regional Research Laboratories to encourage research in drug manufacture ...	—60
1796. मीठापुर में टाटा उर्वरक परियोजना को जारी किया गया आशय-पत्र	Letter of intent issued to Tata Fertilizer Project at Mithapur ...	—61
1797. इण्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के कार्य में सुधार के लिये कार्यवाही	Steps to improve the working of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited ...	—61
1798. विभिन्न प्रकार के नहाने, कपड़े धोने और कार्बोलिक साबुन बनाने के लिए एक सरकारी क्षेत्र का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a public sector project for the manufacture of various types of tailet, laundary and carbolic ...	—63
1799. इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि	Losses suffered by Indian Airlines	—63
1800. गत तीन वर्षों में आयातित औषध तथा भेषज	Drugs and Pharmaceuticals imported during the last three years ...	—64
1801. भारतीय वायु सेना के विमानों का दुर्घटना ग्रस्त होना	Accidents to Indian Air force planes ...	—64
1802. विदेश–यात्रा कर सम्बन्धी नियम	Rules on foreign Travel Tax ...	—65
1803. कृषि तथा अन्य प्रकार की आय पर करों की वसूली	Collection of taxes on agricultural and other incomes ...	—65
1804. परिचालन में मुद्रा की स्थिति	Position af Money supply	—66
1805. कॉलगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	Colgate Palmolive (India) Private Limited ...	—65
1806. एक जापानी फर्म को समुद्र से तेल निकालने का ठेका	Contract to a Japanese firm for extracting oil from sea ...	—67
1807. मैसेर्ज सेलैक्टिड दलूरबन्ध कोल कम्पनी प्राइवेट (लिमिटेड), पश्चिम बंगाल के विरुद्ध शिकायत	Complaint against M/S Selected Dalurbandh Coal Company (P) Limited West Bangal ...	—68
1808. मैसर्ज कोल प्रोडक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत	Complaint against M/S Coal Product Private Limited ...	—68
1809. मैसूर में स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि	Deposits in the State Bank and Nationalised Banks in Mysore ...	—69
1810. देश में नये हवाई अड्डे का प्रस्ताव	Proposal to Construct New Airports in the Country ...	—69
1811. इंडियन एयरलाइन्स को हुई हानि	Losses suffered by Indian Airlines ...	—70

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1812. साबुन के देशीय-उत्पादन को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव	Proposal to Encourage Indigenous Manufacture of Soap ...	—71
1813. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक	Meeting of International Monetary Fund ...	—71
1814. हिन्द महासागर में अनुसन्धान करने के लिये जहाजों की कमी	Lack of Ships to Conduct Research in Indian Ocean ...	—72
1815. मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट लिमिटेड कलकत्ता में जीवन बीमा निगम का जोखिम	L. I. C's Stake in M/S Smith Stanestreet Ltd., Calcutta ...	—72
1816. उद्यमकर्ता विकास योजना के अधीन प्रशिक्षित बेरोजगार स्नातक	Un-employed Graduates Trained under the Enterpreneurship Development Scheme ...	—73
1817. डी० डी० टी० और यूरिया का सम्मिश्रण	Formulation Mix of D. D. T. and Urea ...	—74
1818. मूल्यों में वृद्धि परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं	Facilities to Central Government Employees as a result of rise in Prices ...	—74
1819. स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा जामनगर के छोटे किसानों को ऋण	Loans to Small Cultivators of Jamnagar by the State Bank of India ...	—75
1820. राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के लिये बैंक सेवा आयोग का गठन	Constitution of Bank Sesvice Commission for Recruitment in the Nationalised Banks ...	—75
1821. गोयन्का कम्पनी समूह के विरुद्ध जाँच	Enquiry against Goenka Group Companies ...	—75
1822. चौथी योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के लिये धन का आवंटन	Allocation of funds for Tourism in States and Union Territories during Fourth Plan ...	—76
1823. राष्ट्रीयकृत बैंकों में जालसाजी और डकैतियाँ	Frauds and Robberies in the Nationalised Banks ...	—76
1824. कलकत्ता हवाई अड्डे पर एक अमरीकी विमान चालक का रोका जाना	Detention of a pilot of United State at Calcutta Airport ...	—77
1827. नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे को बन्द करने का निर्णय	Decision on Closing Down of Safdarjung Airport, New Delhi ...	—77
1828. जीवन बीमा पेंशन योजना	Life Insurance Pension Scheme	—78
1829. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में दूर न की गई लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	Outstanding Audit Objections in the Ministry of Tourism and Civil Aviation ...	—78

अता०प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1830. दिवाली के अवसर पर दिल्ली में मोमबत्तियों की कमी	Shortage of candles in Delhi on the eve of Diwali ...	—79
1831. इण्डियन एयरलाइन्स में भर्ती	Recruitment in Indian Airlines ...	—79
1832. मैसूर में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks in Mysore ...	—79
1833. पर्यटन यातायात में कमी	Decline in Tourist Traffic	—80
1834. जीवन बीमा निगम द्वारा नये स्थापित उप कार्यालय	New Sub-Offices opened by Life Insurance Corporation ...	—80
1835. विदेशों को ऋणों का भुगतान	Repayment of Loans to Foreign Countries ...	—81
1836. पटना स्थित प्रतिरक्षा लेखा-नियंत्रक का कार्यालय	Office of Controller of Defence Accounts Patna ...	—82
1837. ग्रामीण कृषकों और किसानों को ऋण	Loans to Rural Agriculturists and Farmers ...	—82
1838. स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा बुरहानपुर में विभिन्न श्रेणी के लोगों को दिया गया ऋण	Loans given to Different Categories of persons by S. B. I. in Burhanpur	—83
1839. मध्य प्रदेश को ऋण	Loan to Madhya Pradesh ...	—83
1840. बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) स्टेट बैंक द्वारा शक्ति चालित करघों के मालिकों को दिया गया ऋण	Credit given to powerloom Owners Burhanpur State Bank (Madhya Pradesh) ...	—84
1841. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोले गये नये कार्यालय	New Offices opened by Nationlised Bank in Madhya Prabesh ...	—84
1842. स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बुरहानपुर की सेवाओं की कार्यकुशलता में गिरावट	Decline in efficiency in the Services of the State Bank of India, Burhanpur ...	—85
1843. इण्डियन एयर लाइन्स को कम आय	Low earnings of Indian Airlines	—85
1844. वित्तीय संकटों के बारे में सोशलिस्ट पार्टी का सुझाव	Suggestion by Socialist Party regarding financial Crisis ...	—86
1845. बम्बई हवाई अड्डे पर कुछ वरिष्ट कर्मचारियों का तबादला	Transfer of some Senior Officials of Bombay Airport ...	—86
1846. उचित दर की दुकानों से अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण	Distribution of Essential Articles through Fair Price Shops ...	—87
1847. कोचीन हवाई अड्डे में हवाई पट्टी का विस्तार करने के बारे में तकनीकी समिति के निष्कर्ष	Findings of the Technical Committee regarding Extension of Runway at Cochin Airport	—87

अता०प्र० संख्या U S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1848. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा की गई कथित जाल-साजी	Alleged Fraud Committed by State Bank of Bikaner and Jaipur ...	—87
1849. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की एक शाखा से जाली हुण्डियों का भुनाया जाना	Fictitious Bills Drawn on a Branch of State Bank of Bikaner and Jaipur ...	—88
1851. बाबतपुर हवाई अड्डे के आस-पास की भूमि को वापिस देना	Release of Land Around Babatpur Airport ...	—88
1852. इंडियन एयर लाइन्स में बढ़ती हुई जन-घंटों की हानि की जाँच	Inquiry into Increased Loss in Man-Hours by Indian Airlines ...	—89
1853. एयर इंडिया के लाभ में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही	Steps to increase Profitability of Air India ...	—90
1854. नांगल उर्वरक कारखाने को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	World Bank Financial Aid to Nangal Fertilizer Factory ...	—90
1855. धौलपुर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना	Location of an Oil Refinery at Dholpur ...	—90
1856. बंगला देश के शरणार्थियों के लिये राज्यों द्वारा कर लगाना	Imposition of Taxes by States for Bangla Desh Refugees ...	—91
1857. हल्दिया में मैथानल के उत्पादन के लिये परियोजना की स्थापना	Setting up of a Project for the Production of Methanol at Haldia ...	—91
1858. इण्डियन एयर लाइन्स की अधिक बोइंग विमान खरीदने की योजना	Plan to purchase more Boeing by Indian Airlines ...	—92
1859. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उपेक्षित वर्गों के लिये ऋण की वृद्धि दर	Growth Rate in Advances to neglected Sectors After Nationalisation of Banks ...	—92
1860. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम को होटल, मोटल और पर्यटकों के लिये आवास का निर्माण करने हेतु भूमि देने की पेशकश	Land offered by Madhya Pradesh Government to India Tourism Development Corporation for Building Hotels Motels and Travellers Lodges ...	—94
1861. भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to increse Inflow of Tourists to India ...	—94
1862. सीमा शुल्क गृहों में मोटरगाड़ी ड्राइवर	Auto Drivers in Customs Houses	—94

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1863. सीमा शुल्क विभाग के कार्यालय से बाहर कार्य करने वाले सिपाहियों का पुनर्गठन करने के लिए सीमा शुल्क अध्ययन दल की सिफारिश	Recommendation of Customs Study Team for reorganisation of Customs out-door Sepoys ...	—95
1864. सीमा शुल्क विभाग के लिये सहायक कलैक्टर	Assistant Collectors for Customs Department ...	—96
1865. ईरान और पाकिस्तान द्वारा हिन्द महासागर में संयुक्त युद्ध अभ्यास	Joint Exercises in Indian Ocean by Iran and Pakistan ...	—96
1866. करों की वसूली के लिए नए उपाय	New Measures for Collecting Taxes ...	—97
1867. सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidlines for Investment by the General Insurance Companies ...	—98
1868. दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई धन राशि	Remittances by Indian living in South East Asian Countries ...	—99
1869. औद्योगिक वित्त निगम के लाभ तथा हानि	Profit and Loss of the Industrial Finance Corporation ...	—99
1870. हलवाड़ा से सैन्य नक्शों की चोरी	Theft of Army Maps from Halwara...	—131
1871. छोटी बचत के लिए प्रोत्साहन	Incentives for Small Savings	—101
1872. राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकाला जाना	Overdrafts by States	—102
1873. चोरी-छिपे ले जाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Articles	—103
1874. पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कर अपवचन	Tax Evasion in West Bengal and Rajasthan ...	—105
1875. सुन्दरवन क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज	Search of Petroleum in Sunderban Area ...	—107
1876. देश में युवकों के लिए छात्रावास खोलने की योजना	Plan to Establish Youth Hostels in the Country ...	—108
1877. आयुद्ध कारखानों के महानिदेशक कार्यालय के कर्मचारी संघ कलकत्ता द्वारा की गई अपील	Appeal made by the Director General of Ordinance Factories Employees Union Calcutta ...	—108
1878. बैंकिग विभाग के कर्मचारियों द्वारा विदेशी बैंकों में अपना खाता रखना	Staff of the Banking Department having their account in Foreign Banks ...	—109

अता.प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1879. सरकारी कर्मचारियों को साइकिल, स्कूटर मोटर कार और गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि की मंजूरी पर लगाए गए प्रतिबन्ध	Restrictions Imposed on Sanction of Cycle, Scooter, Motor Car and House Building Advances to Government Employees ...	—109
1880. अनावश्यक व्यय में कटौटी	Cut in Non-essential Expenditure ...	—110
1881. रोजगार के अवसर जुटाने के लिए लक्ष्य और समय प्रधान कार्यक्रम	Target and Time Oriented Programme to generate Employment ...	—110
1882. पालम हवाई अड्डे के विस्तार और उसमें सुधार हेतु योजनायें	Plans for Expansion and Improvement of Palam Airport ...	—111
1883. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	Hindustan Lever Limited	—111
1884. आयुद्ध कारखानों के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of the Head Office of Director General of Ordinance Factories ...	—112
1885. बंम्बई में तस्कर व्यापारियों से मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Currency from Smugglers in Bombay ...	—112
1886. जम्बो वायुयानों के लिए यात्री यातायात	Passenger Traffic for Jumbo Aircrafts ...	—113
1887. हवाई अड्डों के बारे में टाटा समिति की सिफारिशें	Tata Committee Recommendations on Airports ...	—113
1888. मद्रास में लाटरी टिकटों की धोखाधड़ी का पता चलना	Unearthing of racket in Lottery Tickets in Madras ...	—113
1889. एक समान नम्बर वाले दस रुपये के नोट	Ten Rupee Notes bearing Identical number ...	—114
1890. ब्रिटेन से राडार साइमुलेटर खरीद	Purchase of Radar simulators from U. K. ...	—114
1891. विमान-सेवाओं के संचालन हेतु भारत और मारीशस के बीच करार	Agreement between India and Mauritius for operating Air Services ...	—115
1892. कावेरी बेसिन में पेल संसाधनों की खोज	Exploration of Oil Resources in Cauvery Basin ...	—115
1893. केन्द्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध	Centre-State Financial Relations ...	—116
1894. स्नेहक तेलों के आयात को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over Import of Lubricating Oils ...	—116
1895. देश में निर्मित और विदेशों से क्रय किए गए प्रतिरक्षा संबंधी उपकरण	Defence Equipment manufactured in the Country and purchased from Foreign Countries ...	—117

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1896. आवास की जरुरत को पूरा करने के लिए जीवन बीमा निगम की दीर्घकालीन योजना	Long term Plan of L. I. C. to meet the housing need ...	—117
1897. जम्बो विमानों की खरीद तथा मरम्मत के लिए व्यय किया गया धन	Amount spent for purchasing and repairs of Jumbo Aircrafts ...	—117
1898. भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	Scheduled Cast/Scheduled Tribe Working in Marketing Division of I. O. C. ...	—118
1899. जाली मुद्रा का परिचालन	Circulation of Counterfeit Currency ...	—119
1900. राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट की राशि को ऋण के रूप में परिवर्तित करना	Conversion of Overdrafts by States into Loan ...	—119
1901. पश्चिमी बंगाल में आयुद्ध कारखाने	Ordnance Factories in West Bengal...	—120
1902. जीवन बीमा निगम द्वारा फसल तथा ढोर बीमे के बारे में लागू की गई योजना	Scheme introduced by Life Insurance Corporation regarding Crop and Cattle Insurance ...	—120
1903. पाइप लाइन जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Pipeline Enquiry Commission ...	—121
1904. युद्ध में प्रयोग किये जाने वाले इलैक्ट्रोनिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता	Achievement of Self Sufficiency in Electronics used in Warfare ...	—121
1905. मूल्यों में वृद्धि	Rice in Prices	—122
1906. बैंकों में जाल साजी	Bank frauds ...	—122
1907. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लाभांश का प्रत्यावर्तन	Repatriation of dividents by Foreign Oil Companies ...	—123
1908. आयातित अशोधित तेल की कीमतें बढ़ाने की मांग	Demand for higher prices for imported crude ...	—123
1909. गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शस्त्रों के फालतू पुर्जों के निर्माण का कार्य सौंपना	Entrusting manufacture of spare parts of arms to private Sectors ...	—124
1910. केरल में विमान सेवा शुरू करने के बारे में निजी विमान-सेवा कम्पनियों का प्रस्ताव	Proposals made by Private Air Company to operate in Cerala ...	—124

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1912. बोइंग विमान द्वारा कोचीन हो कर केरल तक उड़ान	Boeing flight to Kerala touching Cochin ...	—125
1923. रामनाथ गोयन्का की कम्पनियों द्वारा जमा करने के लिए धन राशि एकत्रित करना	Collection of deposits by Ramnath Goenka's Companies ...	—125
1914. जम्बो विमान चलाने के लिए हवाई पट्टियों की लम्बाई बढ़ाना	Runways lengthened for operation of Jumbo Aircrafts ...	—125
1915. पालम हवाई अड्डे पर निर्मित अतिरिक्त हवाई पट्टी	Additional runway built at Palam Airport ...	—126
1916. भारत की यात्रा करने के लिए और अधिक विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपाय	Steps taken to induce more Foreign tourists to visit India ...	—126
1917. अलियाबेट से तट-दूर छिद्रण प्लेट-फार्म का स्थानान्तरण	Shifting of the off-shore drilling platform from Aliabet ...	—127
1918. पैट्रो-रसायन मशीनरी में सहयोग और खनिज तेल के संसाधनों की खोज करने हेतु जापान से एक आर्थिक मिशन	Economic Mission from Japan for collaboration in Petro-Chemical machinery and exploration of Mineral Oil resources ...	—127
1919. अशोधित तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss in Foreign Exchange by Price Rise of Crude Oil ...	—128
1920. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की मांगों को पूरा करना	Meeting of Requirments of Public and Private Sectors by Reserve Bank of India ...	—128
1921. युद्धपोतों का निर्माण	Manufacture of Frigates	—129
1922. भारत द्वारा हथियारों का निर्यात	Export of Weapons by India	—129
1923. कम्पनियों की वार्षिक साधारण बैठकें	Annual General Meetings by Companies ...	—129
1924. सरकारी कम्पनियों द्वारा की गई गलतियां	Default by Government Companies...	—130
1925. विदेशी कम्पनियों को दी गई छूट	Exemption Granted to Foreign Countries ...	—130
1926. कम्पनियों के विरुद्ध जांच	Investigations against Companies ...	—132
1927. कम्पनियों द्वारा अन्तर्निगमीय ऋणों तथा विनिवेशनों का अनुमोदन	Approval of Inter-Corporate Loans and Investments by Companies...	—132

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1928. औद्योगिक वित्त निगम के गोहाटी कार्यालय द्वारा प्राप्त ऋण आवेदन-पत्र	Loan applications received by Industrial Finance Corporation in Gauhati Office ...	—132
1929. छोटे किसानों को ऋण देने के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भ्रष्टाचार,	Corruption in the Advance of Loans to Small Farmers by the Nationalised Banks ...	—133
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Pudlic Importance ...	—134-141
कारों के मूल्य निर्धारण के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Judgement of the Supreme Court re : fixation of the Car prices ...	—134
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shanker Dayal Singh	—137
श्री मोइनुल हक चौधरी	Shri Moinul Haque Choudhury	—137
ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Call Attention Notices (Procedur) ...	—142
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table ...	—143-149
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha ...	—151
वायु निगम (संशोधन) विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Air Corporations (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha ...	—151
सभा का कार्य	Business of the House ...	—152
जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक-पुरः स्थापित	Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Bill Introduced...	—152
जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Ordinance ...	—153
विश्व भारती (संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित	Visva Bharati (Amendment) Bill-Introduced ...	—153
विश्व भारती (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Vishva Bharati (Amendment) Ordinance ...	—154
सटाम्प और उत्पादन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश देश के बारे में सांविधिक संकल्प और स्टाम्प और उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution Re.Stamp and Exise Duties (Amendment) Ordinance; and stamp and Excise Duties (Amendment) Bill ...	—154
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ...	—
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	—157
खण्ड 2 से 25 और1	Clause 2 to 25 and 1 ...	

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass ...	—
जांच आयोग (संशोधन) विधेयक	Commissions of Inquiry (Amendment) Bill ...	—157
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ...	—
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha ...	—157
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha ...	—157
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ...	—158
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति (सातवां प्रतिवेदन)	Committee on Private Members Hills and Resolutions (Seventh Report) ...	—161-162
बन्द पड़े औद्योगिक एककों को सरकारी उपक्रमों के रूप में अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution Re. Taking over of closed Industrial Units as Public Enterprises Negatived ...	—163
श्री अस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani ...	—163
श्री एस० एम बनर्जी	Shri S. M. Banarjee	—164
श्री घनश्याम ओझा	Shri Ghanshyam Oza ...	—164
आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि के बारे में संकल्प	Resolution Re-Rise in Prices of Essential Commodities ...	—165-174
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	—165
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ...	—167
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ...	—168
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	—169
श्री० पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ...	—170
श्री सी० चित्ति बाबू	Shri C. Chittibabu	—171
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	—172
श्री बालकृष्ण वेंकन्नानायक	Shri B. V. Naik	—173
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta	—173
श्री आर० वी० बड़े	Shrs R. V. Bade	—174

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 नवम्बर, 1971/5 अग्रहायण, 1893 (शक)
Friday, November 26, 1971/Agrahayna 5, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उतर
Oral Answers to Questions

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

+

***271. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री बी० आर शुक्ल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1971 में नई दिल्ली में हुए आयकर आयुक्तों के सम्मेलन में कर-अपवन्चन को रोकने तथा कर-निर्धारण कार्य शीघ्र पूरा करने के बारे में कुछ निर्णय लिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये थे; और

(ग) इन निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) : आयकर आयुक्तों के अगस्त, 1971 में हुये वार्षिक सम्मेलन में अनेक प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। कर अपबन्चन को रोकने और कर-निर्धारणों में शीघ्रता लाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया।

कर अपवन्चन को रोकने के उपायों के बारे में सम्मेलन में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया। फिलहाल, प्रत्यक्ष कर जांच समिति (भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में), कर अपबन्चन रोकने के सम्बन्ध में, समिति को दिये गये विभिन्न सुझावों के बारे में विचार विनिमय कर रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार उचित कार्यवाही करेगी। रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

जहां तक कर निर्धारणों में शीघ्रता लाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(1) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143 की उपधारा (1) तथा (2) के संशोधित उपबन्धों के अधीन निर्धारितियों को बिना बुलाए अथवा उनकी खाता बहियों को बिना मंगाए कर निर्धारण करने की जो कार्यविधि 1-4-1971 को लागू की गई थी, अनिर्णीत तथा चालू, दोनों प्रकार के अधिकांश मामलों में लागू की जायेगी।

(2) इस बात की छानबीन करने के लिए कि क्या आय की विवरणियों के साथ खातों और दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न की गई हैं, आय की विवरणियां प्राप्त करने के लिए अलग काउन्टर खोला जाना चाहिए ताकि कर निर्धारणों में शीघ्रता लाई जा सके।

(3) नई कार्यविधि के अधीन आने वाले अनन्य रूप से कर निर्धारणों के सम्बन्ध में लगे हुए आयकर अधिकारियों से यह अपेक्षा की जायगी कि वे, उनके द्वारा अभी तक निपटाये जाने वाले कर निर्धारणों की संख्या से कहीं अधिक कर निर्धारण पूरे करेंगे।

(ग) कर निर्धारणों के शीघ्र निपटान के उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणीग्रही : वित्त मंत्री ने आयकर आयुक्तों के सम्मेलन में उनको कर जमा करने में गतिशीलता दिखाने और कर अपवन्चन को रोकने के तरीके निकालने का आदेश दिया। मैं जानता चाहता हूं कि क्या आयकर आयुक्तों के सम्मेलन के बाद माननीय वित्त मंत्री के आदेशानुसार बकाया कर के 500 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली में क्या कोई प्रगति हुई है और क्या यह बकाया राशि इस वर्ष के अन्त तक वसूल करली जायेगी ?

श्री के० आर० गणेश : वित्त मन्त्री ने इन आयुक्तों को आदेश दिया है कि चालू वसूली तेज करने के साथ-साथ बकाया राशि के कम से कम 60 करोड़ रुपयों की वसूली भी की जाये। वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के संदर्भ में, हमने बकाया राशि की वसूली के निरन्तर प्रयत्न किए हैं। आयुक्तों ने विभिन्न प्रशासनिक तथा तकनीकी उपाय किये हैं। जैसा मैंने कहा कर अपवन्चन के केवल सामान्य प्रश्न पर एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर तो दिया ही नहीं गया। मैंने पूछा था कि कितनी वसूली का लक्ष्य रखा गया है और इसमें से कितनी वसूली चालू कर के बकाया की और पिछले कर के बकाया की हुई है ?

श्री के० आर० गणेश : वास्तविक आंकड़े वर्ष के अन्त में ही प्राप्त होंगे। वसूली के लिए प्रयत्नों का उल्लेख मैं कर ही चुका हूँ और लक्ष्य भी बताया जा चुका है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं इस सूचना के लिये इसलिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एक ओर तो हम जनता को 70 करोड़ रुपये वार्षिक अधिक कर के रूप में देने के लिये कह रहे हैं, और वर्तमान स्थिति में यह उचित भी है। परन्तु दूसरी ओर सरकार को भी बकाया राशि वसूल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि सरकार भी इस बारे में गंभीर है और ठोस उपाय कर रही है और वह खुशी से 100 करोड़ रुपये कर के रूप में दे दे।

मैं एक बात का उत्तर चाहता हूं सरकार ने समय-समय पर करों की चोरी रोकने के लिए अनेक समितियाँ बनाईं और माननीय वित्त मंत्री ने भी सभा को बताया था कि शीघ्र ही तत्संबन्धी उपाय सभा को बता दिए जाएंगे। क्या सरकार पहले वाली समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखेगी और उसने वांचू समिति को कर अपवन्चन रोकने के लिए किन उपायों की सिफारिश की है ?

श्री के० आर० गणेश : वैसे तो विभिन्न प्रशासनिक, विधाई और अन्य उपायों की सूचना सभा को समय-समय पर दी जाती रही है और यद्यपि इनकी सूची काफी लम्बी है, फिर भी मुझ इसे सभापटल पर रखने में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु अब यह समिति इन पर विचार कर रही है और साक्ष्य आदि भी लिए जा चुके हैं और इसका प्रतिवेदन आने वाला है। आयुक्त किसी ऐसे निर्णय पर नहीं पहुंचे जो बनाए जा सकें।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या इन उपायों के फलस्वरूप वसूली में कोई सुधार हुआ है ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक चालू कर की वसूली का संबन्ध है काफी सुधार हुआ है ? **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इस प्रश्न के तीन पहलू हैं—कर अपवन्चन, बकाया राशि और कर का कम-निर्धारण। क्या सरकार को यह जानकारी है कि आयकर अधिकारियों ने कुछ मामलों में कम कर निर्धारण किया है और यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री के० आर० गणेश : इन तीनों बुराइयों को रोका जा रहा है।

श्री एच० एम० पटेल : बकाया कर की क्या परिभाषा है ? क्या इसमें निर्धारित कर की समस्त राशि सम्मिलित है और वह सारी राशि मिलाकर कर-अपवंचित राशि बतायी जाती है जिसके बारे में कि विवाद है ?

श्री के० आर० गणेश : निर्धारित कर और बकाया कर में अन्तर है। निर्धारित करों की राशि 800 करोड़ है जबकि एकत्र करने योग्य बकाया राशि 500 करोड़ रुपये है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that inexperienced persons are selected by the UPSC as ITOs and this has resulted in discontent in the Department as also its poor performance ?

Mr. Tpeaker : This question does not arise.

श्री के० आर० गणश : मुख्य प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री राम सहाय पाण्डे : क्या यह सच है कि कुछ पार्टियां आयकर की बकाया और चालू देय राशि मिलाकर भुगतान करने को राजी हैं ? क्या आप भी ऐसा करने को तैयार हैं ताकि इस आपात काल में अधिक से अधिक धन जुटाया जा सके ?

श्री के० आर० गणेश : ऐसे मामलों की काफी अधिक छानबीन करनी पड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । इसी प्रश्न में 15 मिनट लग गये ।

राष्ट्रीय बैंकों के लाभ में कमी

*272. **श्री बेकारिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ के अनुपात में कमी हो गई है;

(ख) अन्य अनुसूचित बैंकों के लाभों की तुलना में इनके लाभ की क्या स्थिति है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं । 1969 के मुकाबले 1970 में कुल मिलाकर 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल शुद्ध लाभ में कोई कमी नहीं हुई है । 19 जुलाई 1969 से 31-12-69 की अवधि में 1962 के पूरे वर्ष में और 1970 के पूरे वर्ष में बैंकों को क्रमश: 3.25 करोड़ रुपये, 5.98 करोड़ रुपये और 6.90 करोड़ रुपये का कुल शुद्ध लाभ हुआ था । इस प्रकार, 1969 के लाभ के मुकाबले 1970 के वर्ष में कुल शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह वृद्धि अन्य अनुसूचित बैंकों की तुलना में ठीक है ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Shri Vekaria : Is it a fact that the upper strata of bureaucracy is in collusion with the former owners of these banks and that is why deposits are declining, although profits this year have increased ?

Shri Yeshwantrao Chavan : I do not know the source of such information of the hon. Member. The deposit mobilisation is increasing, hence the profits are also increasing.

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैंने 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और व्यावसायिक बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े पूछे थे । कुल लाभ और लाभ का अनुपात भिन्न भिन्न बातें हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि अन्य बेंकों की अपेक्षा क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह अनुपात कम हुआ है । दूसरे क्या 1970 में यह कमी इन बैंकों द्वारा सरकार को अपने गैर-उत्पादनकारी व्यय के लिए दिए गए भारी ऋणों के कारण हुई है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : प्रश्न में लाभ के अनुपात का उल्लेख नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : छपे हुए प्रश्न में तो यही है ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ही ठीक कहते हैं । इस प्रश्न पर शुद्धि पत्र भी छपा है जिसके द्वारा अनुपात शब्द का लोप कर दिया गया है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे यह नहीं मिला । मेरा निवेदन है कि लोक सभा सचिवालय ऐसी बातों की उचित सूचना दे दिया करे । फिर मैं सदस्य महोदय को उत्तर देने को तैयार हूं । लाभ अनुपात का अर्थ बैंकों के लाभ का उनकी कार्य-कर पूंजी से अनुपात होता है और विशेषकर विदेशी बैंकों की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह अनुपात कम ही है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में यह ·1 से ·4 प्रतिशत है। विदेशी बैंकों के मामले में यह ·4

प्रतिशत से लेकर एक प्रतिशत तक है। हमें इसके कारणों का पता लगाना है। कारण यह है कि अधिकतर विदेशी बैंक महा नगरों में ही हैं। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कार्य करने हेतु उन्हें अधिक सुविधायें प्राप्त हैं। स्वाभावत:, राष्ट्रीयकृत बैंकों का खर्च बढ़ रहा है क्योंकि हमने अपने उदेश्यों में कुछ सामाजिक वरीयता दे रखीहै और हम शाखाओं की संख्या बढ़ा रहेहैं। हम छोटे छोटे खातों की अनुमति दे रहे हैं। और छोटे खातों सम्बन्धी कमी करने में अधिक धन खर्च होता है। विदेशी बैंकों में बड़े खाते होते हैं जो बड़े बड़े महानगरों में बड़े खातों का कार्य करते हैं जहां अधिक जमापूंजी प्राप्त करने के अधिक अवसर होते हैं इस लिए उन्हें अधिक लाभ रहता है।

एक माननीय सदस्य : यही कारण है कि सभी विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह एक अलग बात है। यह तुलना वस्तुतः अनुचित है क्यों कि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों को कह रहे हैं कि वे केवल लाभ की ओर न देखकर कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्य भी करें। निश्चय ही इन बैंकों को अपने लाभ में पहले से वृद्धि भी करनी है परन्तु साथ ही उन्हें हमारे सामाजिक उद्देश्यों का भी ध्यान रखना है तथा समाज के उपेक्षित वर्ग की सेवा करनी है जो कि वे इस समय कर रहे हैं। अत: विदेशी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य की तुलना करते समय मैं लाभ के अनुपात को अन्तिम मानदण्ड नहीं मानता।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है अर्थात् क्या 1970 में हुई गिरावट राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार को अपने गैर-उत्पादकीय खर्चों के लिए दिए गये बड़े बड़े ऋणों के कारण हुई है।

श्री यशवंत राव चव्हाण : मैं कह चुका हूँ कि लाभ के अनुपात की दृष्टि से भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में गिरावट नहीं आई है। अन्तर तो केवल विदेशी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभों के बीच है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता और अनुमानित उत्पादन

+

*273. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री विश्वनारायण शास्त्री :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **पेट्रोलियन और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उर्वरकों की कुल कितनी आवश्यकता है और उनका अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) माँग और उत्पादन के बीच अन्तर को किस प्रकार कम किया जायेगा;

(ग) क्या निकट भविष्य में उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने सम्बन्धी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पोषकों के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उर्वरकों की आवश्कताएं निम्न प्रकार हैं :

नाइट्रोजन	$पी_2 ओ_5$	$के_2 ओ$
32	14	9

इस समय यह अनुमानित है कि 1973-74 तक उर्वरकों का देशीय उत्पान 18 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन एवं 4·58 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ होगा। देश में $के_2 ओ$ के उत्पादन के लिए कोई स्रोत ज्ञात नहीं हैं।

(ख) वर्तमान एककों में क्षमता उपयोग की वृद्धि द्वारा और अतिरिक्त क्षमता जो नये उर्वरक कारखानों की स्थापना एवं जहाँ कहीं सम्भव हो, कार्यकर रहे एककों के विस्तार के माध्यम से उपलब्ध की जा रही है, के सृजन द्वारा उर्वरकों की कुल आवश्यकता एवं देशीय उत्पादन के अन्तराल को कम किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां। 16·68 लाख मीटरी टन 'एन' और 5·31 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ की क्षमता का इस समय निर्माण हो रहा है और 15·96 लाख मीटरी टन 'एन' तथा 5·82 लाख मीटरी टन $पी_2 ओ_5$ की कुल क्षमता का अनुमोदन अथवा सिद्धान्त रूप में अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त उर्वरक प्रयोजनाओं की स्थापना के लिए कुछ प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

Shri Bhogendra Jha : The reply given by the hon. Minister needs more facts. At present what is the gap between our requirement and production and how much do we import from foreign countries ? Do the Government have any scheme to enable us to be self-sufficient by the end of Fourth Plan ? In view of our need and deficit at present and also in view of our fast increasing demand, what steps are being taken ? Mav I know whether it would be possible to lessen our imports ?

The Minister of Petrolium and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : As regards the production of nitrogenous fertilizers, our capacity is 13 lakh 40 thousand tonnes but we are producing only about 12 lakh tonnes. Although the target consumption of fertilizers in 1970-71 was 20 lakh tonnes but it was 14,87,000 tonnes of nitrogenous fertilizers and 4,62,000 tonnes of phos pho-fertilizers. That is why we are importing as we have been doing in the past. But we are minimising it. In 1968-69 the imports were worth Rs. 162 crores whereas it came down to Rs. 117 crores in 1969-70. Our capacity of fertilizers production has increased by five million tonnes and it would increase by another five million tonnes next year. we will be self-sufficient by 1975.

Shri Bhogendra Jha : Is it possible to import the fertilizers from those countries with whom we can have rupee trade so that we escape the burden of foreign exchange ?

Shri P. C. Sethi : Foreign excl ange has to be released in view of the demand of the fertilizers. Although we try our best to get it from rupee-areas, but we are importing against foreign exchange also.

Shri Bhogendra Jha : May I know whether the Government have tried the rupee areas also, if so, with what results ? Is it that we are not getting from those areas and that is why we are spending foreign exchange ?

Shri P.C. Sethi : Mostly, we are importing from America. Japan, Iran etc, Where we have to pay in foreign exchange.

Shri Bhogendra Jha : I had asked whether the rupee areas were tried or not?

Sheri P. C. Sethi : We do try to get from rupee areas and in case we fail to get, we go to other places.

श्री अमृत नाहाटा : जहां हम उर्वरकों के आयात पर मूल्यवान विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। वहां यह खेद की बात है कि हमारे देश में ही उपलब्ध विशाल उर्वरक खनिजों के भण्डार जैसे पोटाश, राक फास्फेट तथा पाइराइट्स आदि के उपयोग के लिए न तो कोई योजना बनाई गई है और न ही उनसे लाभ उठाया गया है। पाइराइट तथा फास्फेट विकास निगम पाइराइट स्रोतों पर कब्जा किये बैठा है और इसके फलस्वरूप अमझोर में लागत खर्च में 100 से 300 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। सलादीपुरा में तो काम भी आरम्भ नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो जानकारी देना है, प्रश्न पूछना नहीं।

श्री अमृत नाहाटा : मैं प्रश्न के मूल में जाना चाहता हूँ। अब उन्होंने राक फास्फेट का पता लगाने का कार्य ही त्याग दिया है तो वे देहरादून में उर्वरकों का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? उदयपुर में भी स्थिति भिन्न नहीं है। जब ऐसी हालत है, तो वे उत्पादन कैसे बढ़ायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछते समय वह स्वयं ही उत्तर न दें। नियमों के अधीन जानकारी से भरा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं हैं।

श्री अमृत नाहाटा : जब उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यक मूलभूत खनिज हमारे देश में ही बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी उनका उचित लाभ नहीं उठाया जा रहा तो फिर मंत्री महोदय को उत्पादन में वद्धि की कैसे आज्ञा दें?

अध्यक्ष महोदय : यह है एक सुन्दर प्रश्न। अब आया है यह उचित रूप में।

श्री पी० सी० सेठी : कल भी माननीय सदस्य ने मुझसे खनिजों का लाभ उठाने के सम्बन्ध में बात कही थी। जहां तक जिप्सम का संबंध है, राजस्थान सरकार और एक गैर सरकारी निकाय मिल कर उसकी खुदाई कर रहे हैं।

श्री अमृत नाहाटा : वह तो केवल दो लाख टन के लिए है, अधिक तो नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह उसके बीच में न बोलें।

श्री पी०सी सेठी : जहां तक पोटाश का संबंध है, यह स्पष्ट है कि देश में पोटाश उपलब्ध नहीं है और हमें पोटाश उर्वरक का आयात करते रहना होगा। फास्फारिक उर्वरकों के लिए तंजोर तथा अन्य स्थानों पर इसकी खुदाई की जा रही है यह कार्य इस मंत्रालय के अधीन नहीं है। परन्तु मैं यह मानता हूँ कि इसका खुदाई कार्य बहुत अच्छी तरह नहीं हो रहा है साथ ही माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि टाटा के मीठापुर उर्वरक परियोजना के मामले में, हम फास्फेरिक एसिड के आयात की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वे भारतीय फास्फेट का उपयोग करें।

श्री राजा कुल कर्णी : सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने उर्वरक कारखाने निर्माणाधीन हैं? क्या वे यथा कार्यक्रम प्रगति कर रहे हैं?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक परियोजनाओं की क्रियान्वित का संबन्ध है, सरकारी क्षेत्र

में प्रायः 9 तथा गैर सरकारी क्षेत्र में 4 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है।

श्री बी० वी० नायक : क्योंकि उर्वरकों की मांग घटती-बढ़ती रहती है तो क्या 32 लाख टन नाइट्रोजन का अनुमान किसी ठोस मांग की इस आशा पर आधारित है कि वर्तमान मूल्य ढांचा बना रहेगा ताकि औसत एकड़ के आधार पर अनुमानित मांग आधारित है ?

श्री पी० सी० सेठी : मैं मानता हूं कि उर्वरकों की खपत-दर में विविधता रही है। एक वर्ष तो यह वृद्धि-दर 25 प्रतिशत रही और अब यह दर कम हो गई है। वस्तुतः नाइट्रोजन उर्वरकों की खपत का लक्ष्य 20 लाख टन था परन्तु अब यह खपत घटकर 14 लाख टन हो गई है। समय-समय पर किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कृषि मंत्रालय संबन्धित मन्त्रालय तथा योजना आयोग इस सिद्धि का पुर्नविलोकन कर रहे हैं। वर्तमान खपत-लक्ष्यों पर पुनःविचार किया जा रहा है। उनका पुर्नमूल्यांकन किया जा रहा है। संभव है कि मांग में कमी के कारण वर्ष 1973-74 के लिये निर्धारित 32 लाख टन के लक्ष्यों को पुनरीक्षित करके कम किया जाये।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the reasons why the imported fertilizers are sold cheaper then the indigenous ones ?

Shri P. C. Sethi : It is true that the prices of imported fertilizers are less then those of indigenous but still the price of different countries vary; say for example. 50 per cent American fertilizers come in American ships and since the freight charges are higher, the prices, thus, are high, But still as far as the sale is concerned, we try to maintain parity between the foreign and indigenous ones, and excepting potash, the prices of rest of the fertilszers have been fixed.

Aprears of taxes outstanding against coking coal mines taken over by Government :

*275. **Shri Ramavatar Shastri** : will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) wnether a large amount of arrears on account of taxes is outstanding against the owners of those Coking Coal Mines which have been taken over by Government;

(b) if so, the amounts outstanding against each; and

(c) the action taken by Government to realise the said arrears ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) से (ग) सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई कोकिंग कोयला खानों के उन मालिकों के बारे में, जिन पर 30-9-71 को 25,000 रु० और इससे अधिक आयकर बकाया था, अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether any effort has been made to realise the outstanding amount ? Secondly, is it a fact that the owners of Cooking Coal mines, which have been taken over by the Government are being paid compensation ? If so, whether the outstanding taxes will be realised from the amount of compensation ?

श्री के० आर० गणेश : सदस्य महोदय ने स्वयं ही संकेत दिया है कि सरकार ने 214 कोयला खानों को अपने अधिकार में ले लिया है। अब विभिन्न भागों में फैली हुई इन 214 कोयला खानों के संबन्ध में सूचना एकत्रित करने में समय तो लगेगा ही। इसमें काफी समय लगेगा और हम पहले ही यह कह चुके हैं कि ज्यों ही यह जानकारी प्राप्त हो जायेगी उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri : The tax is outstanding for quite a long time.

श्री के० आर० गणेश : यह तो केवल एक सुझाव है। वास्तव में मूल प्रश्न से इसका कोई संबन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ जानकारी दे रहे हैं।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that before those Cooking Coal Mines were taken over by the Government,the owners of these mines removed their cash boxes, drilling machines, pumps and other materials ? They had also drawn money from the banks. If it is within the knowledge of the Government, what action has been taken in this regard and what action is being taken to take back all these things ? This news appeared in almost all papers and it was also accepted by the Minister of Steel and Mines that mine owners had taken away all these things.

Mr. Speaker : You are asking your question as though you are giving the information.

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, the fact is that this information leaked from Delhi one week in advance and that is why the mine owners took all these things with them. If it is within the knowledge of the Government, what action is being taken in this regard ? .....**(interruption)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उन खानों को मशीनों तथा अन्य उपकरणों सहित लिया गया था या नहीं ?

श्री के० आर० गणेश : वास्तव में उन के इस प्रश्न का मूल प्रश्न से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है क्यों कि मूल प्रश्न का सम्बन्ध तो बकाया राशि से था। अतः मेरे लिए इस प्रश्न के बारे में कोई जानकारी देना तो कठिन है। यह जानकारी तो इस्पात और खान मंत्री से प्राप्त की जानी चाहिए.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुआवजा देने से पहले सरकार अपनी बकाया राशि वसूल कर लेगी।

श्री के० आर० गणेश : यह तो केवल सुझाव मात्र है।

श्री प्रबोध चन्द्र : यह सुझाव नहीं है। यह सुझाव है या नहीं, इस का निर्णय करना तो अध्यक्ष महोदय का काम है, मंत्री महोदय का नहीं।

मैं आश्वासन चाहता हूँ। क्या सरकार इस ओर कोई ध्यान देगी कि खान मालिकों को मुआवजा देने से पहले, उनकी ओर बकाया धनराशि वसूल कर ली जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मालिकों के नाम जो बकाया धनराशि है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मूल प्रश्न के भाग (ग) में कहा गया है कि बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? इसी लिए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी कि खान मालिकों को मुआवजा देने से पहले उनकी ओर बकाया धनराशि वसूल कर ली जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है और इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : I would like to know whether Government will deduct the amount due as arrears of tax while paying compensation to mine owners whose mines have been taken over ?

Mr. Speaker : He is also aksing the same thing.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यह समाचार पहले ही प्रकट हो गया था और खान मालिकों ने विभिन्न बैंकों से भारी संख्या में धनराशि निकलवा ली थी। इस बात पर तो 'पेट्रियट' में एक लेख भी लिखा गया था। यदि सरकार को इस बात की जानकारी है तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि इसकी जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० आर० गणेश : इस समय तो मेरे पास इससे सम्बद्ध कोई जानकारी नहीं है। हम इसकी जाँच करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह कह रहे हैं कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, परन्तु मैं तो उन्हें जानकारी दे रहा हूँ। क्या वह इस की जाँच करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो वह पहले ही कह चुके है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know if investigation will be completed and infc-armtion laid on the table of the House during the current session ?

Mr. Speaker : I will request the hon. Members to leave some scope for other quetions also,

श्री ज्योतिर्मय बसु : जिन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण साथ ही कलकत्ता स्थित उनके मुख्यालय में किया गया है, उनके कर्मचारियों के बारे में सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री राम सहाय पांडे : सरकार की बातों से तो ऐसा लगता है कि बहुत कम मुआवजा दिया जायेगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मुआवजा देने से पूर्व ही बकाया राशि की वसूली करने के लिए सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री के० आर० गणेश : बकाया राशि की वसूली में कार्यवाही की पर्याप्त व्यवस्था है। यदि सरकार उन्हें मुआवजा नहीं भी देती तो भी बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार हर सम्भव कार्यवाही करेगी। मुआवजे के साथ वसूली का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Recovery of Currency Notes in South Bombay

***276. Shri Hukam Chand Kackwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether currency notes worth about Rs. 15 lakhs were recovered in a raid by the Excise Department on a building in South Bombay in the first week of September, 1971 ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : प्राप्त सूचना के आधार पर बम्बई सीमा शुल्क गृह के अधिकारियों ने 1-9-1971 को वार्डन रोड पर स्थित एक बंगले की चौकसी रखी और ऐसे दो व्यक्तियों से 15,70,000 रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा पकड़ी, जो वहाँ से निकलकर एक कार की तरफ जाते हुए पाये गये।

Shri Hukam Chand Kachwai : Who are the foreigners form whom Indian currency worth Rs. 15,70,000 has been seized and what was their purpose in carrying this huge amount ? How many other persons have been arrested in this connection ?

श्री के० आर० गणेश : जो व्यक्ति पकड़े गये हैं उन्होंने अपने नाम चन्द्रकांत अमीरचन्द चौकसी और चन्द्रकांत दयासिंह शाह बताये है। मामले की जांच की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachwai : I asked what was the purpose of carrying this amount. Has this been inquired into ?

श्री एम० एस० बनर्जी : क्या उनका सम्बन्ध किसी राजनीतिक दल से है ?

Snri K. R. Ganesh : That is being investigated.....**(Interruption)**

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know which country's currency has been seized ?

Shri K. R.Ganesh : That was Indian currency.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know if Government is aware of the fact that people who indulge in similar trade in foreign currency are living in big cities such as Bombay ?

Mr. Speaker : You may ask further questions after the investigation is over. You can collect the relevant information from hon. Minister.

ईराक से कच्चे तेल का आयात

***277. श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक से कच्चे तेल का सीधा आयात किये जाने का विचार है;

(ख) क्या इस कच्चे तेल को सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखानों में परिशोधित किया जायेगा; और

(ग) क्या इस ईराकी कच्चे तेल के परिशोधन के लिए वर्तमान मशीनरी में कोई परिवर्तन करना आवश्यक होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कच्चे तेल की विशिष्टियों की जांच कर लेने के बाद ही इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सी० चित्तिबाबू : अशोधित तेल के आयातों पर कितनी लागत आयेगी तथा ईराक से कितने मूल्य का तथा कितनी मात्रा में अशोधित तेल का आयात किया जायेगा ?

श्री पी० सी० सेठी : मूल्य के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता हैं। ईराक एक समझौते के अन्तर्गत अगले वर्ष जुलाई 1972 से 20 हजार मीटरीटन अशोधित तेल सप्लाई करने को सहमत हो गया है।

श्री सी० चित्तिबाबू : भारत तथा ईराक में विदेशी तेल कम्पनियों के असहयोगी व्यवहार को देखते हुये क्या सरकार ने तेल की सप्लाई के दूसरे क्षेत्रों का पता लगाया है जिससे पाकिस्तान के

साथ संकट के किसी समय यदि ईराक तेल की सप्लाई बन्द कर देता है तो हमें कोई कठिनाई न उठानी पड़े ?

श्री पी० सी० सेठी : हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। हमें कल्पना के सहारे नहीं चलना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा विचार है कि श्री चित्तिबाबू के प्रश्न का जिसे मैं भी पूछना चाहता था, कोई उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने यह प्रश्न किया है कि क्या ईराक के अतिरिक्त कच्चे तेल के सम्भव वैकल्पिक साधनों के लिए किन्हीं अन्य देशों से अनुरोध किया जा रहा है जिससे हम कच्चे तेल के लिए विदेशी तेल कम्पनियों पर निर्भर न रहें। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

श्री पी० सी० सेठी : हम दूसरे देशों से अनुरोध कर रहे हैं। उनके नाम बताना देश हित में नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर क्या है ?

श्री पी० सी० सेठी : पैट्रोलियम संस्थान में परीक्षण किये जा रहे हैं। यह निश्चत परीक्षण परिणामों के पश्चात किया जायेगा।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या कच्चे तेल की विशिष्टता जाने बिना ही सरकार ने इसका आयात करने का निर्णय किया है ?

श्री पी० सी० सेठी : नहीं। विशिष्टताओं में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है। यह अरब की खाड़ी का कच्चा तेल है जो लगभग अम्बाजारी के कच्चे तेल के समान है। अतः इसे प्रयोग करने में कोइ कठिनाई नहीं होगी। इसके अनुपातिक भार तथा इसमें गन्धक तत्वों के विषय में कोई विशिष्टता हो सकती है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या कच्चे तेल की विशिष्टता जाने बिना ही सरकार ने निर्णय किया है ? तेल के तत्वों को जाने बिना उसका मूल्य किस प्रकार निश्चित किया जा सकता है और उसके बिना आयात करने का निर्णय किस प्रकार किया जा सकता है ?

श्री पी० सी० सेठी : मैंने यही कहा है कि इसका मूल्य निश्चित कर लिया गया है। हमने अगले वर्ष से 20 हजार मीटरी टन कच्चा तेल मंगाने का समझौता किया है क्यों कि हल्दिया तथा बरौनी में हमारी आवश्यकताओं के लिये विदेशी तेल कम्पनियों से मंगाये जा रहे तेल की अधिक आवश्यकता है। इसलिए तेल की अतिरिक्त मात्रा का प्रबन्ध करना है। जहां तक विशिष्टताओं का प्रश्न है उनका पता लगाया जा रहा है। उन्हीं के आधार पर इसका मूल्य निश्चित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 282, श्री पी० गंगादेव

श्री पी० गंगादेव : श्रीमन्, मैं प्रश्न पूछता हूँ।

कुछ माननीय सदस्य : यह प्रश्न रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है परन्तु प्रश्न का उत्तर देने के लिए रक्षा मंत्रालय का कोई भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रक्षा मंत्री कहां हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि रक्षा मंत्री आजकल बहुत व्यस्त हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं कह सकता हूँ कि यह सदन के विशेषाधिकारों का हनन है।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमान् मैं उपस्थित हूँ।

हिन्द महासागर में भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाना

***282. श्री पी० गंगादेव** :

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में व्याप्त वर्तमान स्थिति के कारण सरकार भारतीय नौसेना को सुदृढ़ करने के लिए तुरन्त कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हमारी नौसेना के कार्य विवरण हमारी तटवर्ती सीमाओं तथा हमारे टापुओं की रक्षा तथा समुद्री रास्ते से व्यापार को सुरक्षित रखना है। पिछले कई वर्षों से नौसेना की क्षमता को बढ़ाने हेतु योजनाबद्ध प्रयत्न किए गए हैं। बेड़े को, मुख्यतः पनडुब्बी अंग तथा पनडुब्बीरोधी नौसेना की वायु सेना अंग, को सुदृढ़ करने के लिए कार्यवाही की गई है। भारत में नौसेना जलयानों के, जिसमें बड़े युद्धपोत शामिल हैं, निर्माण के एक वृहत कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। नौसेना डाकयार्ड सुविधाओं का विस्तार तथा आधुनिकीकरण दोनों ही सीमाओं पर किया जा रहा है। नौसेना कमान तथा सांग्रामिक एककों को सुदृढ़ तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है जिससे कि एक एक संग्रामिक बेड़ा पश्चिमी तथा पूर्वी तटवर्ती सीमाओं पर रहे।

श्री पी० गंगादेव : क्या वर्तमान स्थिति में हमारी नौसेना देश की सुरक्षा और अखंडता के लिये खतरे की चुनौती का सामना करने के लिये पूर्णतया तैयार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, देश की सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिए हमारी नौसेना पूर्णतया सक्षम है हम अपनी नौसेना को आधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस करने के लिये कदम उठा रहे हैं।

श्री पी० गंगादेव : हमारे आई० एन० एस० कावेरी द्वारा गत अगस्त माह में बम्बई तट से 15 किलोमीटर दूर देखी गई पाकिस्तानी पनडुब्बी का भली प्रकार पीछा किया। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के सामरिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा के उपायों के रूप में भारतीय समुद्री सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि लेटिन अमरीकी देशों ने, कुछ मामलों में 200 मील तक अपनी समुद्री सीमा के विस्तार के लिए अपने मामले अंतर्राष्ट्रीय निकायों को भेजे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके विचार में ही आपका यह प्रश्न मूल प्रश्न की सीमा में आता

है। मूल प्रश्न है—भारतीय नौसेना को सुदृढ़ करना। परन्तु आप मूल प्रश्न के क्षेत्र से अलग देश की समुद्री सीमा तक और उसके विस्तार के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे विचार से मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री पी० गंगादेव : मैंने देश के हितों की रक्षा के उपायों के रूप में यह प्रश्न पूछा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि आप जानते हैं देश की समुद्री सीमा अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं द्वारा विनियमित है। अतः यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय के सम्मुख समुद्री सीमा विस्तार के संबन्ध में इन परम्पराओं के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव है, तो हम भी प्रस्ताव करेंगे। परन्तु इस समय ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : सरकार ने देश की नौसेना को आधुनिक तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं और क्या नौसेना को आणविक शस्त्रास्त्र उपलब्ध करा दिये गए हैं; और क्या हमारे बेड़े को सुदृढ़ बनाने के लिए औद्योगिक एकक—आधुनिकतम हथियार बना रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपको ज्ञात होगा कि हम मजगांव गोदी में फ्रिगेट की तरह के विध्वंसक बना रहे हैं, जो बहुत ही आधुनिक हैं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इसे फ्रिगेट कह सकते हैं, विध्वंसक नहीं क्योंकि फ्रिगेट विध्वंसक नहीं होता है···

श्री विद्याचरण शुक्ल : विध्वंसकों के कई प्रकार हैं और फ्रिगेट भी एक विध्वंसक है। यह कहना गलत है कि यह एक जहाज नहीं है फ्रिगेट विध्वंसकों की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण मजगांव गोदी में किया जा रहा है। वहां तैयार किए गए फ्रिगेटों में से एक फ्रिगेट का परीक्षण किया जा रहा है और दो फ्रिगेट निर्माणाधीन हैं। अतः हम अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : विवरण से पता चलता है कि बेड़े को, मुख्यतः पनडुब्बी अंग तथा पनडुब्बीरोधी नौसेना के वायु सेना अंग को सुदृढ़ करने के लिए कार्यवाही की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह बात जानना चाहती हूँ कि बेड़े को सुदृढ़ करने में कितना समय लगेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : बेड़े को निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया के फलस्वरूप सुदृढ़ किया जा सकता है। अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इसे सुदृढ़ बनाने में कितना समय लगेगा। इसे सुदृढ़ करने का कार्य चल रहा है और वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान की प्रगति के साथ-साथ यह कार्य भविष्य में भी चलता रहेगा।

श्री समर गुह : क्या मंत्री महोदय का ध्यान रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय नौसेना को आणविक प्रक्षेपणास्त्र उपलब्ध कराके शक्तिशाली बनाया जा रहा है। यदि यह सच है तो किस प्रकार के आणविक प्रक्षेपणास्त्र उपलब्ध कराये जायेंगे तथा नौसेना के कौन-कौन से यूनिटों में ऐसे प्रक्षेपणास्त्र उपलब्ध कराए जायेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने इस सम्बन्ध में रक्षामंत्री का वक्तव्य नहीं देखा है.....

(व्यवधान)

श्री समर गुह : अमरीका तथा रूस में भारवाही साधारण पोतों में भी ऐसे प्रक्षेपणास्त्र उपलब्ध हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसा वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। खेद का विषय है कि राज्य मन्त्री ने इसे नहीं देखा है; यह नीति संबन्धी महत्वपूर्ण विषय है। क्या आप इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि रक्षा मन्त्री द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, नहीं।

टकरु आयोग में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों का सम्मिलित किया जाना

*284. **श्री शशि भूषण :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टकरु आयोग के निर्देश पदों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों को सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में अधिसूचना कब तक जारी कर दी जाएगी और यदि नहीं तो जब तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में अनियमितताओं के बारे में सरकार को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं फिर भी उसके कार्य को सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, Sir, I would like to read it to save time. Takru Commission was appointed for enquiry regarding Pipe-line and against the commpanies related to and against Shri Nayak. Gas and Crude oil pipe line in Gujerat was constructed by Oil and Natural Commission through these companies and the contract was given by Shri Nayak without inviting tenders for the work. When Takru Commission ins coducting enquiry regarding Pipe-lines, whather this enquiry would also be included in terms of reference of Takru Commission ? If not, will the Government appoint another enquiry commission regarding the irregularities committed by the Oil and Natural Gas commission ? If the terms of reference of Takru Commission are extended and the enquiry of this pipe line is also entrusted to it, then it could be completed early.

The Minister of Petrolium and Chemicals (Shri P.C. Sethi) : Mr. Speaker, Sir, the Takru Commission has been appointed to enquire into the irregularities regarding the pipe-line of the Indian Oil Corporation. As regards the question about Oil and Natural Gas Commission, I would like to say that affairs of ONGC are not related to pipe-line but they are concerned with matters such as purchase of casing pipes from Czechoslovakia, import of seamless pipes from Czechoslovakia, placing of orders for Christmas Trees, appointment of Shri Goel. Case of Shrimati Leela Menon, purchase of Nazim Estate and Iakwa Estate. These matters are being enquired into by the CIB and the Central Vigilance Commission.

Report regarding the case of shrimati Leela Menon has been received and she has been presented. The case is sub-judice. The report regarding the rest of the matters has not so far been received and action will be taken on reciept of the same. Therefere, Takru Comimission is not in any way with the matters relating to ONGC.

Shri Shashi Bhushan : I whuld like to know whether Shri Nayak was the Chairman at the time when the pipe-line was constructed in Gujerat and whether it was constructed by Senam and tender was invited for the same ? It will take a long time to constitute an inquiry after the report is received. If the matter is entrusted to the Takru Commission, the enquiry will be completed early. Secondly, how long the Takru Commission would take to Complete the enquiry ? Have you fixed any time limit for the purpose ?

Shri P. C. Sethi : The Takru Commission is not concerned with the pipe line constructed by Senam and Sypen. I would like to tell the Hon. Member that we have broad based the terms of refernce of the Takru Commission. The terms of reference of Takru Commission have been widened in accordance with the objection raised by the Committee regarding the delay in construction of the pipe-line by Senam and Sypen. The Takru Commission would be dealing with this.

As regards the working of the Takru Commission, we want that they should complete the enquiry at the earliest date, but we will have to extend the time, if they ask for its extention.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

निजी विमान कम्पनियों द्वारा अधिक मार्गों पर विमान सेवा चलाया जाना

***274. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमान कम्पनियां अपनी सेवाओं को धीरे-धीरे अधिक मार्गों और अधिक क्षेत्रों में बढ़ाती जा रही हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में निजी विमान कम्पनियों के विमानों में कितने यात्रियों ने यात्रा की कितनी वस्तुओं का परिवहन हुआ तथा इन्होंने कितनी दूरी की उड़ानें कीं ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा है ।

विवरण

वर्ष	उड़ान किये गये घंटे (संख्या)	उड़ान किये गये किलोमीटर (000)	वहन किये गये यात्री (संख्या)	वहन किया गया माल (टन)
1968	9,652	2,718	60,702	11,226
1969	9,613	2,783	54,583	10,425
1970	10,206	2,998	64,657	9,790

जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा ऋणों का भुगतान

*278. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋणों का समय पर भुगतान नहीं किया है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1970-71 वर्ष के अन्त तक उन पर बकाया मूलधन और ब्याज की राशि क्या थी; और

(घ) इन ऋणों पर अब तक केन्द्रीय सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण, जम्मू तथा कश्मीर और पश्चिम बंगाल के राज्य, केन्द्रीय ऋणों की वापसी अदायगी और उनके ब्याज की अदायगी की देनदारी पूरी न कर सके। 1970-71 के अन्त तक जम्मू तथा कश्मीर के जिम्मे बकाया रकम 22,94 करोड़ रुपया थी (अर्थात मूल रकम 14·59 करोड़ रुपया और ब्याज का 8·35 करोड़ रुपया) और पश्चिम बंगाल के जिम्मे बकाया रकम 12·24 करोड़ रुपया थी (अर्थात मूल रकम 3·82 करोड़ रुपया और ब्याज की रकम 9·42 करोड़ रुपया)।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 3·54 करोड़ रुपये की रकम को छोड़कर, बाकी सब देय रकम अदा कर दी है।

चूंकि भारत सरकार ने ऋण या ब्याज के किसी भी अंश को नहीं छोड़ा इसलिए किसी प्रकार के घाटे का सवाल पैदा ही नहीं होता।

सिल्वर रिफाइनरी, कलकत्ता का बन्द किया जाना

*279. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिल्वर रिफाइनरी, कलकत्ता को, जिसमें परिचालन से हटाये गये चतुर्धातु मिश्रित सिक्कों से चांदी निकालने का काम होता था, बन्द करने का और अलीपुर टकसाल में दोहरी पारी प्रारम्भ करके वहां रिफाइनरी के फालतू कर्मचारियों को खपाने का निर्णय किया है।

(ख) क्या सरकार को कलकत्ता टकसाल कर्मचारी संघ से सरकार के निर्णय के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चांदी शोधन शाला रिफाइनरी) की स्थापना 1958 में चलन से वापस लिये गये चतुर्धातु मिश्रित सिक्कों से चांदी निकालने के एक विशिष्ट और सीमित उद्देश्य से की

गई थी। चूंकि इसका काम पूरा होने वाला था, इसलिए यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या कोई अन्य मंत्रालय अथवा सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम इस शोधनशाला को चालू संस्थान के रूप में अपने हाथ में ले सकेगा और यदि ऐसा सम्भव न हो तो क्या शोधनशाला कर्मचारियों को, उनकी सेवा में बिना किसी विच्छेद के, कहीं अन्य खपाया जा सकता है, चाहे शोधनशाला की स्थिर परिसम्पत्तियों के वेहतर उपयोग के बारे में निर्णय लेने में अधिक देर हो जाये। यह स्पष्ट हो गया कि यह सम्भव नहीं कि चलन से वापस लिये गये सिक्कों से चांदी निकालने का काम पूरा हो जाने के तत्काल पश्चात कोई अन्य मंत्रालय अथवा उपक्रम शोधनशाला को चालू संस्थान के रूप में अपने नियन्त्रण में ले सकेगा और इसलिए शोधनशाला के कर्मचारियों को खपाने का मामला शाला की स्थिर परिसम्पत्तियों के उपयोग के मामले से अलग करना पड़ा। कर्मचारियों की सेवा में बिना किसी विच्छेद के उनकी सेवाओं के उपयोग का मामला अलीपुर टकसाल में सिक्का ढलाई के काम में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता के परिणामस्वरूप उपस्थित हुआ। इसलिए सरकार ने, सिक्कों की कमी को दूर करने की दृष्टि से सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से पहली अक्तूबर, 1971 से कलकत्ता शोधनशाला के सभी कर्मचारियों का अलीपुर टकसाल में स्थानान्तरण करने का निर्णय कर लिया। शोधनशाला के लगभग 175 कर्मचारी पहले ही अलीपुर टकसाल में स्थानान्तरित किये जा चुके हैं, ताकि अलीपुर टकसाल की, जिसमें फिलहाल एक पारी में काम हो रहा है, पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। लगभग 340 कर्मचारी शोधनशाला में चांदी निकालने के बचे हुए काम को पूरा कर रहे हैं किन्तु वे भी सभी बचे हुए काम को पूरा करने के बाद, अलीपुर टकसाल के कारखाने में चले जायेंगे। इसलिए जहां तक वित्त मंत्रालय का सम्बन्ध है चाँदी शोधनशाला के पास इसके बाद कोई काम करने के लिए नहीं बचेगा। खान और धातु विभाग के तत्वावधान में शोधनशाला की स्थिर परिसम्पत्तियों के वैकल्पिक उपयोग के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यदि शोधनशाला की परिसम्पत्तियों के आधार पर अन्ततोगत्वा के क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना हुई तो शोधनशाला के भूतपूर्व कर्मचारियों को उस औद्योगिक उपक्रम में शामिल होने की छूट होगी।

(ख) और (ग) चाँदी शोधनशाला के कर्मचारियों का पहली अक्तूबर, 1971 से अलीपुर टकसाल में स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व, कलकत्ता टकसाल के कर्मचारियों की यूनियन ने शोधन शाला के कर्मचारियों के लिए अलीपुर टकसाल में काम मुहैया करके वहां दो पारियों में काम शुरू किये जाने के विरुद्ध अपना मत रखा था और यह सुझाव भी दिया था कि शोधनशाला में चाँदी निकालने का काम पूरा हो जाने के बाद भी शोधनशाला को चालू रखा जाना चाहिए।

(घ) फिलहाल अलीपुर टकसाल में दो पारियों में काम शुरू करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इस समय उद्देश्य यह है कि एक पारी की व्यवस्था को चालू रखते हुए, टकसाल की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाये और इस प्रयोजन के लिए, आवश्यक संख्या में कर्मचारियों का टकसाल में स्थानान्तरण कर दिया गया है। शेष कर्मचारियों को शोधन शाला के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए अभी वहीं रखा गया है। जब टकसाल में काम करने के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध हो जायेंगी तब पूरी टकसाल में अथवा उसके कुछ भागों में दो पारियों में काम शुरू करने की व्यवस्था सहित सभी सम्भव विकल्पों पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक चाँदी निकालने का काम पूरा होने के बाद भी शोधन शाला की परिसम्पत्तियों का उपयोग करते रहने की बात है, यह ऐसा मामला है जिसके बारे में खान और धातु विभाग निर्णय करेगा। इस बारे में उससे बातचीत की जा रही है।

अमृतसर और काबुल के मध्य इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा

*280. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अमृतसर और काबुल के मध्य अपनी सेवा बन्द कर दी है;

(ख) यह सेवा कब से कब तक चालू रही; और

(ग) इस सेवा को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) यह सेवा 4 जनवरी, 1971 से 4 फरवरी, 1971 तक, जब तक कि इंडियन एयरलाइंस ने पाकिस्तानी भू-भाग के ऊपर से होने वाली उड़ानें रद्द नहीं कर दीं, परिचालित थी।

औषधियों के मूल्य कम करने के लिए कार्यवाही

*281. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न निर्माताओं द्वारा एक ही प्रकार की औषधियां भिन्न-भिन्न मूल्यों पर बेची जा रही हैं; और

(ख) उनकी लागत, लाभ तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनके मूल्यों को उचित स्तर पर लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं और प्रयुक्त पैकिंग सामग्री की लागत एवं विश्व के अनुसार नियोजित वृद्धि पर निर्भर होने के कारण एक ही प्रकार की औषधियों के मूल्य प्रत्येक कारखाने में भिन्न-भिन्न है।

(ख) औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 का मुख्य उद्देश्य, औषधियों को उचित मूल्यों पर प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। आदेश में निहित सामग्री लागत परिवर्तन लागत, पैकिंग प्रभार तथा वृद्धि के एक अवयव आदि के संदर्भ में मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।

विदेशों में स्थित औद्योगिक उद्यमों में विनियोजित पूंजी

*283. **श्री श्याम नंदन मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित औद्योगिक उद्यमों में कितनी भारतीय पूंजी लगी हुई है; और

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान कितना लाभांश स्वदेश भेजा गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) कुल स्वीकृत संयुक्त उद्यमों में से 28 उद्यम स्थापित हो चुके हैं जिन पर कुल 448 लाख रुपये की भारतीय पूंजी लगी है।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1969-70 के वर्ष में लाभांश के रूप में कुल 6.81 लाख रुपये की रकम स्वदेश भेजी गयी । 1970-71 के वर्ष के लिए लाभांशों की घोषणा किये जाने और उनके स्वदेश भेजे जाने की आशा करना अभी समय-पूर्व होगा ।

कोलेग्ट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लि० का राष्ट्रीयकरण

285. श्री के० लकप्पा : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोलेग्ट-पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लि० भारी मात्रा में लाभ अर्जित करती रही है और अमरीकी डालरों में संयुक्त-राज्य-अमेरिका को धन भेजती रही है उक्त कम्पनी के राष्ट्रीयकरण करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान् । तथापि सरकार की नीति इस प्रकार की कम्पनियों में शनैः शनैः भारतीय हिस्सेधारिता को बढ़ाने की रही है ।

भारत द्वारा रुस्तम अशोधित तेल का जापान को विक्रय

***286. श्री बनमाली पटनायक :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत से रुस्तम अशोधित तेल खरीदने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये करार की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) रुस्तम संशोधित तेल के लिए स्थाई ग्राहक प्राप्त करने और भारतीय तेलशोधक कारखाने में इसका उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जापान की एक व्यापारिक कम्पनी ने हाइड्रो कारबान्स इन्डिया प्राईवेट लि० जो कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्ण स्वामित्व अनुषगी कम्पनी है, से करीब 200,000 लाख टन रुस्तम कच्चा तेल लेने का समझौता किया है ।

(ख) कच्चा तेल 1971 की अन्तिम तिमाही और 1972 की पहली तिमाही में उठाया जायेगा । मूल्य प्रतियोगी है ।

(ग) बिक्री के लिये दीर्घ कालीन वचनबद्धता नहीं है क्योंकि (i) अन्तर्राष्ट्रीय तेल मार्केट में कच्चे तेल के मूल्य बढ़ने की सम्भावना है (ii) नेशनल इरानियन आयल कम्पनी (जो कि 50 प्रतिशत के भागीदार हैं) द्वारा विशेष वर्ष में तेल उड़ाए जाने की सूचना काफी समय पहले प्राप्त नहीं होती अतः हाइड्रो कारबान्स इन्डिया प्राईवेट लि० को दीर्घ कालीन बिक्री के लिए प्राप्त

मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता (iii) रोस्तम कच्चे तेल को भारतीय शोधनशालाओं में शोधन के संभाव्य का अध्ययन किया जा रहा है।

आय-कर अपीलों और कर-निर्धारण मामलों का निपटान

*287. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री डी० बी० चंद्र गौडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अपीलों और कर निर्धारण के मामलों के निपटान में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या प्रशासनिक उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण तथा अपीलीय सहायक आयकर आयुक्तों द्वारा निपटायी गई अपीलों की संख्या 1967-68 में 23,097 तथा 1,84,217 थी जो कि 1970-71 में बढ़कर क्रमशः 33,600 तथा 2,38,231 हो गई।

इसी प्रकार पूरे किये गये कर निर्धारणों की संख्या 1967-68 में 25,56,554 थी जो कि 1970-71 में बढ़कर 34,28,924 हो गई।

पिछले चार वित्तीय वर्षों में निपटायी गई अपीलों और पूरे किये गये कर-निर्धारणों का वर्षवार विस्तृत ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ख) मांगी गई सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) आयकर अपीलों तथा कर-निर्धारणों के मामलों को निपटाने में की गई प्रगति :

(i) **आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें**

वर्ष	अनिर्णीत अपीलों का अर्थशेष	इस अवधि में दायर की गई अपीलों की संख्या	इस अवधि में निपटाई गई अपीलों की संख्या	इतिशेष
1967-68	47,558	31,042	23,097	55,503
1968-69	55,503	31,929	24,098	63,334
1969-70	63,334	39,429	28,092	74,671
1970-71	74,671	43,513	33,600	84,584

(ii) **अपीलीय सहायक आयकर आयुक्तों के समक्ष अपीलें**

वर्ष	अनिर्णीत अपीलों का अर्थशेष	इस अवधि में दायर की गई अपीलों की संख्या	इस अवधि में निपटाई गई अपीलों की संख्या	इतिशेष
1967 68	1,61,092	2,09,336	1,84,217	1,86,211
1968-69	1,86,211	2,16,691	1,94,424	2,08,478
1969-70	2,08,478	2,39,792	2,31,485	2,16,785
1970-71	2,16,785	2,44.796	2,38,231	2,23,350

(iii) **आयकर निर्धारण**

वर्ष	निपटाए जाने के लिए मामलों की संख्या पिछली बकाया तथा चालू	निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष के अंत में अनिर्णीत कर निर्धारणों की संख्या
1967-68	48,86,204	25,56,554	23,29,650
1968-69	49,99,237	34,14,580	15,84,657
1969-70	48,79,697	35,57,890	13,21,807
1970-71	47,30,992	34,28,924	12,38,823

(ख) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अपनाए गए प्रशासनिक उपाय

आयकर निर्धारण के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित तरीके अपनाए गए :—

(i) आयकर अधिकारियों की संख्या में 50 की वृद्धि ।

(ii) आयकर विभाग में कार्य के अनुसार कर्तव्य विभाजन की योजना चालू करना, जिसके अनुसार आयकर अधिकारी का कर-निर्धारण संबन्धी कार्य उसके दूसरे कार्यों से पृथक कर दिया गया है ताकि वह कर-निर्धारण के कार्य पर शीघ्र और एकाग्र ध्यान दे सके ।

(iii) आयकर-निर्धारण पूरा करने की सांविधिक समय-सीमा को क्रमिक गति से घटाकर 4 वर्ष से 2 वर्ष करना ।

(iv) केन्द्रीय अधिकार-क्षेत्रों में आयकर अधिकारियों की संख्या बढ़ाना, ताकि बड़े-बड़े मामलों में जिनमें जांच पड़ताल करनी आवश्यक होती है आयकर-निर्धारण के काम का शीघ्र निपटान हो सके ।

(v) कम्पनियों विषयक कर-निर्धारण के निपटान की गति में तेजी लाने के लिए कम्पनी परिमंडलों की संख्या बढ़ाना ।

(vi) आयकर आयुक्तों द्वारा कर-निर्धारण निपटाने के लक्ष्य निर्धारित करना और केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा उसकी समीक्षा । ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि आयकर विभाग में उपलब्ध विद्यमान कर्मचारी क्षमता से अधिकाधिक कार्य पूरा करवाया जा सके ।

(vii) कर-निर्धारणों के निपटान की गति को और अधिक तेज करने के उद्देश्य से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1970 में 1 अप्रैल, 1971 से, कर-निर्धारणों की कार्यविधि में भारी परिवर्तन कर दिया गया है । इस योजना के अंतर्गत आयकर अधिकारी, आय की विवरणी प्राप्त होने के पश्चात, अधिकांश मामलों में कतिपय हिसाब संबन्धी भूलों को संशोधित करके नियमित ढंग का कर-निर्धारण तत्काल करने और विवरणी में दायर की गई कुल आय में निर्धारिती के उपस्थित हुए बिना अथवा आय की विवरणी की पुष्टि में उसके द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना कतिपय सांविधिक घटा-बढ़ी करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

जीवन बीमा निगम के कारोबार में वृद्धि

*288. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीवन बीमा कारोबार में कितनी वृद्धि होने की आशा है;

(ख) क्या प्रीमियम को कम करके पालिसी-धारकों को राहत देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 1750 करोड़ रु० का नया जीवन बीमा कारोबार पूरा किए जाने की संभावना है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे किए गए कारोबार से लगभग 34.3 प्रतिशत अधिक है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विज्ञापन

*289. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 1971 के 'दि नैशनल हैराल्ड' समाचार पत्र में 'पाब्लिक सैक्टर एडवर्टाइजिंग (सरकारी क्षेत्र द्वारा विज्ञापन) शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र जन संपर्क सलाहकार एजेंसी और सरकारी क्षेत्र के निगमों और कम्पनियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक

विज्ञापन एजेन्सी की शीघ्र स्थापना करने की सिफारिश न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ब्यूरो ने सरकारी उपक्रमों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का अधिकाधिक उपयोग करने का परामर्श दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी उद्यमों की जन संपर्क नीति और उसके क्रियान्वयन के संबन्ध में परामर्श देने के लिए स्वतन्त्र और पर्याप्त कर्मचारियों वाला जन संपर्क परामर्श संगठन स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया था। इस प्रकार के प्रस्ताव के गुणावगुणों पर अब सरकारी उद्यमों से संबद्ध मन्त्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। किन्तु सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और निगमों की सेवा के लिए, सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय विज्ञापन अभिकरण की स्थापना करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) विज्ञापन का कार्य सामान्यतः सरकारी उपक्रमों की देनन्दिन प्रबन्ध के दायरे में आता हैं। परन्तु ऐसे अनुदेश मौजूद हैं कि अपना प्रकाशन कार्य सौंपते समय सरकारी उपक्रमों को उन भारतीय विज्ञापन अभिकरणों का उपयोग करना चाहिए जिनका स्वामित्व भारतीयों के हाथ में हो और जो उनके नियन्त्रणाधीन हों। सरकारी उद्यमों के उपयोग के लिए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अनुमोदित विज्ञापन अभिकरणों की एक नामिका भी उन्हें भेजी गई है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का काम भी उस नामिका में है और कुछ सरकारी उद्यम अपने विज्ञापनों के उक्त निदेशालय का उपयोग कर रहे हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत छोटी बचतों के बारे में लक्ष्य

***290. श्री एम० कतामुतु :**
श्री अमरनाथ चावला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में छोटी बचतों के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) छोटी बचत योजनाओं के माध्यम से अब तक कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित छोटी बचत संबन्धी लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) चौथी पचवर्षीय आयोजना में छोटी बचतों से 769 करोड़ रुपया एकत्रित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1970-71 के दौरान एकत्रित राशियों की उत्साहजनक प्रवृति और बंगला देश के शरणार्थियों के व्यय की पूर्ति के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता को देखते हुए, आयोजना अवधि के लिए उपर्युक्त लक्ष्य को 1,000 करोड़ रु० तक बढ़ाने का विचार है।

(ख) अगस्त, 1971 तक लगभग 357 करोड़ रुपया।

(ग) आशा है कि प्रस्तावित संशोधित लक्ष्य भी पूरा हो जायेगा।

जम्मू में अन्वेषण-कूपों की खुदाई

*291. **श्री इन० ई० होरो :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जम्मू में एशिया भर में तेल के सबसे गहरे अन्वेषण-कूप की खुदाई कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कूप की खुदाई के बाद इसकी गहरायी और उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : जम्मू नगर के पास सुरीनमस्तगढ़ संरचना पर 6000 मीटर की गहराई तक योजनाबद्ध एक गहरे कुएं की खुदाई की जा रही है। यह अभी तक 2450 मीटर की गहराई तक पहुँचा है। इस कुएं की उत्पादन क्षमता (यदि ·····कोई हुई) व्यधन कार्य के पूर्ण होने तथा कुए के परीक्षण के पश्चात ही जानी जायेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक, मद्रास में 'नियमानुसार कार्य करो' हड़ताल

*292. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, मद्रास, के कर्मचारियों ने 1971 के अक्टूबर मास में 'नियमानुसार कार्य करो' हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) उन कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अक्तूबर 1971 में इस प्रकार का कोई आन्दोलन नहीं हुआ था। लेकिन, रिजर्व बैंक के मद्रास स्थित कार्यालय के तृतीत श्रेणी के कर्मचारियों ने 17 सितम्बर से 27 सितम्बर, 1971 तक नियमानुसार काम करने का आन्दोलन चलाया था (28 और 29 सितम्बर, 1971 को मद्रास में छुट्टियां थीं)।

(ख) नियमानुसार काम करने का आन्दोलन रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ, मद्रास ने शुरू किया था। उक्त संघ तृतीय श्रेणी के (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों का है उन्होंने यह आन्दोलन संघ द्वारा रामथित हड़ताल के दिनों, यानी 7 से 14 जून 1971 तक, के लिए पारिश्रमिक की कटौती करने के बैंक के निर्णय के विरुद्ध किया था।

(ग) पारिश्रमिक की कटौती के कारण कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए बैंक ने सद्भावना के तौर पर संघ द्वारा किये गए निम्नलिखित अनुरोधों को मान लिया है; अर्थात्

(i) जिन कर्मचारियों ने जून 1971 के आन्दोलन में भाग लिया था, उनके सितम्बर 1971 के वेतन में से जून 1971 के मास के लिए जो उनकी कुल परिलब्धियाँ थीं उनके आधा

प्रतिशत के बराबर की मामूली वसूली की जाय ।

(ii) अक्टूबर 1971 में कोई वसूली न की जाय;

(iii) शेष रकम नवम्बर 1971 से शुरू कर के चार किस्तों में वसूल की जाय ।

नियमानुसार काम करने का आन्दोलन संघ ने 30 सितम्बर, 1971 को समाप्त कर दिया था।

दुर्गापुर संयंत्र द्वारा नाइट्रोजन का उत्पादन

***293. श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइट्रोजन का उत्पादन करने वाले दुर्गापुर संयंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : दुर्गापुर उर्वरक संयन्त्र का परिचालन प्रगति पर है । संयन्त्र की स्थापित क्षमता निम्न प्रकार है :—

अमोनिया	1,98,000 मीटरी टन । प्रति वर्ष
यूरिया	3,05,000 मीटरी टन । प्रति वर्ष
नाईट्रोजन	1,51,000 मीटरी टन । प्रति कर्ष

तट के समीप और गहरे समुद्र में तेल हेतु खुदाई के लिए सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम की स्थापना

***294. श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तट के समीप और गहरे समुद्र में तेल की खुदाई के लिए सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्नेहक तेल का मूल्य

***295. श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तेल कम्पनियों को स्नेहक तेल का मूल्य बढ़ाने की अनुमति

दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) 29-5-1971 से उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्कों में हुई वृद्धियों के कारण ऐसा किया गया।

समुद्री तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को वित्तीय सहायता

*296. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री रेणुपद दास :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री तूफान के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की राज्य सरकारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) क्या इन दो राज्यों में जीवन और सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई दल भेजा गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ मौके पर जा कर, विभिन्न राहत कार्यों के लिए आवश्यक रकमों का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 16 नवम्बर से 18 नवम्बर 1971 तक उड़ीसा का दौरा किया है। उक्त दल की सिफारिशें प्राप्त होने तक, राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी जिसमें खेती के काम आने वाली वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए दिये गये 3 करोड़ रुपये का अल्पावधिक ऋण भी शामिल है। 25 नवम्बर 1971 को उसे 2 करोड़ रुपये का और अग्रिम दिया गया है। व्यय की प्रगति के आधार पर, राज्य सरकार को और सहायता दी जायगी किन्तु यह सहायता केन्द्रीय दल की सिफारिशों के अनुसार ही दी जायेगी जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

तूफान सम्बन्धी राहत-कार्यों के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से न तो कोई रिपोर्ट मिली है और न ही उसने कोई अनुरोध किया है।

एयर इंडिया के बोइंग-707 विमान का हांगकांग में आपातस्थिति में उतरना

*297. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया के बोइंग-707 विमान के हांगकांग में 24 अक्तूबर, 1971 को आपात-स्थिति में उतरने के क्या कारण थे; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह): (क) 24 अक्तूबर, 1971 को टोकियो से

बम्बई तक की अनुसूचित सेवा ए० आई० 301 का परिचालन करते हुए, जब एयर इंडिया के एक बोइंग 707 विमान ने हांगकांग में अनुसूचित अवतरण किया तो उस समय उसका एक इंजन बन्द था। इंजन को अवतरण से पूर्व उड़ान के दौरान तेल के दबाव में बदलते उतार-चढ़ाव एवं उसमें गिराव आ जाने के कारण बन्द किया गया था।

(ख) तेल के न्यून दाब का पता लगने पर विमान चालक की इन्जन को बन्द करने की कार्यवाही उचित थी।

युद्ध होने की स्थिति में ईरान द्वारा तेल की सप्लाई बंद किया जाना

***298. श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री नागेश्वर राव :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान ने भारत को सूचित किया है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की स्थिति में वह भारत को तेल की सप्लाई बन्द कर देगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड की ओर बकाया राशि

***299. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च 1971 को इन्डियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की ओर कितनी-कितनी राशि बकाया थी;

(ख) उनकी ओर यह राशि किन तारीखों से बकाया चली आ रही है; और

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) इन्डियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लि० तथा फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० की ओर 31 मार्च, 1971 को क्रमशः 1591.04 लाख और 819.02 लाख रु० की कुल राशियां बकाया हैं।

(ख) बकाया रकमों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

	तारीख	ब्याज	कार्य-पूंजी ऋण	दीर्घकालीक ऋण (लाख रुपये)
आई० डी० पी० एल०	31-3-69 को	—	574.00	132.84
	31-3-70 को	—	150.00	237.84
	31-3-31 को	182.52	—	313.84
	योगः	182.52	724.00	684·52

एफ० ए० सी० टी०	ब्याज	मूलधन
31-3-68को	—	31.25
31-3-69को	4.95	100.00
31-3-70को	82.48	253.50
31-3-71को	130.84	216.00
	योग: 218.27	600.75

(ग) यह राशियां सरकार को देय हैं और यह मामला विचाराधीन है ।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण

*300. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तान ने पिछले 3 महीनों के दौरान कितनी बार वायु सीमा का अतिक्रमण किया है; और

(ख) इन अतिक्रमणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) । अगस्त, 1971 से अब तक भारतीय वायु सीमा के पाकिस्तानी विमानों द्वारा 54 वार उल्लंघन हुए हैं ।

(ख) अतिक्रमण करते हुए पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ने, अन्तर्रोध करने तथा मार गिराने के लिए यथासंभव प्रयत्न किए जाते हैं ।

अन्य कार्यालयों में प्रति नियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

1730. **श्री बाबूनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तब प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में अधिक खर्च करना पड़ता है जब नियुक्ति करने वाले मंत्रालय/विभाग के स्टाफ के किसी सदस्य के बजाय किसी डैपुटेशनिस्ट को किसी विशिष्ट पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो 325-15-475 ई० बी० 20-575 के वेतनमान में श्रेणी दो के अराजपत्रित कर्मचारियों के रूप में मन्त्रालय/विभाग बार प्रतिनियुक्त पर काम कर रहे उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो प्रतिनियुक्ति की मूल अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी प्रतिनियुक्ति पर ही कार्य कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी ।

अकाल के वर्षों में बिहार में प्रारम्भ की गई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन

1731. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1967-68 के अकाल के दौरान बिहार में प्रारम्भ किए गए सड़कों से संबन्धित कार्यों, लघु सिंचाई परियोजनाओं और मिट्टी संरक्षण के कार्यों को पूरा करने के लिए, सरकार का विचार धन देने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कार्यों पर पहले से किया गया व्यय बेकार न जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) दैवी विपत्ति आने पर सहायता कार्य करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की होती है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, भारत सरकार तात्कालीक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता देती है। इन सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यों, यदि कोई हों,के अनुरक्षण या समापन के लिए बाद के वर्षों में आवश्यक धन की व्यवस्था राज्य सरकारों को अपने स्रोतों से करनी होती है।

राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों में मिट्टी के तेल और पैट्रोल की बिक्री के लिए सहकारी क्षेत्र में ऐजेन्सियों की स्थापना

1733. श्री रोबिन ककोटी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल और पैट्रोल की बिक्री हेतु सहकारी क्षेत्र में एक एजेंसी की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बनाये गये अथवा बनाये जाने वाले ऐसे पैट्रोल और मिट्टी के तेल बेचने वाले एककों की संख्या क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) कई सहकारी संस्थाएं व सुपर बाजार भारतीय तेल निगम के उत्पादक पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिये निगम के एजन्टों के रूप में काम कर रहे हैं। इस प्रकार की एजेन्सियों के विस्तार का प्रस्ताव है और उसके लिये राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से कहा गया है कि वे बेरोजगार इन्जीनियर स्नातकों तथा वास्तविक कर्मचारियों की सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दें। अतः इस योजना का और विस्तार राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है।

आसाम सरकार द्वारा अशोधित तेल की रायल्टी को बढ़ाना

1735. श्री रोबिन ककोटी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल की रायल्टी में वृद्धि के लिये आसाम सरकार की मांग के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति टन अशोधित तेल पर वृद्धि कितनी है और यदि नहीं तो इस बारे

में कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह मामला विचाराधीन है तथा सम्बद्ध विभिन्न पार्टियों के विचार उपलब्ध हो जाने के पश्चात निर्णय लिया जायेगा।

प्राइवेट चालकों द्वारा हवाई टैक्सी का परिचालन

1736. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री हवाई टैक्सी सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव के बारे 2 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई विभागीय अथवा अन्य कोई समिति हवाई टैक्सी सेवा के प्रश्न की जांच के लिये नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सिभारिशें की गई हैं और इस कार्य हेतु किस प्रकार के विमान चलाने का सुझाव दिया गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित न किये जा रहे मार्गों पर हवाई टैक्सी सेवायें स्थापित करने के प्रश्न की जांच पर्यटन विभाग में विशेष करके पर्यटन की अभिवृद्धि के उद्देश्य से की जा रही है। अभी तक कोई सिफारिशें नहीं की गयी हैं।

जिला पलामऊ, छोटा नागपुर में पर्यटकों के आकर्षण हेतु की गयी कार्यवाही

1737. कुमारी कमला कुमारी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि बिहार में छोटा नागपुर पठार अत्यन्त मनोरम और सुन्दर स्थल है और "पर्यटक स्वर्ग" के रूप में ख्याति प्राप्त है;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि छोटा नागपुर में पलामऊ अत्यन्त मनोरम स्थल है जहां सुन्दर घाटियां, झरने और गरम पानी के स्रोत हैं; और

(ग) यदि हां, तो जिला पलामऊ में पर्यटकों के आकर्षण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार को छोटा नागपुर पठार के आकर्षणों के विषय में जानकारी है। तथापि, अन्य प्राथमिकताओं के कारण, पर्यटन विभाग के लिए इस क्षेत्र में किसी प्रकार की पर्यटन योजनओं को हाथ में लेना सम्भव नहीं हुआ है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन

1738. श्री सोमचंद सोलंकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में तीसरे और चौथी श्रेणियों में चुने गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) उक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या क्या है और इन प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों के चयन की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण कितने पद दूसरे उम्मीदवारों द्वारा भरे गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) बैंकों के पास जो सूचना उपलब्ध है, उसे इकट्ठा किया जा रहा है तथा सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

गुजरात में कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

1739. श्री सोमचंद सोलंकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 तक गुजरात में कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में गिरफ्तार किये गये अथवा निरुद्ध किये गये तस्कर व्यापारियों की संख्या क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पकड़ी गई तस्कर वस्तुओं का मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जुलाई 1971 से 31 अक्तूबर 1971 के दौरान गुजरात में कच्छ के सीमा क्षेत्रों में गिरफ्तार किये गये अथवा हवालात में रखे गये तस्करों की संख्या 22 है ।

(ख) उक्त अवधि में पकड़े गये तस्करी के माल का मूल्य लगभग 5000 रुपये है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के भूतपूर्व मालिकों को दिया गया मुआवजा

1740. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के भूतपूर्व मालिकों को दी गयी करोड़ों रुपयों की मुआवाजे की राशि का एक बड़ा भाग अभी भी सरकारी प्रतिभूतियों में है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : बैंकिग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत 14 बैंकिग कम्पनियों को, जिनके उपक्रम केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिये थे, क्षतिपूर्ति की अदायगी उनके द्वारा दिये गये विकल्प, के अनुसार की गयी थी अर्थात् या तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में या नकद या दोनों

को मिलाकर। अधिकतर कम्पनियों ने प्रतिभूतियों के रूप में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का विकल्प दिया था। इसी के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में कुल देय रकम 87.40 करोड़ रुपये में से प्रतिभूतियों के रूप में अदा की गयी रकम 79,32,84,100 रुपये बैठी जिसमें से 6.70 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियां 19 जुलाई 1979 को और 72,62,84,1000 रुपये मूल्य की प्रतिभूतियां 19 जुलाई, 1999 को पक जायेंगी। ये रकमें तब तक सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनी रहेंगी जब तक ये अपनी अपनी देय तारीखों को परिपक्व होकर भुगतान योग्य नहीं हो जाती। लेकिन ये प्रतिभूतियां बेचान-योग्य दस्तावेज हैं, और इनके धारक, यदि चाहें तो नकद रुपयों में उन्हें खुले बाजार में बेच सकते हैं।

बैंकों में पड़ी राशि पर ब्याज पर कर

1741. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी बैंक सितम्बर, 1971 के मध्य तक जमा राशि पर अर्जित ब्याज पर श्रोत पर ही कर की कोई कटौती नहीं करते थे जैसा कि वर्ष 1968-69 के संशोधित वित्त अधिनियम में उल्लिखित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता चलने के बाद कि सरकार को राजस्व की हानि हो रही है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सितम्बर, 1971 के तीसरे सप्ताह में स्पष्टीकरण करने वाला एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें लिखा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि पर ब्याज पर आय-कर अधिनियम के अधीन 3000 रुपये तक ब्याज पर कर की छूट होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस परिपत्र को जारी करने के कारण क्या हैं और केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि पर ही यह छूट दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ए के अधीन ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो अकेला अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं है, जो कि ब्याज के रूप में किसी भी प्रकार की आय को रेजीडेंट को अदा करने के लिये जिम्मेदार है उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खाते में ऐसी आय के जमा किये जाते समय अथवा ऐसी आय की नकद रूप में अथवा चैक जारी करके अथवा ड्राफ्ट द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से अदायगी करते समय, इनमें से जो भी पहले हो, उस समय लागू दरों पर उस आय में से आयकर की कटौती करनी होती है। यह उपबन्ध 1-4-1967 से लागू किया गया। यह उपबन्ध भारत में स्थित बैंक के मामले में भी लागू किया गया।

वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 194ए में, उस धारा की उप-धारा (3) में एक नई धारा [धारा (vii)] जोड़कर एक महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया गया है। इस धारा के अन्तर्गत धारा 194ए के उपबंध किसी ऐसी बैंकिंग कम्पनी में जमा रकम के बारे में जिसके संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1970 लागू होता है जिसमें उस अधिनियम (की धारा 51 में उल्लिखित कोई भी बैंक अथवा बैंकिंग संस्था सहित) किये गये अथवा नकद रूप में अदा किये गये ब्याज के रूप में होने वाली आय पर लागू नहीं होते। अतः ऐसी सभी बैंकिंग संस्थाओं के लिए 1-4-1970 के बाद किसी भी रेजीडेंट जमाकर्ता के खातों में जमा किये गये अथवा अदा किये गये ब्याज में से आयकर काटना आवश्यक नहीं है।

सरकार के ध्यान में इस संबंध में ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं आई है कि किसी बैंक द्वारा श्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जा रही थी। फिर भी यदि किसी बैंक ने इस संबंध में नियमों की अवहेलना की है तो उस संबंध में कानून के दंड संबंधी आवश्यक उपबंध लागू होंगे।

(ख) तथा (ग) बोर्ड द्वारा 25 अगस्त, 1971 को जारी किये गये परिपत्र का आशय यह था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (एल) (1) (vi) के उपबंध राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भी लागू होते हैं। यह परिपत्र केवल यह स्पष्ट करने के उद्देश्य से जारी किया गया था कि राष्ट्रीय कृत बैंकों में पड़ी जमा रकमों पर अर्जित ब्याज, 3000 रुपये तक की आयकर-मुक्त आय श्रेणियों में शामिल किए जाने का हकदार है। अतः यह कहना सही नहीं है कि परिपत्र यह पता लगने पर जारी किया गया था कि सरकार को राजस्व की हानि हो रही है)।

धारा 80 एल० के उपबंध केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में ही लागू बारे में नहीं होते बल्कि ऐसी सभी बैंकिंग कम्पनियों के मामले में लागू होते हैं जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित कोई भी बैंक अथवा बैंकिंग संस्था शामिल है।

बैंक मुआवजा राशि पर कर लगाये जाने सम्बंधी परिपत्र

1742. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में बैंक मुआवजा राशि पर कर लगाये जाने के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण परिपत्र जारी किया था क्योंकि आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) में दी गई विशिष्ट परिभाषा के अधीन उसको लाभांश समझा जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या वह उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे;

(ग) स्पष्टीकरण करने वाला परिपत्र जारी करने की क्या आवश्यकता थी और क्या विधि मंत्रालय से कानूनी राय मांगी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ।

(ख) परिपत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1137/71]

(ग) राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त मुआवजे के वितरण से इन बैंकों के शेयरधारियों को कर-दायित्व के बारे में कानूनी उपबन्धों से अवगत कराना आवश्यक समझा गया। विधि मंत्रालय से इस सम्बन्ध में परामर्श कर लिया गया था।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

विदेशों से निजी सामान लाने सम्बन्धी नियम

1743. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से लौटने वाले भारतीयों को सीमाशुल्क विनियमों के अन्तर्गत उनके सामान के रूप में निजी कारें लाने की अनुमति है;

(ख) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर;

(ग) सीमाशुल्क (निवास स्थान का तबादला) नियमों के अधीन विदेशों से लौटने वाले भारतीयों को अपना निजी सामान लाने के लिये, भारतीय मुद्रा के रूप में वर्तमान अधिकतम सीमा कितनी है; और

(घ) क्या इन नियमों की एक अद्यतन पुनरीक्षित प्रतिलिपि, सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, कुछ शर्तों के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा कारों का आयात करने के निमित्त सीमाशुल्क निकासी विषयक अनुमति-पत्र जारी करता हैं। जिन शर्तों के अन्तर्गत, भारतीय राष्ट्रिकों को कारों का आयात करने के लिए सीमाशुल्क निकासी अनुमति-पत्र जारी किया जाता है, उनको अनुबन्ध 1 में सूचीबद्ध किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1138/71] ऐसी कारों पर सीमाशुल्क प्रभारित किया जाता है।

(ग) निवास-स्थान अन्तरण नियमावली के अन्तर्गत, जिस निजी असबाब का सीमाशुल्क निर्मुक्त आयात किया जा सकता है, उसके लिये भारतीय मुद्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(ग) 21 जून, 1969 की अधिसूचना सं० 98/फा० सं० 7/40/69 सीमाशुल्क vi द्वार जारी की गई तथा उसी तारीख के भारत के राजपत्र में प्रकाशित निवास-स्थान अन्तरण नियमावली, 1969 की एक अद्यतन प्रतिलिपि, सभापटल पर पहले ही रखी जा चुकी है। एक प्रतिलिपि भी संलग्न की जा रही है (अनुबंध-11)। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1138/71]

उत्तर प्रदेश में आय-कर अधिकारियों के लिए आवास तथा कार्यालय स्थान की व्यवस्था

1744. श्री वी० आर० शुक्ल : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में आय कर कार्यालयों तथा संबंधित अधिकारियों के आवासीय प्रयोजनों के लिए कोई भवन नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार बहराइच और गोंडा में आय-कर अधिकारियों के लिए कार्यालयों और निवास स्थानों के प्रयोजनों के लिए आवास व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : आठ केन्द्रों पर विभागीय कार्यालय इमारतें उपलब्ध हैं; एक केन्द्र पर आय-कर अधिकारियों के लिए विभागीय रिहायशी स्थान उपलब्ध है, और एक अन्य केन्द्र पर, विभागीय इमारत आयकर अधिकारी के आवास-एवं-कार्यालय के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अन्य स्थानों पर, कार्यालयों के लिए स्थान गैर-सरकारी इमारतों में किराये पर लिए गए हैं, जिनमें से कुछ इमारतें आय-कर अधिकारियों के कार्यालय-एवं आवास के काम आती है।

(ख) गोंडा में जगह किराये पर ली हुई है और वह आयकर अधिकारी के कार्यालय-एवं आवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। आयकर अधिकारी, बहराइच, आजकल गोंडा में काम कर रहे हैं। बहराइच में आयकर अधिकारी के कार्यालय एवं आवास के लिए इमारत किराये पर लेने के लिए बातचीत हो गई है। 1-12-1971 से इस इमारत का कब्जा मिल जाने की संभावना है और तभी से बहराइच के आयकर अधिकारी के बहराइच से ही कार्य शुरू कर देने की सम्भावना है।

चाय पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की समान दर

1745. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की समान दर लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की भिन्न दर बनाए रखने के क्या कारण हैं जो उपरी आसाम में काफी ज्यादा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) कुल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को विभिन्न चाय उत्पादन क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित करने के उद्देश्य से सितम्बर 1958 में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की विभिन्न दरें लागू की गई थी। इस विभाजन का आधार उन चाय उत्पादन क्षेत्रों की उत्पादन-शुल्क की भार वहन क्षमता थी जिसका निर्धारण अर्जित मूल्य तथा चाय के स्तर, प्रति हैक्टेयर उत्पादन, प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत प्रति किलोग्राम वसूल हुए मूल्य आदि को प्रभावित करने वाले अन्य प्राकृतिक तत्वों द्वारा किया गया था। साथ ही आरम्भ में चाय के सम्बन्ध में उत्पादन शुल्क की विभिन्न दरें विश्व बाजार भारतीय चाय के निर्यात व्यापार को ध्यान में रखते हुए भी निर्धारित की गई थीं और समय-समय पर संशोधित की गई थीं। असम के क्षेत्र I में उत्पादित चाय पर 25 पैसे प्रति किलोग्राम, क्षेत्र II में उत्पादित चाय पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम तथा क्षेत्र v (असम का ऊपरी भाग) में उत्पादित चाय पर 1 रु० 15 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क अदा किया जाता है। क्षेत्र v के अधीन आने वाली, असम के ऊपरी भाग में उत्पादित चाय पर शुल्क की दर क्षेत्र III में उत्पादित दार्जिलिंग चाय (1 रु० 50 पैं० प्रति किलोग्राम) से कम है। निर्यात शुल्क की समाप्ति तथा 1970 में चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में एतदर्थ छूट दिए जाने के बाद, उत्पादनशुल्क की बढ़ी हुई दर को हिसाब में लेने के बाद भी असम का चाय पर शुल्क का शुद्ध भार घटा है क्योंकि दार्जिलिंग को छोड़ अन्य क्षेत्रों में उत्पादित चाय की तुलना में असम के ऊपरी भाग में उत्पादित चाय की बहुत बड़ी मात्रा का निर्यात किया जाता है। स्वदेश में उपभोग की गई, असम के ऊपरी भाग में उत्पादित चाय पर उत्पादन शुल्क की उच्च दर, उस चाय से अर्जित उच्च मूल्य के कारण, न्यायोचित ठहरती है और साथ ही यह उच्च दर अच्छे स्तर की चाय को स्वदेशी खपत से हटा कर निर्यात की ओर उन्मुख करने के लिए प्रोत्साहन सिद्ध होती है।

गैर-योजना व्यय में कटौती

1746. श्री बनमाली पटनायक :
श्री पी० गंगादेव :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने बंगला देश की स्थिति और भीषण बाढ़ के कारण राज्य सरकारों को चालू वित्तीय वर्ष में योजना/गैर-योजना व्यय में कटौती करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसका परिणाम क्या रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। बंगला देश से विपुल संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण होने वाले भारी व्यय के संदर्भ में प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों को लिखा था जिसमें उनका ध्यान व्यय कम करने की आवश्यकता और सादगी का वातावरण उत्पन्न करने की ओर दिलाया गया था। गैर-अनिवार्य और गैर-प्राथमिकता की मदों में मितव्ययिता लाने के लिए, अन्य बातों के साथ साथ, योजना-व्यय तथा योजना भिन्न-व्यय को तत्काल समीक्षा का सुझाव दिया गया था।

(ख) अपने योजना सम्बन्धी दायित्वों तथा योजना भिन्न दायित्वों को पूरा करने के लिए नए उपायों द्वारा और गैर-अनिवार्य तथा गैर-प्राथमिकता की मदों के व्यय में मितव्ययिता के द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता पर राज्य सरकारें सामान्यतः सहमत हैं।

(ग) आवश्यक उपायों पर कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। इन उपायों से प्राप्त होने वाले सही परिणामों को मौजूदा स्थिति में बताना सम्भव नहीं है।

Indian Citizens and Army Personnel Killed as a Result of Firing by Pak Troops

1747. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of Indian citizens and Army personnel killed in the border areas of India adjoining Bangla Desh as a result of firing by the Pakistani troops since 1st June, 1971;

(b) the number of border violations committed by Pakistan during the said period; and

(c) the steps taken to counteract this offensive of the Pak troops ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) From 1st June 1971 todate 1392 border violations by Pakistan have been reported. During this period 184 Security Forces personnel (including Army and BSF) and 111 Indian civilians are reported to have been killed as a result of firing by Pak troops.

(c) The attention of the Hon'ble Members in invited to the statement made by the Raksha Mantri in response to a Calling Attention Notice on 15.11.1971.

विदेशी सैनिक एटैचियों द्वारा बंगला देश सीमा का दौरा

1748. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों सहित विदेशों के सैनिक एटैचियों ने पिछले अगस्त सितम्बर में दिल्ली से जाकर बंगला देश सीमा की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और इसे किस प्राधिकारी ने मंजूर किया था; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि यात्रा से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया था और इस विषय में उनके साथ सलाह मशविरा भी नहीं किया गया था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारत स्थित 15 विदेशी सशस्त्र सेना सलाहकारों अताशों के एक दल ने, जिसमें अमरीका तथा संयुक्त राज्य के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, 3 तथा 4 सितम्बर, 1971 को साल्ट लेक तथा अमनगा शरणार्थी शिविरों का दौरा किया।

(ख) दौरे का उद्देश्य, जिसका कि योग्य अधिकारियों द्वारा यथोचित, प्राधिकरण किया गया था, विदेशी अताशियों को शरणार्थी समस्या को प्रत्यक्षरूप से अवगत कराने का एक अवसर देना था।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को तार द्वारा कुछ दिन पहले इस दौरे की सूचना दे दी गई थी।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

1749. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सरकारी उद्योगों में प्रतिनियुक्ति बंद करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस निर्णय को कब से क्रियान्वित कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं उनके अनुसार सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों पर सरकारी उपक्रमों की निर्भरता को कम किया जाय। तदनुसार असैनिक सेवाओं (औद्योगिक प्रबन्ध निकाय के अधिकारियों को छोड़कर) से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को और रक्षा उत्पादन उपक्रमों में नियुक्त कर्मचारियों को छोड़कर, रक्षा सेवाओं से सरकारी उपक्रमों मे प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को निश्चित समय-सीमाओं के अन्दर-अन्दर यह विकल्प

चुनना पड़ता है कि या तो वे उन उपक्रमों में स्थायी रूप से रहें जिनमें वे काम कर रहे हैं या अपने मूल संवर्गों में वापस चले जायें। ये आदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होते हैं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की समस्या का राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव

1750. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की समस्या के कारण हमारे राष्ट्रीय विकास को धक्का लगा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है कि देश के विकास में कोई बाधा न पड़े ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) बंगला देश के शरणार्थियों के भारी खर्च ने हमारे साधनों पर निस्सन्देह काफी बोझ डाल दिया है। अतिरिक्त साधन जुटाने, राजस्व में वृद्धि करने और, जहां कहीं सम्भव हो, खर्च में कमी करने के लिए कतिपय उपाय शुरु किये जा चुके है। आयोजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तीव्रता ला कर आयोजना के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए भी कार्रवाई शुरु कर दी गयी है।

योजना आयोग इस समय आयोजना और उसके साधनों का मध्यावधिक मूल्यांकन कर रहा है।

महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना

1751. श्री राजा कुलकर्णी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु कितना ऋण दिया गया है; और

(ख) महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े क्षेत्र में ऐसे कितने उद्योग स्थापित किए जा चुके है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अपनी स्थापना के दिन अर्थात पहली जुलाई, 1943 से 31 अक्टूबर, 1971 तक की अवधि में, महाराष्ट्र राज्य को पिछड़े हुए अधिसूचित जिलों में स्थित 13 औद्योगिक एककों को 625 00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है और 756.67 लाख रुपये वितरित किये हैं।

(ख) जिन 13 औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता दी गयी है उनमें से 11 औद्योगिक एककों ने पहले ही उत्पादन शुरु कर दिया है।

Expenditure on Foreign Tours of Ministers and other Officers of Government of India

1752. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Union Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers, Secretaries

and Deputy Secretaries to the Governmant of India who went abroad during the last five months; and

(b) the expenditure incurred by Government on their visits in both Indian and foreign currencies ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

भारत में शरणार्थी समस्या का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक और अन्य देशों की बैठक

1753. श्री सी० चित्ति बाबू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर शरणार्थी समस्या के प्रभाव का मूल्यांकन करने और उसके लिये आवश्यक सहायता कितनी दी जाय यह निश्चय करने के लिये हाल ही में पेरिस में विश्व बैंक और कुछ देशों की एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या भारत ने इन देशों के विचारार्थ आवश्यक सहायता का कोई अनुमान भेजा था; और

(ग) बैठक के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) भारत के आर्थिक विकास में अपनी रुचि के अनुरूप विश्व बैंक ने हाल में, भारत की विकास सम्बन्धी आयोजनाओं पर पड़ने वाले शरणथियों के बोझ के प्रभाव का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के और हमारे द्वारा उपलब्ध किये गये आंकड़ों के आधार पर विश्व बैंक ने, शरणार्थियों को राहत पहुँचाने पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तैयार की थी इस रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह था कि शरणार्थियों को जिनकी संख्या दिसम्बर, 1971 के अन्त तक 90 लाख हो सकती है, शिविरों में रखने पर 1971-72 के दौरान लगभग 525 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस रिपोर्ट पर भारत सहायता संघ की 26 अक्टूबर, को पेरिस में बुलाई गई विशेष बैठक में आधारभूत विचारणीय विषय पत्र के रूप में विचार किया गया।

पेरिस में हुई बैठक ने विश्व बैंक के अनुमानों का अनुमोदन कर दिया और शरणार्थियों को सहायता देने से जो बोझ पड़ेगा उसको दूर करने के लिए विशेष सहायता देने की आवश्यकता को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। बैठक में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में शरण थियों की समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी उच्चा-युक्त से अनुरोध किया गया कि राहत कार्यों पर होने वाले सारे खर्च को पूरा करने के लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अंशदान प्राप्त करने के प्रयत्न जारी रखें। पेरिस की बैठक में जिन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वे इस बात से भी सहमत थे कि वे कुल आवश्यकता के काफी बड़े भाग को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

इण्डियन एयरलाइन्स में प्रबन्धक-श्रमिक सम्बन्ध सुधारने के लिए किए गए उपाय

1754. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि इण्डियन एयरलाइन्स में प्रबन्धक-श्रमिक सम्बन्ध सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिह) : सेन समिति के विचारणीय विषयों में से एक यह था कि इण्डियन एयरलाइन्स की कार्मिक नीतियों एवं कार्य-प्रणालियों की जांच करें। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है। वेतन सम्बन्धी वार्ताओं को प्रबन्धक वर्ग द्वारा कर्मचारियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों/संगठनों के साथ अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा शेष के साथ भी समझौते कर डालने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रबन्धकवर्ग यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है कि श्रमिक सम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण बनाये रखा जाए।

तीसरे वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट का पेश किया जाना

1755. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग के समक्ष साक्ष्य कार्य समाप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो वेतन आयोग अनुमानतः अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कतिपय अखिल भारतीय संगठनों ने और अधिक विलम्ब होने की स्थिति में सामूहिक कार्यवाही की धमकी दी है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या वेतन आयोग से अपनी रिपोर्ट को कम से कम समय में पेश करने के लिये कहा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी अभी नहीं।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगा।

(ग) ऐसी किसी धमकी के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(घ) वेतन आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह अपनी सिफारिशों को यथा सम्भव शीघ्र प्रस्तुत करे।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक की सहायता से परिवार नियोजन परियोजना

1756. **श्री पी० एम० मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और मैसूर की परिवार नियोजन की दो प्रायोगिक परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार करने के लिए विश्व बैंक का एक तकनीकी मिशन अक्तूबर, 1971 में दिल्ली आया था;

(ख) यदि हां, तो उस मिशन ने किन बातों का पता लगाया है;

(ग) क्या इस मिशन ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के साथ किसी योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) एक परियोजना, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मैसूर की दो परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रायोगिक योजनाएं थी, सहायता के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक से सम्बद्ध नरम शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था) को प्रस्तुत की गई है। एक मूल्यांकन-दल ने अक्तूबर, 1971 में भारत का दौरा किया था और उसने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय सहित भारत सरकार के तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ इस परियोजना पर विचार-विमर्श किया था।

यह दल अपनी रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात् ही संघ के ऋण सम्बन्धी अन्तिम प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के लिए सहायता

1757. श्री पी०एम० मेहता :
श्री पी० गंगादेव :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्री ने पिछड़े राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों के साथ 14 सितम्बर, 1971 को पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि पुनर्वित निगम द्वारा सहायित योजनाओं के संबंध में बातचीत की थी।

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत की थी;

(ग) निगम ने अभी तक कितनी योजनाएं मंजूर की हैं;

(घ) कितनी योजनाएं अभी भी निगम के विचाराधीन हैं; और

(ङ) उक्त योजना में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं और प्रगति को तीव्र करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं

(ख) बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया था ;

1. पिछड़े हुए राज्यों में कृषि पुनर्वित निगम की योजनाओं के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति;

2. निगम से पुनर्वित्त पाने की हकदार योजनाओं को पर्याप्त संख्या में प्रारम्भ करने के कार्य में राज्यों को महसूस होने वाली कठिनाइयां;

3. इन राज्यों में कृषि पुनर्वित्त निगम की योजनाओं को तेजी से प्रायोजित करने के लिए आवश्यक कदम ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कृषि पुनर्वित्त निगम ने 15 नवम्बर, 1971 तक 326.19 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वाली (जिसमें निगम ने 278.33 करोड़ रुपये का वचन दिया है) 505 योजनाओं की स्वीकृति दी थी । इसके अलावा, 30 सितम्बर, 1971 को कुल 247.87 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की 279 योजनाएं निगम के विचाराधीन थीं जिसमें निगम द्वारा 212.75 करोड़ रुपये का वचन दिये जाने की सम्भावना है ।

(ङ) इन राज्यों में, कृषि पुनर्वित्त निगम की योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में जो कम प्रगति हुई है उसका मुख्य कारण यह रहा है कि यहां सहकारी ऋण ढांचा प्राथमिक स्तर से ही कमजोर है और इन संस्थाओं के पुनर्वास पुनर्गठन की प्रगति धीमी रही है ।

इन राज्यों में कृषि पुनर्वित्त निगम योजनाओं की प्रगति के वर्तमान स्तर में सुधार करने के लिए निगम ने लखनऊ में एक तकनीकी परामर्श सेवा स्थापित की है जो पूर्वी राज्यों में जहां विकास का कार्य पिछड़ गया है, तैयार करने के काम में सहायता देगी । कमजोर केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं और भूमि विकास बैंकों के पुनर्वास के लिए आयोजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है । राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने भूमिगत जल संगठन को मजबूत बनाएं, प्रायोजना प्राधिकरणों और वाणिज्यिक बैंकों में अधिक प्रभावकारी समन्वय स्थापित करें ताकि वाणिज्यिक बैंक विकास सम्बन्धि निर्माण-कार्यों में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां भूमि विकास बैंकों द्वारा कार्य नहीं किया गया है, योगदान दे सकें और उस विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर तेजी से कानून बनाएं जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए ऋण दिये जाने से संबन्धित राज्यीय अधिनियमों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता

1758. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने पर केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष में, राज्य-वार, कितना व्यय किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राज्य सरकारों को सूखा सहायता उपायों के लिए दी गयी वित्तीय सहायता के रूप में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार ने अब तक जो रकम खर्च की है, वह इस प्रकार है—

(करोड़ रुपयों में)

	ऋण	अनुदान	जोड़
1. आन्ध्र प्रदेश	2.00	—	2.00
2. असम	0.01	—	0.01+
3. गुजरात	0.20	0.40	0.60%
4. जम्मू और कश्मीर	1.62	0.75	2.37%
5. महाराष्ट्र	13.00*	5.50	18.50
6. मैसूर	3.00	—	3.00
जोड़:	19.82	6.65	26.47

राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर, स्वीकृत अधिकतम सीमाओं में रहते हुए और सहायता दी जायेगी ।

\+ कृषि मंत्रालय ने कृषि-उपयोगी वस्तुओं के लिये जारी किया ।

% बकाया के रूप में दी गयी सहायता । गुजरात के लिए दी गयी रकम में बाढ़ तथा भूचाल सहायता व्यय शामिल हैं ।

* (इसमें 7 करोड़ रुपये की वह रकम भी शामिल है जिसे कृषि मंत्रालय ने कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के लिये अल्पावधिक ऋणों के रूप में मंजूर किया था ।)

मेजर बहुगुणा की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच

1759. श्री डी० बी० गौडा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरेस्ट पर अन्तर्राष्ट्रीय अभियान दल के सदस्य मेजर बहुगुणा की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय अभियानों में भाग लेने वाले भारतीयों के जीवन तथा सामान्य कल्याण और अन्य हितों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) विचारार्थ विषय के अनुसार, समिति ने मेजर एच० बी० बहुगुणा की मृत्यु के कारणों की जाँच की है । समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि मेजर बहुगुणा की मृत्यु थकान, अत्याधिक शीत तथा कड़ी वायु के शीत में अत्याधिक खुलाव के कारण हुई । समिति ने जानबूझ

कर किए गए धोखे का वर्जन कर दिया है, लेकिन उसने इस बात पर बल दिया है कि अगर श्री एक्स्ट के पास बचाव के आवश्यक उपकरण होते तथा वे मेजर बहुगुणा जो उनके रोपमेट थे, के नजदीक रह कर चलते तो शायद मेजर बहुगुणा की मृत्यु नहीं होती ।

(ग) इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, भारतीय पर्वतारोहण फाउन्डेशन ने भारतीय पर्वतारोहियों के अन्तर्राष्ट्रीय अभियानों में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाने का फसला किया है :—

(1) केवल ऐसे ही दल को भाग लेना चाहिए जिसमें एक से अधिक भारतीय सदस्य हों ।

(2) भारतीय दल द्वारा भाग लेने का स्तर नेतृत्व/सहनेतृत्व के आधार पर होना चाहिए। पर्वतारोहण इन्स्टीच्यूट, दार्जिलिंग तथा उत्तरकाशी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ्य योजनाएं तथा शिक्षण की प्रणाली के पूर्ण पुर्नरीक्षण के लिए तथा भविष्य में होने वाले अभियानों के लिए सुरक्षा साधन के बेहतर स्तर को सुनिश्चित करने के हेतु कार्य प्रणाली तथा कार्यवाहियों के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है ।

सोयाबीन, तेल और कपास की सप्लाई के लिए पी० एल० 480 करार

1760 श्री एम० एम० जोजफ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी मात्रा में सोयाबीन, तेल तथा कपास की सप्लाई के लिए पी० एल० 480 योजना के अन्तर्गत कौल करार के बारे में भारत और अमरीका के बीच बातचीत में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : हमने एक नये पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत कपास तथा सोयाबीन का तेल सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में जो अनुरोध किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है। नये पी० एल० 480 करार के विषय में बातचीत तब शुरू होगी जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार हमें कपास तथा सोयाबीन तेल की उस मात्रा के विषय में सूचित कर देगी जो वह नये करार के अन्तर्गत हमें उपलब्ध करा सकती है ।

राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा सहकारी समितियों को दिए गए ऋण

1761. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण से लेकर 1 अक्तूबर, 1971 तक प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने सहकारी समितियों को राज्यवार कुल कितनी राशि का ऋण दिया; और

(ख) बिहार राज्य में सहकारी समितियों को दिए गए नये ऋण की प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि पुनर्वित निगम द्वारा दी गई सहायता

1762. श्री राम कंवर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुनर्वित्त निगम ने चालू वर्ष के दौरान कृषि विकास हेतु कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ,

(ख) किन किन प्रयोजनों के लिए इस सहायता का उपयोग किया गया , और

(ग) इस सहायता से देश में कृषि विकास में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) चालू वर्ष में अर्थात् जुलाई 1971 से 15 नवम्बर 1971 तक, कृषि पुनर्वित निगम ने 52 योजनाओं की स्वीकृति दी है जिनके लिये 35.76 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी जिसमें निगम ने 31.86 करोड़ रुपये का वचन दिया है ।

(ख) निगम द्वारा जिन प्रयोजनों के लिये वित्तीय सहायता दी गयी है वे हैं:—(1) लघु सिंचाई (2) बड़ी सिंचाई प्रायोजनाओं के अन्तर्गत भूमि का विकास (3) खेतों का यंत्रीकरण (4) मुर्गी पालन (5) डेरी विकास (6) मत्स्य पालन (7) गोदामों का निर्माण और (8) बागान और बागवानी ।

(ग) निगम द्वारा उपलब्ध की गयी वित्तीय सहायता की मदद से जून 1971 तक (जब तक सूचना उपलब्ध है) मंजूर की गयी योजनाओं के अन्तर्गत जो कृषि सम्बन्धी वास्तविक विकास पहले ही हो चुका था या जिसमें प्रगति हो रही थी काफी बड़े पैमाने का था । लघु सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों के मामले में जून 1971 के अन्त तक 42244 नलकूपों और 52797 साधारण कुओं का निर्माण हो चुका था या हो रहा था । नये और वर्तमान कुओं पर बिजली तथा डीजल से चलने वाले 1,14,860 पम्पसेट लगाने के लिए वित्त की व्यवस्था कृषि पुनर्वित निगम योजनाओं के अन्तर्गत की गयी थी । बहुत से मामलों में खेतों में नालियों के निर्माण के लिए, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले चरस आदि यंत्रीकृत उठाऊ सिंचाई एककों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गयी थी । लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत निगम के ऋणों में से 1.07 करोड़ रुपये किसानों से प्राप्त जमा रकमों के रूप में, राज्य बिजली बोर्ड को दे दिये गये थे । आशा है, इन योजनाओं से 685000 एकड़ भूमि में दोहरी फसल होने लगेगी ।

कृषि पुनर्वित निगम द्वारा पुनर्वित्त भूमि विकास योजनाओ के अन्तर्गत 7,21000 एकड़ भूमि को समतल और विकसित करने और उन्हें बड़ी सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों से सिंचाई प्राप्त करने योग्य बनाने में सहायता मिली । इसके अतिरिक्त, भू-संरक्षण के अन्तर्गत 5,17,000 एकड़ में बांध बनाने के लिए वित्त व्यवस्था की गयी ।

निगम ने बागानों में और फलोद्यानों के विकास के लिए भी सहायता उपलब्ध की है जिसमें नये बागान लगाना तथा पुराने बागानों में नये पौधे लगाना और पुराने बागानों का अनुरक्षण करना शामिल है । जून 1971 के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त निगम की योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी वित्तीय सहायता से नारियल के लिये 12,494 एकड़ काफी के लिए 10321 एकड़, सेब के

लिए 6150 एकड़ रबड़ के लिए 3409 एकड़, चाय के लिए 3117 एकड़, इलायची के लिए 2927 एकड़ और नींबू जाति के फलों तथा आम, संतरा, अंगूर आदि के फलोद्यानों के लिए 7,254 एकड़ भूमि तैयार की गयी या तैयार की जा रही थी।

निगम द्वारा मंजूर की गयी मत्स्य पालन योजनाओं के अन्तर्गत, मैसूर के उत्तर और दक्षिण कनारा जिलों, तामिलनाडु के मद्रास और चिंगलपट जिलों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले और केरल के कालीकट जिले के मुछओं को 360 यंत्रीकृत नावें उपलब्ध करायी गयी है। उत्तर प्रदेश में 513 ट्रैक्टर और कटाई की संयुक्त मशीनें, हरियाणा में 335 ट्रैक्टर, कोसी (बिहार) में 181 ट्रैक्टर, मध्यप्रदेश में 14 ट्रैक्टर और पंजाब में 6 ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को वित्त दिया गया है। जहाँ तक कृषि पुनर्वित्त निगम योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध की गयीं संग्रहण सुविधाओं का सम्बन्ध है, पंजाब में 2,06000 मैट्रिक टन संग्रहण क्षमता वाले 129 गोदामों और गुजरात में 2,000 मैट्रिक टन संग्रहक्षण क्षमता वाले 4 गोदामों का निर्माण किया गया।

पोचमपाद सिंचाई योजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

1763. श्री पी० वैंकटासुब्बया :
श्री डी० कामक्षैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने आन्ध्र प्रदेश में पोचमपाद सिंचाई योजना के प्रथम चरण के लिए 3·9 करोड़ डालर के ऋण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण का उपयोग किस प्रकार करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) ऋण चुकाने की अवधि 50 वर्ष की है जिनमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इस ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा बल्कि केवल अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के प्रशासन सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत का 3/4 प्रतिशत भाग सेवा प्रभार के रूप में देना होगा।

(ग) ऋण का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से करने का विचार है :—

(1) परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 48 लाख डालर (3·60 करोड़ रुपये) की लागत के उपकरण और सामान विदेशों से मंगवाने के लिये; और

(2) बांध नहरों और अन्य असैनिक निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय के एक भाग की वित्त-व्यवस्था करने के लिए।

उर्वरक परियोजना की स्थापना

1764. श्री शशि भूषण : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने निकट भविष्य में स्थापना के लिए कितनी उर्वरक परियोजनाओं को मंजूरी दी है और उनके स्थापना स्थल कहां हैं;

(ख) इन परियोजनाओं द्वारा देश में उर्वरकों की मांग की कितनी सीमा तक पूर्ति हो सकेगी; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कारवाई की है कि वे उर्वरक परियोजनायें निश्चित अवधि में उत्पादन प्रारम्भ करें ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1139/71]

(ग) सरकार प्रयोजनाओं को समय पर मुकम्मल कराने में हर संभव सहायता दे रही हैं।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के कोकिंग एकक का बन्द किया जाना

1765 श्री एन० ई० होरो : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने के कोकिंग एकक के बन्द होने तथा तत्पश्चात उसके आंशिक संचालन से सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ख) यह एकक कितनी अवधि के लिए बन्द रहा और इसके क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) अगस्त से अक्तूबर 1971 के दौरान कोकिंग यूनिट आपातिक तौर पर तीन बार थोड़े समय के लिए बन्द हुए। इनसे कोकिंग यूनिटों का वास्तविक थुरुपुट कम हो गया परन्तु इस कारण कोई हानि नहीं हुई क्योंकि कोक फीड अस्थाई तौर पर शोधनशाला के स्टोर में भेजा गया था। इससे शोधनशाला का थ्रुपुट जो कि सामान्य तेल शोधन स्तर से काफी ऊपर था कम हो गया। आपत्तिक तौर पर बन्द हो जाने का विवरण निम्न प्रकार है :

बन्द हो जाने की अवधि	कारण	टिप्पणी
21-8-71 सायं से 29-8-71 दोपहर	मुख्य फीड पम्प में खराबी	यूनिट एक ब्लाक पर था
4-9-71 सायं से 9-9 71 सायं	कोक काटने/ ड्रीलिंग केली की तार टूटना	-वही
22-9-71 सुबह से 2-10-71 दोपहर	भट्टी में छेद हो जाने के कारण आग लगना	पहले $2\frac{1}{2}$ दिनों में यूनिट बिलकुल बन्द रहा और बाकी समय एक ब्लाक पर चालू रहा।

भारत में विदेशी पूंजी का निवेश

1766 श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों ने पिछले तीन सालों के दौरान हमारे देश में साम्य पूंजी के रूप में कितना धन लगाया है;

(ख) स्वामित्वों को छोड़कर लाभ के रूप में उनके द्वारा वर्षवार कितना धन इस देश से बाहर भेजा गया; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा लाभ की राशि में से कितना धन पुनः लगाया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना सभी अनिवासियों अर्थात, कम्पनियों साझेदारियों, मालिकाना हकवाली फर्मों और व्यक्तियों के नाम आवंटिन शेयरों के बारे में है न कि अलग से विदेशी कम्पनियों के बारे में। निम्नलिखित रकमें, 1967-68 से 1969-70 तक के वर्षों के दौरान अनिवासियों को आवंटिन सामान्य शेयरों की द्योतक हैं:—

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1967-68	24·7 (12·6)
1968 69 (अन्तिम अनुमान)	16·0 (15·0)
1969-70 "	10·0 (7·0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े विदेशियों द्वारा नियंत्रित रुपया कम्पनियों में लगायी गयी कुल विदेशी शेयर पूंजी के सूचक हैं। इन कम्पनियों में ये शामिल हैं :—

(क) विदेशी कम्पनियों की सहायता कम्पनियां, (ख) वे कम्पनियां जिनकी शेयर पूंजी का 40 प्रतिशत या इससे अधिक अंश भारत से बाहर किसी एक देश के पास है (ग) वे कम्पनियां जिनकी शेयर पूंजी का 25 प्रयिशत या इससे अधिक अंश किसी विदेशी कम्पनी या इसके द्वारा नामित कम्पनी आदि के पास है।

टिप्पणी संख्या 2 : सामान्य शेयरों का आवंटन नकदी, उपकरण के रूप में और जानकारो मुहया करने के लिए बदले में किया गया है।

(ख) 1967-68 से 19 ›9-70 तक के वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियां सहित सभी अनिवासियों को भेजे गये लाभांश की रकम इस प्रकार थी :—

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1967-68 (प्रारम्भिक)	32·7 (29·3)
1968-69 "	30 3 (25·4)
1969-70 "	31·4 (27·6)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये ये आंकड़े विदेशियों द्वारा नियन्त्रित कम्पनियों के लाभांशों के सम्बन्ध में विदेशों को भेजी गयी रकमों के सूचक हैं।

भेजे गये लाभांश के उपर्युक्त आंकड़ों का सम्बन्ध उपर्युक्त तीन वर्षों के अन्त में सामान्य

शेयरों में लगी कुल बकाया गैर सरकारी विदेशी पूँजी से है न कि तीन वर्ष की अवधि में बाहर से आने वाली विदेशी शेयर पूँजी से ।

(ग) यह सूचना, विदेशियों द्वारा नियन्त्रित रुपया कम्पनियों द्वारा धारित लाभ की रकमों के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं । इन कम्पनियों के सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	रकम (करोड़ रुपयों में)
1967-68	18·2
1968-69 (अनन्तिम अनुमान)	18·0
1969-70 "	21·0

राजधानी में पेट्रौल और मिट्टी के तेल का अधिक मूल्य लिया जाना

1767. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मई, 1971 से राजधानी में पैट्रोल और मिट्टी के तेल के लिए अधिक मूल्य लिए जाने के कुछ मामले पकड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) और (ख) राजधानी में मई, 1971 से मिट्टी के तेल के लिए अधिक मूल्य लिए जाने का कोई मामला पकड़ा नहीं गया है जहां तक मोटर स्पिरिट का संबन्ध है, कुछ डीलरों ने राजधानी में बेचे गए मोटर स्पिरिट पर 29-5-71 से कुछ दिनों तक 2 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अधिक मूल्य लिया था । सरकार तथा तेल कम्पनियों द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप यह शुल्क 10·6·1971 से हटा लिया गया था । क्योंकि मोटर स्पिरिट पर सांविधिक तौर पर कोई नियन्त्रण नहीं है अतः कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियां

1768. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 'दि स्टेट्समैन' दिनांक 23 सितम्बर, 1971 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्तियों के संबन्ध में 'विचित्र तर्क' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर०गणेश) (क) जी, हां ।

(ख) उल्लिखित समाचार में मुख्य बात यह कही गई है कि कुछ मामलों में सरकारी उद्यमों में शीर्ष पदों पर नियुक्तियां, इस हेतु विशिष्ट रूप से बनाई गई नामिका (पैनल) से बाहर के व्यक्तियों में से की जाती हैं । इस बात की पुष्टि की जाती है कि सरकार की नीति यह है कि सरकार उद्यमों में शीर्ष पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां आम तौर पर उन्हीं व्यक्तियों में से

ही की जाए जिन्हें इस हेतु स्थापित छानबीन तन्त्र द्वारा नामिका में सम्मिलित किया जाता है। किन्तु जहां आवश्यक समझा जाता है, पृथक-पृथक मामलों में, सरकार द्वारा नामिका में दर्ज होने की शर्त से छूट दे दी जाती है।

कपड़े धोने के साबुन के कुटीर उद्योग की शोचनीय अवस्था

1769. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह पता है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कहने पर कपड़े धोने के साबुन और 'डेटरजेन्ट बार या टिकियों' के बीच किये गए भेद का कपड़े धोने का साबुन बनाने वाले घरेलू उद्योग पर दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसी प्रभेद के परिणामस्वरूप ही उपभोक्ताओं को 'डेटरजेन्ट' के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है चाहे वह 'डेटरजेन्ट' पाउडर के रूप में हो या 'बार' अथवा टिकियों के रूप में; और

(ग) इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) कपड़े धोने वाले साबुनों का निर्माण तेलों और वनस्पति एवं पशुजाति की स्निग्धता पर आधारित है। दूसरी ओर कृत्रिम प्रक्षालक अल्कली बैंजीन तथा अन्य रसायनों से निर्मित किये जाते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कपड़े धोने वाले साबुनों के प्रतिस्थापक हैं। वनस्पति तेलों का भोज्य पदार्थों के लिए संरक्षण करने तथा चर्बी के आयात में कमी करने हेतु, सरकार कृत्रिम प्रक्षालकों के निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है। उपभोक्ता, कपड़े धोने वाला साबुन अथवा कृत्रिम प्रक्षालक के लिए अपनी तरजीह बताने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) कपड़े धोने वाले साबुनों की तुलना में कृत्रिम प्रक्षालक अधिकांश तौर पर उच्चतर मूल्यों पर बेचे जाते हैं। यह पूर्वोक्त के उत्पादन की अधिकतर लागत के कारण हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों को ऋण

1771. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के औद्योगिक विकास बैंक का पश्चिम बंगाल में बन्द हो रहे औद्योगिक उपक्रमों को धन देने का विचार है; और

(ख) क्या इस प्रकार का कोई प्रयास पहले किया जा चुका है और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) (क) और (ख) मन्द और बन्द औद्योगिक एककों खासकर पूर्वी प्रदेश में स्थित ऐसे एककों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अप्रैल, 1971 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक नई संस्था भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यद्यपि अन्ततोगत्वा यह निगम अखिल भारतीय निगम के रूप में काम करने के लिए है, फिर भी शुरू-शुरू में यह अपने क्रिया-कलाप पूर्वी प्रदेश

तक ही सीमित रहेगा। इस निगम का मुख्य कार्य है ऐसे औद्योगिक एककों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण की व्यवस्था करना जो हाल में बन्द हो गए है या बन्द हो जाने का खतरा फैला रहे हैं।

31 अक्तूबर, 1971 तक निगम ने 33 औद्योगिक एककों को 4.26 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता मंजूर की है। 4 औद्योगिक कम्पनियां जो विभिन्न अवधियों में बन्द पड़ी रही थीं निगम द्वारा दी गई सहायता से फिर से चालू करदी गई हैं।

जुलाई 1964 में अपनी स्थापना से लेकर 31 अक्तूबर, 1971 तक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने आप ही पश्चिम बंगाल में औद्योगिक कम्पनियों को क्रमशः 54.14 करोड़ और 34.66 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता स्वीकृत और वितरित की है। इस सहायता में वे ऋण भी शामिल हैं जो 3 औद्योगिक एककों को, उनकी चालू स्थिति में आए असन्तुलन में सुधार करने के लिए दिए गए थे।

कांच उद्योग की सोडा एश की सीमित और अनियमित सप्लाई

1772. श्री बनमाली पटनावक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांच फैक्ट्रियों को सोडा ऐश अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई के संबन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या कांच उद्योग की सोडा ऐश की सीमित और अनियमित सप्लाई के संबन्ध में 'आल इंडिया मैन्युफैक्चर्स फैडेरेशन' की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग) कांच (ग्लास) के कारखानों से सोडा-क्षार की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में शिकायतें तथा अखिल भारत कांच निर्माताओं के संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

देश में कांच (ग्लास) का निर्माण करने वाले एककों को सोडा-क्षार की सप्लाई की समस्या पर चर्चा करने के लिए 25 नवम्बर, 1970 को कांच उद्योग के प्रतिनिधियों तथा अल्कली निर्माताओं के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई थी। देशीय सोडा-क्षार की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए, सोडा-क्षार की और मात्राओं के आयात के बारे में बैठक में एक सुझाव दिया गया था। राज्य व्यापार निगम 10,000 मीटरी टन सोडा-क्षार का पहले ही आयात कर चुका है। भारी सोडा-क्षार के 5,000 मीटरी टन के पहले प्रेषण में से 2,000 मीटरी टन तकनीकी विकास के महा निदेशालय की सूची में उल्लिखित ग्लास-निर्माताओं को बेचा गया है। शेष 3,000 मीटरी टन, लघु उद्योगों के विकास आयुक्त के नियन्त्रणाधीन लघु प्रयोग कर्ताओं को बेचा गया है। 5,000 मीटरी टन के वित्तीय प्रेषण के वितरण पर विचार हो रहा है।

आसाम के बाजार में मिट्टी के तेल की भारी कमी

1773. **श्री निहार लास्कर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आसाम में मिट्टी के तेल की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) असम क्षेत्र में मिट्टी के तेल की कमी बहुत थोड़े समय के लिए महसूस की गई थी तथा तोड़ फोड़ के कारण रेल यातायात में हुई बाधा इसका मुख्य कारण थी। असम राज्य सरकार से रेल यातायात की स्थिति के सामान्य होने के समय तक मिट्टी के तेल के वितरण पर नियन्त्रण रखने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार की सूचना के अनुसार इस अल्पकालिक कमी से आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई थी। अब स्थिति सामान्य है।

हाल ही में अमीर बने किसानों पर कर लगाना

1774. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमीर बने किसानों पर कर लगाने के बारे में मुख्य मंत्री सहमत हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो "हाल ही में अमीर बने" किसानों की परिभाषा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 12 अक्टूबर, 1971 को राज्य- पालों/मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें सामान्य सहमति व्यक्त की गयी थी कि ग्रामीण जनता के अधिक सम्पन्न वर्गों से पर्याप्त साधन जुटाने की आवश्यकता है। सम्मेलन ने कृषि से प्राप्त आय पर कर लगाने के लिए अपनाये जाने वाले आधार या मानदण्डों के सम्बन्ध में ब्यौरे-वार विचार नहीं किया।

Grievances of Employees of 515 Army Base Workshop, Bangalore

1777. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the employees of 515 Army Base Workshop, Bangalore, had sent a memorandum of their grievances to Government in September, 1969; and

(b) if so, what are the grievances of the employees and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) and (b) No memorandum of grievances seems to have been received in September 1969. However, a memorandum dated 4th April 1 69 had been received from the Bangalore Branch of All India EME Civilian Personnel Association, representing the civilian employees of 515 Army Base Workshop, alleging that a number of their earlier representations addressed to the Commandant, had not been attended to. This was looked into and the Association gave a written confirmation that all such representations had been duly attended to.

कम्पनियों के बंद होने से बेरोजगारी

1778. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दो वर्षों से अनेक कम्पनियां बन्द हो गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) सन 1969-70 में 523 कम्पनियों और 1970-71 में 472 कम्पनियों ने या तो समापन करके या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के अन्तर्गत समाप्त करके कार्य करना बन्द कर दिया था। इस प्रकार से बन्द हुई कम्पनियों की संख्या में गत कई वर्षों में अवनति हुई है।

(ख) कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में कानूनी विवरण में सूचना देना, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक नहीं है। इस कारण सूचना प्राप्त नहीं है।

जवानों को सिगरटों की सप्लाई

1779. **श्री शशि भूषण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में जवानों को "नम्बर टैने और नेशनल गोल्ड फ्लेक" जैसी कुछ सिगरटों की जिनकी बाजार में बहुत मांग नहीं हैं तथा जिनकी अन्य किसी प्रकार से खपत नहीं है सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो जवानों को ऐसी अलोकप्रिय सिगरटें सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार जवानों को लोकप्रिय ब्रांड और अच्छी किस्म की सिगरटों की सप्लाई सुनिश्चित करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। सैनिकों को निशुल्क दी जाने वाली सिगरेट उन ब्रांडों से ली जाती हैं जिन्हें उपभोक्ता परीक्षण के पश्चात स्वीकृत किया गया हो इन सिगरेटों को ए०एस०सी० द्वारा निश्चित किए गए विशेष विवरण के अनुरूप होना चाहिए तथा इनकी वैज्ञानिक जांच तथा विश्लेषण स्वीकृति के पूर्व की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयकर की बकाया राशि

1781. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में वित्तीय वर्षों के अन्त में बकाया राशि की तुलना में इस समय आय कर की कुल कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वित्तीय वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के अन्त में वसूली के लिए बकाया की तुलना में वित्तीय वर्ष 1970-71 के अन्त में वसूली के लिए आय-कर की शुद्ध बकाया राशि इस प्रकार थी :—

वित्तीय वर्ष	वसूली के लिए शुद्ध बकाया (करोड़ रु० में)
1967-68	374.52
1968-69	435.49
1969-70	507.91
1970-71	499.68

भारत पर विदेशी ऋण की राशि

1782. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत को विदेशों का देशवार कितना ऋण चुकाना है;

(ख) गत 23 वर्षों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया ऋण की तुलना में उक्त बकाया ऋण राशि कम है या अधिक; और

(ग) आगामी दो वर्षों में वर्षवार भारत पर ऋण सेवा भार कितना होगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें भारत के मार्च, 1971 के अन्त तक के और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के अन्त तक के बकाया ऋणों का, जो भारत को, विदेशों/विदेशी संस्थाओं के देने हैं, ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1140/71]

1972-73 और 1973-74 के वर्षों में विदेशी मुद्रा और माल के निर्यात के द्वारा क्रमशः लगभग 469 करोड़ रुपये और 479 करोड़ रुपये की ऋण परिशोधन सम्बन्धी अदायगियां किये जाने का अनुमान है।

जूनागढ़, गुजरात में पर्यटकों के लिये आवास की कमी

1783. श्री वेकारिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनागढ़, गुजरात में पर्यटकों के लिए आवास की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी सरकार द्वारा पर्यटक होटल न खोलने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यह मानी हुई बात है कि देश में पर्यटन महत्व के लगभग सभी स्थानों पर अच्छे होटल आवास की सामान्यतः कमी है। अन्य अग्रता प्राप्त अपेक्षाओं के कारण भारत सरकार की जूनागढ़ में होटल स्थापित करने की योजना नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स के जोरहाट कार्यालय द्वारा ब्रोडवे होटल को ठेका दिया जाना

1784. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस के जोरहाट कार्यालय ने यात्रियों को खाना तथा टिफिन सप्लाई करने के लिये ब्रोडवे नामक होटल को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या रद्द की गई उड़ानों के यात्रियों को खाने के लिए उक्त होटल में भेजा जाता है और क्या यात्रियों ने इस होटल के विरुद्ध शिकायतें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। ब्रोडवे होटल, जोरहाट, इंडियन एयरलाइंस को उड़ान के दौरान यात्रियों को देने के लिये 4/- रु० प्रति 'लंच' की दर से पैक किये गये लंच देता है।

(ग) और (घ) विलम्बित उड़ानों के अवसर पर यात्रियों को ब्रोडवे होटल ले जाया जाता है और वहां उन्हें पैक हुआ लंच परोस दिया जाता है : भोजन की मात्रा की अपर्याप्तता के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, और इस मामले को उपचारी कार्यवाही के लिये खान-पान प्रबंधकों के साथ उठाया जा रहा है।

सुरनिसार/जम्मू में तेल के लिये खुदाई का असफल रहना

1785. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू स्थित सुरनिसार में तेल निकालने के लिए की गई खुदाई असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य में जम्मू में तेल के लिए की गई खुदाई सफल रहेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) कुआं अभी खोदा जा रहा है। जब तक कुआँ मुकम्मल और इसका परीक्षण नहीं हो जाता इतना समय पहले यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें सफलता मिलेगी अथवा नहीं।

(ग) जम्मू क्षेत्र में तेल की खुदाई में सफलता मिलेगी अथवा नहीं, यह बात इस समय खोदे जा रहे कुएं के परिणाओं पर निर्भर करेगी।

ग्राहकों द्वारा इण्डेन गैस की सप्लाई के लिये जमानत राशि का जमा किया जाना

1786. श्री शिवनरायण शास्त्री : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडेन गैस की सप्लाई के लिए ग्राहकों को जमानत के रूप में कितनी धनराशि जमा करनी पड़ती है;

(ख) उक्त जमा धनराशि के रूप में सप्लाई कर्ताओं के पास कुल कितनी धनराशि जमा हो गई है;

(ग) जमा कर्ताओं को कितना ब्याज दिया गया है तथा ब्याज की दर क्या है और यदि

नहीं, तो ब्याज न देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सप्लाई कर्ताओं को इस जमा राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज को आय कर का निर्धारण करते समय गिना जाता है; और

(ङ.) क्या सरकार का विचार कम्पनियों को ऐसा सुझाव देने का है कि वे ग्राहकों से जमानत राशि बचत प्रमाण पत्रों के रूप में मांगें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) इस समय प्रत्येक सिलेन्डर के लिये 80 रुपये और दबाब रेगुलेटर के लिये 10 रुपये वापिस किये जाने वाले धरोधर के रूप में उन ग्राहकों से लिये जाते हैं जिनको ये उपकरण उधार पर दिये जाते हैं ।

(ख) मार्च 1971 के अन्त में भारतीय तेल निगम के पास ग्राहकों को दिए गए सिलैंडरों और दबाव रेगुलेटरों के लिए 2, 16, 14, 030 रुपयों का धरोधर था ।

(ग) ग्राहकों से लिये गये धरोधर पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है । एक सिलेण्डर जो स्थाई रूप से ग्राहक के पास रहता है के अतिरिक्त एक और सिलेन्डर का प्रबन्ध किया जाता है जिससे कार्यरत मार्गस्थ आवश्यकता पूरी की जाती है । इस प्रकार एक ग्राहक के लिए निगम को करीब 200 रु० की लागत करनी पड़ती है जिसके लिए ग्राहक से रु० 100 की धरोधर ली जाती है । चूंकि 100 रुपये से अधिक उपकरण ग्राहक के पास रहते हैं, ब्याज देने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता :

(घ) ग्राहकों से लिये गये धरोधर पर जो ब्याज आता है वह निगम के आय का भाग है और यदि वह कर योग्य है तो उस पर कर लगता है ।

(ङ.) जी नहीं । भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ।

Soviet Air Force chiefs visit

1787. Shri Ramavatar Shastri ;
Shri D. B. Chandra Gawda
Shri Banamali Patnaik

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) Whether the commander-in-chief of Soviet Air Force, who visited India recently, held any talks with him in Delhi in regard to strengthening of the defence of India; and

(b) If so, the outcome of the talks ?

The Minister of defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : The Commander-in-Chief of the Soviet Air Force paid a courtesy call. Matters of mutual interest were discussed.

Delayed Filghts By Indian Airlines

1788. Shri Ramavatar Shastri
Shri Bishwanath Jhunjhunwala

Will the Minister of **Tourism And Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether the evil of delayed flights] is also spreading in the Indian Airlines;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) The remedial steps taken by Government in this regard ?

The Minister of tourism and civil aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) While some delays do occur in Indian Airlines services due to bad weather, engineering snags etc., every effort is made to avoid them,

(c) Each case of delay is thoroughly looked into and remedial action taken.

Suggestion given by secretaries of states regarding opening of Development banks

1789. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri R. V. Bade

Will the minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the development Secretaries of States have given suggestions to Government to the effect that in order to implement big projects by States, Development Banks should be opened there; and

(b) The steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The minister of finance (Shri Y. B· Chavan). (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Loans to central Government employees affected by floods

1790. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state.

(a) Whether Government have granted loans on easy instalments to such Central Government employees belonging to Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal, as have been affected by the floods;

(b) If so, the minimum and maximum amount of loan so granted to the employees belonging to each of the States; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir. Orders have been issued for the grant of interest-free advances to Central Government non-gazetted employees whose property, movable or immovable, has been substantially affected or damaged in the recent floods in certain districts of Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal.

(b) The amount of advance admissible is five hundred rupees, or three month's pay, whichever is less.

(c) Does not arise.

एयर इण्डिया की सहायक कम्पनी के रूप में एयर चार्टर कारपोरेशन की स्थापना

1791. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इण्डिया की सहायक कम्पनी के रूप में विमानों को किराये पर देने सम्बन्धी कार्य के लिए एक निगम की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) क्या चार्टर उड़ान आरम्भ किये जाने का एयर इण्डिया के यात्रियों की संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा०कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एयर इण्डिया ने चार्टर परिचालनों के लिए पूर्णतया निजी स्वामित्व में पाँच लाख रुपये की पूंजी से एयर इण्डिया चार्टर्स लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी का गठन किया है ।

(ग) चार्टर परिचालनों के प्रारम्भ होने से एयर इण्डिया के यात्री यातायात पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

अमरीकी विदेश सहायता को बन्द करने का प्रभाव

1792. श्री सी० चित्तिबाबू :
श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री समर गुह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सेनेट ने हाल ही में अमरीकी विदेश सहायता विधेयक को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारत पर इसका क्या प्रभाव हुआ; और

(ग) सरकार का स्थिति का कैसे सामना करने का प्रस्ताव हैं ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अमरीकी सेनेट ने, 29 अक्तूबर 1971 को 290 करोड़ डालर का अमरीकी विदेश सहायता विधेयक अस्वीकृत कर देने के बाद, दो विधेयक स्वीकार किये थे जिनके द्वारा कुल मिलाकर 230 करोड़ डालर की स्वीकृति दी गई है । अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने एक सतत संकल्प स्वीकार किया है जिसके द्वारा दिसम्बर 1971 के प्रारभिक दिनों तक, गत वर्ष के स्तर पर विदेशी सहायता का व्यय करने की अनुमति दी गई है । अमरीकी विदेशी सहायता विधेयक पर अमरीकी कांग्रेस में अभी विचार-विमर्श हो रहा है और अन्तिम निर्णय का पता कुछ समय बाद ही चलेगा । भारत सरकार इन गतिविधियों पर पूरी तरह नजर रखे हुए है और जब भी आवश्यक होगा, उपयुक्त कदम उठायगी ।

सरकारी निगमों के विरुद्ध बकाया ऋण और अग्रिम राशि

1793. डा० कर्णी सिंह :
राजमाता कृष्ण कुमारी जोधपुर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1971 को सरकारी निगमों और गैर सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध ऋण अग्रिम धन की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) क्या भुगतान की वापसी अभी तक पूरी तरह से समय पर की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो कुल कितनी राशि बकाया है; और

(घ) इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकारी निगमों और गैर सरकारी संस्थाओं के जिम्मे 31 मार्च, 1971 तक ऋणों/अग्रिमों की कुल बकाया राशि लगभग 2879 करोड़ रुपया थी ।

(ख) और (ग) यद्यपि अधिकांश मामलों में वापसी अदायगी निर्धारित समय पर ही की जाती रही है तथापि कुछ थोड़ें से मामलों में चूक भी हुई है । 31 मार्च, 1971 की स्थिति के अनुसार लगभग 48.97 रुपये की मूल रकम और 23 करोड़ रुपये ब्याज की अदायगी समय पर नहीं हुई थी ।

(घ) वापसी अदायगी में विलम्ब न होने पाये, इसिलए उन रकमों के सम्बन्ध में ज्यादा ऊंची दरों पर दण्डात्मक ब्याज लिया जाता है, जिनकी अदायगी समय पर नहीं होती । इसके अलावा, इस प्रकार की वाजिव रकमों की वसूली के विषय में उस मंत्रालय के साथ तुरन्त लिखा पढ़ी शुरू कर दी जाती है जो प्रशासनिक दृष्टि से उन रकमों को शीघ्र वसूली की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होते हैं ।

वित मंत्रालय में दूर न की गई लेखा परीक्षा आपत्तियां

1794. डा० कर्णी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में तत्संबंधी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दूर न की गई लेखा परीक्षण आपत्तियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) ये आपत्तियां कितनी धन राशि से सम्बन्धित हैं;

(ग) इन में से 1 अप्रैल, 1968 को ऐसी कितनी आपत्तियां थी जो दूर नहीं की गयी थी; और

(घ) इनके निपटारे के लिए शीघ्र कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1969-70 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (असैनिक) के अनुसार, जो इस विषय पर सब से बाद की रिपोर्ट है, मार्च 1970 तक उठायी गयी आपत्तियों की कुल संख्या 11,774 है ।

(ख) 82.58 लाख रुपये ।

(ग) तथा (घ) पूरी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है । यह सदन पटल पर यथासंभव शीघ्र रख दी जायेगी ।

औषध निर्माण में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिये क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव

1795. श्री सी० जनार्दनन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या औषध निर्माण में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए फार्मासेटिकल उद्योग और सरकार द्वारा मिल कर क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मीठापुर में टाटा उर्वरक परियोजना को जारी किया गया आशय पत्र

1796. श्री सी० जनार्दनन :

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री शशि भूषण :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीठापुर में टाटा उर्वरक परियोजना को जारी किया गया आशय पत्र व्यपगत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आशय पत्र का उपयोग न किये जाने का क्या कारण हैं;

(ग) क्या टाटा बन्धुओं ने आशय पत्र के नवीकरण के लिए नया आवेदन पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) मीठापुर में उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए मैसर्स टाटा कैमिकल लि० को जारी किया गया आशय पत्र व्यपगत नहीं हुआ है क्योंकि कम्पनी ने इसके व्यपगत होने की तारीख से पहले ही इसकी अवधि बढ़ा देने की प्रार्थना कर दी थी । अवधि बढ़ा देने के अनुरोध पर सरकार विचार कर रही है ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के कार्य में सुधार के लिए कार्यवाही

1797. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फारमेंस्यूटिकल्स लिमिटेड में निम्नलिखित के रूप में कुल कितनी पूँजी लगी है;

(1) प्राधिकृत तथा प्रदत्त शेयर पूंजी;

(2) सरकार द्वारा मंजूर किये गये दीर्घावधि ऋण;

(3) सरकार से लिए गए अल्पावधि ऋण;

(4) कम्पनी की शेयर पूंजी में और वृद्धि;

(5) रूस सरकार से वित्तीय सहायता;

(ख) क्या कम्पनी को आरम्भ से ही निरन्तर हानि हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम्पनी के कार्य में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

31-3-1971 को कुल निवेश:—

(1) अधिकृत पूंजी.....3,000 लाख रुपये

(2) दीर्घावधि ऋण ..... 3,120·60 लाख रुपये

(3) अल्पकालीन ऋण.....2,399·00 लाख रुपये

8,519·60 लाख रुपये

(4) 1971-72 में शेयर पूंजी की और वृद्धि 120 लाख रुपये है।

(5) मई 1959 में किये गये करार के अनुसार रूस सरकार से भारत सरकार को 18 मिलियन रूबलज का ऋण प्राप्त हुआ था।

(ख) जी हां। हानियों के निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) कम्पनी अपनी निर्धारित क्षमता पर अभी नहीं पहुंची है;

(ii) इसे, कम दक्षताओं, उपजों तथा उपकरणों में त्रुटियों को सम्मिलित करते हुए, कुछ तकनीकी सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण हानि हुई है; और

(iii) कुछ समय के लिए आयातित औषधियों के सस्ते मूल्यों पर उपलब्धी के कारण उत्पादों के विक्रय में कठिनाइयां।

(ग) हानियों पर काबू पाने के लिए कम्पनी द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाये जा रहे हैं :—

(i) अब कम्पनी के प्रयास निर्धारित क्षमताओं को प्राप्त करने तथा सहयोगियों द्वारा बताए गये निर्धारित समय में उत्पादन एवं खपत के सिद्धान्तों को उपलब्ध करने में सान्द्रित हैं। ये प्रयास प्रतिजीवियों एवं संश्लिष्ट औषधियों के उत्पादन को स्थिर करने और लागतों को मानक अनुमानों के स्तर पर लाने के लिए है।

(ii) स्केल की किफायतों की उपलब्धि से निम्नतर लागतों को प्राप्त करने के विचार से, उपकरणों के सीमान्त योगों द्वारा फेनासिटिन, सल्फाएमिलानाइड, एनलिजन, एमीडोपायरीन, विटामिन बी-1, विटामिन बी-2, फालिक एसिड तथा फेनोबारबीटोन के लिए क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है।

(iii) संश्लिष्ट औषधि सन्यन्त्र की उपलब्ध सुविधाओं सहित पारासेटामोल तथा पाज जैसी नई औषधियों का उत्पादन,

(iv) सर्जिकल इन्स्ट्रूमैण्ट प्लांट में, दोनों वर्तमान उत्पादन मिश्र तथा उक्त प्लांट में नये विकसित औजारों के आदेश स्तर और क्षमता का पूर्णतया उपयोग करने के विचार से, कार्य-आदेशों के लिए भी वृद्धि करने के प्रयास जारी हैं।

(v) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों, जो भारतीय औषधि एवं भेषजिक लिमिटेड के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, का पूलड प्राइसिज (इकट्ठीकृत मूल्यों) पर वितरण ताकि दो प्रकार के प्रचलित मूल्यों को, जिसके द्वारा देश में उत्पादकताओं को हानि होती है, समाप्त किया जा सके।

विभिन्न प्रकार के नहाने, कपड़े धोने और कार्बोलिक साबुन बनाने के लिए एक सरकारी क्षेत्र का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

1798. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने साबुन की कीमतों और इस उद्योग की लाभ प्रदता के प्रश्न पर अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) क्या औसत उपभोक्ता को अच्छी किस्म के साबुन उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार का विचार नहाने, कपड़े धोने और कार्बोलिक साबुन की विभिन्न किस्में बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : साबुन की विभिन्न किस्मों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रीय एकक की स्थापना हेतु, सरकार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु राज्य सरकार के दो उपक्रम (अर्थात एक मैसूर में तथा अन्य केरला में) पहले ही साबुन का निर्माण कर रहे हैं। शृंगार-साबुन के निर्माण के लिए पंजाब औद्योगिक विकास निगम का एक आशय पत्र जारी किया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि

1799. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :

क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली के कार्मिक विभाग में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यग्रहण के पश्चात इण्डियन एयरलाइन्स को उसकी लापरवाही के कारण निरन्तर रूप से हानि हो रही है; और

(ख) क्या इस हानि के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गत तीन वर्षों में आयातित औषध तथा भेषज

1800. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बड़े और मध्यम दर्जे के कितने मूल्य की औषधियां आयात की गई; और

(ख) इन वस्तुओं का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए और आयातित तत्वों और रसायनों के स्थान पर देशी वस्तुओं का उपभोग बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) बड़े और मध्यम दर्जे के कारखानों द्वारा औषधों तथा भेषजों के आयात के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि गत तीन वर्षों के दौरान आयातित औषध तथा भेषजों, जिनमें औषध मध्यवर्ती पदार्थ शामिल हैं, का कुल मूल्य निम्न प्रकार था :

1968-69	24·05 करोड़ रुपये
1969-70	26·19 " "
1970-71	27·87 " "

(ख) आयात पर निर्भरता समाप्त करने/कम करने की दृष्टि से औषध तथा भेषज उद्योग को, जहां तक व्यवहार्य हो, देशी कच्चे माल से, प्रपुंज औषधों तथा उनके मध्यवर्ती पदार्थों का उत्पादन करने के लिये यथासंभव सहायता दी जा रही है । इसके अतिरिक्त, आयातित प्रपुंज औषधों पर आधारित सूत्र योजकों के उत्पादन हेतु लाइसेंस के लिए अनुरोध करने वाली पार्टियों को संबंधित औषधों का क्रमबद्ध आधार पर उत्पादन करने का परामर्श दिया जाता है ।

Accidents to Indian Air Force planes

1801. Shri Jagannathrao Joshi
Shrimati Savitri Shyam

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Air Force planes which met with accidents during the last six months indicating the names of places where such accidents took place and the extent of loss of life and property as a result thereof; and

(b) the names and addresses of the deceased persons and the outcome of the investigations in each case and the effective steps taken in this connection ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : It will not be in the public interest to give this information. Such information is also not generally given by other countries. Our total accident rate has shown a downward trend over the recent years.

Each accident is investigated by a Court of Inquiry. Appropriate action and remedial measures are taken.

विदेश यात्रा कर सम्बंधी नियम

1802. श्री पी० गंगादेव :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश यात्रा कर सम्बन्धी नियमों के प्रारुप को एयर लाइनों, नौवहन कम्पनियों तथा यात्रा एजेन्टों के बीच परिचालित कर दिया है;

(ख) क्या एयर लाइनों, नौवहन फर्मों तथा यात्रा एजेन्टों से इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके कौन-कौन से सुझाव स्वीकृत किए गए हैं; और

(घ) वित्तीय वर्ष के शेष भाग में इस कर के परिणामस्वरूप कुल कितनी राशि के प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) से (ग) विदेश यात्रा कर नियमावली 1971 का एक अन्तिम प्रारूप एयर लाइन्स, नौवहन कम्पनियों तथा यात्रा एजेन्टों को परिचालित किया गया था। बाद में एक बैठक में इस प्रारूप पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें एयरलाइंस, नौवहन कम्पनियों तथा यात्रा एजेन्टों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में संबद्ध व्यक्तियों द्वारा अनेक सुझाव रखे गए। नियमावली को अन्तिम रूप देने में इन सुझावों पर यथाविधि विचार किया गया यह नियमावली 1-10-1971 को अधिसूचित की गई थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा नियम अथवा उसका अंश किसके सुझाव का परिणाम है।

(घ) 3.35 करोड़ रुपये।

कृषि तथा अन्य प्रकार की आय पर करों की वसूली

1803. श्री पी० गंगादेव :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री मूलचंद डागा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मन्त्रियों ने 18 अक्तूबर, 1971 को अपने सम्मेलन में कृषि तथा अन्य प्रकार की आय कर सम्बन्धी केन्द्रीयकृत वसूली सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया था; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) 18 अक्तूबर, 1971 को राज्यपालों/राज्यों के मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें कृषि-क्षेत्र के अधिक सम्पन्न वर्गों मे पर्याप्त साधन जुटाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सामान्य सहमति थी। यह निश्चय किया गया कि कृषि से प्राप्त होने वाली आय पर कर लगाने से सम्बन्धित सभी समस्याओं का अध्ययन एक विशेषज्ञ समिति करे।

परिचालन में मुद्रा की स्थिति

1804. श्री श्याम नन्दन मिश्र :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में और अक्तूबर के अन्त में कुल कितनी मुद्रा परिचालन में थी; और

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि में मुद्रा परिचालन की तुलनात्मक स्थिति क्या थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) (क) तथा (ख) इस वर्ष 8 अप्रैल और 9 अक्तूबर को जनता के पास क्रमश: 7,199 करोड़ रुपये तथा ,451 करोड़ रुपये की मुद्रा थी। यह रकम 3 अप्रैल, 1970 को 6,534 करोड़ रुपये से बढ़कर 30 अक्तूबर, 1970 को 6,699 करोड़ रु० तक पहुंच गई थी।

कालगेट पामोलिव (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

1805. श्री शशि भूषण :
श्री के० लकप्पा :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने देश में कितनी पूंजी से अपना व्यापार आरम्भ किया;

(ख) उन्होंने अब तक लाभ की कुल कितनी धनराशि विदेश भेजी है;

(ग) क्या उन्होंने भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों में अपने भवन आदि जैसी सारी आस्तियाँ गिरवी रख दी हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस कम्पनी ने गत 3 वर्षों में, वर्षवार कितना लाभ अर्जित किया है तथा इसने अमरीकी डालरों में अमरीका को कितनी धन राशि भेजी है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) 1942-43 के वर्ष की उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स कालगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (कालगेट पामोलिव कम्पनी यू० एस० ए० की सहयोगी) की प्रदत्त पूंजी इसके समस्त इक्विटी अंशों सहित रुपये 1,50,000/— की थी।

(ख) एकाकी कम्पनियों द्वारा विदेश भेजी गई पूंजी के सम्बन्ध में सूचना-गुप्त रखी जाती है व साधारणत: प्रकट नहीं की जाती।

(ग) कम्पनी के 31-12-70 के नवीनतम तुलन-पत्र के अनुसार, स्टाक के उपप्राधिपन पर प्राप्त बैंकों से लिए गए शेष ऋण 19,58,285 रु० के थे।

(घ) करों से पहले, करों के पश्चात, लाभ एवं गत तीन वर्षों के मध्य, घोषित लाभांश, निम्नांकित हैं :—

(लाख रु० में)

	1968	1969	1970
1. करों से पहले लाभ%	224.92	264.71	241.29
2. करों के पश्चात लाभ‡	92.65	90.32	100.63
3. लाभांश	72.00	73.91	*35.00

* प्रथम अन्तरिम लाभांश

%सुखन-पत्र में जोड़कर संगठन

1. प्रचलित वर्ष के लिए करों का उपबन्ध
2. विकास छूट के लिए सुरक्षित
3. स्वयं बीमे के लिए सुरक्षित
4. वर्ष का शुद्ध लाभ

‡ (2), (3) और (4) का % के अन्तर्गत योग

एक जापानी फर्म को समुद्र से तेल निकालने का ठेका

1806. श्री शशि भूषण :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जापानी फर्म को बम्बई में तट के समीप समुद्र से तेल निकालने का ठेका दिया गया है;

(ख) तेल सम्बन्धी खोज का कार्य कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या उक्त जापानी फर्म में अमरीकी लोग भी अंशधारी हैं;

(घ) उक्त जापानी फर्म में अमरीकियों के कितने प्रतिशत शेयर हैं; और

(ङ) वहाँ तेल का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) जी नहीं। किन्तु जापान की एक फर्म के साथ स्वयं चालित, स्वतः उत्थापक अपतट व्यधन प्लेटफार्म के जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खम्भात की खाड़ी के दक्षिणी भाग और अरब सागर के संलग्न क्षेत्र में अन्वेषी व्यधन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, निर्माण एवं उसके भारत को विक्रय के लिए एक ठेके को अन्तिम रूप दिया गया है

(ख) नवम्बर, 1972 में व्यधन के प्रारम्भ होने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उक्त क्षेत्र में विभिन्न संरचनाओं पर अन्वेषी कुओं के व्यधन द्वारा उनके परीक्षण तथा किसी कुएं में तेल अथवा गैस के मिलने के पश्चात ही सम्भाव्य तेल उत्पादन का अनुमान लगाया जा सकता है।

मैसर्ज सेलैक्टिड दलूरबन्ध कोल कम्पनी प्राइवेट (लिमिटेड), पश्चिमी बंगाल के विरुद्ध शिकायत

1807. श्री के० लकप्पा : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेलैक्टिड दलूरबन्ध कोल कम्पनी प्राइवेट (लिमिटेड) पश्चिमी बंगाल के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध किस प्रकार के आरोप लगाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य यंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) आरोपों में लेखे का प्रस्तुतीकरण न करना, अभिलेखों का असत्यीयकरण, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अनुचित प्रयोग, अधिकार शुल्क और भविष्य निधि में शेष, का एकत्रित होना, करों की चोरी, एवं कोयला उत्पादन का कम दिखाना, सम्मिलित है।

(ग) तथा (घ) कम्पनी ने, 31—12—69 तक का तुलन-पत्र एवं 29—6—70 तक की बनाई गई वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की है। जहाँ तक 31-12-70 तक के तुलन-पत्र व सम्बन्धित वार्षिक विवरणी, जो कम्पनी ने प्रस्तुत नहीं की है, का सम्बन्ध है, उनके लिए कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल द्वारा चूक नोटिस प्रेषित कर दिये गए हैं। करों की चोरी की बाबत, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा जांचें की जा रही है।

मैसर्ज कोल प्रोडक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध शिकायत

1808. श्री के० लकप्पा : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विक्टरी कोयला खान (जी० एल० समूह) के मैसर्स कोल प्रोडक्ट (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो शिकायत किस प्रकार की है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है, और यदि हाँ तो क्या ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हाँ, श्रीमान्

(ख) आरोपों में, वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुत न करना, राज्य सरकार को अधिकार शुल्क न देना, निधियों का दुरुपयोग, अभिलेखों का असत्यीयकरण और करों में चोरी सम्मिलित है।

(ग) कम्पनी ने, अपने तुलन-पत्र, 31—12—62 तक व वार्षिक विवरणी 1—6—68 तक बनाकर प्रस्तुत की है। परिवर्ती वर्ष के लिए तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा के लिए

कम्पनी रजिस्ट्रार ने बकाया नोटिस प्रेषित कर दिया है तथा भावी कार्यवाही की जा रही है। कम्पनी और उसके निदेशकों पर वर्ष 1963 और 1964 के तुलन-पत्रों के न देने के कारण मुकदमा किया जा रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बहुत से आदेश दिये जाने तथा प्रतिबन्धों के लागूकरण के परिणाम स्वरूप कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा कम्पनी तथा उसके निदेशकों के विरुद्ध वर्ष 1965 और उसके बाद की कानूनी विवरणी जैसे तुलनपत्रों एवं 1968 की बाद की वार्षिक विवरणी न देने के कारण की गयी त्रुटि पर कोई मुकदमा नहीं किया गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि निदेशक मंडल में दलबन्दी लड़ाई चल रही थी तथा उन्होंने मुकदमे बाजी कर दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1966 के बाद संख्या 1272 में कम्पनी को एक आदेश दिनांक 4-7-66 द्वारा वार्षिक बैठक करने का अवरोध किया। अवरोध पत्र 29-3-68 को खाली हो गया तथा कम्पनी की वार्षिक महा बैटक 1-6-1968 को हुई जिसमें मैसर्स एस० एन० गुहा एण्ड कम्पनी को लेखा-निरीक्षक नियुक्त किया। फिर 1968 के मामला संख्या 2103 में श्री के० एल० गोयन्का को छोड़कर समस्त निदेशकों को निदेशक के रूप में कार्य करने पर अवरोध कर दिया और आगे यह निर्देश दिया गया कि कोई भी मंडल की बैठक नहीं की जाये ना कोई संकल्प ही प्रचलित द्वारा पारित किया जाए। जैसा कि मैसर्स एस० एन० गुप्त एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की नियुक्ति को उपरोक्त मामलों में चुनौती दी गई है अतः उन्होंने कार्य करने में अपनी अनिच्छा प्रगट की है। सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, कलकत्ता कम्पनी के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं।

दूसरे आरोपों के सम्बन्ध में जैसे अधिकार शुल्क, कर टालने के सम्बन्ध इत्यादि में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

मैसूर में स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि

1809. श्री के० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर 1971 को मैसूर राज्य के विभिन्न जिलों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी राशि जमा थी;

(ख) फसलों और प्राथमिकता क्षेत्र के उद्योगों के लिए ऋण के रूप में इन बैंकों ने कितनी राशि दी है; और

(ग) इन ऋणों पर कितना ब्याज लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) यथासम्भव सूचना इकट्ठी की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में नये हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव

1810. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश में नये हवाई अड्डे बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे किस किस स्थान पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और कब पूरा किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) तिरुपति (आंध्र-प्रदेश), वारापानी (आसाम) तथा कालीकट (केरल) में विमान क्षेत्रों का निर्माण करने के प्रस्तावों को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है। तिरुपति का विमानक्षेत्र निर्माणाधीन है और इसके 1972 में तैयार हो जाने की आशा है। वारापानी में निर्माण कार्य के शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने की आशा है और आशा की जाती है कि यह विमानक्षेत्र योजनावधि के समाप्त होने से पहले ही तैयार हो जायेगा। कालीकट के विमानक्षेत्र का निर्माण कार्य चालू योजना में प्रारम्भ कर दिया जायेगा और यह अगली योजनावधि में पूरा हो जायेगा। हुबली (मैसूर) में एक विमानक्षेत्र का निर्माण करने की स्कीम तैयार की जा रही है।

इण्डियन एयरलाइन्स को हुई हानि

1811. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से इण्डियन एयरलाइन्स को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हानि को कम करने के लिये सरकार का विचार पूरे प्रशासन ढांचे में आमूल परिवर्तन सुधार करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। इंडियन एयर-लाइन्स ने 1968-69 में 165.74 लाख रुपये का तथा 1969-70 में 228.43 लाख रुपये का लाभ कमाया। इसे केवल वर्ष 1970-71 में 467.60 लाख रुपये की हानि हुई।

(ख) 1970-71 में हानि होने के मुख्य कारण निम्न प्रकार थे :—

(i) श्रमिक अशांति के कारण सेवाओं में बार-बार विघ्न;

(ii) वेतन में काफी वृद्धि;

(iii) तीन एफ-27 विमानों का नष्ट होना;

(iv) विमान ईंधन पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि;

(v) पाकिस्तान के ऊपर से उडान को बचाने के लिए कतिपय सेवाओं का पुनः मार्ग निर्धारण और कुछ का रद्द किया जाना; और

(vi) विमानों के बलादपहरण के खतरों के लिए बीमे के दरों में वृद्धि।

(ग) सेन समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी जांच की जा रही है।

साबुन के देशीय उत्पान को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

1812. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री के० मालन्ना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरबी का आयात अपर्याप्त है और इसके परिणामस्वरूप साबुन का उत्पादन कम हो रहा है; और

(ख) क्या प्राचीन भारत में साबुन बनाने की अच्छी किस्म की परम्परा को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार आयतित चरबी के बिना साबुन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) महुआ तेल जमा हुआ वनस्पति तेल आदि जैसे कड़वे तेलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, साबुन के निर्माण के लिए आयात की जा रही चर्बी की मात्रा पर्याप्त समझी जाती है ।

(ख) चर्बी के आयात में कमी करने एवं देश में सम्भाव्य तेल स्रोतों का समुपयोजन करने के विचार से अप्रधान एवं अपारस्परिक तेलों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। 29-5-1971 को सरकार ने साबुन के, जिसमें अप्रधान बीज तेलों का प्रयोग किया जाय, निर्माण पर उत्पादन शुल्क में छूट के रूप में प्रोत्साहन देने की घोषणा की थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक

1813. श्री एच० एम० पटेल :
श्री निहार लास्कर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बैठक में कमजोर राष्ट्रों के हित में क्या विचार रखे थे; और

(ग) भारत सरकार के प्रस्तावों के प्रति सदस्य देशों की प्रतिक्रिया क्या थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड की वार्षिक बैठक वाशिंगटन में 27 सितम्बर से पहली अक्टूबर तक हुई थी। मैंने भारत के गवर्नर के रूप में इस बैठक में भाग लिया था ।

निधि की बैठक का मुख्य विषय वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति था। अपने भाषण के दौरान मैने मौजूदा संकट के सम्बन्ध में विकासशील देशों की चिन्ता व्यक्त की और बड़े औद्योगिक देशों की मुद्राओं के सम-मूल्य को तुरन्त फिर से निर्धारित करने अनिवार्य स्थायी सम-मूल्य प्रणाली की स्थापना करने और सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के मंच और अनुशासन के अधीन कार्य करने के महत्व की आवश्यकता पर जोर दिया था। मैंने यह आशा व्यक्त की थी

कि विशेष आहरण अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइटर्स) का निर्धारण जारी रहेगा और प्राथमिक प्रारक्षित परिसम्पत्ति के रूप में विशेष आहरण अधिकारों के भावी योगदान की जांच करने का सुझाव दिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था और विकास सम्बन्धी वित्त की आवश्यकताओं के बीच प्रभावी व्यवहारिक तालमेल बिठाने के हमारे विचार को फिर से दोहराया और मैंने यह सुझाव दिया कि विशष आहरण अधिकारों और विकास सम्बन्धी वित्त के बीच तालमेल बिठाने की तेजी से व्यवस्था की जाय और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की अन्तर्नियमावली में लिपिबद्ध कर दिया जाय।

मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि विकासशील देशों के, जिनकी संख्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सदस्यों में काफी अधिक है, विचारों और हितों का निधि के निश्चयों में पर्याप्त स्थान होना चाहिये और इस प्रयोजन के लिए समृद्ध देशों और विकासशील देशों को मत देने के सापेक्ष अधिकारों में अधिक युक्तियुक्त समायोजन किया जाना चाहिए।

विकसित देशों के गवर्नरों ने सामान्यत: इन में से कुछ विचारों का समर्थन किया। निधि के गवर्नरों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें निधि के सदस्यों से यह अनुरोध किया गया कि वे विनिमय-दरों का सन्तोषजनक ढांचा बनायें और निधि को फिर से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में सहायता दें। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया कि प्रतिबन्धात्मक व्यापार और विनिमय पद्धतियों को बनाये रखने की प्रवृत्ति को उलटा मोड़ देने के लिए निधि को सहयोग दें और आपस में सहयोग करें। प्रस्ताव में कार्यकारी निदेशकों से यह अनुरोध भी किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में गवर्नरों के बोर्ड को रिपोर्ट दें और इस प्रयोजन के लिए, विशेष आहरण अधिकारों की भूमिका सहित इस व्यवस्था के सभी पहलुओं का अध्ययन करें।

हिन्द महासागर में अनुसंधान करने के लिए जहाजों की कमी

1814. श्री एच० एम० पटेल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कमाण्डर डोनाल्ड वाल्श द्वारा, जिन्हें विश्व में अधिकतम गहराई तक डुबी लगाने का श्रेय प्राप्त हैं, 23 सितम्बर, 1971 को नई दिल्ली में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत में हिन्द महासागर में प्रभावशाली ढंग से अनुसन्धान कार्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक जहाजों का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह सच हैं कि समुद्री विज्ञान का प्रभावकारी ढंग से अनुसंधान करने के लिए हमारी उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है।

मेसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट लिमिटेड कलकत्ता में जीवन बीमा निगम का जोखिम

1815. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यों में जीवन बीमा निगम का कोई जोखिम है; और

(ख) क्या कम्पनी के बोर्ड में जीवन बीमा निगम का प्रतिनिधि मूंदड़ा के शालीमार वर्कस की सहायता कर रहा है ताकि मेसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट में उनका बहुमत नियंत्रण रहे हालांकि वे नये निगम के लिए मांगी गई राशि जमा करने में असफल रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। जीवन बीमा निगम के पास कम्पनी के शेयर इस प्रकार हैं :—

(1) 7,570 तरजीही शेयर जो तरजीही पूंजी का 75.7 प्रतिशत हैं और

(2) 1,34,527 सामान्य शेयर, जो सामान्य पूंजी का 14.59 प्रतिशत हैं

कम्पनी के निदेशक बोर्ड में जीवन बीमा निगम का एक नामजद व्यक्ति है।

(ख) जी, नहीं।

उद्यमकर्ता विकास योजना के अधीन प्रशिक्षित बेरोजगार स्नातक

1816. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्यमकर्ता विकास योजना के अन्तर्गत अब तक कितने बेरोजगार स्नातकों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार की पेशकश की गई है; और

(ग) इस योजना के प्रति सन्तोषजनक प्रतिक्रिया न होने के क्या कारण हैं और इसे अधिक आकर्षित बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी : (क) उद्यमकर्ता विकास योजना (ई०डी०एस०) के अन्तर्गत भारतीय उर्वरक निगम द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार स्नातकों की संख्या अब तक 205 है।

(ख) उन सभी को व्यापार एजेन्सी पेश की गई है।

(ग) इस योजना में असन्तोषजनक प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित मुख्य कारण है :

(1) बैंकों से वित्तीय सहायता की कमी।

(2) व्यापार कुशलता की कमी।

(3) सुदृढ़ वित्तीय संसाधनों एवं किसानों के साथ अच्छे सम्बन्ध वाले नियमित व्यापारियों की अधिक प्रतियोगिता।

(4) नियमित व्यापारियों द्वारा किसानों को उर्वरकों के अतिरिक्त दी जाने वाली विभिन्न अन्य सुविधाओं के कारण उनका किसानों पर अधिक प्रभाव।

(5) वेतनयुक्त नौकरियों के लिए शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को तरजीह देना तथा उर्वरक की व्यापार एजेन्सी को अन्श कालिक तदर्थ व्यापार के रूप में मानने की प्रवृति।

इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) अधिक कमीशन आदि के रूप में उद्यमकर्ता विकास योजना के व्यापारियों के साथ तरजीह व्यवहार करना।

(2) इन व्यापारियों को उर्वरकों की शीघ्र सप्लाई को सुनिश्चित करना।

(3) उनका व्यापारिक बैंकों के साथ निकटतर ठेका स्थापित करना।

डी०डी०टी० और यूरिया का सम्मिश्रण

1817. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०टी० और यूरिया का सम्मिश्रण तैयार किया गया है और उसे प्रयोग के रूप में खेतों में डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं

1818. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाह लागत में वृद्धि होती जा रही है और सरकारी कर्मचारियों का वास्तविक वेतन गैर सरकारी संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा कम हो गया है;

(ख) क्या गैर सरकारी और सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वही सुविधाएं उपलब्ध कराने का है जो गैर सरकारी और सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हाल ही के महीनों में उर्ध्वगामी प्रवृति रही है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्तरों और गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के वेतन स्तरों के बीच अथवा अन्य सुविधाओं जैसे आवास, चिकित्सा राहत, आदि जो भी गैर सरकारी संगठनों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाती हों उन के स्तरों के बीच कोई सार्थक तुलना सम्भव नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी, इस प्रकार की सुविधाओं की मात्रा, एक संगठन से दूसरे संगठन में उनकी कार्य की शर्तों आदि को देखते हुए, आमतौर पर अलग अलग होती है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे और सेवा की शर्तों की समीक्षा का समग्र प्रश्न पहले ही तृतीय वेतन आयोग के विचाराधीन है और उसकी सुविचारित सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा जामनगर के छोटे किसानों को ऋण

1819 **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में जामनगर, हल्लर जिले के कितने छोटे किसानों ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया से ऋण लेने के लिये आवेदन पत्र भेजे थे और अब तक उनमें से कितने किसानों को ऋण दिया गया;

(ख) क्या छोटे किसानों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के लिये बैंक सेवा आयोग का गठन

1820. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के लिये कोई बैंक सेवा आयोग गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस आयोग के सदस्यों के नाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के लिए एक समान अभिकरण के गठन के प्रश्न की जांच की जा रही है।

गोयनका कम्पनी समूह के विरुद्ध जांच

1821. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोयनका कम्पनी समूह के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्यमंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, की धारा, 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, केन्द्रीय जाँच विभाग को दो प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजी गई थीं ।

मै० नेशनल कम्पनी लि० की बाबत, दिनांक 27 जनवरी, 1970 को प्रथम सूचना रिपोर्ट केन्द्रीय जांच विभाग ने, 14 फरवरी, 1970 को पँजीकृत की थी । मै० नेशनल कम्पनी लि० एवं

श्री रामनाथ गोयन्का ने, प्रथम लिखित याचिका, अक्तूबर, 1970 एवं द्वितीय लिखित यचिका, मार्च, 1971 में प्रस्तुत किये थे। यह मामले कलकता उच्चन्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है।

मैं० आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लि० की बाबत दिनाँक 2 अप्रैल, 1971 को प्रथम सूचना रिपोर्ट केन्द्रीय जांच विभाग ने 19 अप्रैल, 1971 को पंजीकृत की थी मैं० आन्ध्र प्रभा प्रा० लि० एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्रा० लि०तथा इण्डियन एक्सप्रेस (मदुराई)प्रा० लि० व श्री रामनाथ गोयनका ने मद्रास उच्च न्यायालय में, लिखित याचिकायें दायर की थी। न्यायालय ने, उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनके विरुद्ध, कथित पार्टियों ने अपील करनी चाही थी।

चौथी योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के लिए धन का आवंटन

1822. श्री रोबिन ककोटी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन के विकास के लिए कितनी कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों में राज्यों में विभिन्न पर्यटन योजनाओं के लिए आवंटित धन को खर्च न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य योजनाओं में पर्यटन स्कीमों पर होने वाले परिव्यय तथा 1969-70, 1970-71 में उनके द्वारा किये गये व्यय तथा 1971-72 में प्रत्याशित व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1141/71)

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जालसाजी और डकैतियां

1823. श्री दिनेश जोरदार :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में (जनवरी और 30 अक्तूबर 1971 के बीच) कुल कितनी जालसाजियां तथा डकैतियाँ हुई;

(ख) सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए क्या निवारक कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशनन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) धोखाधड़ी और डाकाजनी के मामलों की सूचना बैंक अधिकारियों द्वारा जांच के लिए पुलिस में की जाती है। जहां आवश्यक होता है विभागीय तौर पर बैंक भी कार्रवाई करते हैं।

(ग) धोखाधड़ी के मामले फिर से न हों इस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों के नाम परिपत्र जारी करता रहता है जिनका उद्देश्य केवल बैंकों को सावधान करना ही नहीं अपितु उन्हें इसके योग्य बनाना है कि वे उनकी कार्यप्रणालियों और सम्बद्ध प्रक्रियाओं में होने वाली खामियों, यदि कोई हो तो, को दूर कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकारियों के एक दल की नियुक्ति की है जिसका काम बैंकों में नकदी निवेशों और उन के पास रखी गयी प्रतिभूतियों की सुरक्षा और उनके रखने के सम्बन्ध में बैंकों में प्रचलित प्रणालियों, मुख्यालय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण जिसमें आन्तरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण और अन्तः शाखा लेखों का मिलान आदि शामिल है, का अध्ययन करना है। सामान्य अथवा केन्द्र-वार निरीक्षण करने वाले अपने अधिकारियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी की जांच करने तथा प्रतिभूतियों, गोदामों आदि का नमूना परीक्षण करने और बैंकों में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रणों की प्रणाली की जांच करने तथा यह देखने की हिदायतें भी दी है कि उक्त नियन्त्रण पर्याप्त हैं या नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह हिदायतें भी दी है कि वे अपने शाखा अभिकर्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी में नियत कालिक अदला बदली करते रहे और 3 से 5 वर्षों के बाद उनका स्थानान्तरण कर दिया करें।

कलकत्ता हवाई अड्डे पर एक अमरीकी विमान चालक का रोका जाना

1824. श्री मुहम्मद शरीफ: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी विमान चालक को दो इंजन वाले छोटे विमान को भारतीय क्षेत्र में अनधिकृत मार्ग पर उड़ाने के कारण 3 नवम्बर 1971 को कलकत्ते हवाई अड्डे पर रोका गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है और विमान चालक विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : कोइ 'डिटेंशन आर्डर' जारी नहीं किया गया था। एक सुरक्षा जाँच-पड़ताल की गयी थी और विमान चालक से करांची से भारत में प्रवेश करने तथा बिना प्राधिकार के इलाहाबाद में अवतरण करने और बिना 'निर्बाधिता' के काठमांडू के लिए रवाना होने के बारे में स्पष्टीकरण लिया गया था।

(ख) 28 अक्टूबर, 1971 को दो अमरीकी राष्ट्रिकों, श्री इस्टेल तथा कुमारी ली, ने बिना प्राधिकार के इलाहबाद में अवतरण किया। पूछताछ के बाद उन्हें 29 अक्तूबर को कलकत्ता के लिए उड़ान करने की अनुमति दे दी गयी, परन्तु वे कलकत्ता के बजाय काठमांडू चले गये। 3 नवम्बर को वे कलकत्ता में उतरे तथा उनकी और आगे जांच-पड़ताल के बाद वे 8 नवम्बर, 1971 को बैंकाक के लिए रवाना हो गये।

नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे को बन्द करने का निर्णय

1827. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे को बन्द करने के बारे में

कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Life Insurance pension scheme

1828. Dr. Laxminarain Pandey
Shri G. P. Yadav

will the minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the date when the Life Insurance Pension Scheme was introduced and its achievements; and

(b) the steps proposed to be taken to popularise the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of finance (Shri K. R. Ganesh) (a) LIC has been offering Life Insurance Pension Scheme; also known as Superannuation Scheme, from 1957. New business transacted by LIC under the Superannuation Scheme during the year 1970.71 is :—

No. of new schemes.	...	36
No. of new lives covered.	...	1422
Total annuity per annum under new anuities.	...	Rs. 0.70 Crores.

On 31st March, 1971, the LIC had 170 superannuation schmes in force covering 8,078 l ives. The total amount of annuities issued there under is Rs. 3.61 Crores per annum.

(b) The following steps have been taken by the L.I.C. to popularise the Scheme :—

(i) Setting up a separate Department at the Central Office with regional Centres at New Delhi, Jullunder, Kanpur, Calcutta, Hyderabad, Madras, Bangalore, Poona, Bombay and Ahmedabad for developing suitalbe schemes among as many groups institutions as possible.

(ii) To allow credit to its varisous Branch Offices for the business done under these scheme: with a view to creating a broadbased sales organisation for Group business.

(iii) Provision of incentive; to agents by liberalising the "commission formula" for such business and by imparting suitable training in various aspects of or group schemes.

(iv) Streamlining of administrative procedure.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में दूर न की गयी लेखा परीक्षा आपत्तियां

1829. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार उनके मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में दूर न की गयी लेखा-परीक्षा आपत्तियों की संख्या क्या है।

(ख) ये आपत्तियां कुल कितनी राशि से सम्बन्धित हैं;

(ग) इनमें से 1 अप्रैल, 1968 को ऐसी कितनी आपत्तियां थीं जो दूर नहीं की गयीं; और

(घ) इसके निपटारे के लिये तुरन्त कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिवाली के अवसर पर दिल्ली में मोमबत्तियों की कमी

1830. श्री दलीप सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पैराफीन मोम के आवंटन की दोषपूर्ण प्रणाली के कारण गत दिवाली के अवसर पर बाजारों में मोमबत्तियों की भारी कमी रही थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की कोई गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन एयरलाइन्स में भर्ती

1831. श्री डी० वी० चन्द्र गोडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में पूरे भारत में इण्डियन एयरलाइन्स में बहुत संख्या में कर्मचारी भर्ती किये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का जांच करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1969 तथा 1970 के वर्षों के दौरान इन्डियन एयरलाइन्स में कर्मचारियों की वृद्धि की दर क्रमशः 2.8% तथा 4.5% थी । 1970 के दौरान अधिक वृद्धि बोइंग सेवाओं के चालू करने के कारण थी ।

(ख) जी नहीं ।

मैसूर में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

1832. श्री डी० वी० चन्द्र गोडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के पश्चात किसानों, दुकानदारों निम्न आय वर्ग के लोगों को, अलग-अलग कुल कितना ऋण दिया है; और

(ख) इस पर कितनी ब्याज दर ली गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जहाँ तक सम्भव है सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पर्यटन यातायात में कमी

1833. श्री राज सिंह देव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में कितने पर्यटकों ने भारत की यात्रा की;

(ख) क्या भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में निरन्तर कमी होती जा रही है;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1971 के समाचार पत्र स्टेट्समैन' में "होटलों की कमी के कारण पर्यटन में अवरोध" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सितम्बर 1971 तक आने वाले पर्यटकों की संख्या 223,838 है जो कि पिछले वर्ष के उसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां । सरकार को देश में अच्छे होटल आवास की कमी के विषय में पूरी जानकारी है । सरकारी क्षेत्र में होटलों का निर्माण करके तथा निजी क्षेत्र में होटल निर्माण के लिए प्रोत्साहन देकर कमी को दूर करने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं ।

जीवन बीमा निगम द्वारा नये स्थापित उपकार्यालय

1834. श्री आर० वी० बड़े : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सैन्ट्रल जोन मध्य में कितनी नई शाखाएं और उपकार्यालय खोले हैं;

(ख) नए कार्यालय खोलने का मानदंड क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खोले कार्यालयों का अनुपात क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश में कोई नया कार्यालय न खोलने के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० गणेश) : (क) से (घ) जीवन बीमा

निगम ने चालू वर्ष में अपने सेन्ट्रल जोन में जिन कार्यालयों का दर्जा बढ़ाया है और जो नए कार्यालय खोले हैं उनका श्रेणीवार विवरण नीचे दिए अनुसार है :—

वे कार्यालय जिनका दर्जा बढ़ाया गया है।	उत्तर प्रदेश	मध्यप्रदेश
शाखा का उपकार्यालय	7	3
शाखा का विकास केन्द्र	5	—
उप-कार्यालय का विकास केन्द्र	2	—
नए खोले गए कार्यालय		
शाखा	7	2
विकास केन्द्र	3	1

कुछ कार्यालयों का दर्जा बढ़ाने और नए कार्यालय खोलने का निर्णय, कम से कम तीन वर्षों की अवधि में किये गये नए कारोबार के आधार पर किया जाता है, जिसकी मोटे तौर पर कसौटी नीचे लिखे अनुसार है :—

(क) किसी कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर उसको शाखा कार्यालय बनाने के लिए औसत वार्षिक नया कारोबार 1,000 पालिसियों के अन्तर्गत कम से कम 1 करोड़ रु० का होना चाहिए।

(ख) जिस स्थान पर एक कार्यालय अथवा कई कार्यालय पहले से ही मौजूद हों, वहां पर अतिरिक्त शाखा खोलने के लिए प्रत्येक वर्तमान शाखा का औसत वार्षिक नया कारोबार, 5000 पालिसियों के अन्तर्गत कम से कम 3 करोड़ रुपये का होना चाहिए।

(ग) किसी कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर उसको उपकार्यालय बनाने के लिए औसत वार्षिक नया कारोबार, 1,500 पालिसियों के अन्तर्गत कम से कम 85 लाख रुपये का होना चाहिए।

(घ) नया विकास केन्द्र खोलने के लिए उस क्षेत्र का औसत वार्षिक नया कारोबार 1000 पालिसियों के अन्तर्गत कम से कम 60 लाख रुपये का होना चाहिए।

जीवन बीमा निगम ने चालू वर्ष में यह निर्णय भी किया है कि जहां पर वर्तमान शाखाओं से सम्बद्ध डाइरेक्ट एजेन्टों का और आगे विकास के लिए केन्द्र बनाया जा सकता है, वहां पर नए यूनिट बनाकर डाइरेक्ट एजेन्सी यूनिट भी विकसित किए जाये। इस वर्ष खोली गई 9 नई शाखाओं में से 7 सीधे एजेन्सी यूनिट हैं।

यह बात नोटिस में आएगी कि मध्य प्रदेश में कुछ कार्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया है और कुछ नए कार्यालय खोले गए हैं, हालांकि उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में दर्जा बढ़ाये गए और खोले गये कार्यालयों से कम है। ऐसा इस कारण है कि उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त कारोबार की अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना है। फिर भी, जबलपुर और इन्दौर प्रभागों में इस वर्ष अच्छा कारोबार हुआ है और उनके कारोबार के बढ़ने की आशा है। इसके अलावा, इस वर्ष रायपुर में एक प्रभागीय कार्यालय खोला गया है, जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आ जाता है।

Repayment of Loans to foreign countries

1835. Shri R. V. Bade : Will the Minister of Finance be pleased to state;

(a) the names of the countries which have been paid more money as interest than the

amount received from them in the from of aid; and

(b) the interest paid and the aid received ?

The Minister of finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) · There is only one country-namely Japan-where more money has been paid as interest during 1970-71 than the amount utilised as aid, as indicated below :

Aid utilised :	Rs. 17.49 crores.
Interest paid :	Rs. 20.15 crores.

Commitments of aid from Japan for 1970-71 amounted to Rs. 43.34 crores.

Office of controller of defence accounts, Patna.

1896. Shri Jagannath Mishra : will the minister of Finance be pleased to state :

(a) the date since when the Office of the Controller of defence Accounts has been functioning in Patna;

(b) the number of employees working in the said office and the names of the States to which they belong;

(c) the number of such employees who know Hindi;

(d) whether the said office is likely to be shifted:

(e) whether there is discontentment among the employees and the people of Bihar on this account; and

(f) if so, the reaction of Government there to ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Smt. Sushila Rohagi) (a) Since 5. 5. 42.

(b) & (c) The total number of employees working at different stations in the organisation of the Controller of Defence Accounts, Patna as on 1. 10. 1971 was 2,365; the number of employees in the Patna office is over 900. The information regarding the names of the States to which the employees belong and the number of such employees as know Hindi is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(d) No, Sir. Government have, however, taken a decision in principle to locate an independent office of the controller of Defence Accounts at Shillong for dealing with certain items of work relating to the units and formations located in Assam, Nefa, Nagaland, Manipur, Tripura and Meghalaya.

(e) & (f) Some employees have expressed their concern at the decision. The Deputy Chief Minister of Bihar sent letters to the Union Defence Minister and Union Finance Minister about the setting up of an office of the Controller of Defence Accounts at Shillong. Two Members of Parliament and the Leader, Opposition Party, Vidhan Sabha, Bihar also wrote to the Union Finance Minister about this matter. They all gave expression to the fear that the setting up of a new Controller's office at Shillong will reduce the employment opportunities for the people of Bihar. The Union Finance Minister has already sent replies to them explaining that the office ofthe Controller of Defence Accounts at Shillong has been set up to meet the requirements of the Army for prompt payment of salaries and bills for supplies and services rendered and to overcome the difficulties arising from the lack of and break-down of communications between Patna and areas in Assam and other north-eastern regions. It has also been explained to them that the employment opportunities for the people of Bihar will not be materially affected.

ग्रामीण कृषकों और किसानों को ऋण

1837. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण कृषकों और किसानों को ऋण देने के लिये सभी राष्ट्रीयकृत

बैंकों को अनुदेश जारी किये है;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को भी ऐसे ऋण देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाहपुरा शाखा (जिला भिलवाड़ा) ने किसानों को कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा बुरहानपुर में विभिन्न श्रेणी के लोगों को दिया गया ऋण

1838. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) में ऐसे किसानों, भूमिहीन, मजदूरों, हैंडलूम तथा पावरलूम मालिकों तथा निम्न आय वर्ग के लोगों की संख्या क्या है जिन्हें बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने ऋण दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जहां तक सम्भव है सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

मध्य प्रदेश को ऋण

1839. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीयवर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि के ऋण दिये गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन ऋणों पर ब्याज की कुल कितनी राशि बनी;

(ग) वित्त वर्ष 1971-72 के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि के ऋणों की मांग की है; और

(घ) उस पर किस दर से ब्याज लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश को 1968-69, 1969-70 और वर्ष 1970-71 के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दिये गये ऋणों और इन वर्षों में राज्य द्वारा चुकाये गये ब्याज का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राज्यों को दिये गये ऋण	राज्य द्वारा चुकाया गया कुल ब्याज
1968-69	56.41	18.12
1969-70	44.57	19.46
1970-71	47.26	19.45

(ग) राज्य सरकार ने अपने 1971-72 के बजट में केन्द्रीय ऋणों के रूप में 45.70 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया है।

मध्य प्रदेश राज्य की 1971-72 की आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ऋणों और अनुदानों के रूप में 52.40 करोड़ रुपयों की व्यवस्था है। समग्र रूप से निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्दर रहते हुए ऋण की वास्तविक मात्रा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वास्तव में किये गये परिव्यय पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को छोटी बचतों द्वारा एकत्रित रकमों के बदले भी ऋण मिलेगा, राहत कार्यों पर खर्च करने के लिए ऋण केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर दिये जाएंगे और उर्वरकों की खरीद के लिए दिये जाने वाले ऋण केन्द्रीय पूल से खरीदे गये उर्वरकों के मूल्य पर निर्भर करेंगे।

(घ) राज्य सरकारों को दिये गये केन्द्रीय ऋणों पर सामान्यतः 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है और मूल तथा ब्याज की समय पर अदायगी करने पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की छूट दी जाती है।

बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) स्टेट बैंक द्वारा शक्ति चालित करघों के मालिकों को दिया गया ऋण

1840. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुरहानपुर स्टेट बैंक द्वारा शक्ति चालित करघों के मालिकों को दिये गये ऋण का अधिकांश भाग कुछ धनिक शक्ति चालित करघों के मालिकों को ही मिला है;

(ख) यदि हां, तो किसी एक परिवार को दिये जाने वाले कुल ऋण की सीमा बाँधने के लिये कोई कदम उठाए जा रहें है; और

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं जिन्हें वहां बैंक से ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बुरहानपुर अपनी ऋण सम्बन्धी सुविधाएं आवश्यकता के आधार पर, शक्ति-चालित करघों के मालिकों को प्रदान कर रहा है। किसी भी एक एकक को स्वीकृत की जाने वाली राशि की अधिकतम या न्यूनतम सीमाएं बैंक ने निर्धारित नहीं की हैं। 30 जून 1971 को बैंक ने 138 शक्ति चालित करघा एककों को कुल मिलाकर 7.25 लाख रुपये के ऋण मंजूर किये थे और उन पर 5.62 लाख रुपया बकाया था। शाखा द्वारा वित्त प्रेषित 138 शक्तिचालित करघा एककों में से 93 एककों में केवल दो या दो से कम शक्ति चालित करघे हैं।

(ग) यह सूचना बैंक के अलग-अलग असामियों के खातों के सम्बन्ध में है और बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और परिपाटियों के अनुसार तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1955 की धारा 44(1) के उपबन्धों के अनुरूप भी यह सूचना नहीं दी जाती।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोले गए नए कार्यालय

1841. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितने नये कार्यालय खोले हैं; और

(ख) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जमा पूंजी की वृद्धि में मध्य प्रदेश का कितना भाग है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 30 जून 1969 और 31 अगस्त 1971 के बीच मध्य प्रदेश में 123 नये कार्यालय खोले ।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा रकमों के उपलब्ध राज्यवार आंकड़े सितम्बर, 1969 और मार्च, 1971 के हैं । सितम्बर 1969 के अन्त में 4713.6 करोड़ रुपये की कुल जमा रकमों में से मध्य प्रदेश का हिस्सा 118.7 करोड़ रुपये या 2.52 प्रतिशत था 1 मार्च, 1971 के अन्त में 5600.9 करोड़ रुपये की कुल जमा रकमों में से मध्य प्रदेश का हिस्सा 142.4 करोड़ रुपये या 2.54 प्रतिशत था ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बुरहानपुर की सेवाओं की कार्य कुशलता में गिरावट

1842. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की सेवाओं की कार्य-कुशलता में आम तौर से गिरावटें आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : स्टेट बैंक आफ इण्डिया की बुरहानपुर शाखा की सेवाओं की कार्य कुशलता में गिरावट के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । यदि कोई विशेष मामले सरकार के ध्यान में लाये जायेंगे तो उनके सम्बन्ध में उचित कार्रवाई की जायेगी ।

इण्डियन एयरलाइन्स को कम आय

1843. श्री एम० एम० जोजफ :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जे० बी० पटनाक :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स को कम आय के कारण अप्रैल से अगस्त, 1971 तक गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(i) औद्योगिक अशाँति के कारण सेवाओं में बार-बार बिघ्न :

(ii) वेतन में काफी वृद्धि;

(iii) तीन एफ-27 विमानों का नष्ट होना;

(iv) विमान ईंधन पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि;

(v) पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान को बचाने के लिए कतिपय सेवाओं का पुन: मार्ग निर्धारण और कुछ का रद्द किया जाना; और

(vi) विमानों के बलादपहरण के खातरों के लिए बीमें की दरों में वृद्धि। सभी परिहार्य व्यय से बचने के लिए मितव्ययिता के उपाय किये जा चुके हैं; और विमानों का अधिकतम उपयोग करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

वित्तीय संकटों के बारे में सोशलिस्ट पार्टी का सुझाव

1844. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गम्भीर वित्तीय संकटों का मुकाबला करने के लिये सोशलिस्ट पार्टी ने केन्द्र सरकार को एक सात-सूत्रीय योजना सुझायी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि सम्मानित सदन को विदित है, सरकार ने, प्रशासनिक व्यय में कमी करने, कृषि पर सम्पत्ति कर लगाने तथा उचित मूल्यों/राशन की दुकानों के माध्यम से अनाज की वितरण करने के सम्बन्ध में पहले से ही कदम उठाये हैं। बंगला देश से आये शरणार्थियों के व्यय को पूरा करने के लिये साधन जुटाने के प्रयोजन से, सरकार ने अभी हाल में कई कर लगाये हैं। आय-कर की बकाया रकम को वसूल करने के काम को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हाल में पिछले महीने मुख्य मंत्रियों तथा राज्यपालों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें यह निश्चय किया गया कि कृषि सम्बन्धी आय-कर के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाये। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्रत्येक पार्टी की 25 लाख रुपये से अधिक की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की उचित रूप से जांच पड़ताल करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कई उपाय किये हैं।

बम्बई हवाई अड्डे के कुछ वरिष्ट कर्मचारियों का तबादला

1845. श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बम्बई हवाई अड्डे के किन्हीं वरिष्ठ कर्मचारियों का तबादला किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके तबादलों के कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रशासनिक कारणों से।

उचित दर की दुकानों से अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण

1846. श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में वृद्धि पर नियन्त्रण करने के विचार से सरकार का अत्यावश्यक वस्तुओं का उचित दर की दुकानों से वितरण आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) मुख्य अनाज पहले ही उचित मूल्य/राशन की दुकानों के माध्याम से वितरित किये जा रहे हैं। अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं को इन दुकानों के माध्यम से वितरित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकें, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी भण्डार खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कोचीन हवाई अड्डे में पट्टी का विस्तार करने के बारे में तकनीकी समिति के निष्कर्ष

1847. श्री वयालार रवि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन हवाई अड्डे में हवाई पट्टी के विस्तार के बारे में तकनीकी समिति की ओर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कोचीन हवाई अड्डे के धावनपथ के विस्तार के प्रश्न की नागर विमानन विभाग द्वारा जांच की गई है। बहुत सी बाधाओं के विद्यमान होने के कारण धावनपथ के विस्तार का कार्य हाथ में नहीं लिया गया है।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा की गई कथित जालसाजी

1848. डा० रानेन सेन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के आन्तरिक लेखा परीक्षक ने न्यू रोहतक रोड स्थित शाखा कार्यालय की 1970 में लेखा परीक्षा की तथा छः लाख रुपयों की जालसाजी पकड़ी;

(ख) क्या बाद में मुख्य कार्यालय ने श्री एम० माधव नामक अन्य अधिकारी को इस जालसाजी की अग्रेतर जांच करने के लिए भेजा;

(ग) यदि हां, तो जांच का स्वरूप क्या है; और

(घ) इस कार्य में किन व्यक्तियों का हाथ है तथा उनके विकटवध क्याकार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ बीकानेर जयपुर के आन्तरिक लेखा परीक्षक ने, जिसने अप्रैल-मई 1970 में इस बैंक की न्यू रोहतक रोड स्थित शाखा की लेखा परीक्षा की थी, रिपोर्ट दी कि विभिन्न छोटे पैमाने के एककों से खरीदे गये कुल मिलाकर 2.62 लाख रुपये मूल्य के प्रलेखी मांग बिल, जिनका मूल्य बाद में बढ़कर 4.32 लाख रुपये हो गया था और जो बिना भुगतान के वापस लौट आये थे शाखा के द्वारा अपने पास रख लिये गये थे। बैंक के कथनानुसार यद्यपि इसमें गम्भीर अनियमितताएं और कार्यविधि सम्बन्धी भूलें अवश्य हुई हैं परन्तु शाखा के कर्मचारियों की ओर से कोई कपट या असद्भावपूर्ण आशय प्रतीत नहीं होता है।

बैंक की सुरक्षा के लिए कदम उठाने और उपयुक्त पुनर्अदायगी कार्यक्रम तैयार करने के लिए बैंक का एक विकास अधिकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। सूचना मिली है कि पिछले वर्ष में बकाया रकमें घट कर 2.31 लाख रुपये रह गयी हैं। बैंक ने रिपोर्ट दी है कि स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की एक शाखा से जाली हुण्डियों का भुनाया जाना

1849. डा० रानेन सैन : क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की न्यू रोहतक रोड शाखा की कुछ पार्टियों ने कुछ जाली पार्टियों के नाम से जाली हुण्डियां भुनायीं;

(ख) जालसाजी में शामिल पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या बैंक में हुई इस जालसाजी के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के आंतरिक लेखा-परीक्षक ने, जिसने अप्रैल मई 1971 में बैंक की न्यू रोहतक रोड शाखा के लेखों की जांच की थी रिपोर्ट दी है कि विभिन्न लघु एककों से खरीदे गए लगभग 2.62 लाख रुपये के मूल्य के प्रलेखी माँग बिल (हुन्डियाँ), जिनका मूल्य बाद में बढ़कर 4.32 लाख रुपये हो गया था और जो बिना भुगतान के वापस लौट आए थे, शाखा द्वारा अपने पास रख लिए गये थे। बैंक ने सूचित किया है कि प्रलेखी-मांग बिल प्रत्यक्षतः सामान की वास्तविक आवाजाही से सम्बन्धित थे। बैंक के कथनानुसार यद्यपि अनियमितताएं और कार्यविधि सम्बन्धी भूलें अवश्य हुई हैं किन्तु शाखा के कर्मचारियों की तरफ से कोई कपट अथवा असद्भावपूर्ण आशय प्रतीत नहीं होता। भारतीय स्टेट बैंक ने अग्रिमों सम्बन्धी अनियमितताओं में सुधार करने के प्रश्न पर सहायक बैंक के साथ विचार-विमर्श किया है।

बाबतपुर हवाई अड्डे के आस-पास की भूमि को वापिस देना

1851. श्री राजदेव सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 1969 में बाबतपुर हवाई अड्डे के आस-पास फालतू भूमि को उनके किसान मालिकों को वापिस देना स्वीकार कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि वापिस कर दी गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और फालतू भूमि कब तक वापिस कर दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नागर विमानन के महा-निदेशक ने निर्णय किया था कि बाबतपुर विमानक्षेत्र पर कच्चे धावनपथ के उत्तर व दक्षिण की ओर की भूमि को (जो कि परिचालन-बाड़ का पुनः संरक्षण करने पर फालतू हो गयी थी) खेती करने के लिए दे दिया जाये।

(ख) भूमि को अभी तक पट्टे पर नहीं दिया गया है क्योंकि इसके मूल कृषकों ने अपने दावों के समर्थन में राजस्व प्राधिकारियों से विधिवत् सत्यापित किये हुये भूमि-विलेख अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं, और इसलिए भी क्योंकि परिचालन बाड़ के वास्तविक पुनः संरक्षण का कार्य प्रगति पर था।

इन्डियन एयरलाइन्स में बढ़ती हुई जन-घण्टों की हानि की जांच

1852. श्री के० मालन्ना : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में इंडियन एलरलाइंस में जन-घण्टों की हानि में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इससे पहले दो वर्षों की तुलना में यह हानि कितनी न्यूनाधिक है; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक समिति के द्वारा बढ़ती हुई जन-घंटों की हानि के कारणों की जांच करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1967-68 से अब तक की अवधि के दौरान हुई जन-दिवसों की हानि की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	हड़तालों के कारण	तालाबंदी के कारण
1967-68	3,1919	—
1968-69	52.5	—
1969-70	15,302	—
1970-71	22,086	1,76,962
1971-72 (31 अक्तूबर, 1971 तक)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ग) जी, नहीं। सेन समिति के विचारणीय विषयों में से एक यह था कि इण्डियन एयर-लाइन्स की कार्मिक नीतियों तथा कार्य-प्रणालियों की जांच करें। समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

एयर इन्डिया के लाभ में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही

1853. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1971 के समाचार पत्र 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में कार्य कर रही विदेशी विमान-सेवा कम्पनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कदाचार किए जाने के परिणामस्वरूप एयर इंडिया को भारी हानि उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी विमान सेवा कम्पनियों के कार्यों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और एयर इंडिया के लाभ में वृद्धि करने हेतु इन कदाचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के प्रवर्तन संगठन द्वारा, तथा हमारे अपने सतर्कता संगठन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

नांगल उर्वरक कारखाने को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

1854. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने नांगल उर्वरक कारखाने को तेल से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायसा देना स्वीकार कर लिया है जिससे बिजली की बचत सुनिश्चित हो सकेगी; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा किए गए प्रस्तावों की मुख्य रूप रेखा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) और (ख) विश्व बैंक नांगल उर्वरक कारखाने के विस्तार कार्यक्रम की संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। इस संबन्ध में अन्तिम ब्यौरों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

धौलपुर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1855. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से धौलपुर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अनुरोध पर विचार किया गया है और यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से उत्तर पश्चिम शोधनशाला को राजस्थान में किसी स्थान पर स्थापित करने का अनुरोध किया है किन्तु नगर पालिका, नगर कांग्रेस कमेटी तथा धौलपुर की जिला कांग्रेस कमेटी और राजस्थान विधान सभा के एक सदस्य ने सरकार को धौलपुर में एक तेल शोधनशाला स्थापित करने का अनुरोध किया है।

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा पूर्व पश्चिम क्षेत्र में शोधनशाला की स्थापना के लिए एक संभाव्य रिपोर्ट तैयार की गई है। इस समय इस पर सरकार विचार कर रही है और शोधनशाला के स्थान के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए राज्यों द्वारा कर लगाना

1856. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थियों के लिए राहत कार्य को ध्यान में रखते हुए देश के सभी राज्यों में नए कर लगाने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) और (ख) बंगला देश से आये शरणार्थियों के राहत कार्यों के लिए साधन जुटाने के उद्देश्य से अब तक सात राज्यों अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नए कर लगाने की घोषणा की है। ये कर मनोरंजनकर, बिक्री कर, बस किरायों के कर, मोटर गाड़ियों के कर, तथा दस्तावेजों के स्टाम्प शुल्क पर अतिरिक्त कर/शुल्क/अधिभार और लाटरी की टिकटों आदि के मूल्य पर अधिमार के रूप में लगाये गए हैं।

हल्दिया में मैथानल के उत्पादन के लिए परियोजना की स्थापना

1857. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया में मैथानल के उत्पादन के लिए एक परियोजना बनाने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) और (ख) नाइट्रोफास्फेट एवं यूरिया उर्वरक, सोडा राख तथा मेथेनोल के उत्पादन के लिए, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में एक उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना करने की हाल ही में अनुमति दे दी है। प्रतिवर्ष 41,250 (इकतालीस हजार दो सौ पचास) मीटरी टन मेथेनोल के उत्पादन की योजना है और इस कारखाने के 1975-76 में उत्पादन शुरू कर देने की आशा है।

इंडियन एयरलाइन्स को अधिक बोइंग विमान खरीदने की योजना

1858. श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री डी० के० पंडा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की निकट भविष्य में कुछ अधिक बोइंग विमान खरीदने की योजना है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स का प्रबन्धकवर्ग चालू दशक के दौरान अपने बेड़े की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन कर रहा है तथा उसने सरकार को अपनी सिफारिशें अभी प्रस्तुत करनी हैं

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उपेक्षित वर्गों के लिए ऋण की वृद्धि-दर

1859. श्री बी० के० दास चौधरी :
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए ऋण की वृद्धि-दर में कुछ कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को वर्ष-बार कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण के बाद दूसरे वर्ष में अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों की वृद्धि की दर में कुछ कमी आई है। राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद कुछ बैंकों ने दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में ऋण दिया था इसका परिणाम यह हुआ कि वे ऋणों के उपयोग का प्रभावकारी ढंग से पर्यवेक्षण नहीं कर सके। स्वभावतः बैंक, उपयुक्त पर्यवेक्षण और ऋणों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा इन क्षेत्रों को ऋण देने के स्तर में सुधार करने के इच्छुक थे। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को, इन क्षेत्रों में ऋण देने में और तेजी लाने के लिए संगठन सम्बन्धी आवश्यक क्षमता बनानी पड़ी।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और ऐसे ही अन्य उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों तथा जून, 1969, जून, 1970 और जून, 1971 में ऋण खातों की संख्या की एक सारणी संलग्न है।

विवरण

कृषि और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम

(राशि लाख रुपयों में)

	जून, 1969		जून, 1970		जून, 1971	
	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
	1	2	3	4	5	6
1. कृषि						
(क) प्रत्यक्ष वित्त (बागानों को छोड़ कर)	171880	38,02.01	615952	153,44.6	805735	197,55.3
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	4756	122,32.5	18846	139,07.6	23691	132,88.1
2. लघु उद्योग	73987	251,45.8	121057	369,89.0	139453	439,87.5
3. सड़क परिवहन चालक	2527	6,69.0	12690	24,73.6	23069	39,78.2
4. फुटकर व्यापार और लघु व्यवसाय	28037	19,22.2	125748	64,86.6	146398	72,65.9
5. व्यवसायिक और आत्म नियोजित व्यक्ति	422	33.1	28879	674.9	41109	8,53.2
6. शिक्षा	594	45.6	4995	2,06.8	7042	3,58.6
जोड़ (एक से छः तक)	282203	438,50.2	928167	760,83.1	1186497	894,96.8

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम को होटल, मोटल और पर्यटकों के लिये आवास का निर्माण करने हेतु भूमि देने की पेशकश

1860. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में होटल-मोटल और पर्यटकों के लिए आवास गृहों का निर्माण करने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम को भूमि देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार और भारत पर्यटन विकास निगम के बीच कुछ पत्र व्यवहार हुआ है। परन्तु क्योंकि निगम की चौथी योजना में मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में इस उद्देश्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मामले को आगे नहीं चलाया गया है।

भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्ताव

1861. श्री पी० के० देव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की आशा रखती है;

(ख) क्या अधिकांश पर्यटक मध्यम आय वर्ग के होंगे;

(ग) क्या इस वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) अधिक सस्ते विमान किराये प्रचालित करने, सम्मिलित पर्यटन किराये जारी करने और भारत के लिए चार्टर विमान सेवा को अधिक उदार करने से पर्यटक मार्केट के आधार का विस्तार करने में सहायता मिलेगी, जिससे मध्य-आय वर्ग के लिये पर्यटकों के भारत आगमन और अधिक सम्भव हो जायेगा।

सीमाशल्क गृहों में मोटरगाड़ी ड्राइवर

1862. श्री एम० के० कृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता बम्बई, मद्रास, कोचीन, गोआ और विशाखापटनम स्थित विभिन्न सीमा शुल्क गृहों में कुल कितनी कार/बैन ड्राइवर हैं;

(ख) विभिन्न सीमाशुल्क गृहों में इन ड्राइवरों के लिए सामान्यतः कुल कितने घंटे कार्य करना निर्धारित है और ये कर्मचारी कुल कितने घण्टे कार्य करने के पश्चात समयोपरि भत्ता लेने के हकदार हो सकते हैं;

(ग) क्या विभिन्न सीमाशुल्क गृहों में कार्य कर रहे कार/वैन ड्राइवरों तथा निवारक विभाग के सिपाहियों और अधिकारियों के कार्य के घंटों तथा समयोपरि भत्ता दिये जाने संबंधी ग्राहयता के बारे में कोई अन्तर है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) विभागीय मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है:—

कलकत्ता	10	कोचीन	3
बम्बई	14	गोआ	6
मद्रास	13	विशाखापत्तनम्	1

(ख) काम के कुल घंटे प्रतिदिन 9 होते हैं जिसमें आधे घंटे का मध्यावकाश शामिल होता है। इसके पश्चात् उन्हें समयोपरि भत्ते का हकदार बनने से पहले बिना समयोपरि भत्ते के एक घण्टा कार्य करना पड़ता है।

(ग) जी हां।

(घ) सीमाशुल्क विभाग ने सीमाशुल्क निवारक कर्मचारी वर्ग और सिपाहियों के विपरीत मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों का कार्य सविराम ढंग का होता है और इसलिए उनके कार्य के घण्टे और समयोपरि भत्ते संबंधी नियम एक से नहीं हैं। फिर भी इस प्रश्न की पुनः जांच किये जाने का विचार है।

सीमाशुल्क विभाग के कार्यालय से बाहर कार्य करने वाले सिपाहियों का पुनर्गठन करने के लिये सीमाशुल्क अध्ययन दल की सिफारिश

1863. श्री एम के कृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अध्ययन दल ने सीमा सुरक्षा दल के अनुरूप सीमा शुल्क विभाग के कार्यालय से बाहर कार्य करने वाले सिपाहियों के कैडर का पुनर्गठन करने के लिये सिफारिश की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सीमाशुल्क कर्मचारी फैडरेशन ने कोइ विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क अध्ययन दल ने सिफारिश की थी कि बहिरंग सिपाहियों के वेतन मानों और पदोन्नति संभावनाओं को सीमा पुलिस के अनुरूप समुन्नत बनाना चाहिए।

(ख) जी, हां।

सीमा शुल्क विभाग के लिए सहायक कलैक्टर

1864. श्री एम० के० कृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसरण में तथा किसी और कारण से सरकार ने गत दो वर्षों में सीमा शुल्क विभाग के लिए सहायक कलैक्टरों के कितने अतिरिक्त पद बनाये हैं;

(ख) उपर्युक्त अतिरिक्त पदों के बनाये जाने के कारण प्रथम श्रेणी संवर्ग के लिये अतिरिक्त आवर्ती संस्थापना व्यय क्या है; और

(ग) सीमा शुल्क अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार सीमा सुरक्षा दल के अनुरूप सीमा शुल्क विभाग में चौथी श्रेणी के सिपाही संवर्ग के पुनर्गठन के लिये कितना प्रशासनिक व्यय करना पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमा शुल्क अध्ययन दल की सिफारिशों पर बनाए गए पद :—

(i) प्रधान मूल्यांककों के 62 पदों और मुख्य निरीक्षकों, अपर मुख्य निरीक्षकों के 10 पदों की एवज में सहायक सीमा शुल्क समाहर्ताओं के 70 पद ।

(ii) राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय में सहायक समाहर्ताओं के चार पद ।

अन्यथा बनाए गए पद

(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक, श्रेणी-1 का पद समाप्त करके विभाग सीमा शुल्क गृह के लिए सहायक समाहर्ता का एक पद ।

(iv) बम्बई सीमा गृह में सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता का एक पद ।

(ख) ऊपर (i) और (iii) में उल्लिखित पदों के निर्माण में कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं था । (ii) और (iv) में उल्लिखित पदों के निर्माण में 50,000 रुपये साल का अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त था ।

चूंकि राजस्व गुप्त सूचना निदेशालय अब कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इस लिए ऊपर (ii) में उल्लिखित 4 पदों का खर्चा सीमा शुल्क विभाग को नहीं उठाना पड़ता । इस प्रकार, सीमा शुल्क विभाग को केवल 10,000 रुपये साल का आवर्तक व्यय उठाना पड़ता है ।

(ग) सीमा शुल्क अध्ययन दल ने सिफारिश की कि निवारक संगठन में बहिरंग सिपाहियों के महत्व को मान्यता मिलनी चाहिए और उनके वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों में सीमा पुलिस की तरह सुधार किया जाना चाहिए ।

सीमा शुल्क विभाग में श्रेणी iv के सिपाही संवर्ग को सीमा पुलिस के आधार पर पुनर्गठित किये जाने की दशा में होने वाले प्रशासनिक व्यय का हिसाब लगाया जा रहा है और सदन की मेज पर रखा जाएगा ।

ईरान और पाकिस्तान द्वारा हिन्द महासागर में संयुक्त युद्ध अभ्यास

1865. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और पाकिस्तान की नौसेना ने हाल में हिन्द महासागार में संयुक्त रूप से युद्ध के अभ्यास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अभ्यास कब किये गये; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) ईरानी तथा पाकिस्तानी नौसेना ने समय समय पर संयुक्त अभ्यास किये हैं । अभी हाल में जनवरी तथा सितम्बर, 1971 में ऐसे अभ्यास किए गए थे । अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ नहीं है ।

करों की वसूली के लिए नए उपाय

1865. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री पी० एम० मेहता :
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करदाताओं को स्थायी लेखा-संख्या दे कर करों की वसूली के लिए एक नई योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब लागू की जायेगी !

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) आयकर निर्धारितियों तथा उनके कर-निर्धारण सम्बन्धी रिकार्डों की शिनाख्त के लिये, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद तथा बंगलौर के कुछ आयकर कार्यालयों में, 3 नवम्बर, 1971 से "स्थायी लेखा क्रमांक" प्रणाली लागू की गई है । यह क्रमांक प्रत्येक करदाता के लिए, स्थायी रूप से अपरिवर्तित रहेगा, भले ही उसका स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहे । इस प्रणाली का उद्देश्य उन कतिपय कठिनाइयों को हटाना है जिनका आविर्भाव घटते बढ़ते "सामान्य सूचक क्रमांकों" की वर्तमान प्रणाली से होता है और विशेषकर तब जब कि किसी करदाता का मामला एक स्थान से दूसरे स्थान को अन्तरित हो जाता है । इससे, किसी भी करदाता से सम्बन्धित विभिन्न दस्तावेजों को, आयकर कार्यालय में पड़ी उसकी सम्बन्धित फाइल के साथ शीघ्र सम्बद्ध करने में सुगमता होगी और इस प्रकार आयकर अधिकारी को, कर-निर्धारिती के कर विषयक मामलों पर अधिक शीघ्रतापूर्वक विचार करने में सुविधा होगी ।

2. स्थायी लेखा क्रमाँक में 10,00,00,000 से 49,99,99,999 की सीरीज में नौ अंक होंगे । इसके अन्तर्गत, आगामी वर्षों में होने वाली कर-दाताओं की संख्या में सभी सम्भावित अभिवृद्धियां समाविष्ट हो जाएंगी ।

3. प्रतिनिधि कर-निर्धारितयों (जैसे गैर-निवासी कर निर्धारितियों के न्यासी अथवा अधिकर्ता) में "स्थायी लेखा क्रमांक" का आवंटन करने में किसी भी प्रकार की सम्भावित गड़बड़

नहीं हो, इस दृष्टि से आठ अंकों की एक पृथक सीरीज के उपयोग किये जाने का विचार है।

4. 31 मार्च 1972 तक, वर्तमान परीक्षण का संचालन करने, और इस प्रकार अर्जित अनुभव के आधार पर, अगले वित्तीय वर्ष के प्रथमार्द्ध में, इस प्रणाली को देश के सभी आयकर कार्यालयों में लागू करने का इरादा है।

5. स्रोत पर कर की कटौती करने और कर-अपवंचन को रोकने के लिए, इस प्रणाली की उपयोगिता पर बाद में विचार किया जायेगा।

सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1867. श्री पोलू मोदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्त बना रही है; और

(ख) क्या ये मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी कर दिये गये है और यदि हाँ, तो उनका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) विविध बीमा की निधियों के निवेश के सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल ही में जारी किये गये निर्देशक सिद्धान्त नीचे लिखे अनुसार हैं:—

बीमा कम्पनियों की निधियों के सभी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे;

(i) सभी नये निवेश अनुमोदित निवेशों में ही किये जाने चाहिए, लेकिन गैर अनुमोदित निवेशों में निवेश सरकार को पूर्व अनुमति से किये जा सकते हैं।

(ii) उपलब्ध निधियों का कम से कम 40 प्रतिशत निवेश ऐसी प्रतिभूतियों में होना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गयी अथवा प्रत्याभूत हों।

(iii) शेष निधियों का निवेश डिबेंचर्स, तरजीही शेयरों तथा साधारण शेयरों और अन्य निवेशों में किया जा सकता है, जैसे भूमि एवं गृह परिसम्पत्तियां तथा बंधक रख कर जारी किये गये ऋण। परन्तु, साधारण शेयरों में निवेश कुल नए निवेशों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iv) भूमि और गृह परिसम्पत्तियों तथा बंधक रख कर दिये जाने वाले ऋणों में निवेश, सरकार को पूर्व स्वीकृति से ही किये जाने चाहिए।

(v) निवेश सम्बन्धी सभी प्रस्ताव अभिरक्षकों की सलाहकार समिति के सम्मुख रखे जाने चाहिए और उसके द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। लेकिन आपत्काल में, निवेश समन्वयकारी अभिरक्षक के साथ परामर्श करके किये जा सकते हैं।

(vi) 25 लाख रुपये से अधिक के किसी भी निवेश के लिए अथवा जब नए निवेश के कारण किसी विशष कारोबार में किये गए निवेश की कुल रकम 25 लाख रुपये से अधिक हो जाती हो तो सरकार से पूर्व स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिए।

(vii) किसी भी निवेश की बिक्री के लिए वे ही शर्तें और सीमाएं लागू होती है, जो नए निवेशों के लिए हैं ।

(viii) प्रत्येक निवेश पर विचार उसके गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए और उस निर्णय पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि उससे बीमा कारोबार प्राप्त होता है ।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि

1868. श्री पीलू मोदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रह रहे भारतीयों से देश में प्रतिवर्ष औसतन कुल कितनी धन राशि प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या देश में भेजी जाने वाली यह राशि उत्तरोत्तर कम होती जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 6 अक्तूबर, 1971 के "दि स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रह रहे भारतीयों से प्रतिवर्ष औसतन अनुमानतः 2.1 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं ।

(ख) प्राप्त होने वाली इन रकमों में कुछ कमी हुई है । यह कमी मुख्यतः स्थानीय विदेशी मुद्रा नियन्त्रण प्राधिकारियों द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने तथा इन रकमों को अनधिकृत माध्यमों को भेज़ने के कारण हुई है ।

(ग) तथा (घ) लेखों में बताए गए तरीकों से सरकार परिचित है तथा इस समस्या को कारगर ढंग से हल करने के लिए सरकार ने बहुत से वैधानिक प्रशासनिक तथा अन्य उपाय किये हैं ।

औद्योगिक वित्त निगम के लाभ तथा हानि

1869. श्री पीलू मोदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में औद्योगिक वित्त निगम को कितना लाभ तथा हानि हुई है; और

(ख) गत दो वर्षों में औद्योगिक वित्त निगम ने कितने उद्योगों को सहायता दी थी और यह सहायता किस आधार पर दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1969-70 और 1970-71 (जुलाई-जून) में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को क्रमशः 1.96 करोड़ रुपये और 2.10 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ ।

(ख) केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां तथा भारत में नियमित अथवा पंजीकृत सहकारी समितियाँ ही निगम से वित्तीय सहायता पाने की पात्र हैं। किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा प्रवर्तित प्रायोजना के तकनीकी, वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा आर्थिक पहलुओं के विस्तृत मूल्यांकन के बाद ही निगम उस कम्पनी अथवा सहकारी समिति को दीर्घावधिक वित्तीय सहायता देता है। 1969-70 और 1970-71 (जुलाई से जून) के दो वर्षों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को निगम द्वारा स्वीकृत और वितरित दीर्घावधिक वित्तीय सहायता को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	1969-70		1970-71	
	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
चीनी	465.00	342.00	829.00	594.00
निर्मित खाद्य वस्तुएंसब्जियों और फलों को डिब्बों में बंद करना और उनका परिष्करण	—	—	15.90	1.32
वस्त्रोद्योग	335.00	297.84	273.06	206.10
जूट	150.45	187.52	—	121.68
संश्लिष्ट रेशे	169.11	—	532.35	29.28
लकड़ी और कार्क	—	1.73	10.00	—
कागज	53.77	99.70	40.22	107.27
रबड़ से बनी वस्तुयें	77.27	128.80	—	99.72
बुनियादी रसायन	30.00	78.78	56.78	52.44
उर्वरक	75.00	38.73	5.60	30.10
विविध रासायनिक पदार्थ	43.50	116.08	70.00	90.52
कांच	58.00	0.28	—	23.07
वनास्पति और पशुजन्यतेल तथा चर्बी	—	—	32.00	17.00
मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी और सादी मिट्टी के बर्तन	30.00	4.77	—	54.22
सीमेंट	50.00	79.90	50.00	60.00
लोहा और इस्पात	—	—	478.75	37.85
अलौह धातुयें	172.91	82.83	170.00	1.85
धात्विक उत्पाद	87.55	89.61	244.40	74.54

मशीनें	21.89	39.72	95.15	23.09
बिजली की मशीनें	58.63	48.68	298.79	48.21
रेल सड़क उपकरण	—	0.50	—	—
मोटर गाड़ियां	53.66	18.91	239.54	29.16
बाइसिकलें	—	15.00	4.58	11.20
होटल	6.00	48.85	15.00	15.00
कोयला	—	—	32.00	—
बिजली गैस और भाप	—	—	8.99	16.95
विविध निर्माणकारी उद्योग	—	84.73	—	8.61
जोड़	1937.74	1805.07	3532.11	1752.22

टिप्पणी:—वितरित की गयी रकमों में पहले की मंजूरियों के सम्बन्ध में वितरित की गई रकमें भी शामिल हैं।

हलवाड़ा से सैन्य नक्शों की चोरी

1870. श्री अमर नाथ चावला : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना जिले में हलवाड़ा स्थिति हवाई अड्डे के कार्यालय से कतिपय महत्वपूर्ण सैनिक मानचित्रों की चोरी हो गई थी;

(ख) क्या इन मानचित्रों को बाद में बरामद कर लिया गया था;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु महत्वपूर्ण सैनिक संगठनों में कार्य कर रहे व्यक्तियों की जांच करने के लिए क्या प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षामंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क)से(घ) एक ब्लू प्रिंट जो एम० इ० एस० के कार्यालय से गायब हो गयी थी, दूसरे ही दिन बरामद कर ली गई थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

छोटी बचत के लिए प्रोत्साहन

1871. श्री अमरनाथ चावला :

श्री सतपाल कपूर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत अन्तर्राष्ट्रीय बचत संस्थान में सम्मिलित हो गया है;

(ख) क्या पहली नवम्बर, 1971 को विश्व मितव्यय दिवस मनाया गया था; और

(ग) बचत करने की आदत बढ़ाने तथा विकास की आवश्यकताओं और बंगला देश से

आये शरणार्थियों पर हो रहे व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु सरकार का क्या विशिष्ट प्रोत्साहन योजनायें आरम्भ करने का विचार है ?

वित्तमंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारत इस वर्ष जिनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय बचत बैंक संस्थान (इण्टरनेशनल सेविंग्स बैंक इस्टीट्यूट) का सदस्य बन गया है।

(ख) 31 अक्तूबर, 1971 को देश भर में सभी राज्यों की राजधानियों, जिलों और खंडों के मुख्यालयों में विश्व मितव्यय दिवस मनाया गया था। दिल्ली में, राष्ट्रपति ने विश्व मितव्यय दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक-टिकट जारी किया था।

(ग) बंगला देश के शरणार्थियों के व्यय के कारण अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक अल्प-बचत के संग्रह के लिए कई उपाय और प्रोत्साहन पहले ही आरम्भ किये जा चुके हैं। सात वर्षीय राष्ट्रीय जमा-पत्रों (चतुर्थ निर्गम), आवर्ती जमा, सावधि जमा और डाक घर बचत बैंक जमा के ब्याज की दरें जनवरी, 1971 में बढ़ा दी गयी थीं। 1—8—1971 से 3 वर्षीय और 5 वर्षीय सावधि जमा खातों में जमा करायी गयी सभी नई राशियों पर शाखा डाकपालों को एक प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। उनके कार्यालयों में खोले गये डाक घर बचत खातों में पिछले वर्ष जमा हुई शुद्ध राशि की तुलना में वर्ष के अन्त में जितनी अधिक शुद्ध वृद्धि होगी, जिसमें ब्याज शामिल नहीं किया जायेगा और जो 500 रु० से कम नहीं होनी चाहिए, उस पर भी उन्हें एक प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा।

अब राज्य सरकारों को अल्प बचतों के शुद्ध संग्रह के $66\frac{2}{3}$ से अधिक अल्प बचतों सम्बन्धी ऋण प्राप्त करने का अधिकार है बशर्ते कि किसी राज्य में सकल संग्रह के अनुपात में शुद्ध-संग्रह की प्रतिशतता, सकल-संग्रह के अनुपात में शुद्ध-संग्रह के राष्ट्रीय औसत से कम से कम 5 प्रतिशत अधिक हो।

31 अक्टूबर, 1971 से शुरू होने वाले अल्प-बचत अभियान की अवधि के दौरान प्रत्येक खंड में अधिकतम संग्रह करने वाली ग्राम पंचायत के सरपंच या प्रमुख को भी पुरस्कार देने का प्रस्ताव है।

राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकाला जाना

1872. श्री अमरनाथ चावला : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने जून 1971 के अन्त तक कुल कितना धन अपनी जमा राशि से अधिक निकाला है; और राज्यवार उनके आंकड़े क्या हैं; और

(ख) सरकार का विचार केन्द्रीय स्तर पर ऐसी क्या कार्यवाही करने का है जिससे सभी स्थानों में मितव्ययिता लाई जा सके और गैर आवश्यक व्यय में कमी की जा सके और इससे स्थिति में कहां तक सुधार होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) हाल ही में उन राज्यों के साथ बातचीत की गई है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से जमा राशि से अधिक धन (ओवरड्राफ्ट) निकाला है। राज्य सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि जमा राशि से अधिक धन की निकासी में कमी करने के लिए अनेक कदम उठाने आवश्यक होंगे

जिनमें खर्च में कमी करना और अतिरिक्त साधन जुटाना शामिल है। इस सम्बन्ध में राज्य-सरकारों द्वारा जो उपाय किये जाएंगे उनके प्रभाव का अनुमान लगाने का अभी समय नहीं हुआ है।

विवरण

28-6-1971 को राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन की निकासी		**(करोड़ रु० में)**
1	आन्ध्र प्रदेश	41.95
2	असम	20.91
3	बिहार	25.47
4	हरियाणा	35.40
5	केरल	18.68
6	महाराष्ट्र	31.10
7	मैसूर	29.68
8	राजस्थान	87.97
9	तमिलनाडु	71.76
10	पश्चिम बंगाल	8.37
	जोड़	371.29

चोरी-छिपे लाई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना

1873. श्री अमरनाथ चावला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में देश के विभिन्न भागों से स्वर्ण के अतिरिक्त घड़ी और कपड़ा जैसी चोरी छिपे लाई गई कितनी वस्तुएं पकड़ी गई तथा उनका मूल्य क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) क्या तस्करी की ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तस्करी की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है; और

(ङ) क्या तस्करी करने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिए जाने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो दण्ड का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल से सितम्बर 1971 तक की अवधि में पकड़े गये निषिद्ध माल (सोने से भिन्न) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	मात्रा	मूल्य (लाख रुपयों में) भारतीय बाजार दर पर
(1) (भारत) में आने वाला माल		
घड़ियां	2,20,336	218
संश्लिष्ट तन्तु तथा सूती वस्त्र		298
अन्य वस्तुएं		232
(2) (भारत) से बाहर जाने वाला माल		
चांदी	3798 किलोग्राम	22
घातक औषधियां		123
(3) वाहन और बर्तन		46
(4) मुद्रा		68
	जोड़	1007

(ख) इस सिलसिले में 1250 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए।

(ग) निषिद्ध माल पकड़े जाने के आंकड़ों के आधार पर देश में तस्कर आयात-निर्यात के के मामलों की वृद्धि के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में पकड़े गए निषिद्ध माल (सोने से भिन्न) का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	सोने के भिन्न माल, मूल्य लाख रुपयों में (भारतीय बाजार दर)
1968	1606
1969	1971
1970	1779

(घ) तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गए उपाय इस प्रकार हैं :— व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन नौकाओं और वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की जांच की व्यवस्था। प्रभावशाली-ढंग से रोकने, निवारण करने के लिए समय समय पर अतिरिक्त नौकाओं और मोटर गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है। सीमा शुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर विरोधी कार्य की देखभाल करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात निर्यात को रोकने तथा उनको रोकने के कार्य की सुवि-

धाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 को संशोधित करके अतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ङ) तस्कर अपराधों के लिए सीमाशुल्क अधिनियम में अत्यन्त कठोर दंडों की व्यवस्था है। माल की तस्करी करने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर माल जब्त किए जाने के अतिरिक्त माल के मूल्य के पांच गुना तक का दंड लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत इस्तगासे की कार्यवाही किए जाने पर तस्कर व्यापारी को दो वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है। जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 123 लागू होती है अर्थात सोना, हीरे, सोने और हीरे की निर्मितियां, घड़िया, प्रसाधन-सामग्री, मेकेनिकल लाइटर और उनके लिए चकमक पत्थर, ताश, ब्लेड, सिगरेट, ट्रांजिस्टर और डायओड्स, संश्लिष्ट सूत और धातु सूत, पूर्णतः अथवा मुख्यतः संश्लिस्ट सूत से बने कपड़े उनके सम्बन्ध में यदि तस्कर आयात किये गए माल का भारतीय बाजार मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो तो पांच वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है साथ ही छः महीने के न्यूनतम कारावास की व्यवस्था भी है।

पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कर अपवंचन

1874. श्री प्रिय रन्जन दास मुन्शी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और राजस्थान की कौन सी फर्म कर अपवंचन कर रही है और कितनी राशि का कर अपवंचन किया गया; और

(ख) धन के उगाहने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ष कर अपवंचन करते पाए गए व्यक्तियों की संख्या हजारों में होती है। वित्तीय वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में आय छिपाने के कारण जिन व्यक्तियों पर पश्चिम बंगाल में दंड लगाया गया, उनकी संख्या क्रमशः 276 तथा 4176 थी। राजस्थान के मामले में उन्ही वर्षों में क्रमशः 1480 तथा 2239 व्यक्तियों पर दंड लगाया गया।

जिन व्यक्तियों पर आय छिपाने के कारण 5000 रुपये से अधिक का दंड लगाया जाता है, उनके नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते है। पश्चिम बंगाल में जिन व्यक्तियों पर 5000 रुपये से ऊपर का दंड लगाया गया उनकी संख्या 1968-69 में 202 तथा 1969-70 में 187 थी। राजस्थान से तदनुरूपी संख्या क्रमशः 15 तथा 2 थी। यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए किसी वर्ष के सम्बन्ध से सूचना अपेक्षित हो तो वह दी जाएगी।

(ख) सभापटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

कर वसूली तंत्र को सुव्यवस्थित बनाने की दृष्टि से विभाग ने करों की शीघ्र वसूली के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक, कानूनी तथा कार्यकारी उपाय किए हैं:—

प्रशासनिक उपाय :

(i) वर्ष 1961 के पूर्व बकाया कर की वसूली का कार्य राज्य के प्राधिकारियों द्वारा

किया जाता था, जो राजस्व की वसूली में प्रायः पर्याप्त दिलचस्पी नहीं दिखा पाते थे। इसलिए, 1961 के अधिनियम में एक स्वयं-पूर्ण राजस्व संहिता समाविष्ट की गई जिसमें कर-वसूली अधिकारियों की व्यवस्था की गई, जो विभागीय अधिकारी हो सकते थे। विभागीय अधिकारियों ने आयकर-आयुक्तों के सभी अधिकार क्षेत्रों में कर-वसूली का कार्य पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अपने हाथ में ले लिया है।

(ii) निराक्षी सहायक आयकर आयुक्त के 105 रेंजों में कर्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना लागू करना जिसके अधीन करों की वसूली का कार्य रेंज के एक अथवा एक से अधिक आयकर अधिकारियों का विशिष्ट कर्तव्य बना दिया गया है।

(iii) विभाग द्वारा रेखित चैकों को स्वीकार किया जाना तथा इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी के लिए विशेष प्राप्ति काउन्टरों का खोला जाना।

(iv) ऐसे निर्धारितियों के नामों को प्रकाशित करना जिन्होंने किन्हीं निर्धारित सीमाओं से ऊपर करों की अदायगी नहीं की है।

(v) पूरे देश में बकाया बेबाकी पखवाड़े मनाए जा रहे हैं। इस अवधि में, अनिर्णीत समायोजनों/भूलसुधारों को पूरा करने, अपीलीय आदेश को कार्यान्वित करने तथा निर्धारितियों की तरफ बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(vi) कलकत्ता, केरल, दिल्ली, नागपुर तथा हैदराबाद में हाल ही में पांच कर-वसूली आयुक्त तैनात किये गये है। कर वसूली अधिकारियों पर प्रशासनिक अधिकार रखने के अतिरिक्त, उन्हें 1 जनवरी, 1972 से विभागीय कर-वसूली अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दायर की गई अपीलों की सुनवाई का अपीलीय अधिकार भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अपर आयकर-आयुक्तों को अनन्य रूप से वसूली का कार्य सौंप दिया गया है।

(vii) बकाया मांगों के निपटान के कार्य के लिए सरकार ने पिछले वर्ष आयकर अधिकारी (वसूली) के 60 पदों को मंजूरी दी थी।

कानूनी उपाय :

(i) आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत, उस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी निदेशकों को, कतिपय परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा देय कर के लिये जिम्मेवार बनाया गया है, जिसका समापन उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद हुआ हो।

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 230 के अन्तर्गत विदेश जाने वाले व्यक्तियों से कर बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहना।

(iii) 50,000 रुपये से अधिक की सम्पत्ति की बिक्री के लिए दस्तावेज का

पंजीकरण कराने के पूर्व, धारा 230-क के अन्तर्गत, बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

(iv) आयकर अधिनियम की धारा 221 के अन्तर्गत, चूक करने वाले करदाता पर 100 प्रतिशत तक दंड लगाना ।

(v) आयकर अधिनियम में एक स्वयं पूर्ण वसूली संहिता का समाविष्ट किया जाना, जिसके अन्तर्गत नीचे दिए किसी एक या एक से अधिक तरीकों द्वारा बकाया कर की वसूली की जा सकती है :—

(क) कर-निर्धारिती की चल-सम्पत्ति का अधिग्रहण और उसकी बिक्री;

(ख) कर-निर्धारिती की अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा उसकी बिक्री;

(ग) कर-निर्धारिती की चल तथा अचल सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए रिसीवर की नियुक्ति;

(घ) चूक कर्ता को गिरफ्तार करना तथा दीवानी जेल की हिरासत में रखना;

(vi) विलम्ब से की जाने वाली अदायगियों के निमित्त 1 अक्तूबर, 1967 से ब्याज की दर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 9 प्रतिशत कर दिया गया है ।

कार्यकारी उपाय :

(i) आयात-लाइसेन्सों/कोटा प्रमाण पत्रों/निविदाओं आदि के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से आयकर सत्यापन/आयकर बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ।

(ii) जिन मामलों में विभाग द्वारा वसूली के प्रयास सफल नहीं हुए हैं, उन में, वसूली की कार्यवाही में सूचना देना अथवा अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाने वाले मुखबिरों को पुरस्कार प्रदान करना ।

सुन्दरवन क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज

1875. श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल क्षेत्र के सुन्दर वन क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज के लिए कोई सवक्षण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में और आगे खोज करने के लिए कोई साधन या नवीनतम जानकारी उपलब्ध हुई है;

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सुन्दरवन के उत्तरी उपान्त पर एक लघु क्षेत्र में भू-भोतिकीय सर्वेक्षण किये गये हैं ।

(ख) सर्वेक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र में खुदाई के लिए कोई संरचनात्मक लक्षण अनुकूल नहीं पाये गये हैं ।

(ग) गहराई में स्थित संरचनाओं जो तेल एवं गैस के संचयों के लिए उपयोगी होंगे, को मालूम करने के लिए जटिल आंगुली भूकम्पीय पद्धतियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल में भूकम्पीय सर्वेक्षणों को जारी रखा जा रहा है ।

देश में युवकों के लिए छात्रावास खोलने की योजना

1876. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भारतीय युवक कांग्रेस द्वारा 3 नवम्बर, 1971 को एक ज्ञापन दिया गया था, और यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया था;

(ख) क्या स्वाधीनता दिवस समारोह की 25वीं जयन्ती के उपलक्ष में देश भर में 100 युवक छात्रावास खोलने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत युवक कांग्रेस से एक पत्र दिनांक 4-11-1971 को प्राप्त हुआ है जिसमें स्वतन्त्रता दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में सारे देश में एक सौ युवा होस्टलों के स्थापित करने की उनकी योजना का उल्लेख किया गया है ।

(ख) और (ग) : चौथी योजना अवधि के दौरान सरकार का मद्रास, त्रिवेन्द्रम्, हाम्पी, भोपाल, औरंगाबाद, जयपुर, पटनी टांप नैनीताल, दार्जिलिंग तथा शिमले में दस युवा होस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

आयुध कारखानों के महानिदेशक कार्यालय के कर्मचारी संघ, कलकत्ता द्वारा की गई अपील

1877. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :
श्री दिनेन भट्टाचार्य :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आयुद्ध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के एक भाग को कलकत्ता से कानपुर में स्थानान्तरित करने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बारे में आयुद्ध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के कर्मचारी संघ, कलकत्ता ने हाल ही में उनसे कोई अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो वह अपील क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) आयुद्ध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के एक भाग को, जो क्लोदिंग और इक्युपमेंट ग्रुप के आयुद्ध कारखानों से संबंधित हैं, कलकत्ता से कानपुर ले जाया गया है और वह वहां पर जून, 1971 से कार्य कर रहा है । अधिकांश फैक्टरियां इस क्षेत्र में स्थित हैं । स्थानान्तरण का कारण, संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाना था ।

(ग) आयुद्ध कारखानों के महानिदेशालय के कार्यालय कर्मचारी एसोसिएशन ने रक्षा उत्पादन मंत्री के समक्ष 19 अगस्त, 1971 को एक अपील की थी ।

(घ) यह अपील मुख्यतः आयुद्ध कारखाने के महानिदेशालय के पुनः व्यवस्थापन के विरुद्ध थी तथा ओ० ई० एफ० मुख्यालय के स्थानान्तरण का केवल उसमें जिक्र मात्र था ।

बैंकिंग विभाग के कर्मचारियों द्वारा विदेशी बैंकों में अपना खाता रखना

1878. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार के बैंकिंग विभाग के अधिकाँश कर्मचारी विदेशी बैंकों में अपने खाते रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में पूरी जानकारी क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी कर्मचारी और विशेषकर बैंकिंग विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारी विदेशी बैंकों में अपने खाते न रखें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(घ) भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए जाने के पश्चात, भारत सरकार के बैंकिंग विभाग के जिन कर्मचारियों ने विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले हैं, उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जहाँ तक कि पता चला है बैंकिंग विभाग के अधिकाँश कर्मचारी विदेशी बैंकों में खाते नहीं रखते ।

(ख) से (घ) : सरकारी कर्मचारी आचार नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी सूचना सरकार को देना आवश्यक नहीं है । किसी विदेशी बैंक में खाता खोलने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति-विशेष पर सरकार ने भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । इसलिए मांगा गया विवरण देना सम्भव नहीं ।

सरकारी कर्मचारियों को साईकिल, स्कूटर, मोटर कार और गृह निर्माण के लिए अग्रिम राशि की मंजूरी पर लगाए गए प्रतिबन्ध

1879. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को साईकिल और स्कूटर के लिए अग्रिम राशि की मंजूरी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या उच्च अधिकारियों को मोटर के लिए अग्रिम राशि की मंजूरी पर भी ये प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन प्रतिबन्धों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मोटरकारों और मोटरसाइकिलों, जिनमें स्कूटर भी शामिल हैं, की खरीद के लिए पेशगियाँ मंजूर करने पर कुछ पाबन्दियाँ लगायी गयी हैं । ये आमतौर पर लागू की जाने वाली पाबन्दियाँ हैं । परन्तु,

बाइसिकल की खरीद के लिए पेशगियों की मंजूरी पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

(ग) सरकार द्वारा 20 अक्टूबर 1971 को जारी किये गये आदेश में निहित मुख्य पाबन्दियाँ नीचे दिये अनुसार हैं :—

(i) जिस सरकारी कर्मचारी को, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले मोटरकार की खरीद के लिए पेशगी मंजूर की गई हो, उसे मोटरकार अथवा मोटर साइकिल, जिसमें स्कूटर भी शामिल है, की खरीद के लिए दूसरी पेशगी मंजूर नहीं की जाती है; और

(ii) जिस सरकारी कर्मचारी को, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले मोटर-साइकिल, जिसमें स्कूटर भी शामिल हैं, की खरीद के लिए पेशगी मंजूर की गई हो उसे मोटर साइकिल, जिसमें स्कूटर भी शामिल है, की खरीद के लिए दूसरी पेशगी मंजूर नहीं की जाती है ।

अनावश्यक व्यय में कटौती

1880. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का बंगला देश से आये शरणार्थियों पर हो रहे खर्च को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु अनावश्यक व्यय में कटौती करने और मितव्ययिता बरतने के क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अधिक महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) योजनाभिन्न व्यय के लिए चालू वर्ष की बजट व्यवस्था की समीक्षा, जिससे उसमें यथासंभव 5 प्रतिशत के लगभग कमी की जा सके । इस कमी को, व्यय की सभी गैर-अनिबार्य मदों में कमी करके, मंजूरशुदा कार्यक्रमों को पुन: निश्चित करके, स्थगित करके अथवा जहाँ तक व्यावहारिक है, उन्हें समाप्त करके और जब तक कोई विशेष औचित्य नहीं हो तब तक सभी नए कार्यकलापों को टाल कर सम्भव बनाना है । इस समीक्षा के परिणामस्वरूप, वर्तमान संकेतों के अनुसार, चालू वर्ष के योजनाभिन्न बजट में (रेलवे विभाग को छोड़ कर) लगभग 59 करोड़ रुपये की कमी होने की आशा है ।

(2) आकस्मिक व्यय, यात्रा भत्ता, अतिथि-सत्कार और ऐसे ही अन्य व्ययों के लिए की गई व्यवस्था में कांट-छांट करके और रिक्त पदों को भरने, विदेश-यात्रा, टेलीफोन तथा स्टाफ-कारों का प्रयोग, सज्जा की वस्तुएं तथा साज सामान खरीदने आदि पर नियंत्रण लगाकर व्यय की अनुत्पादक मदों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाना ।

(3) मोटरकार, स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को मंजूर की जाने वाली पेशगी की सुविधा में कमी करना ।

रोजगार के अवसर जुटाने के लिए लक्ष्य और समय प्रधान कार्यक्रम

1881. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रोजगार के अवसर जुटाने के लिये बैंकों के माध्यम से लक्ष्य एवं समय प्रधान कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) यद्यपि इस समय लक्ष्य और समय प्रधान कार्यक्रम चलाना सम्भव नहीं है, फिर भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण देने के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है ताकि शहरी और देहाती क्षेत्रों में बहुत सारे व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके।

पालम हवाई अड्डे के विस्तार और उसमें सुधार हेतु योजनायें

1882. श्री एच० के० एल० भगत : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित पालम हवाई अड्डे के विस्तार और सुधार हेतु कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है और उसके कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान टर्मीनल का काफी विस्तार एवं सुधार कर दिया गया है। एक नये टर्मीनल कॉम्प्लक्स का निर्माण, वैमानिक संचार व्यवस्था तथा रेडियो दिवचालन उपकरणों का विस्तार, तथा धावनपथ, टैक्सी ट्रैक और एप्रन व्यवस्था का क्रमिक सुधार करने का भी एक प्रस्ताव है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

1883. श्री पी० शर्मा : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसंगी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रबन्धक मण्डल पूर्ण रूप से मूल कम्पनी यूनीलीवर का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशियों और कतिपय व्यवसायिक भारतीय प्रबन्धकों द्वारा गठित है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वास्तविक अधिकार तो पूर्णतया यूनीलीवर के हाथों में हैं और भारतीय मण्डल केवल गौण भूमिका निभाता है;

(ग) क्या कम्पनी के प्रबन्ध में श्रमिकों को शामिल करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और कम्पनी द्वारा श्रमिकों को नैमित्तिक तथा ठेके पर बहुत भारी संख्या में काम पर लगाया जा रहा है।

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हिन्दुस्तान लीवर के निदेशक मंडल में 9 निदेशक हैं, उनमें से केवल 2, गैर-भारतीय, अर्थात ब्रिटेन के हैं।

(ख) मैं० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, हिस्सों द्वारा सीमित एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत हुई है। यह कम्पनी इंगलैंड की यूनीलीवर लिमिटेड की एक सहायक है, जिसके पास कम्पनी द्वारा निर्गमितहिस्सों का 85 प्रतिशत है।

(ग) सरकार को, कम्पनी द्वारा प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता एवं उसके द्वारा आकस्मिक एवं ठेके के आधार पर नियुक्त किये गये श्रमिकों की बाबत उठाये गये किन्हीं विशिष्ट वर्गों का ज्ञान नहीं है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मिसिल की गई किसी भी विवरणी में कम्पनी द्वारा आकस्मिक एवं ठेके के आधार पर नियुक्त किये गये श्रमिकों की बाबत सूचना देना आवश्यक नहीं है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

आयुध कारखानों के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण

1884. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयुध कारखानों के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय को पश्चिम बंगाल से किसी अन्य राज्य में स्थानान्तरित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थानान्तरण के फलस्वरूप कितने मजदूर तथा अन्य कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। पश्चिम बंगाल से आयुध कारखानों के महानिदेशालय के कार्यालय को स्थानान्तरण करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में तस्कर व्यापारियों से मुद्रा का पकड़ा जाना

1885. श्रीमती विभा गोस्वामी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में बम्बई के कुछ प्रमुख तस्करों से विशेषत: 'बाबूभाई" से 15 लाख रुपये की मुद्रा पकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस मामले में कुछ उच्च अधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त हैं;

(घ) क्या तस्करों पर मुकदमा चलाया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 1-9-1971 की बम्बई सीमा-शुल्क गृह के अधिकारियों ने, प्राप्त सूचना के आधार पर, कार्य करते हुए, दो व्यक्तियों से 15,70,000 रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा पकड़ी, जिन्होंने अपने नाम चन्द्रकान्त अमीचन्द चौकसी और चन्द्रकान्त कृष्णा जी शाह बताए। "बाबू भाई" नाम का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और न ही गिरफ्तार किया गया।

(ग) किसी बड़े आदमी के अन्तर्ग्रस्त होने का कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) दोनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए और अदालत ने प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अभी तक न्यायालय में कोई शिकायत दायर नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक जांच-पड़ताल चल रही है।

जम्बो वायुयानों के लिए यात्री-यातायात

1886. श्री बालतन्डायुतम : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्बो वायुयानों को पर्याप्त मात्रा में यात्री उपलब्ध नहीं हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय करने का विचार हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मई से सितम्बर, 1971 के बीच एयर इंडिया के 747 विमानों का यात्री लोग अनुपात लगभग 46% रहा है ।

(ख) और (ग) समस्त संसार में अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात के क्षेत्र में सामान्यतः मंदापन रहा है । एयर इण्डिया और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है तथा कई प्रकार के रियायती तथा प्रोत्साही किराये चालू किये गये हैं ।

हवाई अड्डों के बारे में टाटा समिति की सिफारिशें

1887. श्री बालतन्डायुतम : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों के बारे में टाटा समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं जिनका अध्ययन सरकार द्वारा किया जा चुका है; और

(ख) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर कुछ नई टेर्मीनल सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा धावनपथों, टैक्सी-पथों, होलडिंग क्षेत्रों, एप्रनों, दिवचालन उपकरणों, सुरक्षा सेवाओं तथा विमान यातायात नियंत्रण सम्बन्धी विभिन्न सुधार करने की सिफारिश की है । मोटे तौर पर इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा सक्रिय रूप से उनका अनुसरण किया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र प्राधिकरण विधेयक का पारित होना इस दिशा में एक प्रमुख कदम रहा है ।

मद्रास में लाटरी टिकटों की धोखाधड़ी का पता चलना

1888. श्री बालतन्डायुतम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में विशेषकर त्रिची में अभी हाल में आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए छापों से बड़े उद्योग गृहों द्वारा आयोजित लाटरी टिकटों में धोखाधड़ी का पता लगा है; और

(ख) यदि हां तो उक्त छापों का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तिरुची में नहीं, बल्कि मद्रास में ली गई तलाशियों से कुछ ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियां प्रकाश में आई हैं, जिन्होंने काले धन वाले व्यक्तियों का रुपया लाटरी में जीते पुरस्कार के रूप में उनके खातों में दिखाने के लिये

इनाम जीते टिकटों को खरीदने में उनकी सहायता करके दलाली का काम किया।

(ख) एक छापे के दौरान, तिरुची के एक वास्तविक खरीदार की 95,000 रु० की रसीद मिली, जब कि जांच-पड़ताल से पता लगा कि एक लाख रु० के इनाम का दावा पनबेल, महाराष्ट्र के एक आदमी द्वारा किया गया। एक अन्य तलाशी में भी कुछ और अपराधात्मक कागजात पकड़े गये जिनसे यह जाहिर हुआ कि ये दलाल महाराष्ट्र और गुजरात की पार्टियों को इनाम जीते टिकटों की सहायता से यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

एक समान नम्बर वाले दस रुपये के नोट

1889. श्री सरजू पांडे :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अभी हाल में एक समान नम्बरों वाले कुछ दस रुपये के नोट प्रचलित होते पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मामले में सरकार ने कोई जांच की है;

(ग) नोटों के छापने में इस प्रकार की गलतियों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(घ) क्या देश के अन्य भागों में से भी इसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां।

(ख) उन सभी मामलों में जिन में एक समान नम्बर वाले नोटों के बारे में सूचना मिली है, नोटों की जांच की गयी है तथा उससे यह पता चला है कि ये सभी नोट असली हैं, परन्तु एक सेट के नोटों के नम्बरों को जान बूझ कर बदल कर दिया गया ताकि उसके नम्बर दूसरे सेट के नोटों के समान दिखाई दें। इन प्रयत्नों के उद्देश्य का अन्तिम रूप से पता नहीं चल सका है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में वर्णित मामले, नासिक स्थित इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस की छपाई की गलतियों के नहीं है जहां छपाई की गलतियों को दूर करने के बारे में बराबर नजर रखी जाती है।

(घ) असली नोटों के अंकों को बदलने के बारे में कुछ अन्य स्थानों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ब्रिटेन से राडार साईमुलेटर खरीद

1890. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ब्रिटेन से राडार साइमुलेटर खरीद रहा है;

(ख) ये राडार साइमुलेटर देश में किस योजन के लिए इस्तेमाल किये जायेंगे; और

(ग) प्रस्तावित साइमुलेटर कहां लगाये जायेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नही उठते।

विमान-सेवाओं के संचालन हेतु भारत और मारीशस के बीच करार

1891. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन के महानिदेशक के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने अभी हाल में मारीशस की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो विमान सेवाओं के संचालन के बारे में दोनों देशों के बीच हुये करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस करार से भारत को क्या लाभ होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, हाँ। भारत सरकार तथा मारीशस सरकार के प्रतिनिधिमंडलों की 2 और 3 सितम्बर 1971 को पोर्ट लुई में वार्ता हुई। विमान सेवा करार का एक पाठ तैयार किया गया जिस पर दोनों प्रतिनिधि मण्डलों के नेताओं ने आदयक्षर किए। दोनों देशों की प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप इस करार के हस्ताक्षरण एवं अनुसर्मथन के लिए अब आगे कार्यवाही की जा रही है।

यह करार दोनों देशों की मनोनीत एयरलाइनों को विमान सेवाएं स्थापित करने का प्राधिकार देता हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय यातायात को वहन करने के लिये प्रत्येक करारकर्ता की मनोनीत एयर-लाइंस के लिए उचित एवं समान अवसर प्रदान करने के सिद्धान्त पर आधारित है। इस में यह भी व्यवस्था है कि सम्मत विमान सेवाओं के परिचालन में दूसरे पक्ष की मनोनीत एयरलाइन के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

एयर इण्डिया मारिशस के लिए फिलहाल प्रति सप्ताह एक सेवा का परिचालन कर रही है। इस करार से दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग के लिये पथ प्रशस्त हो जाता है तथा एयर इण्डिया को इससे भविष्य में अपनी सेवाओं में वृद्धि करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा।

कावेरी बेसिन में तेल संसाधनों की खोज

1892. श्री अजीत कुमार साहा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कावेरी बेसिन (तमिलनाडु) में तेल संसाधनों की खोज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) कावेरी बोसिन में तेल खोज कार्य 1958 में आरम्भ किया था और अब भी यह कार्य हो रहा है। कावेरी बेसिन में सतह पर भूगर्भीय मान चित्रण एवं गुरूत्व चुम्बकीय सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, बहुत बड़ी मात्रा में परा-वर्थन एवं वर्तन भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये है और ये सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। विद्युत खोज कार्य

भी आरम्भ किया गया है। भूभिगत भूगर्भीय सूचना प्राप्त करने के लिए 27 कम गहरे कुएं और 10 संरचनात्मक कुएं खोदे गये हैं। बेसिन की तेल तथा गैस संभाव्यताओं का परीक्षण करने के लिए 13 गहरे अन्वेषी कुएं खोदे गये हैं।

(ख) चौथी योजना अवधि में अन्वेषी सर्वेक्षण और व्यधन कार्य परिकल्पित हैं। अन्वेषी गतिविधियों का इस अवधि से आगे जारी रखा जाना इस अवधि के दौरान प्राप्त हुये परिणामों पर निर्भर करेगा।

केन्द्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध

1893. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से राज्यों के उत्तरदायित्व उनके राजस्व की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गये हैं और इससे राज्यों को अपना दायित्व निभाने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार का प्रक्रियाओं, संस्थाओं और केन्द्र राज्य सम्बन्ध-सम्बन्धी संकल्पनाओं में सुधार लाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) यद्यपि यह सत्य है कि हाल के वर्षों में कुछ राज्यों में व्यय की वृद्धि की गति उनके राजस्व की वृद्धि की गति से अधिक बढ़ गयी है किन्तु केवल मात्र इसी से यह सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राज्य सरकारों को, अपने दायित्वों की पूर्ति के साधन जुटाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं है।

विद्यमान सांवैधानिक ढांचा काफी लचीला है और इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों के विभाजन सहित, केन्द्र और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के सभी पहलुओं पर विचार करने और उनके सम्बन्ध में समय समय पर समीक्षा करने की पूरी गुंजाइश रखी गयी है।

स्नेहक तेलों के आयात को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

1894. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय तेल निगम के माध्यम से स्नेहक तेलों के आयात को अपने हाथ में लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसयन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) 1-5-1971 से कमी वाली किस्मों के मूल लूब्रीकेटिंग तेल का थोक में आयात भारतीय तेल निगम के द्वारा सारणीबद्ध किया गया है टरबाइन तेलों में मिश्रण के अन्य आवश्य पदार्थों तथा दूसरी विशेष किस्मों के लूब्रिकेटिंग तेलों का और विनिर्दिष्ट किस्मों के लूब्रिकेटिंग तेलों के आयात के लिए प्रत्येक मामले में गुणावगुणों पर, तदर्थ आधार पर, दूसरों को अनुमति दी जाती है।

Defence Equipment Manufactured in the country and purchased from foreign countries.

1895. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the types of defence equipment and armaments being manufactured in the country;

(b) the types of defence equipment which are being purchased from foreign countries; and

(c) whether any war material has been purchased from foreign countries after the commencement of liberation struggle in Bangla Desh ?

The Minister of state (Dafence production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) (a) Small arms, artillery equipment, tanks, aircraft, ships,electronic equipment, and connected ammunition are manufactured in the country;

(b) and (c) : It will not be in the public interest to disclosed this information.

आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए जीवन बीमा निगम की दीर्घकालीन योजना

1896. श्री पी० एम० मेहता : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम राष्ट्रीय स्तर पर आवास की जरूरतों को पूरा करने हेतु दीर्घकालीन योजना के निर्धारिण और क्रियान्वयन में अग्रगामी भूमिका अदा करने का विचार कर रहा है;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि निगम की सहायता करने के लिए एक विकास निधि की स्थापना की जाए जिससे निगम विकास कार्यों को प्रारम्भ कर सके और पालिसीधारियों की सेवा कर सके; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत में आवास व्यवस्था के विकास के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा 31-3-1971 तक दिये गये कुल अंशदान की रकम 301 करोड़ रुपये थी जो निगम के कुल निवेशों की तुलना में बहुत अधिक है। आवास सम्बन्धी अधिकांश धन की व्यवस्था राज्य सरकारों तथा सहकारी आवास समितियों को ऋण देकर की जाती है। जीवन बीमा निगम ने बम्बई नगर के निकट एक बस्ती का निर्माण कार्य भी अपने हाथ में लिया है। आवास सम्बन्धी धन की व्यवस्था करने में निगम जो भूमिका अदा कर रहा है उसे देखते हुए, जीवन बीमा निगम ने, आवास सम्बन्धी धन का उपयोग और अधिक प्रभावशाली ढंग से करने के उपायों पर चर्चा करने के लिये मकानों की लागत कम करने के सम्बन्ध में हाल ही में एक सेमिनार का आयोजन किया।

(ख) जी, नहीं। परन्तु, ऐसा समझा जाता है कि मामला अभी निगम में प्रस्ताव की स्थिति में ही हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

जम्बो विमानों की खरीद तथा मरम्मत के लिए व्यय किया गया धन

1897. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्बो विमानों की खरीद के लिए सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या इन विमानों में प्राय: यांत्रिक गड़बड़ी हो जाती है; और

(ग) इनकी मरम्मत के लिए अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इन विमानों की खरीद की वित्तीय व्यवस्था एयर इण्डिया द्वारा मुख्यतया विदेशों से लिए जाने वाले ऋणों से की जा रही है। 1 11-71 तक लिए गए एवं उपयोग में लाए गये ऋण की राशि 727.38 लाख डालर (54.55 करोड़ रुपये) थी।

(ख) नये प्रकार के सभी विमानों में कुछ प्रारम्भिक समस्याएं होती है; परन्तु इनका सन्तोषप्रद ढंग से समाधान किया जा रहा है।

(ग) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1898. श्री राम सहाय पांडे : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के कितने अधिकारी कार्य कर रहे है;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसे कितने अधिकारियों की पदोन्नति हुई है और इस प्रभाग में उनकी संख्या की प्रतिशतता क्या है;

(ग) भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी की गत तीन वर्षों में यदि कोई पदोन्नति नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) पदोन्नति की कसौटी क्या है और क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को पदोन्नति के लिए योग्यताओं के मामले में कुछ छूट दी जाती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) आठ।

(ख) एक। उपर्युक्त भाग (क) में अफसरों की उल्लिखित कुल संख्या में से पदोन्नत अधिकारियों की प्रतिशतता 12.5 है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पदोन्नति के विषय में नियम का गोपनीय रिपोर्टों तथा निर्धारित स्तरों के अनुसार अभ्यार्थियों की प्रवरता द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। किन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को एक विशेष महत्व दिया जाता है तथा उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं ताकि वे यदि गोपनीय रिपोर्ट एवं प्रवरता आदि के अनुमानित स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अन्य कर्मचारियों की तुलना में पदोन्नति के लिए प्राथमिकता मिल सकें।

जाली मुद्रा का परिचलन

1899. श्री राम सहाय पांडे . क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से देश में जाली मुद्रा के परिचालन में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और उसके निर्माण स्रोतों का पता लगाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे है; और

(ग) जाली मुद्रा के निर्माण-स्त्रोतों को बन्द करने और देश में इसके परिचलन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान परिचलन में बरामद किये गए अथवा पुलिस द्वारा जालसाजों से पकड़े गए जाली करेंसी नोटों की संख्या को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि देश में जाली करेंसी नोटों के परिचलन में वृद्धि हो रही है ।

(ख) और (ग) चूंकि हाल के दिनों में जाली नोटों के परिचलन में कोई वृद्धि नहीं हुई है इसलिए उसके कारण बताने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता किन्तु जाली नोट बनाने को रोकने के लिए सदा प्रयास किए जाते है । करेंसी और बैंक नोटों की जालसाजी के अपराध भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आते है जिसमें पहले ही इतना कड़ा दण्ड दिये जाने की व्यवस्था है जिससे फिर कोई ऐसा काम करने की हिम्मत न कर सके । नकली मुद्रा तैयार करने और जालसाजी के अपराधों के बारे में राज्यों के पुलिस अधिकारी कार्रवाई करते है, जो इस सम्बन्ध में बराबर नजर रखते है और किसी भी व्यक्ति द्वारा जाली मुद्रा तैयार किये जाने के बारे में सूचना मिलते ही छापे मारते है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी, जाली मुद्रा तैयार करने वालों द्वारा अपनाई गई तकनीकों का रिकार्ड रख कर तथा समय-समय पर जाली भारतीय करेंसी के प्रकट होने पर उसकी समीक्षा करके भारतीय करेंसी की जालसाजी की समस्या का बराबर अध्ययन करता रहता है । उसने अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा में एक कक्ष की भी स्थापना की है जिसमें जाली करेंसी तैयार किये जाने से गम्भीर अपराधों की जांच के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है और विभिन्न राज्यों में किए गए जांच कार्यों में तालमेल बिठाने का कार्य किया जाता है । सरकार 10 रुपये और उससे ऊपर के मूल्यों के नोट छापने के लिए देवास में एक नए बैंक प्रेस की स्थापना कर रही है, जहाँ नोटों की छपाई के लिए ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिससे इस प्रकार जाली नोटों का तैयार किया जाना यदि असम्भव नहीं, तो अत्यन्त कठिन अवश्य हो जाएगा ।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट की राशि को ऋण के रूप में परिवर्तित करना

1900. श्री राम सहाय पांडे :

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ओवरड्राफ्ट की राशि को ऋण के रूप में परिवर्तित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) दो राज्यों, अर्थात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने ओवरड्राफ्टों की राशि को दीर्घावधिक ऋणों के रूप में परिवर्तित करने के लिए विशेष अनुरोध किया है। इस अनुरोध को मानना सम्भव नहीं हो सका है।

पश्चिम बंगाल में आयुध कारखाने

1901. श्री राम सहाय पांडे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और कार्मिक संघीय तत्वों की गतिविधियों के कारण वहां के आयुध कारखानों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस कारण आयुध कारखानों के कई कर्मचारी हाल ही में बर्खास्त किए गए हैं; और

(ग) इन कारखानों के कार्यकरण में बाधा डालने वाले तत्वों, जिनके कारण उत्पादन में घाटा हो रहा है, को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कुछ दिन पूर्व पश्चिम बंगाल स्थित आयुध कारखानों में जहां कि कार्य की प्रगति में राजनीतिक तथा यूनियन के कार्यकलापों ने व्यवधान डाला था तथा जिसके कारण उत्पादन प्रभावित हुआ था, इससे सम्बन्धित शिकायतें/रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ख) संविधान की धारा 310(1) के अन्तर्गत 12 कर्मचारी सेवा से हटा दिए गए थे तथा 20 कर्मचारियों की सेवा, सेन्ट्रल सिविल सरविस (टेम्परेरी सरविसेज) रूलस के रूल 5 के अन्तर्गत, उनकी आवश्यकता न होने के कारण, समाप्त कर दी गई थी।

(ग) इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप, स्थिति में काफी सुधार हुआ तथा सरकार स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है।

जीवन बीमा निगम द्वारा फसल तथा ढोर बीमे के बारे में लागू की गई योजना

1902. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने फसलों और ढोरों के बीमे की कोई योजना लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है और उक्त योजना के किस तिथि तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) कुछ क्षेत्रों में प्रारम्भिक योजना के रूप में केवल कपास की फसल के बीमे की योजना हाथ में लेने का जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव है। इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और इस समय यह कहना संभव नहीं है कि योजना को शुरु करने की तारीख क्या होगी।

2. पशु बीमा कारोबार करने का जीवन बीमा निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु जीवन बीमा निगम की सहायक कम्पनी, ओरिएन्टल फायर एन्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी

लिमिटेड ने एक पशु बीमा योजना चालू की है जो 12-4-1971 से अमल में आयी । योजना का मुख्य आशय बड़े-बड़े और सुप्रतिष्ठित डेरी-फार्मों और सहकारी दुग्ध संघों को मालिकों के पशुओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है । इस योजना के अन्तर्गत, कम्पनी की निश्चित नीति के अनुसार, जिस अवधि के लिए बीमा किया गया हो, उस अवधि के दौरान बीमा किए गए किसी पशु को दुर्घटना अथवा बीमारी से मृत्यु होने की दशा में, कुछ निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, बीमा शुदा को क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व लिया जाता है। प्रीमियम की दर विभिन्न बातों पर निर्भर करती है । फिर भी, सामान्य दर 5 प्रतिशत से 5-1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच हो सकती है ।

पाइपलाइन जांच आयोग प्रतिवेदन

1903. श्री पी० वेंकटासुब्बया
श्री नरेन्द्र कुमार सांधी
श्री वरके जार्ज

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की हल्दिया बरौनी-कानपुर और गोहाटी सिलीगुड़ी, पाइपलाइन परियोजनाओं के निर्माण संबंधी पाईप लाइन जाँच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) क्या पाईपलाइन परियोजनाओं की योजना बनाने वाले और इसे सम्पन्न करने वाले विदेशी ठेकेदारों के कार्यों और भारतीय तेल निगम और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की जा चुकी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

युद्ध में प्रयोग किये जाने वाले इलैक्ट्रोनिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता

1904 श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रौनिक युद्ध उपकरणों के निर्माण के संबंध में देश अभी तक अनुसंधान और विकास की स्थिति में ही है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में आत्मर्भिरता प्राप्त करने के बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त कर ली जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (ग) : रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान इलैक्ट्रोनिक युद्धक्षेत्र में कार्य कर रहा है।

इस विषय पर और अधिक सूचना देना लोकहित में न होगा ।

मूल्यों में वृद्धि

1905. श्री ज्योतिर्मय बसु :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जाने के बावजूद मूल्यों में वृद्धि होते रहने के क्या कारण हैं; और

(ख) मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) : मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति के कई कारण है। इनमें से कुछ हैं : बंगला देश से आये शरणार्थियों पर काफी खर्च किया जाना, कुछ राज्यों में भयंकर सूखा पड़ना और कुछ अन्य राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही का होना। इनके अलावा मई, 1971 के बजट में लगाये गये करों का भी मूल्यों पर कुछ प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने का मुख्य कारण दो मुख्य कच्ची वस्तुओं अर्थात् तिलहनों और कपास के उत्पादन और दालों के उत्पादन में लगातार कमी होना है। कच्चे माल की कमी और औद्योगिक अशन्ति के कारण, हाल के वर्षों में, सामान्य औद्योगिक उत्पादन की गति में सन्तोषजनक तेजी नहीं आयी है। सट्टेबाजी की गतिविधियों के परिणाम-स्वरूप भी मुद्रा-स्फीतिकारी दबा व बढ़ा है। हाल के वर्षों में विशेष परिस्थितियों के कारण मुद्रा-उपलब्धि में भी जो वृद्धि हुई है वह राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाली वृद्धि के अनुपात से अधिक है।

(ख) : सरकार मूल्यों को स्थिर रखने की आवश्यकता के बारे में सजग है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। कृषि और औद्योगिक दोनों प्रकार के उत्पादनों में वृद्धि करने के कार्यक्रमों के अलावा, राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी नीतियों को, मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोका जा रहा है और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की, विशेष रूप से कपास, इस्पात और खाद्य तेलों आदि की मांग और पूर्ति के अन्तर को, पर्याप्त आयात के द्वारा दूर किया जा रहा है। कई अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण रखा जा रहा है। सरकार ने मुख्य अनाजों का काफी स्टाक जमा कर रखा है और इन्हें उचित मूल्यराशन की दुकानों का जाल बिछा कर बेचा जा रहा है।

बैंकों में जालसाजी

1906. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष से अब तक बैंकों में हुई कुल जालसाजियों की सख्या क्या है ;

(ख) जालसाजी में शामिल कुल राशि में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कितना भाग है। और ;

(ग) प्रत्येक जालसाजी का क्या ब्यौरा है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा

रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लाभांश का प्रत्यावर्तन

1907. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं कि विदेशी कम्पनियां लाभांश का प्रत्यावर्तन सामान्य से अधिक न करे;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(ग) प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी ने भारत में कुल कितनी पूंजी लगा रखी है; और

(घ) इन कम्पनियों में से प्रत्येक ने कितनी राशि का प्रत्यावर्तन किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी०सेठी) : (क) और (ख) विदेशी तेल कम्पनियों शुद्ध लाभ तथा आरक्षण से बने लाभाँशों का प्रत्यावर्तन कर रही है । वर्ष के दौरान कमाये गये शुद्ध मुनाफों से अधिक राशि को लाभाँश घोषित करने के लिए गत मुनाफों में से बनाये अपूंजीकृत आरक्षणों से धन निकालने से कम्पनियों ने न ही समवाय अधिनियम का और न ही विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है ।

(ग) तीनों बड़ी तेल कम्पनियों, उनकी शोधनशालाओं सहित, द्वारा लगाई गई पूंजी 31-12-1969 को निम्न प्रकार थी :

कम्पनी का नाम	लाख रुपयों में राशि
1. बर्मा शैल	6252-00
2. कालटैक्स	1692-55
3. एस्सो	2958-40

(घ) पिछले चार वर्षों को दौरान मुनाफों/लाभाशों कुल पारिश्रमिक के कारण बड़ी-बड़ी विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विदेशों में अपने मूलधन में स्थानांतरित राशियाँ निम्न प्रकार थीं :—

				लाख रुपयों में
कम्पनी का नाम	1967	1968	1969	1970
1. बर्मा शैल	866	564	561	860
2. बर्मा शैल शोधनशालाएं	514	451	451	113
3. कालटैक्स	शून्य	शून्य	शून्य	36
4. कालटैक्स आयल रिफाईनिंग	34	,,	102	119
5. एस्सो	74	15	15	94
6. एस्सो रिफाईनिंग	शून्य	शून्य	171	284

आयातित अशोधित तेल की कीमतें बढ़ाने की मांग

1908. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशी तेल कम्पनियों की आयातित अशोधित तेल की कीमतें बढ़ाने की मांग वस्तुत: सम्पन्न कार्य के रूप में स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनके मंत्रालय तथा विदेशी फर्मों के बीच हुई बातचीत की रूप रेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा बताई गई दरों, जो 1 जून, 1971 से लागू हुई थी; पर सरकार अस्थाई तौर पर विदेशी मुद्रा दे रही है। तब से तेल कम्पनियों ने और अधिक दर बताये हैं जो बर्मा शैल के बारे में 15 जुलाई से, कालटैक्स के बारे में 18 जुलाई से और एस्सों के बारे में 10 जुलाई से लागू होते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं अभी विचाराधीन है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शस्त्रों के फालतू पुर्जों के निर्माण का कार्य सौंपना

1909. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बत ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के उ।क्रमों को शास्त्रों के फालतू पुर्जों के निर्माण का कार्य सौंपने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) निजी क्षेत्र की फर्मों को हथियारों के फालतू पुर्जे बनाने के आर्डर पहले से ही दिये जा रहे हैं। यह उन मदों के लिये हैं जिससे कि आयुध कारखानों में उत्पादन क्षमता या तो उपलब्ध नहीं है या उन आयुध कारखानों का उत्पादन, सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पर्याप्त नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि देश, रक्षा के मामले में आत्म-निर्भर हो जाए और आयात पर निर्भरता कम की जा सके।

(ख) निजी क्षेत्र की फर्मों को आर्डर केवल फालतू पुरजे और अवयवों के लिए दिये जाते हैं, संपूर्ण शस्त्रों के लिए नहीं। इकरारनामे में गोपनीयता की शर्तों के द्वारा फर्मों को बाध्य रखने का भी ध्यान रखा जाता है। निजी फर्मों द्वारा दिए गए माल की गुणावस्था निश्चित करने के लिए कड़े निरीक्षण के द्वारा सख्त विशिष्टि लागू की जाती है।

केरल में विमान सेवायें शुरू करने के बारे में निजी विमान-सेवा कम्पनियों का प्रस्ताव

1910 श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी विमान सेवा कम्पनी ने केरल में इस राज्य के प्रमुख नगरों के मध्य विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) बम्बई-कालीकट

त्रिवेन्द्रम के बीच विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए एक प्राइवेट कम्पनी से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(ग) आवेदन पत्र विचाराधीन है।

बोइंग विमान द्वारा कोचीन होकर केरल तक उड़ान

1912. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने यह अनुरोध किया था कि केरल को बोइंग विमान की उड़ान बरास्ता कोचीन होनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन का हवाई अड्डा ऐसे विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है।

रामनाथ गोयन्का की कम्पनियों द्वारा जमा करने के लिए धनराशि एकत्रित करना

1913. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने रामनाथ गोयन्का की कम्पनियों से कहा है कि वे इण्डियन एक्सप्रैस ग्रुप के समाचार पत्रों के नाम पर जमा करने के लिए राशियां एकत्र करना तुरन्त बन्द कर दें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप के समाचारपत्रों की तीन कम्पनियों ने अप्रतिभूत ऋण लिए हैं जिनके लिए सम्बद्ध कम्पनियों के निदेशक की हैसियत से श्री रामनाथ गोयनका ने गारन्टी दी है। गैर-वित्तीय कम्पनियों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार कम्पनियों द्वारा स्वीकार किए गए अप्रतिभूत ऋण रिजर्व बैंक की परिधि में नहीं आते हैं बशर्ते कि उनके लिए किसी कम्पनी के निदेशक द्वारा गारन्टी दी गई हो। जैसा कि श्री रामनाथ गोयनका द्वारा दी गयी गारन्टियों की शर्तों से पता चलता है तीन कम्पनियों द्वारा स्वीकृत अप्रतिभूत ऋणों के सम्बन्ध में गारन्टी देने वाले और ऋण देने वालों के बीच कोई संविदागत संबंध नहीं था, और चूंकि कम्पनी द्वारा स्वीकृत ऋण कुछ अधिक प्रतीत होते थे इसलिए रिजर्व बैंक ने कम्पनियों को यह सुझाव दिया था कि वे अपनी योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के ऋणों को प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त कर देने के प्रश्न पर विचार करें।

जम्बो विमान चलाने के लिए हवाई पट्टियों की लम्बाई बढ़ाना

1914. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्बो विमान को चलाने के लिए हाल ही में अनेक हवाई पट्टियों की लम्बाई बढ़ाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं; और

(ग) हवाई पट्टियों की लम्बाई बढ़ाने से पूर्व इनकी लम्बाई कितनी थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) विमानन के क्षेत्र में हुई नई प्रगतियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के धावन-पथों में सुधार करने का कार्य चल रहा है। दिल्ली विमान क्षेत्र के मुख्य धावनपथ को 10,500' से बढ़ाकर 12,500' कर दिया गया है तथा कलकत्ता विमान क्षेत्र के मुख्य धावनपथ को 10,500' से बढ़ाकर 11,700' किया जा रहा है। बम्बई तथा मद्रास विमानक्षेत्रों के धावनपथों के विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है।

पालम हवाई अड्डे पर निर्मित अतिरिक्त हवाई पट्टी

1915. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर हाल में एक अतिरिक्त हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण की क्या आवश्यकता थी; और

(ग) पालम हवाई अड्डे पर इससे पूर्व कितनी हवाई पट्टियाँ थीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पालम के हवाई अड्डे पर तीन धावनपथ थे जिनमें से एक का टैक्सी-पथ प्रणाली में विलय कर दिया गया है।

भारत की यात्रा करने के लिए और अधिक विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपाय

1916. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा करने से कतराते हैं और यदि हां, तो उनकी यह प्रवृत्ति कब से शुरू हुई है, इसके सम्भाव्य कारण क्या हैं और इसके फलस्वरूप अनुमानत: कितनी हानि हुई है; और

(ख) विदेशी पर्यटकों को भारत की यात्रा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए देश में और अधिक आकर्षक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं या करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। साक्षात्कार किए गये पारगामी यात्रियों में से 82.9 प्रतिशत यात्रियों ने भविष्य में किसी समय भारत का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की। परन्तु, अपने चालू दौरे में, वे लोग जो अवकाश यात्रा कर रहे थे, समय के अभाव एवं अन्य कारणों से भारत में अपनी यात्रा को स्थगित नहीं कर सकते थे।

(ख) सरकार भारत के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवास तथा भू एवं वायु परिवहन, जैसे आधारभूत उपादानों में वृद्धि एवं सुधार करने के लगातार प्रयत्न कर रही है। प्रवेश औपचारिकताओं को सुव्यवस्थित बनाने तथा विहार स्थलों एवं वन्य जीव शरण-स्थानों के विकास के लिए किये गये उपाय भारत को लक्ष्य बना कर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होंगे। किसी भी देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात का अधिकतम अंश इन्हीं लक्ष्य-चारी पर्यटकों का ही होता है।

अलियावेट के तट-दूर छिद्रण प्लेटफार्म का स्थानान्तरण

1917. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अलियावेट तट-दूर छिद्रण प्लेटफार्म को लगभग आठ किलोमीटर दूर नये स्थल पर एक अन्य कुएं की खुदाई के लिए स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या नये स्थल का चयन करने से पूर्व तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भारतीय विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि पहला कुंआ उस स्थान पर खोदा जाये जहां पर प्लेटफार्म को अब स्थानान्तरित करने का विचार है और क्या विदेशी विशेषज्ञों द्वारा दिऐ गए परामर्श को देखते हुए वह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी; और

(ग) वर्तमान स्थल को किन कारणों से छोड़ा जा रहा है और इस पर कुल कितना व्यय हो चुका है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) प्लेटफार्म के स्थानान्तरण के विषय पर एक संभाव्य अध्ययन किया जा रहा है और इस अध्ययन के पूरा होने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ख) प्रारम्भ में प्रथम कुंआ उस स्थान पर खोदने का प्रस्ताव किया गया था जहां प्लेट-फार्म को अब स्थानान्तरित किये जाने का विचार है किन्तु बाद में प्रथम कुंआ उस स्थल पर खोदने का निर्णय लिया गया था जिस स्थान पर प्लेटफार्म अब है। खोदे जाने वाले प्रथम अतटीय कुंए के स्थल में परिवर्तन पहले स्थल की जल-विज्ञान संबंधी बहुत कठिन परिस्थितियों के कारण किया गया था और न कि भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों पर विदेशी विशेषज्ञों द्वारा किये गए परामर्श पर।

(ग) वर्तमान स्थल को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कुएं में तेल के साथ बहुत पानी निकल रहा है। परिणामस्वरूप, इस स्थल के तेल का उत्पादन लाभप्रद नहीं हो सकता।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए क्षेत्रीय एवं मुख्यालय खर्चों को शामिल न करते हुये वर्तमान स्थल पर 30-9-71 तक 217.91 लाख रुपये का व्यय हुआ था। जिसमें उस स्थिर प्लेटफार्म की लागत शामिल है जिसे संभाव्य हो जाने के बाद नए स्थल पर स्थान्तरित करने का प्रस्ताव है।

पेट्रो-रसायन मशीनरी में सहयोग और खनिज तेल के संसाधनों की खोज करने हेतु जापान से एक आर्थिक मिशन

1918. श्री सुबोध हंसदा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान की मित्सुविशी कम्पनी का एक आर्थिक मिशन अप्रैल, 1970 में भारत आया था और पैट्रो-रसायन मशीनरी में और खनिज तेल के संसाधनों की खोज करने हेतु भारत के साथ विशिष्ट सहयोग करने की सिफारिशें की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : मित्सुविशी दल जिसने अप्रैल 1971 को भारत का दौरा किया था, अपनी रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की है कि भारत पैट्रो-रसायन उद्योग का क्षेत्र बहुत आशाजनक है। तथापि किसी विशिष्ट सहयोग की सिफारिश नहीं की गई है। किये जाने वाले सहयोगों पर प्रत्येक उद्यमी को बातचीत करनी पड़ेगी। खनिज तेल संशोधनों के बारे में दल ने अपनी रिपोर्ट में कोई सिफारिश नहीं की है।

अशोधित तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

1919. श्री सुबोध हंसदा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेलों की कीमतों में एक पक्षीय वृद्धि के कारण सरकार को लगभग 2.75 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी हैं; और

(ख) क्या सरकार ने किसी दबाव में आकर विदेशी कम्पनियों की इस कार्यवाही का अनुमोदन किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) तेल कम्पनियों द्वारा बताई गई दरों, जो 1 जून, 1971 से लागू हुई थीं, पर सरकार अस्थाई तौर पर विदेशी मुद्रा देती जा रही है और तेल कम्पनियों द्वारा बताये गये मूल्य, जो बर्मा शैल के बारे में 15 जुलाई से, कालटैक्स के बारे में 18 जुलाई से और एस्सों के बारे में 19 जुलाई से लागू है, में और वृद्धि करने के प्रश्न की जांच कर रही है।

Meeting of Requirements of Public and private sectors by Reserve Bank of India

1920. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India is not in a position to meet the requirements of Public and Private Sectors with its present resources;

(b) whether the Bank apprehends further inflation in case it meets the requirements of the public and private sectors; and

(c) the measures proposed to be taken to remedy this situation ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) (a) & (b) : The Rererve Bank of India has no difficulty with its present resources to meet the requirements of the public and private sectors. Since credit given by the Reserve Bank, however, amounts to deficit financing, there are limits beyond which the requirements of the public and private sectors can not be met by accommodation from the Reserve Bank without generating inflationary pressures.

(c) There is no need for any measures to enable the Reserve Bank to create adequate credit. Basically what is required to ensure that the requirements of the public and private sectors are met without generating inflationary pressures is to enlarge the volume of production and the genuine savings of the comunity.

Manufacture of Frigates

1921. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the places in India where frigates are being built and the total number of frigates built so far;

(b) whether even now we have to depend on foreign assistance for preparing the designs of frigates required by us; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which experts of required experience and qualification are likely to be availble in the country ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) (a) to (c) : A Statement is attached.

Statement

(a) Frigates are being built in India by Mazagon Dock Ltd., Bombay. Construction and fitting out of one frigate has been completed and this is now under going trials. Two more frigates are at different stages of construction and fitting out. Mazagon Dock Ltd. have a firm order for construction of 3 frigates and a Letter of Intent for 3 more frigates, making a total of six.

(b) & (c) : It is a fact that we are still dependent on foreign expertise in the designing work for frigates. The reasons for this are as follows :

(i) Modern frigates are of a very sophisticated nature and we do not yet have sufficient experience and expertise to be able to design these warships on our own.

(ii) The design work for frigates involves a large number of organisations, e. g. the Navy, the shipbuilders and monufacturers of weaponry and other magor equipments. Each one of these must develop sufficient expertise in their own individual field before they can get together and evolve a new design for warships.

(iii) Designers of such naval ships are difficult to get even from foreign sources as there is a great demand for such personnel.

A Naval Design Organisation has been set up in 1970 under Neval Headquarters are effotrs being made to attract suitable talent to this organisation. A scheme for design collaboration with foreign firms and training of Indian officers is also being considered by them. It is, however, difficult to say at this stage by what time sufficient number of designers with requisite qualifications and experience will become available in the country to enable the designing work for frigates to be taken up without foreign assistance.

Export of weapons by India

1922. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the various types of weapons which India has started to export; and

(b) the criteria laid down for the said export and the names of the countries to which such export are being made ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) (a) and (b) : The production capacities in our Ordinance Factories have been tailored essentially to meet the demands of our own Armed Forces. However, after meeting our own requirements, some items of small arms and ammunition, certain categories of spares and items of general stores are exported in limited quantities to certain friendly countries. It would not be in the public interest to give further details.

कम्पनियों की वार्षिक साधारण बैठकें

1923. श्री बी० मायावन : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 109 सरकारी कम्पनियों के क्या नाम है जिन्होंने वर्ष 1970 में अपनी वार्षिक साधारण बैठकें बुलाने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति मांगी थी;

(ख) क्या उन्होंने विभाग को और समय बढ़ाने के लिये लिखा था; और

(ग) यदि हां, तो और अधिक समय मांगने वाली इन कम्पनियों के नाम क्या है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एक सूची अनुलग्न 'क' पर दी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1142/71]

(ख) तथा (ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 166 के अन्तर्गत निश्चित समयावधि की परिधि के लिए जिन कम्पनियों ने आगे बढ़ाने के लिए सम्पर्क किया है, उनकी एक सूची अनुलग्न 'ख' पर दी जाती है। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1142/71)

सरकारी कम्पनियों द्वारा की गई गलतियां

1924. श्री बी० मायावन : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कम्पनियों के नाम क्या है जिनके कार्यकरण में 1970 में गलतियों का पता लगा था;

(ख) यह गलतियां किस प्रकार की थीं; और

(ग) उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना, जहां तक संभव होगी, संग्रहित की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विदेशी कम्पनियों को दी गई छूट

1925. श्री आर० पी० उलगनम्बी : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सात विदेशी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम की धारा 594 (1) के उपबन्धों से छूट दी गई है उनके नाम क्या है और वे कहां पर स्थित है; और

(ख) इन कम्पनियों को किस प्रकार की विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता था ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख) सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 594(1) के उपबन्धों से छूट दी गई विदेशी कम्पनियों के नाम तथा स्थिति	उनके सम्मुख आई हुई विशेष कठिनाइयां
1	मै० डब्यू० टी० हेनलेस टेलीग्राफ वर्क्स कं० लि० मार्फत, जी० ई० सी०	इस कम्पनी ने, 1966 के मध्य में, भारत में व्यापार बन्द कर दिया था, परन्तु इसे कुछ

	आफ इण्डिया लि० मैंगनेट हाउस, डागल रोड, वैलार्ड एस्टेट्स, बम्बई-1	कर निर्धारण अभी करने हैं, व करों के भुगतान के पश्चात इसके लाभ को बाहर भेजना अभी शेष है। छूट 31-3-71 के समाप्ति के आर्थिक वर्ष के लिए दी गई थी।
2	मै० स्टैर्लिक ड्रय इन्टरनेशनल लि० नेता जी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	इस कम्पनी ने 1967 के वर्ष से, भारत में व्यापार बन्द कर दिया था। छूट 31-12-70 के आर्थिक वर्ष समाप्ति के लिए दी गई थी।
3	मै० ए० बनाचैवीलर एण्ड कं० लि० 53, नार्थ वीच रोड, मद्रास-1	यह कम्पनी हाथ करघा वस्त्र (वास्तविक) को खरीदने का व्यापार कर रही है जो आय-कर से मुक्त है। छूट 31-1-70 के आर्थिक वर्ष समाप्ति के लिए दी गई थी।
4	मै० निशो-इवाय कं० लि० 2 ब्राबोर्नी रोड, कलकत्ता-1	30-9-70 को समाप्त होने वाली वर्ष समाप्ति के मध्य इस सम्पत्ति ने भारत में कोई व्यापार नहीं किया। उक्त वर्ष के लिए ही छूट दी गई थी।
5	मै० फोरासोल 828, आदर्श नगर जयपुर-4	यह कम्पनी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुबन्ध पर चल रही थी, जो 30-4-67 को समाप्त हो गया। अब कम्पनी को केवल अपनी मशीनरी व सामान वापिस ले जाना है। छूट 31-3-69 के आर्थिक वर्ष की समाप्ति के लिए दी गई थी।
6	मै० अर्मीन एजेन्सीज लि० 25/26, वाटरलू स्ट्रीट, कलकत्ता	31-3-71 की वर्ष समाप्ति का विश्व तुलन-पत्र इसके भारतीय शाखा कार्यालय को, इसके मुख्यालय, पाकिस्तान से प्राप्त नहीं हुआ था। इस कम्पनी को डी० आई० आर० के अन्तर्गत शत्रु-कर्मों के अभिरक्षक द्वारा हस्तगत कर लिया गया था। छूट 31-3-71 के आर्थिक वर्ष समाप्ति के लिए दी गई थी।
7	मै० कलकत्ता ट्रायवेज कं० लि० 12, आर० एन० मुकर्जी रोड, कलकत्ता-1	इस कम्पनी का प्रबन्ध 19-7-67 से पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था। तभी से लन्दन में कम्पनी का मुख्य कार्यालय क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो गया तथा भारत में कम्पनी को स्टैर्लिंग व्यापार से सम्बन्धित सूचना, उपलब्ध नहीं हो सकी थी। छूट 31-12-69 तथा 31-12-70 की आर्थिक वर्ष समाप्ति के लिए दी गई थी।

कम्पनियों के विरुद्ध जांच

1926. श्री पी० ए० सामिनाथन : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे दो कम्पनियां कौन सी है जिनके विरुद्ध वर्ष 1970 में कम्पनी अधिनियम की धारा 235 (क) के अधीन जांच के आदेश जारी किये गये थे;

(ख) जांचाधीन आठ मामले कौन-कौन से हैं और उनसे सम्बन्धित कम्पनियां कहां पर स्थित है और किस आधार पर जांच के आदेश दिये गये हैं; और

(ग) उस कम्पनी का नाम क्या है तथा वह कहां स्थित है जिनके बारे में मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच आदेश को वैध ठहराया है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 1970 में कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के० टी० डोग्रे एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और थामेस स्टीफन एण्ड कम्पनी के कार्य की जाँच का आदेश दिया था।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1143/71]

(ग) रायला कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास।

कम्पनियों द्वारा अन्तर्निगमीय ऋणों तथा विनियोजनों का अनुमोदन

1927. श्री टी० एस० लक्ष्मणन : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन सी कम्पनियां हैं जिनके लिए वर्ष 1970 में अन्तर्निगमीय ऋण अनुमोदित किये गये थे।

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या है जिनके लिए इसी अवधि में अन्तरनिगमीय विनियोजनों की स्वीकृति दी गई थी; और

(ग) उक्त अवधि में दोनों प्रकार के अस्वीकार किये गये मामलों का ब्यौरा क्या है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1144/71]

औद्योगिक वित्त निगम के गोहाटी कार्यालय द्वारा प्राप्त ऋण आवेदन-पत्र

1928. श्री रोबिन ककोटी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम के गोहाटी, आसाम के कार्यालय, द्वारा अब तक प्राप्त ऋण आवेदन-पत्रों की संख्या क्या है;

(ख) उद्योगों का विवरण और पार्टियों के नाम सहित स्वीकृत किये गये ऋण की संख्या क्या है; और

(ग) विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या, पार्टियों के नाम सहित, क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

का गौहाटी स्थित उप-कार्यालय 16 मई, 1971 को खोला गया था। 16 मई 1971 से 31 अक्टूबर 1971 तक की अवधि के दौरान गौहाटी के उप-कार्यालय को वित्तीय सहायता के लिए औपचारिक रूप से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, अक्टूबर 1971 में मैसर्स असम पैट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड, शिलांग ने उप-कार्यालय से 3/4 लाख रुपये के ऋण के विषय में एक पूछताछ पत्र भेजा था जिसकी जांच की जा रही है।

छोटे किसानों को ऋण देने के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भ्रष्टाचार

1929. श्री निहार लास्कर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम वर्ष में विकास की जो गति थी वे उस गति को दूसरे वर्ष बनाये रखने में असमर्थ रहे ;

(ख) क्या छोटे किसानों को ऋण दिये जाने के मामले में दिये जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में भी सरकार को जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जाँच की है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकरण के बाद दूसरे वर्ष में अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों की वृद्धि की दर में कुछ कमी आयी है। राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद कुछ बैंकों ने दूर-दूर तक फैले क्षेत्रो में ऋण दिया था, इसका परिणाम यह हुआ कि वे ऋणों के उपयोग का प्रभावकारी ढंग से पर्यवेक्षण नहीं कर सके। स्वभावतः बैंक, उपयुक्त पर्यवेक्षण और ऋणों के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई के द्वारा इन क्षेत्रों को ऋण देने के स्तर में सुधार करने के इच्छुक थे। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को इन क्षेत्रों में ऋण देने में और तेजी लाने के लिए संगठन सम्बन्धी आवश्यक धारणा बनानी पड़ी। अब बैंक चुने हुए गाँवों/क्षेत्रों में सघन वित्त प्रबन्ध की नीति अपना रहे हैं और अब तक उपेक्षित क्षेत्रों में ऋण देने के स्तर और ऋण की समग्र मात्रा में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

(ख) और (ग) : कुछ राष्ट्रीकृत बैंकों को, छोटे किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के आरोपों वाली शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जाँच-पड़ताल प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में बनाये गये सतर्कता के माध्यम से करायी जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है। विभागीय कार्रवाई करने के अलावा, जहाँ आवश्यक होता है, बैंक मामलों को जाँच पड़ताल के लिए पुलिस के पास भी सौंप देते है। बैंकों में होने वाले भ्रष्टाचार की शिकायातें सीधे मिलने पर केन्द्रीय अन्वेषण कार्यालय भी उनकी जाँच पड़ताल करता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance

कार के मूल्य निर्धारित करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, I call the attention of the Minister of Industrial Development to the following matter of urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

"The reported judgement of the Supreme Court regarding fixation of car prices and steps to be taken by the Government in regard there to."

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : माननीय अध्यक्ष के अनुरोध का सम्मान करते हुए जैसा कि सदन में 25 नवम्बर, 1971 को इस विषय पर श्री शंकर दयाल सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में व्यक्त किया गया है, श्रीमान् की आज्ञा से मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :—

जैसा कि सदन को मालूम है कि 1968 में प्रशुल्क आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार कर लेने के पश्चात सरकार ने दिनांक 21 सितम्बर, 1969 की अपनी अधिसूचना में देश में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, की धारा 18(छ) के अधीन बनाई जाने वाली तीनों मेकों की कारों का उचित विक्री मूल्य अधिसूचित किया। तीनों कार निर्माताओं ने इन अधिसूचित मूल्यों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं। इन याचिकाओं की सुनवाई अप्रैल, 1970 के अन्तिम सप्ताह में शुरू हुई। मान्य न्यायालय ने कुछ दिनों तक निर्माताओं के तर्कों की सुनवाई की। इसके पश्चात् सरकार के तर्कों की सुनवाई के ही दरम्यान मान्य न्यायालय ने सुनवाई को आगे के लिये स्थगित कर दिया और यह सिफारिश की कि सरकार एक आयोग स्थापित करे जो तीनों मेकों की कारों के बेचे जाने के लिये उचित विक्री मूल्यों के बारे में सिफारिश करे। जैसा कि सदन को मालूम है इस सिफारिश के अनुसरण में सरकार ने कार मूल्य जांच आयोग की स्थापना की जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रहे और जिसके सदस्य एक मोटरगाड़ी इंजीनियर तथा एक चारटेड लेखाकार रहे। आयोग ने मूल्यों के प्रश्न पर विस्तृत रूप से जांच पड़ताल की और सरकार को 29 मार्च, 1971 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट की प्रतियां तत्काल ही उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। अनिर्णीत याचिकाओं की सुनवाई 15 अप्रैल, 1971 को फिर शुरू हुई।

16 अप्रैल, 1971 को उच्तम न्यायालय ने सभी पक्षों से यथाशीघ्र अपने हलफनामे पेश करने को कहा। न्यायालय ने अंतरिम उपाय के रूप में तत्काल से यह भी निदेश दिया कि हलफनामे पेश करने के पश्चात जब तक मामले का अन्तिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता है और जब तक दोनों पक्षों के तर्कों की आगे सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निर्माताओं को आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्यों पर अपनी कारें बेचने की अनुमति दी जाती है।

इसके अनुसार 16 अप्रैल, 1971 से तीनों मेकों की कारों की कारखाने से निकलते समय

(1) एम्बेसेडर कार का मूल्य 16,819 रु० है जब कि सितम्बर, 1969 में सरकार ने 15,316 रु० अधिसूचित किया था।

(2) फिएट कार का मूल्य 15,687 रु० है जब कि सितम्बर, 1969 में 14,325 रु० अधिसूचित किया गया था और

(3) स्टेण्डर्ड हैराल्ड 4 दरवाजे वाले माडल का 16,080 रु० है जब कि सितम्बर, 1969 में 14,003 रु० अधिसूचित किया गया था ।

कार मूल्य आयोग द्वारा जिन मूल्यों की सिफारिश की गई है उनके विचार का आधार तीनों उत्पादक एककों की कारों तथा वाणिज्यिक गाड़ियों की प्राप्तव्य क्षमता तथा विनियोजित पूंजी का 16 प्रतिशत प्रत्यागम है बनी हुई कार का मूल्य निकालने में आयोग ने व्यय की सभी मदों को जैसे, प्रत्यक्ष माल का मूल्य, प्रत्यक्ष मजदूरी, निर्माण व्यय, प्रशासन व्ययविक्री तथा मरम्मत व्यय मूल्य ह्रास तथा रायल्टी को गिना है । उन्हें लागत के रूप में न्यूनतम बोनस तथा वारंटी खर्च जैसे मदों की अनुमति नहीं माना है । निर्माताओं ने आयोग के समक्ष बार-बार यह दलील पेश की थी कि इन दोनों मदों को भी लागत के अंश के रूप में शामिल किया जाए और सरकार ने इसके शामिल किये जाने का विरोध किया था । सरकार ने यह भी तर्क पेश किया था कि प्रत्यागम की दर विनियोजित पूंजी के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । प्राप्तव्य क्षमता के प्रश्न पर भी निर्माताओं तथा सरकार के बीच मतैक्य नहीं था । आयोग द्वारा अपनाई गई प्राप्तव्य क्षमताएं ये है :—

(1) मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के लिए 30,000 एम्बसेडर कारें तथा 10,500 वाणिज्यिक गाड़ियां ।

(2) मैं० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड के लिए 14,000 फिएट कारें तथा 6 000 वाणिज्यिक गाड़ियां; और

(3) स्टेंडर्ड मोटर प्राडक्ट आफ इण्डिया लिमिटेड के लिये 4,000 स्टैंडर्ड हैराल्ड कारें तथा 1,000 वाणिज्यिक गाड़ियां ।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष सरकार के कथन की मुख्य बातें प्राप्तव्य क्षमता, विनियोजित पूंजी का प्रात्यागम तथा कार्य ारी पूंजी के गणना करने के तरीके थी सरकार ने कहा कि विनियोजित पूंजी पर प्रात्यागम 12% प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । कार्यकारी पूंजी के बारे में यह कथन था कि इसे 4-1/2 महीने के उत्पादन लागत के बजाय 3 महीने के उत्पादन लागत से मानना चाहिये जिसकी कि हिन्दुस्तान मोटर्स तथा प्रीमियर औटोमोबाइल के लिए कार मूल्य आयोग ने सिफारिश की है, तथा स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड के लिये 3-1/2 महीने की उत्पादन लागत से मानना चाहिए ।

प्राप्तव्य क्षमता के सम्बन्ध में सरकार का कथन निम्न प्रकार है :—

हिन्दुस्तान मोटर्स के प्रकरण में 30,000 कारें और 7,500 वाणिज्यिक गाड़ियां,

प्रीमियर आटोमोबाइल्स के प्रकरण में 14,000 कारें और 7,500 वाणिज्यिक गाड़ियां, और

स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया के प्रकरण में 4,000 कारें और 1,300 वाणिज्यिक गाड़ियां ।

सरकार ने यह भी कहा था कि बोनस और वारन्टी खर्चों को लागत अंश के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये बल्कि ये उत्पादकों को अपने लाभ में से देने चाहिये । सरकार ने यह भी कहा था कि मशीनों और संयंत्र पर होने वाला मूल्य ह्रास आयोग द्वारा निश्चित की गई

प्रमाणिक लागत के आधार पर होना चाहिए न कि प्रतिस्थापित लागत के आधार पर जैसा कि उत्पादकों द्वारा मांग की गई है।

मुकदमें की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई 6 अक्तूबर, 1971 को पुनः शुरू हुई और 1 नवम्बर, 1971 तक चलती रही। 24 नवम्बर, 1971 को दिये गये अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर भविष्य में तीनों प्रकार की कारों का विक्रय मूल्य निश्चित किया जायेगा और सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जायेगा। वे सिद्धान्त हैं :—

(1) हिन्दुस्तान मोटर्स की उत्पादन क्षमता 30,000 कारें और 5,000 व्यापारिक गाड़ियाँ; प्रीमियर आटोमोबाइल्स की 14,000 कारें और 6,000 व्यापारिक गाड़ियां तथा स्टैंडर्ड मोटर्स के लिए 3,400 कारें और 1,000 व्यापारिक गाड़ियाँ।

(2) बोनस और वारन्टी खर्चों को बनी कार की लागत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे प्रत्यागम से पूरा किया जाना चाहिए।

(3) जैसा कि आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी लगाई गई पूंजी पर लाभ 16 प्रतिशत होना चाहिए।

(4) संयंत्र और मशीनों पर होने वाली मूल्य ह्रास कार मूल्य आयोग द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।

(5) जुलाई, 1970 कार मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत मूल्यों में पूर्व उल्लिखित कारकों के आधार पर संशोधन किया जाना चाहिये और जुलाई, 1970 से उत्पादन लागत में अन्तर को स्वीकार करके उसे ठीक किया जाना चाहिए। इस हेतु कार उत्पादक फैसले के 15 दिन के भीतर सरकार के समक्ष आवश्यक विवरण और संगत आंकड़े प्रस्तुत करेंगे ताकि सरकार न्यायालय द्वारा संशोधन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कारों की नए सिरे से कीमतें पुनः निश्चित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर सके। आदेश में इस बात का संकेत होना चाहिए कि निश्चित की गई कीमतें जैसा कि फैसले में उल्लिखित है उतार चढ़ाव के अनुसार बढ़ाई और घटाई जा सके।

(6) कारों के मूल्य का प्रारम्भिक निर्धारण करने के बाद उनके मूल्यों में वृद्धि का भी उपबन्ध होना चाहिए। सरकार द्वारा हर छः महीनों के बाद जनवरी और जुलाई, के महीनों के प्रारम्भ में ही स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पहली जनवरी और पहली जुलाई से 6 सप्ताह पूर्व कार उत्पादकों को घोषित वृद्धि के समर्थन में सभी आवश्यक आंकड़े पेश करने होंगे। सरकार को मामले को जल्दी से क्रमशः पहली जनवरी और पहली जुलाई तक निपटा लेना चाहिए और उपयुक्त और समुचित समझी जाने पर वृद्धि की स्वीकृति दे देनी चाहिये बशर्ते कि इस प्रकार की कुल वृद्धि पिछली बार के मूल्य निर्धारण से कम्पनी से निकलते समय की लागत से प्रति कार 100/- रुपये से अधिक हो। यदि सरकार ऐसा करने में सफल नहीं होती तो कार उत्पादक वास्तविक वृद्धि के बराबर मूल्य बढ़ा सकेंगे बशर्ते प्रत्येक निर्मित

कार की लागत में कार निर्माण लागत में सभी वस्तुओं की लागत को सम्मिलित करने पर प्रत्येक कार पर 100/- रुपये अधिक वृद्धि हुई हो।

(7) पेमेंट आफ बोनस एक्ट 1965 के अनुसार देय न्यूनतम बोनस, ऋणों के ऊपर ब्याज और आयकर देने के कारण प्रत्यागम की अपेक्षा व्ययों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की स्थिति में कार उत्पादक अपना मामला प्रत्यागम में उतनी समानान्तर घोषित वृद्धि के लिए प्रमाण तथा सभी आवश्यक आंकड़ों सहित सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार को आवश्यक आंकड़े और सबूत प्राप्त होने के 10 सप्ताह के भीतर अपना निर्णय दे देना चाहिये। ऐसा करते समय सरकार को निर्माण लागत में सम्मिलित किसी भी वस्तु अथवा पूर्व उल्लिखित प्रत्यागम के व्ययों में आई गिरावट को सम्मिलित करने का अधिकार होगा।

फैसले के अनुसार कार उत्पादक फैसले की तिथि से दो महीने तक न्यायालय द्वारा 16 अप्रैल, 1971 को निश्चित किया गया मूल्य (अर्थात् कार मूल्य आयोग द्वारा जुलाई, 1970 में संस्तुत मूल्य) ही लेंगे। अत: सरकार को संशोधित मूल्य की घोषणा दो महीने के भीतर ही करनी होगी। सरकार को इस बात का भी सुनिश्चय करना होगा कि संशोधित कीमतें निर्धारित समय के भीतर ही निश्चित की जाती हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : The country has to face great difficulty in the matter of fixation of the prices of cars. At last the prices of the cars were fixed. The car manufacturers appealed to the Supreme Court. The Government appointed a Commission according to the recommendations of the Supreme Court. The Commission has submitted its report. Our people should get the cars at low prices. But the Supreme Court is unnecessarily interfering in this matter. The Supreme Court is again and again hurting the feelings of the people.

The Government should issue a proper order with regard to the prices of the cars. I want to know whether Government has taken any solid steps in this direction ?

In America even an ordinary room cleaner has a car. In India not to speak of cars, there are no proper roads even. The price of 'Fiat' car has been fixed at Rs. 15687. But actually people have to pay Rs. 21656 for it. They are told that the matter is under consideration of the Supreme Court and Rs. 2000 will be returned after its judgement.

People have to wait for six to seven years for getting a car. Even then thay have to spend to thousand more. The Government should follow a firm policy in this matter.

I want to know whether the Government will accept the judgement of the Supreme Court or not and whether it will do justice to the people.

In case Government cannot provide justice to the people it should nationalize the car industry.

The Government should take steps to stabilise the prices. The prices of the cars used to be between rupees eleven to twelve thousand but now it has reached to rupees 22 to 24 thousand.

I want to know the steps Government propose to take in the light of the judgement of the Supreme Court ? I also want to know whether Government intend to nationalize the Car Industry or not.

श्री मोईनुल हक चौधरी : उच्चतम न्यायालय के निर्णय में एक असंतोषजनक बात यह है कि जुलाई, 1970 से बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कारों के मूल्य फिर से निर्धारित

किये जाने चाहिए। सरकार को लागत मूल्य में वृद्धि अथवा कमी होने को ध्यान में रखते हुए हर छः महीने बाद कारों के मूल्य निर्धारित करने पड़ेंगे।

कारों के मूल्य कम करने की ओर ध्यान दिया जायेगा। ऐसा केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कारों के मूल्य कम होने की अधिक सम्भावना नहीं है।

जहां तक हिन्दुस्तान मोटर्स के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, इसका राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाना चाहिए। (**व्यवधान**) इसका मुख्य कारण यह है कि इसका कार संयंत्र बहुत पुराना है और क्या सरकार ऐसे संयत्र को अपने अधिकार में लेना पसन्द करेगी ? अतः सरकार ने अपने कार कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है। फियट कार का निर्माण करने वाले 'प्रीमियर' कारखाने के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार किया जा रहा है।

स्टैन्डर्ड हेराल्ड के राष्ट्रीयकरण किये जाने के मामले पर अभी विचार नहीं किया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस धारणा को लेकर प्रश्न कर रहा हूं कि संसद सर्वोच्च न्यायालय से अधिक उच्च है। इस मामले में मेरे विचार से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बड़ा घातक है। उसके निर्णय से कार निर्माताओं को ही लाभ होगा, उपभोक्ताओं को नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय विचाराधीन मामलों पर अपना निर्णय देने की बजाये चीनी और कारों के मूल्य निर्धारित कर रही है। यह बात समझ में नहीं आती कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश इन मामलों में अपना समय क्यों बरबाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के आचार से सम्बन्धित मामला ला रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री एस० एम० बनर्जी : सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायधीश श्री हैगडे ने मुकदमे के दौरान यह टिप्पणी दी थी कि अम्बेसेडर कार के सब पुर्जे आवाज करते हैं केवल हार्न नहीं करता। मेरे विचार से वह कार की किस्म के बारे में न्यायधीश के विचार थे। सरकार को संसद की भावना के अनुसार कार के मूल्य कम करने चाहिए। सरकार को कारों का मूल्य निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। यदि सरकार ऐसा करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति को इस बारे में एक अध्यादेश जारी करना चाहिए।

संसद सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तिशाली है। कार मालिक कारों के मनमाने मूल्य निर्धारित कर जनता को परेशान नही कर सकते।

जहां तक कारों के कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने का मामला है यह कहा गया है कि ये कारखाने बहुत पुराने हैं और उनमें अच्छी कारों का निर्माण नहीं होता। इस बारे में मुझे आश्चर्य हुआ है। यदि सरकार वास्तव में समाजवाद की ओर अग्रसर होना चाहती है तो उसे न केवल 'फियट' और 'हेराल्ड' बल्कि 'अम्बेसडर' कारों के कारखानों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिए।

इस बारे में माननीय मंत्री को निश्चित उत्तर देना चाहिए। वह पुराना कारखाना नहीं है। उस कारखाने में 20,000 कर्मचारी काम करते हैं और उसमें बहुत बड़ी संख्या में कारों का उत्पादन होता है। सरकार को उन कारखानों को अपने अधिकार में लेना चाहिये और उनमें निर्मित कारों का मूल्य कम करना चाहिये जिससे सामान्य जनता भी कार खरीद सके। भारत में कारों का मूल्य 10,000 से 12,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैंने माननीय सदस्य के विचारों को सुना है। निर्णय में दी गई विभिन्न सिफारिशों पर निर्णय लेते समय उन पर विचार किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कारों का मूल्य निर्धारित करते समय संसद को विश्वास में लिया जायेगा ? (**व्यवधान**) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाधा डालने पर इस बारे में कोई कानून बनाया जायेगा ? (**व्यवधान**)

श्री मोइनुल हक चौधरी : जब हम इस बारे में निर्णय लेंगे तब माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जायेगा।

श्री एच० एम० पटेल (कंडुका) : माननीय मंत्री को वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। यदि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी तो कारों के मूल्य कम करना कठिन होगा। सरकार द्वारा इस बारे में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की स्थापना की गई थी और सरकार ने उसकी सिफारिशों के अनुसार आदेश जारी करने का निर्णय किया था। लोगों का यह विचार है कि कारों के वर्तमान मूल्य बहुत अधिक हैं और निर्माता बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। सरकार की त्रुटिपूर्ण नीति के ही कारण लोगों को कार प्राप्त करने में अनेक वर्ष लग जाते हैं और कारों का उत्पादन कम होता है। देश के संविधान को सर्वोच्च माना जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि इस निर्णय का आदर किया जायेगा और इसी के अनुसार मूल्य निर्धारित किये जायेंगे और इसके स्थान पर कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का है ? दूसरे यदि वह सोचते हैं कि हर 6 महीने के बाद मूल्यों का पुनर्वलोकन करने के कारण कर प्रयोक्ताओं को असुविधा होगी तो कार निर्माताओं के साथ इस आशय का समझौता हो सकता है कि कुछ निश्चित अविधि के बाद ही मूल्यों में संशोधन किया जाये। क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिये कार निर्माताओं के साथ विचार विमर्श करेगी।

माननीय सदस्यों को यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि कारों का मूल्य कारों पर लगाये गए अत्यधिक करों के कारण अधिक है। फिर यह कहा गया कि इसका प्रभाव 55 करोड़ जनता पर पड़ेगा। यह बात ठीक नहीं है क्योंकि कुछ धनवान लोग ही कारों का उपयोग करते हैं।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कारों का उपयोग केवल धनवान लोग करते हैं। टैक्सी चालक और मध्य वर्ग के अन्य लोग भी कारों का उपयोग करते हैं। परन्तु यह कहना ठीक है कि कार कारखानों के मालिक धनवान लोग हैं।

जहां तक कार निर्माताओं के साथ विचार विमर्श करने का सम्बन्ध है, वे किसी समय अपनी कठिनाइयां सरकार के सामने रख सकते हैं। परन्तु हम मूल्यों पर से नियन्त्रण नहीं

हटायेंगे। हमने कार का मूल्य निर्धारित किया है और उसकी घोषणा की है उसे लागू किया है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आदर करते हैं परन्तु संसद और सरकार इस प्रकार की समस्या का समाधान करने लिये कार्यवाही कर सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार निर्माताओं को सब प्रकार से संरक्षण दिया गया है। हमें कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। वर्ष 1955 में हिन्दुस्तान कार का कर सहित मूल्य 2000 रुपये था जो आज 23,000 रुपये है। 15 वर्ष में इसमें 350 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब कार मूल्य आयोग गठित किया गया था तब बिड़ला ने आयोग के कुछ सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिये प्रलोभन देने के प्रयास किये थे। आयोग के सदस्यों ने अपने लड़कों को बिड़ला की फर्मों में नियुक्त करवाया है। यह एक गम्भीर अपराध है। सरकार को इस बात की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों से करवानी चाहिये। जब हम प्रशुल्क आयोग की बात करते है तो हमें उनकी बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। वे बड़े बड़े निर्माताओं के साथ मिलकर साजिश करते हैं।

यदि सरकार मुद्रास्फीति को रोकना चाहती है तो उसे लागत लेखा परीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये। इसके बिना सरकार इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच सकती है। वास्तव में सरकार ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि एक अन्य चुनाव आ रहा है और सरकार को धन की आवश्यकता पड़ेगी। कार के हर पुर्जे का मूल्य बढ़ा हुआ है और इसी प्रकार कार का मूल्य भी बढ़ जाता है। ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी से भी, जहाँ श्रमिकों को यहां 20 गुना अधिक मजूरी दी जाती है, यहां पर कार का मूल्य अधिक है। फिर हमारी कार घटिया किस्म की क्यों है ? इसका कारण यह है कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है कि उपभोक्ता को मूल्यानुसार सही चीज मिले। कार निर्माता फालतू पुर्जे बेच कर अधिक लाभ अर्जित करते हैं। परन्तु सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। कार निर्माता कच्चे माल को चोर बाजार में बेच देते हैं। फिर उनकी बेनामी एजंसिया चल रही है। वे विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग करते हैं। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

हर 6 महीने बाद मूल्यों पर विचार किया जाता है जिसका अर्थ यह है कि हर 6 महीने के बाद मूल्यों में वृद्धि होती है। मैं पूछता हूं कि सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती। सरकार औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत बिना किसी कठिनाई के राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। शासक दल अपने संकल्प का स्वयं विरोध कर रहा है।

सरकार ने हिन्दुस्तान मोटर्स को अपने नियंत्रण में लेने सम्बन्धी मूल्यांकन कार्य कब आरम्भ किया था ? यह कार्य कल पूरा किया गया था ? आज संयंत्र का मूल्य कितना है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैंने माननीय सदस्य के विभिन्न सुझावों को ध्यान में रख लिया है। प्रशुल्क आयोग के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य इन के बारे में हमें जानकारी देंगे तो हम उनकी जाँच करेंगे। यदि टेरिफ आयोग के किसी सदस्य ने बिड़ला बन्धुओं से अनुचित लाभ उठाया है तो हम उसकी जांच अवश्य करेंगे।

लागत लेखा की जाँच के समय मुद्रास्फीति के विभिन्न तरीकों का पता लगाया गया था। हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करेंगे और मूल्य सम्बन्धी विषय पर विचार करेंगे। यदि माननीय सदस्य हमें एक ब्यौरेवार नोट दे तो हम उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मंत्री महोदय ने हिन्दुस्तान आटोमोबाइल को कबाड़ कहा है। इस कबाड़ का बही मूल्य कितना है ?

श्री माइनुल हक चौधरी : कुछ लोगों की जानकारी अधिक होती है।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : The hon'ble Minister should be well prepared before giving a statement.

अध्यक्ष महोदय : विषय यह था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। यदि बही-मूल्य आदि सम्बन्धी ब्यौरेवार चर्चा की जाती है तो उसके लिए अलग नोटिस दिया जाना चाहिये ताकि मंत्री महोदय तैयार होकर आये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर के बाद यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार हिन्दुस्तान मोटर्स सहित इन कारखानों का राष्ट्रीयकरण करेगी और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि यह कबाड़ है। अतः यह प्रश्न स्वाभाविक है कि उन्होंने किस आधार पर कबाड़ कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय आश्वासन दें कि यदि मैं अल्प सूचना प्रश्न प्रस्तुत करूं तो वह उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस कारखाने की डाई कास्टिंग मशीन बिलकुल खराब है। इसीलिए इनके बनाये हुए इंजनों से आरम्भ में ही धुआं निकलने लगता है। इन मशीनों को हर वर्ष बदलना चाहिए।

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : सरकार उन्हें ऐसी कारें बनाने की अनुमति क्यों देती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह विषय बहुत ही विवादास्पद है। यदि माननीय सदस्य ध्यान दिलाने वाली सूचना के अतिरिक्त कुछ आगे जानकारी चाहते है तो उन्हें अलग नोटिस देना चाहिए जिससे मंत्री महोदय तैयार होकर आयें और आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें।

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में था। मैं इस कम्पनी का वही मूल्य बताने के लिये कैसे तैयारी कर सकता था।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं तो आप उन्हें बाद में बता दीजियेगा।

श्री राज राज सिंह देव (बोलनगीर) : इन कार कम्पनियों ने गत पांच वर्षों में अपने अंशधारियों को कितना लाभांश दिया है ? क्या सरकार कारों की किस्म पर नियंत्रण करेगी ? क्या सरकार कारों के उत्पादन में वृद्धि करने पर विचार करेगी जिससे मूल्य कम हो सकें ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मेरे पास लाभांश के आंकड़े नहीं है। जहाँ तक किस्म का सम्बन्ध है, हम कार निर्माताओं को निदेश देते रहते हैं। हमने हिन्दुस्तान मोटर्स को अपनी पुरानी मशीनें बदलने के लिये कहा है। मशीनें बदलने के बाद हम उनके विस्तार के बारे में सोचेंगे। यदि

फियट कम्पनी प्रस्ताव भेजे तो हम उस पर विचार करेंगे। स्टैंडर्ड मोटर्स अभी तक अपनी क्षमता तक भी नहीं पहुँची।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रक्रिया)

Re : Call Attentions Notics (Procedure)

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने नियम समिति द्वारा किये गये निर्णय के बारे में आपको एक पत्र लिखा है। इस मामले पर आगे विचार करने तक इसे स्थगित रखा जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : जहाँ तक ध्यान दिलाने वाली सूचना का सम्बन्ध है, आज के बुलेटिन में की गई घोषणा के लिये हम बिलकुल तैयार नहीं थे। आपकी समस्या प्रश्न काल से सम्बन्धित थी।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में भी हमने यह निर्णय किया था कि हम इसे प्रतिदिन 15-20 मिनट देंगे। उसके बाद वैधानिक कार्य पर चर्चा की जायेगी। इस सम्बन्ध में नियम समिति में चर्चा की गई थी। उनकी राय यह थी कि यह कार्य 20 मिनट में समाप्त कर देना चाहिये। मैंने कहा था कि यदि पांच सदस्य बोलें तो इस कार्य को 20 मिनट में समाप्त करना कठिन है। कुछ अपवादों को छोड़कर यह कार्यवाही प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन के समय तक चलती है।

उचित प्रक्रिया यह है कि मंत्री द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने के पश्चात माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु प्रश्नों में लगभग वाद-विवाद ही शुरू हो जाता है। विधेयकों को पुरः स्थापित करने का भी माननीय सदस्य विरोध करने के नोटिस देते हैं। जहां तक समय का सम्बन्ध है इससे अध्यक्ष कठिन स्थिति में पड़ जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आप विभिन्न ग्रुपों से सम्पर्क स्थापित करें और इस बात पर जोर दें कि सदस्य गण लम्बे भाषण न करें और प्रक्रिया के अनुसार चलें। राज्य सभा में ध्यान दिलाने वाली प्रत्येक सूचना पर 20 से 30 सदस्य होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास हमारे से आधे सदस्य हैं और उनके पास समय भी काफी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकार निर्णय न कर लें जो कि सोमवार से लागू हो। ध्यान दिलाने वाली प्रत्येक सूचना पर 30 से 40 नाम दिये जाते हैं जिसमें से केवल पांच नाम ही लिए जाते हैं। यदि इनको कम करके तीन कर दिया गया तो नोटिस देने का उत्साह ही खत्म हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको सोमवार से लागू नहीं करूंगा। आप इस पर आपस में चर्चा कर लें।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव) : माननीय सदस्यों को दिन विशेष को साढ़े दस बजे से पूर्व ध्यान दिलाने वाली सूचना देनी पड़ती है। इससे पता लगता है कि वे मामले में रुचि

रखते हैं और वे इसको यहां पर उठाना चाहते हैं, परन्तु जब उनको पता लगता है कि उनका नाम बैलट में नहीं आया तो उनको दुख होता है। मेरा अनुरोध है कि वर्तमान स्थिति को जारी रखा जाये ताकि कम से कम पाँच सदस्यों को अपने विचार करने का अवसर मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि प्रत्येक दिन हम ध्यान दिलाने वाली सूचना पर एक बजकर तीस मिनट तक चर्चा नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप प्रत्येक सदस्य के लिए पांच मिनट का समय नियत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाग लें और कोई निर्णय लेने में सहायता दें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सदस्यों की संख्या को पाँच से कम करके तीन करना उचित नहीं है। आप ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे रहे हैं जो कि नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मजबूरी से ऐसा करना पड़ता है। माननीय सदस्य पीठासीन से तर्क वितर्क आरम्भ कर देते हैं। ऐसे मामलों में दलों के नेता सदस्यों का साथ देने के बजाय मेरी सहायता कर सकते हैं।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : कार्य मंत्रणा समिति में समूचे मामले पर पूरी तरह चर्चा की गई थी। उसने कुछ सिफारिशें की थीं जिन पर नियम समिति में चर्चा की गई थी। हम माननीय सदस्यों के अधिकारों को कम करना नहीं चाहते। आप एक अन्य बैठक बुलाकर इस बारे में निर्णय ले सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियम समिति के सदस्यों को विशिष्ट प्रस्तावों के बारे में पूर्व सूचना दी गई थी। हमें यह नियम समिति से ही प्राप्त हुआ था।

श्री समर गुह : प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री प्रत्येक सदस्य को पृथक-पृथक उत्तर देने के बजाय एक ही बार सब को उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में समिति में चर्चा करेंगे। सभी सदस्यों को इसमें भी उपस्थित होना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस कार्य सूची विशेष को परिचालित नहीं किया गया था।

Shri Raj Bahadur : We can have another meeting.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

जीवन बीमा निगम, गुजरात राज्य वित्तीय निगम आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर

रखता हूँ :—

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1117/71]

(2) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्-घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत, गुजरात राज्य वित्तीय निगम के 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुऐ वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा परिसम्पत्तियों और देनदारियों, लाभ और हानि के लेखे का विवरण तथा लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1118/71]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) एस० ओ० 3153, जो भारत के राज-पत्र, दिनांक 23 अगस्त 1971 में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसमें दिनाँक 15 अक्तूबर 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3398 के अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) एस० ओ० 3154, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 15 अक्टूबर, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3398 के हिन्दी संस्करण का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1119/71]

(4) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और विक्रय राशि) (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 23 अक्टूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1589 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1120/71]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 अक्टूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1591 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1121/71]

(6) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) विदेश यात्रा कर नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1453 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1454, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1455 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1455 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1457 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1458 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1542 बी, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1542 सी जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1647 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1122/71]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1171, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुये थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1244 और 1245 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1590, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 1640, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) एस० ओ० 3024, जो भारत के रांजपत्र, दिनाँक 16 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) एस० ओ० 3156, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) एस० ओ० 3399, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 11 सितम्बर 1971 में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) उपर्युक्त मद (पांच) से (सात) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बारे में व्याख्यात्मक विवरण । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1123/71]

(8) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 52वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1256 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) जी० एस० आर० 1257, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 मई, 1960 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 575 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 53वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1326 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 54वाँ संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1327 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीव उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 55वाँ संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 11 सितम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1328 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 56वाँ संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1329 में प्रकाशित हुये थे ।

(सात) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 57वां सशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1330 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 58वां संशोधन नियय, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1331 में प्रकाशित हुये थे ।

(नौ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 59वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1332 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 60वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1333 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 61वां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1369 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 62वां संशोधन नियम, 1971, में जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1370 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 63वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या 1371 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 64वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1372 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 65वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1373 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 66वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 18 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1374 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 67वां संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 18 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1375 में प्रकाशित हुए थे [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1124/71]

(9) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1335 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 1407 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 1417 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 20 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 1450 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 17 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) जी० एस० आर० 1540 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 16 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० आर० 1541 जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 1641 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 30 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 1642 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 30 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) जी० एस० आर० 1683, 1084 और 1685 जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1125/71]

(10) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनाँक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०—27) जी० एस० टी०—1071/(एस —49) (16)—टी० एच० जी गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनाँक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 627) जी० एस० टी०—1070/(एस०-49)-टी०एच० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) अधिसूचना (संख्या जी. एच. एन.—42) जी. एस. टी.—1071/(एस.—49) (17)— टी. एच. जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 16 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 1970 की अधिसूचना संख्या (जी. एच. एन.—627) जी. एच. टी.—1070/(एस.—49) टी. एच. में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(तीन) अधिसूचना संख्या (जी. एच. एन.—52) जी. एच. टी.—1071/(एस.—49) (18)—टी. एच. जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 17 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनाँक 29 अप्रैल 1970 को अधिसूचना संख्या जी. एच. एन. 697) जी. एन. टी. 1070/(एस—49)—टी. एच. में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(चार) अधिसूचना संख्या (जी. एच. एन. 69) जी. एस. टी.—1071/(एस—49) (19)—टी एच. जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनाँक 20 सितम्बर, 1970 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या/(जी. एच. एन.627)/जी. एस. टी. 1070/(एस—49)—टी. एच. में कतिपय संशोधन किया गया है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 1126/71]

(11) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनाँक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 86 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गुजरात विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 17 जुलाई 1971 में अधिसूचना संख्या (जी. एच. एन. 53)/जी. एस. आर.—1070/

(4)/टी. एन. में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या टी. एल. 1127/71]

(12) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनाँक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बम्बई मोटर स्पिरिट विक्रय कराधान अधिनियम, 1958 की धारा 36 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई मोटर स्पिरिट विक्रय कराधान (गुजरात संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनाँक 27 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या (जी. एच. एन.—32) एम. ए. ए.—1571—(18)—टी. एच. में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1128/71]

(13) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात शिक्षा उपकर अधिनियम, 1962 की धारा 13 उपधारा की (3) के अन्तर्गत अधिसूचना सख्या (जी. एच. एन.—58) एच. ए. ए.—1070/(7) —टी. एच. की एक प्रति जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनाँक 10 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1129/71]

(14) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनाँक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर स्टाम्प अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1327 की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनाँक 29 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1130/71]

(15) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनाँक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खंण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर विक्रय कर अधिनियम, 1957 की धारा 39 के अन्तर्गत मैसूर सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या एस० ओ० 819 का हिन्दी संस्करण जो मैसूर राजपत्र, दिनाँक 13 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) मैसूर विक्रय कर संशोधन नियम, 1971 का हिन्दी संस्करण, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 29 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 122 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मैसूर विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम 1971 का हिन्दी संस्करण, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1971 अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 136 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) मैसूर विक्रयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 195 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) मैसूर विक्रयकर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 215 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) एस० ओ० 1031 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 17 जून, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) एस० ओ० 1479 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1131/71]

वायु निगम (संशोधन) नियम, 1971

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : मैं

वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वायु निगम (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2659 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1132/71]

केरोसीन (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1971

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केरोसीन (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 10 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1157 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रँथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1133/71]

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथायें अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कम्पनी कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथायें अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथायें (माल का वर्गीकरण) नियम, 1971 (हिन्दी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1033 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथायें (चौथा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1134/71]

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, 1969-70 कार्य की समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं श्री दलबीर सिंह की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

( ) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1135/71]

(2) (एक) हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी के वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1136/71]

राज्य सभा से सन्देश

Messages from Rajya Subha

सचिव : मुझे राज्यसभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:—

(एक) कि राज्य सभा ने 22 नवम्बर, 1971 को हुई अपनी बैठक में वायु निगम (संशोधन) विधेयक, 1971 पास किया है ।

(दो) कि राज्य सभा 24 नवम्बर, 1971 को अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 15 नवम्बर, 1971 को पास किये गये नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 25 नवम्बर, 1971 को अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें लोकसभा से सिफारिश की गई है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में, श्री घनश्याम भाई द्वारा इस समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर कार्य करने के लिए लोक सभा के एक सदस्य को नियुक्त करे और इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम राज्य-सभा को सूचित करे ।

वायु निगम (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

Air Corporations (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha

सचिव : मैं वायु निगम (संशोधन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभापटल पर रखता हूँ ।

सभा का कार्य

Bussiness of the House

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं 29 नवम्बर 1971 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले कार्य की घोषणा करता हूँ :

(1) आज की कार्य सूची से न लिए जाने वाले मदों पर आगे विचार;

(2) विचार तथा पास करने के लिए;

(1) विश्व-भारतीय (संशोधन) विधेयक, 1971

(2) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1971, राज्यसभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(3) संविधान (25वां संशोधन) विधेयक, 1971, 30 नवम्बर, और 1 दिसम्बर, 1971

(4) संविधान (26वां संशोधन) विधेयक, 1971, 2 दिसम्बर, 1971

(5) जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1971

(6) आयुद्ध (संशोधन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(7) वायु निगम (संशोधन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में।

श्री समर गुह (कन्टाई) : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कार्यसूची के अनुसार काम करने दिया जाए।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) विधेयक

Jayanti Shipping Company (Acquisition of Shares) Bill

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : राष्ट्र की पोत परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की और अच्छी प्रकार से पूर्ति करने के लिए तथा जन सामान्य के हित में राष्ट्रीय पोत परिवहन की उन्नति और विकास में सहायक होने के उद्देश्य से जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का अर्जन करने का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि राष्ट्र की पोत परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की और अच्छी प्रकार से पूर्ति करने के लिए तथा जन सामान्य के हित में राष्ट्रीय पोत परिवहन की उन्नति और विकास में सहायक होने के उद्देश्य से जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के शेयरों का अर्जन

करने का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was odopted

श्री राज बहादुर : मैं विधेयक को पुनः स्थापित करता हूँ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

Statement Regarding Jayanti Shipping Commpany (Acquisition of Shares) Ordinance

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं जयन्ती शिपिंग कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty minutes past Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा दो बजकर बतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Shbha reassembled after Lunch at Thirty two minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

विश्व भारतीय (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित

Visva-Bharati (Amendment) Bill Introduced

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विश्व भारती अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि विश्व-भारतीय अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

विश्व भारती (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

Statement re : Visva Bharati (Amendment) Ordinance

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं विश्व-भारती (संशोधन) अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन अपेक्षित है ।

डाक टिकट और उत्पादन शुल्क [संशोधन] अध्यादेश तथा डाक टिकट और उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प

Statutory Resolution Re : Stamp and Excise Duties (Amendment) Ordinance and Stamp and Excise Duties (Amendment) Bill.

वित्त मंत्रायय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जहां तक समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, सच बात यह है कि लगभग 75 प्रतिशत समाचार पत्र छूट प्राप्त समाचार पत्रों की क्षेणी में आते हैं । 90 से 95 प्रतिशत समाचारपत्र और पत्र-पत्रिकाएं दोनों मिलकर, इस क्षेणी में आते है । यदि केवल पत्रिकाओं को ही लिया जाये तो 96 प्रतिशत पत्रिकाएं छूट प्राप्त पत्रिकाओं के अन्तर्गत आती है, जिनकी बिक्री 15 000 प्रतियों से कम है । अत: 75 प्रतिशत अखबारों को छूट मिलेगी तथा केवल 25 प्रतिशत समाचारपत्रों को शुल्क देना पड़ेगा जिनकी निम्नलिखित श्रेणियां होंगी :

(क) जिन समाचारपत्रों की औसत बिक्री प्रत्येक प्रकाशन दिवस को 15,000 प्रतियों से अधिक किन्तु 50,000 प्रतियों से कम हो—16.5 प्रतिशत ।

(ख) जिन समाचारपत्रों की औसत बिक्री प्रत्येक प्रकाशन दिवस को 50,000 प्रतियों से अधिक किन्तु 1,00,000 प्रतियों से कम हो—5.2 प्रतिशत ।

(ग) जिन समाचारपत्रों की औसत बिक्री 1,00,000 प्रतियों से अधिक हो—3.3 प्रतिशत ।

जहां तक पत्रिकाओं का संबन्ध है केवल 4 प्रतिशत पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनको शुल्क देना होगा तथा वे निम्न प्रकार की है :

(क) जिनकी बिक्री 15,000 प्रतियों से अधिक किन्तु 50,000 प्रतियों से कम है—2 5 प्रतिशत ।

(ख) जिन पत्रिकाओं की बिक्री 50,000 प्रतियों से अधिक किन्तु एक लाख प्रतियों से कम है—0.5 प्रतिशत ।

(ग) जिन पत्रिकाओं की बिक्री एक लाख प्रतियों से अधिक है उन पर—0.3 प्रतिशत ।

सात करोड़ रुपयों का अनुमान, समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये आंकड़ों पर आधारित था। उस स्थिति में 1.75 करोड़ रुपयों की छूट को ध्यान में नहीं रखा गया था।

उत्पादन शुल्क बिक्री को ध्यान में रखकर लगाया गया है। अत: बड़े स्तर तथा बीच के स्तर के समाचारपत्रों का वितरण 80 प्रतिशत माना गया है। वर्ष 1969 के आंकड़ों के हिसाब से बड़ी तथा बीच की पत्रिकाओं के वितरण के आंकड़े कुल आंकड़ों के 43 प्रतिशत हैं। माननीय सदस्य इन्ही आकड़ों को जानना चाहते थे।

श्री ज्योतिर्मय वसु का दूसरा प्रश्न यह था कि जब कुछ पर अधिक शुल्क लगभग जा सकता था तो सरकार ने सभी पर 10 पैसे के हिसाब से ही अतिरिक्त शुल्क क्यों लगाया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है किन्तु माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं अत: इसका विस्तृत उत्तर देने की मैं आवश्यकता नहीं समझती क्योंकि संभवत: माननीय सदस्य की इसमें अधिक रुचि नहीं होगी।

जहां तक सरकारी विज्ञापनों का सम्बन्ध है सरकार छोटे और मध्यम स्तर के समाचारपत्रों का अधिक उपयोग करना चाहती है। लगभग 75 प्रतिशत विज्ञापन उन्ही को दिये जाते हैं।

बैंक चैकों पर शुल्क न लगाने का कारण यह है कि ऐसा करने से बैंकों में रुपया जमा किये जाने पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था तथा बैंक प्रणाली में अव्यवस्था हो सकती थी।

जहां तक प्रशासनिक कार्यवाही का सम्बन्ध है, सुरक्षा प्रेस में अब तीन पारी कार्य हो रहा है क्योंकि 70 करोड़ डाक टिकट छपाने की आवश्यकता थी। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि अन्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आम जनता को कठिनाई से बचाने के लिए यह कार्यवाही की गई है जिससे डाक टिकट डाकखानों और अन्य स्थानों पर समय पर पहुंच जाये।

यह कार्यवाही इस उद्देश्य से भी की गई है कि समाचारपत्रों तथा जनता को कोई कठिनाई न हो तथा समाचारपत्र इस नई व्यवस्था से अवगत हो जायें। मुझे यह भी पता चला है कि देश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए समाचारपत्रों ने अनुकूल रवैया अपनाया है। उन्होंने इस कार्यवाही का समर्थन भी किया है क्योंकि उन्होंने इस अवसर को पहचाना है।

यह प्रसन्नता की बात है कि इस अवसर पर देश की सारी जनता एक है तथा जो संकट-ग्रस्त शरणार्थी त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और पश्चिम बंगाल में आये हैं वहां के लोग उनके दु:ख में साथ दे रहे हैं तथा भोजन, मकान आदि में उन्हें भागीदार बना रहे हैं। भारतीय जनता अपने कर्तव्यों से पूरी तरह अवगत है तथा वह उनका पालन भी कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित डाक टिकट और उत्पादन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (अध्यादेश संख्या 16, 1971) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 और संघीय उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड दो विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड-तीन

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 3 और 5 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 और 5 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड तीन विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड तीन विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 1 में श्री मिश्र का संशोधन है किन्तु वह यहाँ उपस्थित नहीं हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड एक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड एक विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 73	विपक्ष में 22
Ayes 73	Noes 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक

Commission of Inquiry (Amendment) Bill.

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जांच आयोग अधिनियम, 1952 की व्यवस्था के अनुसार कार्यकरण में कई प्रकार की कठिनाईयां अनुभव की गई जिसके कारण विधि आयोग से इसमें उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए निवेदन किया गया । विधि आयोग ने पूरे अधिनियम का व्यापक अध्ययन करने के उपरांत अपने 24वें प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की हैं ।

विधि आयोग की मुख्य सिफारीशों को सरकार ने उन पर राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के मंत्रालयों के विचारों पर ध्यान देने के पश्चात सामान्यतः स्वीकार कर लिया था और तत्पश्चात जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1969 लोक-सभा में पुरःस्थापित किया । फिर, उसे 21 नवम्बर, 1969 को संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया । सयुक्त समिति ने संसद के दोनों सदनों को अपना प्रतिवेदन 9 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत कर दिया, किन्तु लोक सभा के भंग होने के कारण वह विधेयक रद्द हो गया । वर्तमान विधेयक में कुछ संशोधनों के साथ उन उपबन्धों को लागू करने की व्यवस्था की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को, 23 फरवरी, 1972 तक राय जानने के लिए, परिचालित किया जाये ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : As has been mentioned by the hon. Minister. the Bill was referred to the Joint Committee which found it necessary to consider even those points which were not included in the terms of reference; for instance, the decision to ask for the opinion of Government of Jammu and Kashmir and make necessary changes.

The Committee also suggested that Government should not have the right to dissolve any Committee of Enquiry unless the work entrusted to it is cempleted. I hope the hon. Minister would certainly clarify this point.

Mention was made by the Joint Committee that the present Bill would be in conflict with section 7 of the principal Act. I therefore, suggest that this anomaly should be removed before passing this Bill.

The provisions regarding the period of time, appointment of solicitor etc. have also to be amended because they are in conflict with the Act. The hon. Minister should say something about these points.

I am sorry to mention that so many Reports of the Commissions appointed by the Central and the State Governments did not come before the Public. I demand that all such reports should be placed before the Lok Sabha or the concerned Assembly.

Shri R. V. Bade (Khargone) : Commission of Inquiry Act, 1952 was full of defects as a result of which a Commission could not decide to adopt a paricular procedure. In this context, I suggest that the wordings of clause 13 of the Bill should be changed so as to read that a Commission will be considered as a Court.

I also suggest that the procedure regarding the witnesses should be changed. The civil procedure code should be made applicable in this matter.

I support the provisions of clause 5 of this Bill wherein it has been said that the appropriate Government shall lay the report of the Commission before Lok-Sabha or the concerned Assembly within the period of six months.

Mention should also be made in this Bill regarding the power of increasing or reducing the Membership of the Commission as was provided in the original Act.

According to the Select Committee, it extends to the whole of India. India includes Jammu & Kashmir also. Therefore there should be no need to mention the name of Jammu & Kashmir specifically. Government should not treat Jammu & Kashmir as though it was seperate from India.

I also suggest that there should be clear provision in this Bill regarding the procedure of heassay evidences. It should be clarified whether evidences will be taken openly or in private in view of the fact that there is no further appeal in this matter

It has been observed that in the States with the change of Governments, the members of the Commissions appointed by the previous Government are also changed. The result is that the work of the Commission suffers. The Government should make clear provisions in this Bill to the effect that there would be no change in the membership of the Commissions. The hon. Minister should give the reasons why sevral recommendations of the Law commission have not been accepted.

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय ! यह कहना सच नहीं है कि सरकार ने विधि आयोग या संयुक्त समिति की सिफारिशों को नहीं माना है । सरकार ने विधि आयोग की केवल उसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जिस में यह सुझाव दिया गया है कि किसी आयोग को बीच में समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । इसका कारण यह है कि आपत कालीन स्थिति या इसी प्रकार की अन्य स्थिति में सरकार के लिए किसी आयोग को समाप्त करना उचित हो सकता है । इस सिफारिश को स्वीकार करने में अन्य व्यावहारिक कठिनाइयां भी थी ।

यदि कोई सरकार अपना बहुमत खो बैठती है और उस स्थिति में, जाते जाते, कोई आयोग नियुक्त करती है तो सारा मामला उसके निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता ।

भावी सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि क्या भूतपूर्व सरकार ने आयोग की नियुक्ति करने से पूर्व सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखा है । यदि आयोग में कभी भी परिवर्तन न लाया जाये तो इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी ।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : इसी कारण से तो कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है।

श्री राम निवास मिर्धा : इसमें कांग्रेस या अन्य दलों के होने का प्रश्न नहीं उठता है। ऐसी बात किसी भी दल के साथ हो सकती है, ऐसा तर्क नहीं दिया जा सकता है कि यदि एक बार आयोग की नियुक्ति की जाती है तो वह हमेशा कायम रहेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या मैं इसका अर्थ यह लगाऊं कि आप संयुक्त प्रवर समिति के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमने संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष यह बात रखी थी कि इस सिफारिश को स्वीकार करने से कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और सरकार इसे स्वाकार करने की स्थिति में नहीं है।

श्री आर० वी० बड़े : मैंने यह कहा था कि निर्देश के पद वे ही हैं, परन्तु सदस्य बदल दिए जाते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सिफारिश स्वीकार किये जाने के प्रश्न पर मैं इसी बात को कह रहा था कि सरकार के विचार में इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है इसमें कठिनाई यह है कि एक अनुत्तरदायी सरकार जिसने सभा में अपना विश्वास खो दिया है, यदि कई व्यक्तियों के विरुद्ध या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आयोग नियुक्त करती है तो सब कुछ इसी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं इस सुझाव का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। कोई भी सरकार उस आयोग को समाप्त नहीं करेगी जो जनहित के लिए नियुक्त किया गया हो। क्यों कि उसे सभा के समक्ष इसका उत्तर देना पड़ता है। इसी कारण से सिफारिश को स्वीकार करना ठीक नहीं समझा गया है। जांच आयोग की नियुक्ति सरकार के स्वनिर्णय पर हैं, यदि एक सरकार इस को नियुक्त करना ठीक समझती है तो दूसरी सरकार के लिए यह निरर्थक भी हो सकता है। यह लोक आयुक्त अथवा स्थायी संस्था की भांति नहीं है जिसके पास कोई भी किसी समय जाकर अपनी शिकायत कर सकता हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यदि भूतपूर्व सरकार अर्द्ध न्यायिक निर्णय की मांग करती है तो क्या उसके बाद आने वाली सरकार को उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार है ? इसमें हस्तक्षेप क्यों किया जाता है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इसी बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ? यदि एक अनुत्तरदायी सरकार ऐसे आयोग को नियुक्त करती है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है —

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे (बेतूल) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा भी दृष्टान्त है जहां संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश को सरकार ने नहीं माना है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने कहा कि समिति को इन कठिनाइयों के बारे में बता दिया गया है कि इस सिफारिश को स्वीकार करना सम्भव नहीं है, मैं नहीं जानता कि इस बारे में कोई दृष्टान्त है या नहीं।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : यह सच है कि सभा में संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु क्या ऐसा कोई दृष्टान्त है, मैं उन से पूछ यही रहा हूँ कि...

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको तुरन्त उत्तर देने की स्थिति में नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : कोई भी अनुत्तरदायी सरकार इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है, उसे आयोग को नियुक्त करने का अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए ।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी भी सरकार के लिए यह अत्यावश्यक नहीं है कि वह आयोग की नियुक्ति करे, यह लोक आयुक्त अथवा कोई संस्था नहीं है जहां हर कोई अपनी शिकायत लेकर जाये । यदि सरकार संतुष्ट हो जाती है तभी आयोग की नियुक्ति की जाती है । यह सरकारों पर है कि क्या अमुक कार्य के लिए आयोग की नियुक्ति की जाये अथवा नहीं । इस बात में कोई गलती नहीं है यदि एक सरकार यह समझती है कि दूसरी सरकार का निर्णय परिस्थिति की मांग को पूरा नहीं करता है तो उसकी अवहेलना की जाये । इसलिए भावी सरकारों को क्यों ऐसे निर्णयों को मानने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए । आप क्यों उन्हें निर्णय पर पुर्नविचार करने से रोकना चाहते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि यह मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में हो तो आप इसका क्या करेंगे ।

श्री राम निवास मिर्धा : ये विशिष्ट रूप से भ्रष्टाचार के बारे में नहीं है, यह जांच किसी पर भी जा सकती है ।

जांच आयोग की नियुक्ति दो प्रकार से की जा सकती है । सरकार या तो स्वयं ऐसा कर सकती है या सभा के संकल्प द्वारा किया जा सकता है, जब सभा इसे नियुक्त करती है तो उसी की अनुमति से इसे वापस लिया जा सकता है परन्तु जब सरकार स्वयं ऐसे आयोगों की नियुक्ति करती है तो भावी सरकार इसे समाप्त भी कर सकती है । मैने इसके कारण पहले ही बता दिये हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : आपने सिफारिश स्वीकार नहीं की है ।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने इसको छोड़कर अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । इसके कारण मैंने पहले ही बता दिये हैं । माननीय सदस्य ने कहा है कि संयुक्त समिति जम्मू और कश्मीर गई थी और सरकार ने स्वीकार किया था कि इस अधिनियम के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर को भी लाना चाहिए । हमने ऐसा ही किया है, जहां तक न्यायालय की अवमानता की व्यवस्थाओं का संबंध हैं, हमने उसकी यहाँ विस्तार से चर्चा की है । इस विधेयक में न्यायालय की अवमानना के सभी पहलुओं को नहीं लाया जा सकता है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

दूसरी बात यह है कि कई राज्य सरकारें आयोगों को नियुक्त करती हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नही करती हैं, अतएवं इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के छह महीने के अन्दर इसको सभा के समक्ष लाएगी तथा यह बताएगी कि इसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा । ऐसा करने से किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी ।

मैंने इस संबंध में उठाई गई बातों का उत्तर देने का प्रयास किया है, इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि विधेयक पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य श्री मूल चन्द डागा अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

the amendment was by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति (सातवां प्रतिवेदन)

Committee on Private Members' Bills and Resolutions
(Seventh Roport)

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

श्री विभूति मिश्र (मोतीहरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि प्रस्ताव में--अन्त में यह संशोधन कि श्री विभूति मिश्र को अपना संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये, जोड़ दिया जाये ।"

I have objection that my Private Members' Bill under Article 1 of the Constitution has been negatived. The framers of our Constitution, which represented different states, had not fought with the Britishers. The Article 4 says that Parliament has right to change any provisions of the Constitution and carry out any amendment in it. In the same way the article, 5 says "At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India." Here there is no mention of Union Territory but there is Territory of India. So the sub-clause of Article 1 does not apply here. Had it been so, we would not be able to end the agreement done with the princes. In the same way we are amending the Constitution regarding I. C. S. The Parliament is competent to amend the Constitution

wherever it is necessary. The Assembly, which gave shape the Constitution, was elected on restricted vote. People sent Congressmen in Assemblies to fight with Britishers. Now after getting indipendence, the Coostitution was evolved. The members who evolved Constitution were not elected on adult franchise. To-day the members have come here on adult franhcise so we have every right to change the Constitution.

Mr. Speaker : I will put your amendment before the House. You may speak on it after it is carried out.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : यदि सभा चाहती है तो इस विषय को समिति को सौंपा जा सकता हैं। श्री मिश्रा वहाँ अपनी बात कह सकते हैं।

Mr. Speaker : This motion may be put for voting. If the House accepts it then you can have your say.

Shri Bibhuti Mishra : I want the House may judge what I am saying. It is for them to see whether it should be accepted or not.

श्री जी० जी० स्त्रैल : समिति ने सिफारिशें करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया था। हमने श्री मिश्रा को बता दिया था कि उन्हें यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने में कानूनी और संवैधानिक कठिनाइयां हैं। मैं गैर सरकारी सदस्यों के कार्यवाही का समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं इतना कह सकता हूँ कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व हमने संवैधानिक तथा कानूनी बातों पर विचार किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि सभा को इस विषय पर चर्चा करनी ही है तो श्री मिश्रा का प्रारूप विधेयक समिति की टिप्पणियों, आपत्तियों सहित सभा में भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वस्तुस्थिति यह है कि यह समूचा प्रस्ताव संशोधन के रूप में विषय सहित सभा के समक्ष है। मैं इसे मतदान के लिए रखूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस पर सभा में गम्भीर रूप से विचार किये बिना ऐसा करना अनुचित होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कठिनाई यह है कि समिति जो कुछ भी कहती है उसे सभा में विश्वास के साथ लिया जाता है। संसद इसी रीति से कार्य करती है। मैं नहीं जानता कि आप यह विषय वापिस समिति को सौंप सकते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : इस मामले में स्थिति ने असामान्य रूप धारण कर लिया है। एक वरिष्ठ सदस्य चाहते हैं कि इस पर समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभा की अनुमति से ऐसा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विशेष संशोधन को अलग कैसे कर सकता हूँ? यह मुख्य प्रस्ताव का भाग है। मुझे प्रस्ताव के साथ-साथ इस संशोधन को भी मतदान के लिये रखना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा जिसमें समूचे विषय को विचारार्थ हेतु समिति को सौंपने के लिये कहा जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह संशोधन वापिस समिति को सौंप दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको सभा के मतदान के लिये रखूंगा । जब तक इस आशय का अन्य प्रस्ताव नहीं आता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं व्यक्तिगत तौर पर श्री मिश्रा के कथन से आश्वस्त नहीं हूं । प्रोफेसर मुकर्जी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है आप इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना स्थगित कर सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित किया जाये और संशोधन वापिस समिति को सौंप दिया जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा करना अनुचित है, वे इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के लिए सूचना नहीं दी गई है इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न है :

कि प्रस्ताव में,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"यह संशोधन कि श्री विभूति मिश्र को अपना संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was Negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

बन्द औद्योगिक एककों को सरकारी उद्यमों के रुप में अपने अधिकार में लेने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत

Resolution Re : Taking over of closed Industrial Units as Public Enterprises— Negatived

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैंने इस संकल्प के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं, जहां तक कर्मचारियों की बेरोजगारी का सम्बन्ध है, मुझे उनके साथ सहानुभूति है

और औद्योगिक एककों के बन्द होने के बारे में मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूँ, परन्तु में इस बात को नहीं मानता कि इन एककों के बन्द करने का उद्देश्य कर्मचारियों को धमकाना या भय दिखाना है, वे कहते हैं कि यदि सरकार बड़े उद्योगों को अपने हाथ में ले लेगी तो इससे बड़ा लाभ होगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों पर उत्पादन बढ़ाने और नए रोजगारों की व्यवस्था करने का समान दायित्व है। स्वतन्त्रता के पश्चात गैर सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन 15 गुना अधिक बढ़ा है।

केवल बन्द मिलों को अपने अधिकार में ले लेने से समस्या नहीं सुलझेगी, हमें उनके कारणों का अध्ययन करना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में कई औद्योगिक एककों के बन्द होने का सम्पूर्ण दायित्व तत्कालीन शासक दल की नीतियां रही हैं। जब तक कर्मचारियों को उत्पादन की ओर पर्याप्त ध्यान देने को नहीं कहा जायेगा तब तक एककों का बन्द होना नहीं रुकेगा, सरकार को चाहिए कि वे इनको अपने अधिकार में लेने से पूर्व इनके बन्द होने के कारणों का पता लगाये, सरकार ने कई कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है परन्तु फिर भी उनमें घाटा हो रहा है। सरकार को ऐसे औद्योगिक एककों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए जिसके संयन्त्र तथा मशीनरी आदि पुरानी पड़ गई हों। इसी तरह सरकार को चाहिए कि वह इसमें राजनीति का प्रवेश न होने दें। प्रतिदिन दुर्गापुर में कोई न कोई गड़बड़ होती रहती है। इससे देश को कितनी अधिक हानि हो रही है ? इन सभी कारणों से मैं संकल्प का विरोध करता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री साहा द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प का समर्थन करता हूँ :

> 'इस सभा की राय है कि सरकार उन सभी कारखानों और औद्योगिक एककों को, जो देश के विभिन्न भागों में गत पाँच वर्षों के दौरान बन्द कर दिए गए हैं, अपने अधिकार में लेने के लिए तुरन्त और प्रभावी कदम उठाए और उन्हें सरकारी उद्यमों के रूप में चलाए।"

इस संकल्प का विरोध करने वाले श्री दामानी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि कानपुर स्थिति 'दी न्यू विक्टोरिया मिल्स' और 'मिनर्वा मिल्स' सरकार के नियन्त्रण में आने के बाद ठीक कार्य कर रही हैं, जबकि इससे पूर्व वे घाटा में चल रही थीं। मिनर्वा मिल्स अब लाभ कमा रही है। अतः यह कहना गलत है कि सरकार के नियन्त्रण के पश्चात औद्योगिक एककों का कार्य ठीक से नहीं चल पा रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि यह संकल्प स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भी औद्योगिक एकक तीन मास तक बन्द रहे उसे सरकार को अपने नियंत्रण में स्थायी रूप से ले लेना चाहिए। अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक में इस आशय का संशोधन कर दिया जाना चाहिए, जिससे ऐसे एकक के मालिक न्यायालय की शरण न ले सकें क्योंकि न्यायालय से रोकादेश मिल जाने पर ऐसे मामले दो-तीन वर्ष के लिए लटक जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प के प्रस्तावक को बधाई देता हूँ और संकल्प का समर्थन करता हूँ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प के प्रस्तावक की भावना का आदर करता हूँ। औद्योगिक एककों के बन्द होने के बारे

में हम सबको चिन्ता है। हम यह चाहते हैं कि एक भी औद्योगिक एकक बन्द न हो, क्योंकि एकक के बन्द होने से न केवल बेरोजगारी बढ़ती है बल्कि उत्पादन भी घटता है।

इसे हम अपना दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हमारा औद्योगिक विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इसका एक कारण यह है कि इस मामले में हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास इस प्रकार से नहीं कर पाते है जिस प्रकार हम चाहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखें तो पता चलता है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित अमरीका में कृषि क्षेत्र में केवल 7 प्रतिशत लोग काम करते हैं जबकि भारत में 70 प्रतिशत लोग कृषि-क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम लोग काम करते हैं। अतः हमारी इच्छा है कि हमारे यहां उद्योगों का विस्तार हो और वे फूलें-फलें। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे उद्योग बन्द न हों, बल्कि चलते रहें।

जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है, अध्यादेश जारी होने के बाद यह निरर्थक हो जाता है। दूसरे, जब अध्यादेश के स्थान पर विधेयक आयोग उस समय वह अपने आशय के संशोधन पेश कर सकते हैं। अतः मैं प्रस्तावक से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

अध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के सम्बन्ध में श्री मूल चन्द डागा का एक संशोधन है। श्री डागा इस समय उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ :

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की राय है कि सरकार उन सभी कारखानों और औद्योगिक एककों को, जो देश के विभिन्न भागों में गत पाँच वर्षों के दौरान बन्द कर दिए गए हैं, अपने अधिकार में लेने के के लिए तुरन्त और प्रभावी कदम उठाये और उन्हें सरकारी उद्यमों के रूप में चलाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में संकल्प

Resolution Re : Rise in Prices of Essential Commodities

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

"यह सभा वस्तुओं, विशेषकर दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में तीव्रता से तथा अनियंत्रित गति से हो रही चौतरफा वृद्धि तथा उसे रोकने में सरकार की सर्वथा असफलता पर असन्तोष तथा चिन्ता व्यक्त करती है।"

थोड़े से समय में ही उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार कहती है कि स्थिति नियन्त्रण में है किन्तु मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर रुपये का मूल्य

गिरता जा रहा है। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। स्थिति नाजुक और चिंतनीय है। मूल्यों में वृद्धि से अन्याय और परेशानी बढ़ती है; बचत कम होती है, विकास की गति रुक जाती है जिस समय से श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आई हैं तब से मूल्यों में वृद्धि अधिक तेजी से हुई है। निम्न वर्ग के लोगों और निश्चित आय वाले लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। ऐसा लगता है कि सरकार ने पूंजीपतियों के साथ लोगों को धोखा देने के लिए सांठ-गांठ कर रखी है। बेचारे मजदूर का दोनों ओर से शोषण किया जा रहा है। मजूरी के रूप में उन्हें कम दिया जाता है और उपभोक्ता वस्तुओं के बदले उनसे अधिक लिया जाता है। 'गरीबी हटाओ' नारे की यह विशेषता अब सामने आ रही है। 1971 के निर्वाचन के पश्चात् सरकार ने 'गरीबी हठाओ' के नाम पर 575 करोड़ रुपये के कर जनता पर लगाये हैं।

वर्ष 1969 से 1971 तक वस्तुओं के खुदरा मूल्य में जितनी वृद्धि हुई उसका ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है। दाल के मूल्य में 25 से 50 प्रतिशत, डालडा के मूल्य में 9 प्रतिशत, चीनी के के मूल्य में 10 प्रतिशत, गुड़ के मूल्य में 35 प्रतिशत, सब्जियों के मूल्य में 40 से 100 प्रतिशत, साबुन और मसालों के मूल्य में 10 से 20 प्रतिशत, ब्लेड के मूल्य में 30 से 40 प्रतिशत और भवन-निर्माण सामग्री के मूल्यों में 15 से 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून 1970 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 225 था जो सितम्बर 1971 में बढ़कर 238 हो गया था। इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। इस भत्ते की राशि लगभग 35 करोड़ रुपये होगी। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार दिसम्बर 1969 में सामान्य मूल्य सूचकांक 169.8 था जो दिसम्बर 1970 में बढ़कर 180.9 हो गया था। इस वर्ष सितम्बर तक यह बढकर 183.2 हो चुका था। औद्योगिक कच्चे माल के मूल्य में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। हमारे विचार से वृद्धि और भी अधिक हुई है।

राज्य व्यापार निगम, खाद्य निगम और रुई निगम जैसे सरकारी संगठन भी आड़तियों या बिचौलियों को समाप्त नहीं कर पाये हैं। वे गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से क्रय और विक्रय कराते है। रिजर्व बैंक और प्रशुल्क आयोग बड़े उद्योगपतियों के सच्चे मित्र हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक भी उद्योगपतियों को ऋण अधिक दे रहे हैं। अनाज का जहां तक सम्बन्ध है, फसल बहुत अच्छी हुई, हमारे सुरक्षित भण्डार में 90 लाख टन अनाज है, फिर भी अनाज के मूल्यों में वृद्धि क्यों हो रही है ? कृषि क्षेत्र में जो आय हुई वह छोटे किसानों या खेतिहर मजदूरों को न पहुचकर अनाज के व्यापारियों को पहुँची है। हर वस्तु के मूल्य पर सरकार नियन्त्रण रखने का दावा करती है किन्तु मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है। तिलहन और मूंगफली के मामले में भी स्थिति यही है। उनके उत्पादन में लाखों टन की वृद्धि हुई, किन्तु उनके मूल्य बढ़ते गए। सरकार की योजना कैसी है, समझ में नहीं आता। सरकार समय पर अनाज, तिलहन आदि को अपने सुरक्षित भंडार से नहीं निकालती और इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है जिससे व्यापारियों को लाभ होता है। इस प्रकार सरकार बड़े व्यापारियों की रुपये कमाने में सहायता करती है।

वर्ष 1969-70 में चीनी का उत्पादन 42.6 लाख टन हुआ। 22 लाख टन सरकार के भंडार में था।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए ।
Shri N. K. Salve *in the Chair*]

फिर भी चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई । सरकार ने चीनी पर से नियन्त्रण उठाया उसने यह भी आश्वासन दिया था कि चीनी के मूल्य स्थिर रखे जायेंगे । किन्तु यह आश्वासन पूरा न किया जा सका । सरकार द्वारा अपने भंडार से अधिक चीनी बाजार में भेजी जानी चाहिए । साथ ही सरकार को चीनी पर नियन्त्रण पुनः लगाना चाहिये । रुई के मूल्य बढ़ने का कारण यह है कि रुई निगम सीधे रुई उत्पादकों से रुई न खरीद कर बिचौलियों के माध्यम से खरीदता है । रिजर्व बैंक की ऋण देने की नीति बहुत उदार है । सूती कपड़ा आयुक्त व्यापारियों का मित्र है और बाजार में स्टाक को वह छूता नहीं है । सरकार द्वारा आयात की गई रुई वितरण के लिए पूर्णतया मिल मालिकों को दी जाती है । इस गड़बड़ी को ठीक किया जाना चाहिए ।

इस बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि प्रत्येक मीटर पर कपड़े का मूल्य छापा जाना चाहिए जिसे मजाक समझा जा रहा है । इसका उल्लंघन करने पर सात पैसे प्रतिगज का जुर्माना है । इसके लिए कड़ा दंड दिया जाए और औद्योगिक उत्पादों के लिए लागत लेखा के लेखा-परीक्षण की स्थापना की जानी चाहिए ।

जहां तक खुदरा व्यापारियों का सम्बन्ध है, यदि कड़ी कार्यवाही की जाती और लगभग दो सौ लोगों को जेल में डाला जाता—बंगाल में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तगंत 20,000 लोगों को जेल में डाला जाता तो स्थिति सुधर सकती थी ।

खाद्यान्नों और अत्यावश्यक वस्तुओं तथा सारी औद्योगिक कच्ची सामग्री के थोक व्यापार को राज्य को अपने हाथ में लेना चाहिए । आपातकालीन उपाय के रूप में चीनी के वितरण और आवश्यक वस्तुओं पर नियन्त्रण किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को उधार देने की इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए कि एकाधिकारियों को सट्टे के लिए कोई ऋण न दिया जाय और बड़े किसानों को ऋण न दिया जाये । इनके स्थान पर छोटे और मध्यम उद्योगों तथा समाज के कमजोर बर्ग को ऋण दिया जाना चाहिए ।

बैंक प्रणाली पर एकाधिकारियों का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए वर्तमान निदेशक बोर्ड भंग करके ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जायें जो एकाधिकारियों से सम्बद्ध न हों ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध में मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

सभी वायदा बाजारों पर रोक लगा दी जानी चाहिए । यह विधेयक स्थिति पर नियन्त्रण नहीं रख सकेगा ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Mr. Charirman, Sir, prices are definitely rising but it is necessary to find out as to since when prices have started to rise. Since the time the Left Communist Party came into power in West Bengal and Communist Party in Kerala, prices have started to rise. They created inter-union rivalry in industrial units and thus brought the production either to a stand-still or reduced it. Moreovr they are attacking wagons so that goods may not be sent to other states.

During the tenure of Chief Ministership of Dr. B. C. Roy in West Bengal, the per capita income and the industrial production was the highest but since shri Jyoti Bosu came

into power, the economy of West Bengal has shattered. Therefore the charge of rising prices should be levelled on the Communist Party and not on Mrs. Gandhi's Party.

About ten million refugees have come and many of them have come in West Bengal. They have to be provided with ration, clothing, shelter etc. and the Government is doing all that. Therefore, the strain on our economy is essential and as a result of that prices are rising.

Our defence is being challenged and we are providing full facilities to the military personnel. That is also a factor regarding price-rise.

There is a huge amount of black-money in the country and three-fourth of that is in Gujerat. Nine-tenth portion of that black-money is pawned. Ways and means should be found out to unearth it.

The prices of Sugar have risen much after lifting the control. I have requested the Chief Minister of Andhra Pradesh to allow us to transfer the surplus amount with them to the cane-growers because the Government had made the money available to us from financial institutions on their own surety.

Still no state of emergency has been proclaimed inthe country but there is a condition of emergency. The hon. Member should not say in Parliament that prices are rising. This price-rise is low as compared to China.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं अपने माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु के संकल्प का समर्थन करता हूं, यह कहना तथ्य के प्रति न्याय करना नहीं होगा कि बंगला देश से आये 1 करोड़ शरणार्थियों के कारण कीमतें बढ़ गई हैं।

कीमतें बढ़ने के बहुत से अन्य कारण हैं। भारत सरकार मूल-नियंत्रण नहीं कर पाई है। और न ही इस समस्या के मूल कारण का पता लगा पाई है खुदरा व्यापारियों और छोटे-छोटे दुकानदार मूल्य-वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है अपितु बड़े व्यापार गृह और एकाधिकारी इस के लिए उत्तरदायी हैं जिनकी भारत सरकार के विभागों, संगठनों और संस्थाओं से सांठ-गाँठ है।

रिजर्व बैंक और चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों की यह नीति रही हैं कि बड़े व्यापारियों की आवश्यकतायें पूरी करें। इन बैंकों के अधिकाँश अभिरक्षक बिड़ला, टाटा, महिन्द्रा अथवा गोयन्का समूहों के होते हैं। जो लोग वायदा-बाजार में लगे हुए हैं उनकी गतिविधियाँ भी भली भांति विदित हैं। अब भी राष्ट्रीयकृत बैंक काफी राशि बड़े व्यारियों के ऋण के रूप में देते हैं।

सरकार के आंकड़ों के अनुसार घाटे की अर्थ व्यवस्था 370 करोड़ रुपये की है। मैं दावा करता हूँ कि यह आगामी जनवरी तक 1,000 करोड़ रुपये हो जायेगी। बढ़ते हुये कर और बहुत सी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष करों के कारण मूल्य बढ़ रहे हैं।

सरकार कहती है कि उपभोक्ताओं को चाहिये कि मूल्य न बढ़ने दें। उपभोक्ता तो ऐसा करने को तैयार हैं परन्तु सरकार का इस बारे में क्या विचार है।

समूचे भारत में संगठित श्रमिक वर्ग मांग कर रहे हैं कि मूल्य कम किये जायें—इसके लिये वे प्रदर्शन करते हैं परन्तु अभी तक सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मूल्य नियंत्रण करने सम्बन्धी सरकार का विचार कागज पर ही रह जायेगा क्योंकि सरकार स्टाक पर नियंत्रण नहीं करती है। स्टाक का भौतिक नियत्रण और वितरण आवश्यक है।

खाद्य निगम अथवा अन्य कोई एजेन्सी अत्यावश्यक वस्तुओं की समूची वसूली और वितरण पर नियंत्रण क्यों नहीं करते हैं ? पूँजीवादी देशों में गेहूं के व्यापार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। हमारी सरकार ऐसा कुछ न करके उभोक्ताओं द्वारा मूल्य न बढ़ने दिये जाने की बात करती है।

क्या सरकार ने लाभ पर कोई कर लगाये हैं। भारत में विदेशी कम्पनियाँ कोलगेट और पामोलिव 1 करोड़ रुपये का लाभ कमाती हैं।

अतः मै कहना चाहता हूं कि ऐसी कम्पनियों पर उचित ढंग से कर नहीं लगाया जाता है। जानसन एन्ड जानसन जो बच्चों का पाउडर बनाती है, 1.0 करोड़ रुपये का लाभ कमाती है।

आज हमारे देश में क्या हो रहा है ? सरकार क्या कर रही है ? कुछ समझ में नहीं आता। यह स्थिति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और कभी न कभी इसका भंडा फोड़ होगा।

श्री जगजीवनराम कहते हैं कि हमारी सीमाओं की रक्षा की जायेगी परन्तु सीमाओं के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है यदि मूल्य बढ़ते गये तो मुनाफाखोर लोगों को और अधिक लूटेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि अखिल भारत मजदूर संघ काँग्रेस ने सरकार को समर्थन देने की बात कही है, पर क्या सरकार यह करने को तैयार है कि किसी भी श्रमिक की छंटनी न की जाये जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। उचित दर पर दुकानें गाँवों, कस्बों और शहरों में खोली जायें।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मुझे यह जानकर थोड़ी निराशा हुई कि इस पंकल्प के प्रस्तुतकर्ता, श्री ज्योयिर्मय बसु मूल्य वृद्धि से कहीं अधिक प्रधानमंत्री के प्रति मनोग्रस्त हैं।

आज हम शाँति के समय के विचारों से युद्ध के समय की अर्थव्यवस्था से गुजर रहे हैं। यह विषम स्थिति है और हमें इस विषम स्थिति पर विजय पानी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार का सारा प्रयास उत्पादन में 7 प्रतिशत वृद्धि करना था परन्तु केवल 1 प्रतिशत वृद्धि हुई।

जिन एककों में काम हो रहा है वहां पर भी कच्चे माल की कमी और विभिन्न अन्य कारणों से पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो कर रहा है।

जून 1971 में राज्य सरकारों ने 371 करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट लिए। रिजर्व बैंक के आदेश हैं कि जहां तक ओवर ड्राफ्ट की बात है, कठोर वित्तीय अनुशासन बरता जाना चाहिए। परन्तु क्या ऐसा किया जा रहा है ?

देश में आयकर के बकाया की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। इस समय आयकर के लगभग 500 करोड़ रुपये की बकाया राशि उगाही जानी शेष है। यदि केन्द्र तथा राज्यों में आयकर

की बकाया राशि को जोड़ा जाए तो यह लगभग 1000 करोड़ रुपये बैठेगी। इस स्थिति में 70 करोड़ के नये कर लगाने के स्थान पर इस बकाया राशि को वसूल करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए थे।

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि निवेश के प्रति उत्साह की कमी है और औद्योगिक विकास में यह रुकावट है। इसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। और यह बताया जाना चाहिए कि निवेश में कमी किस क्षेत्र से है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था के संबंध में आंकड़ों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। समूची चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 850 करोड़ के घाटे की व्यवस्था का विचार था परन्तु वर्ष 1970-71 में यह व्यवस्था 480 करोड़ रुपये के आंकड़ों तक पहुँच चुकी है और इस चालू वित्तीय वर्ष में जब 220 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान सारे वर्ष के लिये था, समाप्त हुए 6 महीनों के लिए 380 करोड़ रुपये का घाटा अब तक हो चुका है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। सदन को यह भी बताया जाये कि मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कारगर कार्यवाही की जा रही है। उपभोक्ताओं और अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए ठोस उपाय किये जाने आवश्यक हैं।

आज पूंजी बाजार शेयरों में गिरावट आ रही है जिनसे कि बाजार में आंतक फैला हुआ है अनावश्यक आंतक को सरकार को नहीं फैलने देना चाहिए। सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं सरकार जो कठोर विधान प्रस्तुत करने वाली है, उनसे बचने की दृष्टि से पूंजी बाजार का यह सुनियोजित प्रयास न हो। अथवा शीघ्र ही पेश किये जाने वाले वायदा व्यापार विधेयक को असफल करने के लिए यह चेष्टा न हो।

श्री पीलू मोदी (गोदरा) : पिछले 20 वर्षों से देश में मूल्य बढ़ रहे हैं। वृद्धि के कारणों के बारे में सरकार को और जनता को बताया जा चुका है। परन्तु सरकार फिर भी भूतकाल से कोई सबक नही सीखती। उन्हीं नीतियों का अनुसरण दिया जा रहा है जिनके कारण मूल्य वृद्धि होती रही है। वास्तव में मूल्य वृद्धि के संबंध में सरकार कुछ करने को उत्सुक ही नहीं है।

सरकार इस बात को नहीं सोचती कि मूल्य किस प्रकार से कम हो। अपितु सरकार के ध्यान में केवल मात्र यही बात है कि कहां-कहां से पैसा प्राप्त किया जाये। मूल्य वृद्धि का एक कारण घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी है। सरकार घाटे को पूरा करने के लिए नोट पर नोट छापे जा रही हैं। नासिक के नोट छापने के प्रेस के एक श्रमिक ने मुझे लिखा है कि वहां पर प्रबंधक श्रमिकों के हाथों खेल रहे हैं।

**

मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे सरकार पर जनता के विशवास को चोट पहुंचे परतु मुझे ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था।

**

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

मूल्य बढ़ने का बडा कारण यह है। सरकार को ससाधनों की आवश्यकता है। परंतु सरकार को यह नहीं मालूम कि संसाधन किस प्रकार से जुटाये जाएं। गरीबों को निचोड़ने अथवा अमीरों को गालियां देने से संसाधन नहीं जुट पाते। सरकार गरीबों को बुरा भला नहीं कह सकती लेकिन उन्हें लूट सकती है। इसी प्रकार अमीरों को लूट नहीं सकती उन्हें बुरा भला कह सकती है सरकार का जितना आज व्यय हो रहा है उसमें से अधिकतर गैर उत्पादक है। इस सारे धन का उपयोग उत्पादन के लिये किया जा सकता है।

लाइसेंस के हजारों मामले विचाराधीन पड़े हैं। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि इसके लिए 11 मंत्रालयों के पास जाना पड़ता है। किसी चीज पर नियन्त्रण लगा दिया जाता है परन्तु उसकी कमी को पूरा करने के लिए यह नहीं किया जाता कि उसके उत्पादन को लाइसेंस से विमुक्त किया जाये। समझ में नहीं आता कि इस प्रकार कमी किस प्रकार पूरी होगी ?

यह बात बेकारी के सम्बन्ध में है। वास्तव में मूल्य वृद्धि के साथ बेकारी भी जुड़ी हुई है। इन दोनों बातों का उत्पादन में निकट सम्बन्ध है। जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ाते तब तक मूल्य वृद्धि की समस्या का कोई हल नहीं हो सकता।

***श्री सी० चित्ति बाबू** (चिंगल पुट) : हमें इस संकल्प का समर्थन करना चाहिए। यहीं संकल्प अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की स्थिति पर प्रकाश डालता है।

हाल ही में वित्त मंत्री ने जनता को कहा था कि मूल्य वृद्धि को रोकने के विचार से देश में उपभोक्ता प्रतिरोध आन्दोलन प्रारम्भ किया जाये। परन्तु उन्होंने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं बताया कि यह आन्दोलन किस तरीके से चलाया जाये। क्या उपभोक्ता दुकानों को लूटें अथवा प्रतिष्ठानों को आग लगा दें और या इस प्रकार की दुकानों के सम्मुख अहिंसक सत्याग्रह किया जाये ? फिर इसका परिणाम क्या निकलेगा ?

गत 24 वर्षों में सभी वित्त मंत्री जनता पर कर लगाते आये हैं। कोई भी वर्ष ऐसा नहीं बीता जब नये कर जनता पर न लगाये गये हों। परन्तु दूसरी ओर कोई भी ऐसा वर्ष नहीं बीता जिसमें देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई प्रोत्साहन दिया हो। सरकार यदि यह समझती है कि कृषि विकास के बिना बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के द्वारा देश की गरीबी दूर हो सकेगी तो यह गलत स्थिति है। यह वस्तुतः असफलता का रास्ता है।

समूची शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रित हैं। सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने यह बात कही है कि केन्द्र द्वारा कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए। यदि देश की अर्थव्यवस्था का विकास समाज आधार पर करना है तो शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए।

सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। हमने उस कार्य का समर्थन किया क्यों कि हमने समझा था कि इन बैंकों के पास जमा निधियों को समाज के दलित वर्गों के उत्थान के लिए

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।
Summarised Hindi version of English translation of speech delivered in Tamil.

उपयोग में लाया जायेगा। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि आज इन बैंकों के द्वारा निर्धन किसानों को ऋण नहीं दिया जाता, अपितु धनी व्यक्तियों को दिया जाता है।

औद्योगिक लाइसेन्स देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है। परन्तु यह तथ्य है कि राज्यों की औद्योगिक आवश्यकताओं का अधिक पता राज्य सरकार को होता है न कि केन्द्रीय सरकार को। अतः इसी आधार पर यह मांग की गई थी लाइसेन्स देने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होनी चाहिये न कि केन्द्रीय सरकार के पास। प्राथमिकता उद्योगों और अन्य बुनियादी उद्योगों को स्थापित करने की शक्ति केन्द्र अपने पास रख सकता है परन्तु अन्य छोटे उद्योगों के लाइसेन्स देने की शक्ति राज्य सरकारों को दी जानी चाहिये।

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इनके उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में उपक्रम स्थापित किये जाए। इसके द्वारा ही सरकार बढ़ते मूल्यों को कम कर सकती है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री पीलू मोदी के भाषण के प्रथम वाक्य के अतिरिक्त जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें नासिक-टकसाल के एक कर्मचारी का पत्र प्राप्त हुआ है और जिसमें उल्लेख किया गया है कि वहां प्रबन्धकों पर श्रमिक हावी हैं, उन्होंने और जो कुछ कहा है उनके अपने ही अनुरोध पर सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और इस पर दो घंटे में निर्णय नहीं हो सकता। अतः इस मामले को आगामी गैर सरकारी कार्यवाही वाले दिन जारी किया जाए।

सभापति महोदय : मैं भी समझता हूँ कि यह मामला बहुत गम्भीर है और इस पर अत्यन्त गम्भीर चर्चा होनी चाहिए परन्तु यह मेरी शक्ति के बाहर हैं। इसका निर्णय तो कार्य मंत्रणा समिति ने किया है। और मुझे इसके अनुदेशों का पालन करना है।

Shri M. C. Daga (Pali) : I think the Government is not interested and rather serious in bringing down the prices. The prices have been constantly rising since 1964; but nothing effective is being done in this matter. Instead of taking some concrete steps to check this upward trend in the prices, the Government has imposed heavy taxes on the people. It is no use of advising the consumers to fight against the price-rise in a organised manner. when Government is unable to check this evil. Rather Government have increased taxes in the pretext of Bangla Desh issue.

Non-plan expenditure has been increased in crores of rupees. Heavy expenditure on our missions abroad is being incurred. Public Sector undertakings are showing heavy losses. Government seems to be indifferent and it has no policy in this matter. Only labour and lower middle class people have been affected by this rise in price.

It is high time that Government should seriously consider to check non-plan expenditure and unearth black-money. Government should also look into the causes responsible for heavy losses being incurred in Public Sector undertakings. Government employees have a limited income. But leaving aside a few ones, most of them lead a luxurious life. From where they are getting this unaccounted money ? Government has never thought. Instead of finding ways to curb price rise, Government always finds one excuse or the other.

It is necessary to give some incentive to the labourers so that they can increase production. No incentives are given to the weeker section of society. There shall not be any down-ward trend in the prices unless production increases and austerity measures are adopted in Government expenditures.

In order to neutralise price-rise the salaries of Government employees are increased, but Government has never thought of the precarious condition of an ordinary man. I want to know whether Government has taken any step to ensure comparative increase in the income or wages of ordinary men who are not in government service ? It is, high-time for the Government to take effective steps to check upware trend in prices.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मूल्य वृद्धि का प्रभाव ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर समान रूप से पड़ रहा है। मूल्य वृद्धि का प्रभाव वस्तुत: समाज के निर्धन वर्गों पर पड़ रहा है, जो मुख्यत: गांवों में रहते हैं अर्थात देश की एक तिहाई जनता पर इस बुराई का प्रभाव पड़ रहा है। इस असंगठित वर्ग के प्रति सरकार की विशेष जिम्मेदारी होने पर भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। विशेषकर खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हैं। गेहूँ के मूल्य तो कुछ सीमा तक स्थिर रहते हैं किन्तु चावल के मूल्यों में तो गेहूं के मूल्यों से दुगुनी वृद्धि हुई है।

यह ठीक है कि बंगला देश के शरणार्थियों के यहां आने से मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। परन्तु गेहूं के मूल्यों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी चावल के मूल्यों में। मूल्य वृद्धि का सीधा सम्बन्ध खाद्यान्नों के मूल्य से है। अत: खाद्यान्नों, विशेषकर चावल के मूल्यों की वृद्धि का हमारी राष्ट्रीय नीति से सीधा सम्बन्ध है और इसके लिए बंगला देश के शरणार्थियों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अपितु इस बारे में सतत प्रयत्न करना चाहिए।

जहां तक उपभोक्ता आन्दोलन की बात है इस सम्बन्ध में दो विकल्प हैं। एक तो उन क्षेत्रों में, जहां खाद्यान्न कम होते हैं और विशेषकर जहां मुख्य भोजन चावल है, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजा जाए और उचित मूल्य वाली दुकानें खोली जाए और निर्धन वर्गों के लोगों के लिए खाद्यान्न में आर्थिक सहायता देकर वहां खाद्यान्न का वितरण किया जाए। यदि आज हम बंगला देश के लगभग एक करोड़ शरणार्थियों की सहायता कर सकते हैं, तो हम अपने ही देश के निर्धन वर्ग के लोगों को अन्तरिम अवधि में सस्ते दाम पर खाद्यान्न भी दे सकते हैं। अत: सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिए। भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन को देखते हुए खाद्यान्न पर नियंत्रण रखने के लिए गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमारे देश की जन संख्या के एक तिहाई लोग जो गांवों में रहते हैं उन्हे खाने को चीनी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। इससे विदित होता है कि हम अपने ग्रामीण लोगों की आर्थिक कठिनाइयों के प्रति बहुत उदासीन हैं।

पश्चिमी समुद्रतटीय और ऐसे अन्य क्षेत्रों, जहां अत्यन्त अधिक निर्धनता है, में लोगों के लिए राहत कार्य शीघ्रता से करने के लिए कुछ उपाय अवश्य किए जाने चाहिए क्योंकि वहां लोगों में इतनी निर्धनता है कि लोगों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती है।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मंत्री महोदय के भाषण से पहले मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कल तक जारी रखी जाए।

सभापति महोदय : इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। परन्तु इस पर आज पूर्ण रूप से चर्चा नहीं हो सकती। हम आज छः बजे सायं तक बैठेगें।

श्री पी० एम० मेहता : यह समस्या सारे राष्ट्र के लिए गम्भीर है। मूल्य इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं कि साधारण मनुष्य का जीवन बहुत संकटमय हो गया है। यह स्थिति सरकार की पूर्ण असफलता के कारण हुई है। सरकार मूल्यों को स्थिर करने में असफल रही है किन्तु इसके साथ इस समय देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत चिन्तनीय हो गई है। आशा के अनुसार उत्पादन दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। निवेश की भी यही स्थिति है। घाटे की अर्थ व्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है। बजट पेश करते समय मंत्री महोदय ने सदन को आश्वासन दिया था कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि नहीं होने दी जायेगी। परन्तु, खेद की बात है कि इस दिशा में कुछ भी तो नहीं हुआ है। और घाटा अनुमानित घाटे से भी अधिक बढ़ गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि काला धन बहुत बढ़ गया है। जो वास्तविक अर्थ व्यवस्था के समानान्तर चल रहा है। ..... **(व्यवधान)** इसी काले धन की वृद्धि के कारण मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो रही है।

इस वर्तमान स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है। यह स्थिति सरकार ने ही उत्पन्न की है। यहां तक कि बंगला देश की समस्या भी सरकार ने ही बनाई है। यदि सरकार ने इस दिशा में पहले ही कोई कदम उठाया होता और बंगला देश को मान्यता पहले दे दी होती तो आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अब सरकार यह कह रही है कि बंगला देश के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है। परन्तु इसमें केवल एक चौथाई ही सत्यता है। उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता बहुत घट गई है और उनमें अत्यावश्यक वस्तुएं खरीदने की भी क्षमता नहीं है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

जहां तक बेरोजगारी का मामला है, जब उत्पादन दर और निवेश बहुत कम होंगे, तो बेरोजगारी की समस्या के कम होने की कोई गुंजायश नहीं है। रोजगार दर और भी कम होती जा रही है। रोजगार के अवसर प्रत्येक क्षेत्र में कम होते जाएंगे। यहाँ तक कि सरकार ने हमारे तकनीशियनों और इन्जीनियरों के लिए तक रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए हैं। स्थिति यहाँ तक हो गई है कि हमारे इंजीनियरों, तकनीशियनों और शिक्षित लोगों को यह पता नहीं है कि रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि इस सम्बन्ध में उनका मार्ग प्रशस्त नहीं किया जाता। यह ठीक है कि श्रम को गौरव पूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए। परन्तु हमारे शिक्षित, व्यक्तियों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को रोज़गार के अवसर ही नहीं मिलते।

देश में मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, काला धन बढ़ रहा है, और उत्पादन तथा निवेश दर कम हो रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस वर्तमान चिंताजनक स्थिति को सुधारने की दिशा में ठोस उपाय किये जाने चाहिएं।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I support this motion. But it is a fact that Government has failed to check the rising prices. Wh reas the middle-man has taken a great advantage; the cultivator and weaker section of society have been adversely affected by this evil.

According to the survey, the prices of essential commodities and food-grains have sharply increased. Is this a Bangla Desh refugee problem or administrative problem ? This problem is due to the fact that money supply in India has followed a disconcertingly rising trend during the past ten years. This has caused inflation resulting sharp upward

trend in the prices. The prices of all the essential consumer commodities have been rising sharply.

Heavy taxes have been imposed on the people on account of influx of Bangla Desh rufugees and our people are prepared to sacrifice for the cause of Bangla Desh refugees. But Government must ensure that people may not be put to hardships on account of the rising prices. Government should take initiative in this regard. Fair-price shops should be opened and essential goods or consumer commodities should be sold at controlled rates. Government should inform the people about the steps being taken for keeping the prices under control. The hon. Finance Minister has suggested to open more consumer cooperative societies so that the rising prices may be kept under control. But no positive measures have been taken in this matter.

Mr. Chairman : The hon. Member may continue next time.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 29 नवम्बर, 1971/8, अग्रहायण 1893 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Mondey, November 29, 1971/Agrahayana 8, 1893 (Saka).

Sumer Printing Press, New Delhi-18.